भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या 3

(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या 3

(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार

विषय-सूची

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां		(vii)
विहगावलोकन		(ix)-(xxvi)

पहला अध्याय
राज्य सरकार के लेखे

निधियों के स्रोत तथा उपयोग	1.1	1
राजस्व प्राप्तियां	1.2	2-3
कर राजस्व	1.3	3-5
कर भिन्न राजस्व	1.4	6
सहायता अनुदान तथा संघीय करों एवं शुल्कों का अंश	1.5	6-7
राजस्व व्यय	1.6	8-9
अधिशेष/घाटा	1.7	10
पूंजीगत व्यय	1.8	10-11
लोक ऋण तथा अन्य देयताएं	1.9	11-13
अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफट	1.10	13-15
राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1.11	16-17
निवेश तथा प्रतिफल	1.12	17-19
राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां	1.13	19-20
सारांशित वित्तीय स्थिति	1.14	20-26
राज्य की परिसम्पतियां तथा दायित्व	1.15	26

दूसरा अध्याय
विनियोजन लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

बजट एवं व्यय	2.1	27
विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	27-37
विभागीय आंकड़ों का समाधान	2.3	37
आवश्यकताओं से पूर्व निधियों का आहरण	2.4	38
निधियों का प्रत्यावर्तन	2.5	38

तीसरा अध्याय
सिविल विभाग

शिक्षा विभाग		
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	3.1	39-48

राजस्व विभाग		
प्राकृतिक आपदाओं के कारण संकट से राहत	3.2	48-54
कानूनगो कुटीर का निर्माण	3.3	54-55
मत्स्य विभाग		
राष्ट्रीय मत्स्य सन्तति फार्म, मिलवां	3.4	55-58
पुनः स्थापन कार्यों पर अनुत्पादक व्यय	3.5	58-59
वन कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग		
सड़क निर्माण पर निष्फल व्यय	3.6	59-60
गड्ढों/भू-खण्डों की खुदाई पर निरर्थक व्यय	3.7	60-62
वन-विज्ञान मण्डल, शिमला का कार्यचालन	3.8	62-65
कृषि विभाग		
बीज संवर्धन फार्म के प्रतिष्ठापन पर निष्फल व्यय	3.9	65-66
फिल्म पर निष्क्रिय निवेश	3.10	66-67
ब्याज की अवसूली	3.11	67
आतिथ्य एवं शिष्टाचार विभाग		
आइस् स्केटिंग रिंक पर निष्क्रिय निवेश	3.12	68
आयुर्वेद विभाग		
भूमि अर्जन पर निष्फल व्यय	3.13	68-69
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग		
भवन के निर्माण पर निष्क्रिय निवेश	3.14	70
उद्योग विभाग		
औद्योगिक प्लाटों/शैडों के किराये की अवसूली	3.15	70-72

सामाजिक तथा महिला कल्याण विभाग

विकलांग व्यक्तियों को राहत का भुगतान	3.16	72-73

सामान्य

इलैक्ट्रोनिक दूरभाष एक्सचेंज के प्रतिष्ठापन पर निष्फल व्यय	3.17	73-74
नकद प्रबन्ध में कमियां	3.18	74-78
निष्क्रिय उपस्कर	3.19	78-79
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन	3.20	79-85
दुर्विनियोजन, गबन, इत्यादि	3.21	85-87

चौथा अध्याय
निर्माण कार्य व्यय

लोक निर्माण विभाग

उत्तरी अंचल में ग्रामीण सड़कें	4.1	88-105
निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय	4.2	105-112
सड़क निर्माण पर निष्फल व्यय	4.3	112-114
निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय	4.4	114-116
निर्माण कार्य के दोषपूर्ण निष्पादन के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय	4.5	116-117
अपव्यय	4.6	117
खराबड़ा में हैलीपैड	4.7	117-118
वृद्धि प्रभारों का अधिक भुगतान	4.8	118-119
संविदात्मक उपबन्धों को लागू न करना	4.9	119-120
निविदाओं के आमन्त्रण को परिहार्य करने हेतु निर्माण कार्यों का विभाजन	4.10	120-121
निक्षेप निर्माण कार्य पर अधिक व्यय	4.11	121-122
अपूर्ण निर्माण कार्य	4.12	122-123

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य	4.13	123-133
शिमला जलापूर्ति स्कीम की की वृद्धि	4.14	133-135

सिंचाई स्कीमों पर निष्फल व्यय	4.15	135-138
एक जलापूर्ति स्कीम पर निष्फल व्यय	4.16	138-139
अनधिकृत व्यय	4.17	139-140
एक नलकूप पर निष्फल व्यय	4.18	140-141

पांचवां अध्याय
भण्डार एवं स्टॉक

लोक निर्माण विभाग		
सामग्री के जारी करने में अनियमितताएं	5.1	142-143
अविवेकपूर्ण क्रय	5.2	143-144
भण्डारों की कमी/अलेखांकन	5.3	144-145
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
अप्रयुक्त भण्डार	5.4	145-147
अप्रयुक्त मशीनरी	5.5	147-148
परिहार्य अतिरिक्त व्यय	5.6	148-149
भण्डारों की कमी/अलेखांकन	5.7	149
वन कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग		
सामग्री की कम प्राप्ति	5.8	149-150
कंटीली तार का अधिक उपभोग	5.9	150
घटिया कंटीली तार का क्रय	5.10	150-151
उद्यान विभाग		
अविक्रीत शहद के स्टॉक पर निष्फल व्यय	5.11	151-152
लोक सम्पर्क विभाग		
मीडिया उपकरणों की अप्रयुक्ति	5.12	152-153
कृषि विभाग		
कृषि उपकरणों का अविवेकपूर्ण व्यय	5.13	153

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भण्डारों के लेखांकन में विसंगतियां 5.14 153-154

छठा अध्याय
स्थानीय निकायों व अन्यों को वित्तीय सहायता

सामान्य 6.1 155-157
धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा 6.2 157-175
धारा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा 6.3 175-181

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट–I	अनावश्यक अनुदानों/विनियोगों के मामले	182
परिशिष्ट–II	निधियों का अभ्यर्पण	183
परिशिष्ट–III	वसूलियों में मुख्य अन्तर	184
परिशिष्ट–IV	अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले	185–186
परिशिष्ट–V	आवश्यकता से पहले निधियों का आहरण	187–188
परिशिष्ट–VI	निष्क्रिय उपस्कर के ब्यौरे दर्शाने वाली विवरणी	189–190
परिशिष्ट–VII	वन भूमि के अन्तर्ग्रस्त स्वरूप अपूर्ण पड़े सड़क निर्माण कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी	191
परिशिष्ट–VIII	अपूर्ण पड़े सड़क तथा भवन निर्माण कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी	192–193

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां

31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संख्या 3, संविधान की धारा 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है। यह मुख्यत: हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 1991-92 के विनियोग लेखाओं से प्रकट हुए मामलों से सम्बन्धित है। इसमें वर्ष 1991-92 के वित्त लेखाओं से उद्भूत कुछ रुचिकर प्रसंग भी सम्मिलित हैं।

2. सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

3. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 1991-92 में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगोचर हुए किन्तु पिछले प्रतिवेदन में स्थान न पा सकने वाले मामलों में से हैं। आवश्यकतानुसार वर्ष 1991-92 से उत्तरवर्ती अवधि से सम्बद्ध मामलों को भी शामिल किया गया है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 1991-92 के वित्त तथा विनयोग लेखाओं पर दो अध्याय तथा सरकार के कुछ चयनित कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों और वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर आधारित एक समीक्षा एवं 55 परिच्छेदों से समाविष्ट चार अन्य अध्याय सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है।

1. राज्य सरकार के लेखे

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां 1986-87 में 533.83 करोड़ रु० से बढ़ कर वर्ष 1991-92 में 992.42 करोड़ रु० (86 प्रतिशत) हो गईं; 1990-91 (806.63 करोड़ रु०) की तुलना में 1991-92 के दौरान वृद्धि 23 प्रतिशत की थी।

राज्य सरकार के द्वारा 1991-92 के दौरान जुटाए गये कर राजस्व (192.93 करोड़ रु०) तथा कर-भिन्न राजस्व (74.45 करोड़ रु०) थे जो सकल राजस्व प्राप्तियों का क्रमशः 19 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत था। 1986-92 के दौरान कर राजस्व से प्राप्तियां उत्तरोत्तर रूप से बढ़ कर 92.40 करोड़ रु० से 192.93 करोड़ रु० हो गई जो 1990-91 (160.90 करोड़ रु०) की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि थी। सकल कर राजस्व के प्रति बिक्री कर प्राप्तियों का अंशदान 1986-87 तथा 1991-92 के मध्य 43 से घट कर 35 प्रतिशत हो गया; इसी अवधि के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियों का अंशदान उत्तरोत्तर रूप से बढ़कर 29 से 34 प्रतिशत हो गया। राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां, जो 1986-87 में बिक्री कर से प्राप्तियों का लगभग 2/3 थी, 1991-92 में बिक्री कर प्राप्तियों से केवल सीमान्त रूप से कम थी।

1990-91 (59.32 करोड़ रु०) की तुलना में 1991-92 के दौरान कर-भिन्न राजस्व में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान तथा संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश 1991-92 के दौरान सकल राजस्व प्राप्तियों का क्रमशः 49 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत था। संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश 1986-87 (121.42 करोड़ रु०) तथा 1991-92 (239.82 करोड़ रु०) के मध्य उत्तरोत्तर रूप से बढ़ा। इस अवधि में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान भी 266.75 करोड़ रु० से बढ़कर 485.22 करोड़ रु० हो

गया जो 1990-91 (398.46 करोड़ रु0) की तुलना में 1991-92 में वृद्धि 22 प्रतिशत थी।

वर्ष 1990-91 में 37.66 करोड़ रु0 के समग्र अधिशेष के प्रति 1991-92 के दौरान 15.57 करोड़ रु0 का निवल समग्र घाटा था। जबकि राजस्व घाटा 1988-89 के 69.84 करोड़ रु0 से बढ़कर 1990-91 में 94.84 करोड़ रु0 हो गया, वर्ष 1991-92 के लेखे का समापन 9.86 करोड़ के राजस्व अधिशेष के साथ हुआ। तथापि यह 1986-87 तथा 1987-88 में क्रमशः 69.76 करोड़ रु0 तथा 41.01 करोड़ रु0 के अधिशेषों से काफी कम था। राजस्व अधिशेष में कमी का कारण राज्य सरकार के राजस्व व्यय में पर्याप्त वृद्धि से सम्बद्ध किया गया जो 1986-87 में 464.07 करोड़ रु0 की तुलना में 1991-92 के दौरान 982.56 करोड़ रु0 हो गया और जो 112 प्रतिशत की वृद्धि थी जबकि उसी अवधि के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां केवल 86 प्रतिशत बढ़ी थी।

बढ़ते हुए संसाधन अन्तर के कारण राज्य का आंतरिक ऋण 1986-87 के अन्त में 55.74 करोड़ रु0 से 31 मार्च 1992 को 181.41 करोड़ रु0 होकर 225 प्रतिशत बढ़ गया। केन्द्रीय सरकार से ऋणों व अग्रिमों में 525.32 करोड़ रु0 (147 प्रतिशत) और अन्य दायित्वों में 257.73 करोड़ रु0 (186 प्रतिशत) की वृद्धि सहित राज्य सरकार के कुल दायित्व (1459.05 करोड़ रु0) 1987-87 (550.33 करोड़ रु0) की तुलना में 165 प्रतिशत बढ़ गए थे।

ऋण का बोझ भी सरकार के ब्याज के दायित्व में वृद्धि में परिणत हुआ जो 1986-87 में 41.76 करोड़ रु0 से 1991-92 में 147.85 करोड़ रु0 तक 254 प्रतिशत की वृद्धि थी। इस कारण निधियों का निर्गम 1986-92 के दौरान राजस्व व्यय का 8 और 15 प्रतिशत के मध्य था।

राज्य के विभिन्न सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा सहकारिताओं में निवेश 1986-87 के अन्त में 106.23 करोड़ रु0 से बढ़कर 1991-92 के अन्त में 198.11 करोड़ रु0 हो गए। तथापि 1991-92 के दौरान केवल 0.12 करोड़ रु0 की किंचित राशि लाभांश के रूप में प्राप्त हुई थी। निवेशों पर प्रतिफल सरकार द्वारा अपने उधार पर देय ब्याज की तुलना में पर्याप्त रूप से कम था। 1991-92 के दौरान नए निवेशों

का अधिकांश भाग (20.60 करोड़ रु0) चार सांविधिक निगमों में था जो निरन्तर हानियाँ उठा रहे थे।

विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों, स्थानीय निकायों, आदि द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों और बकाया 1986-87 और 1991-92 के मध्य 226.82 करोड़ रु0 से 361.65 करोड़ रु0 तक 59 प्रतिशत बढ़ गई।

1986-87 की समाप्ति पर 324.09 करोड़ रु0 की तुलना में 31 मार्च 1992 को राज्य सरकार द्वारा वितरित ऋणों व अग्रिमों की बकाया राशि 539.46 करोड़ रु0 थी। 1986-87 से 1991-92 तक छः वर्षों की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा वितरित निवल ऋण तथा अग्रिम दीर्घावधि उधार से निवल प्राप्तियों का 15 और 115 प्रतिशत के मध्य था।

कुछ विभागों द्वारा यथा प्रस्तुत सूचना के आधार पर ऋणों तथा अग्रिमों के प्रति 31 मार्च 1992 को वसूली हेतु 1.63 करोड़ रु0 के ब्याज सहित 3.75 करोड़ रु0 की राशि अतिदेय थी जिसके विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा स्वयं रखे जाते हैं।

1991-92 के दौरान राज्य सरकार ने 130.44 करोड़ रु0 के अर्थोपाय अग्रिमों तथा 940.85 करोड़ रु0 के ओवरड्राफटों का लाभ उठाया। वर्ष के अन्त बकाया अग्रिम 11.27 करोड़ रु0 के थे।

(परिच्छेद 1.1 से 1.15 तक)

2. विनियोग लेखा परीक्षा तथा व्यय पर नियन्त्रण

1991-92 के दौरान 39 अनुदानों और 11 विनियोगों में बचत का योग 139.28 करोड़ रु0 था। तथापि राज्य सरकार का व्यय 16 अनुदानों और 3 विनियोगों में बजट प्रावधान से 1002.04 करोड़ रु0 बढ़ गया। अधिक व्यय का भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमन अपेक्षित है।

वर्ष 1991-92 के दौरान प्राप्त 119.01 करोड़ रु0 का पूरक प्रावधान 1481.61 करोड़ के मूल बजट प्रावधान का 8 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान 9 मामलों में प्राप्त कुल 12.49 करोड़ रु0 के पूरक प्रावधान

समस्त रूप से अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि इन सभी मामलों में व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था।

प्रत्येक मामले में 50 लाख रु0 से अधिक बचत 17 अनुदानों और 1 विनियोग में हुई। बजट प्रावधानों से सम्बद्ध ऐसी बचतें 4 और 39 प्रतिशत के मध्य थी।

1989-90 से 1991-92 तक की तीन वर्षों की अवधि के दौरान 10 से 1458 प्रतिशत अधिक तक निरन्तर बचतें/आधिक्य आठ अनुदानों और तीन विनियोगों में हुआ।

जबकि दत्तमत अनुदानों में कुल 106.68 करोड़ रु0 की बचतें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को अभ्यर्पित की गई, सम्बद्ध विभागों द्वारा 19 अनुदानों और 5 विनियोगों में कुल 34.36 करोड़ रु0 की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई थी। दूसरी ओर 12 मामलों में अभ्यर्पणार्थ उपलब्ध केवल 22.42 करोड़ रु0 की बचत के प्रति वास्तव में 24.96 करोड़ रु0 की राशि अभ्यर्पित की गई थी। पुनः यद्यपि सम्बद्ध विभागों को जनवरी 1992 में संशोधित अनुमानों को प्रस्तुत करते समय यह ज्ञात था कि 4 अनुदानों में 4.10 करोड़ रु0 तक की बचतें उपलब्ध होंगी उन्हें उस समय नहीं बल्कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ही अभ्यर्पित किया गया। यह उदाहरण बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण के द्योतक थे।

(परिच्छेद 2)

3. उत्तरी क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1991 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) के परिच्छेद 4.1 में लोक निर्माण विभाग के दक्षिणी क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण के कुछ पहलुओं को उल्लिखित किया गया था। सात अन्य मण्डलों, मुख्य अभियन्ता तथा प्रमुख अभियन्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना द्वारा अनुपूरक क्षेत्र में 22 में से 7 मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित 1987-92 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में निर्माण और अनुरक्षण कार्यकलापों की पुनः समीक्षा से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:-

** चरणबद्ध कार्यक्रमानुसार ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए एक मास्टर योजना नहीं बनाई गई थी।

** मार्च 1992 तक नमूना परीक्षित 7 मण्डलों ने 2486

कि0मी0 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया था। इनमें से केवल 1537 कि0मी0 सड़के साफ मौसम में प्रयुक्त हो सकती थी।

** इन सात मण्डलों द्वारा निष्पादनार्थ आरम्भ किए गए 671 कार्यों में से मार्च 1992 तक केवल 98 कार्य पूर्ण किए गए थे; इनमें से 84 कार्यों की पूर्णता में विलम्ब 6 मास से 17 वर्षों से भी अधिक अवधि का था। मार्च 1992 तक 573 अपूर्ण कार्यों की समय वृद्धि चार मास से 20 वर्षों से अधिक तक थी; इनमें से 73 कार्य जिन पर 5.68 करोड़ रु0 का व्यय हो चुका था, अपूर्ण थे क्योंकि उनके संरेखण में पड़ने वाली वन भूमि के स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए थे।

** 111 सड़कों पर मार्च 1992 तक व्यय (12.57 करोड़ रु0) उनकी अनुमानित लागत से 6.14 करोड़ रु0 बढ़ गया था, प्रत्येक मामले में वृद्धि 7 से 639 प्रतिशत तक थी। इसी प्रकार 25 पुलों के संरेखण के अनुमोदन तथा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन कुल 1.32 करोड़ रु0 की लागत वृद्धि में परिणत हुए, प्रत्येक मामलें में वृद्धि 8 से 527 प्रतिशत तक थी। इनमें से सात पुल मार्च 1992 तक भी पूर्ण नहीं किए गए थे।

** अनुसूचित जातियों के लाभार्थ 5.66 करोड़ रु0 की लागत से 1987-92 के दौरान सूत्रित विशिष्ट कार्यक्रम, लक्ष्य समूह द्वारा मुख्यतया आबाद गांवों की पहचान तथा यह सुनिश्चित करके कि परिकल्पित लाभ वास्तव में उन्हें प्राप्त हुए थे, के बगैर कार्यान्वित किए गए थे।

** भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्यों का स्थगन, सम्बद्ध कार्यों की अपूर्णता, अपर्याप्त सर्वेक्षण तथा जांच योजना में कमियों आदि जैसे विभिन्न कारणों से 8 सड़कों और तीन पुलों के निर्माण पर कुल 57.42 लाख रु0 के निवेश या तो निष्क्रिय रहे निष्फल या बेकार हुए।

** अनुरक्षण व्यय हेतु मानकों को विकसित नहीं किया गया था और छः मण्डलों में सड़कों के अनुरक्षण के व्यय में बहुत भिन्नता थी और 1253 रु0 से 19624 रु0 प्रति कि0मी0 तक थी।

(परिच्छेद 4.1)

4. आप्रेशन ब्लैकबोर्ड

स्कीम का उद्देश्य सितम्बर 1986 में विद्यमान सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम स्तर की सुविधाओं को उपलब्ध करवा कर तथा सभी नए प्राथमिक स्कूलों के लिए न्यूनतम स्तर के निधियन का निर्धारण करके प्राथमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण रूप से सुधार करना था। हिमाचल प्रदेश में यह 1988-89 से कार्यान्वित की गई। 8वें तथा 9वें वित्त आयोग के अधिनियमों की संशर्तों के अनुसार प्रावधित निधियों (7.80 करोड़ रु0) में से तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना जिसके बारे में विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे, के अन्तर्गत किए गए व्यय को छोड़ कर 1988-92 के दौरान स्कीम पर 16.49 करोड रु0 का कुल व्यय किया गया।

स्कीम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच से अन्य बातों के साथ-साथ उद्घाटित हुआ कि:-

** स्कीम में सभी स्कूलों में कम से कम एक बरामदे सहित यथोचित दो बड़े कमरों तथा लड़कों एवं लड़कियों के लिए पृथक्-पृथक् शौचालयों के प्रावधान की परिकल्पना की गई थी। एक सर्वेक्षण में राज्य के 2,019 स्कूलों में 2,596 कमरों के निर्माण की आवश्यकता की पहचान की गई थी। तथापि इस प्रयोजन हेतु कोई वर्ष-वार लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पास पूर्ण किए गए कमरों की संख्या तथा उन पर किए गए व्यय के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। तथापि 5 जिलों के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 1987-90के दौरान 126.02 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर निर्माण हेतु आरम्भ किए गए 502 कमरों में से मई 1992 तक 96.36 लाख रु0 की लागत पर केवल 378 कमरे पूर्ण किए गए थे। 28.33 लाख रु0 के व्यय से अन्तर्ग्रस्त शेष 124 कमरे अपूर्ण थे। उन सभी स्कूलों में जिनमें कमरों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका था, लड़कों एवं लड़कियों के लिए पृथक्-पृथक् शौचालयों का प्रावधान भी नहीं किया गया था।

** प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में यथा सम्भव एक महिला सहित कम से कम दो अध्यापकों का प्रावधान किया जाना था। उन स्कूलों में जिनमें महिला अध्यापकों का प्रावधान किया जाना था, की

पहचान नहीं की गई थी, परिणामतः भर्ती की जाने वाली महिला अध्यापकों के बारे विभाग के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। नियुक्त की गई महिला अध्यापकों की संख्या के सन्दर्भ में भी निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को ज्ञान नहीं था।

** यद्यपि 5 जिलों में विभिन्न अवधियों में एक बड़ी संख्या में अध्यापकों के पद रिक्त रहे, जो कुछ मामलों में एक वर्ष से अधिक थी, ऐसे रिक्त पदों के प्रति अध्यापकों के वेतन के सन्दर्भ में सरकार से 58.82 लाख रु0 की प्रतिपूर्ति गलत रूप से प्राप्त की गई। अध्यापकों के वेतन एवं भत्तों की गलत संगणना के कारण 16.39 लाख रु0 की अतिरिक्त राशि अधिक प्राप्त की गई। 101 अध्यापकों के वेतनों के सन्दर्भ में जो स्कीम के अन्तर्गत आवृत स्कूलों के अतिरिक्त अन्य स्कूलों में कार्य कर रहे थे, 10.39 लाख रु0 की प्रतिपूर्ति का अनियमित रूप से दावा भी किया गया।

** स्कीम के अन्तर्गत नियुक्त किए गए अध्यापकों के लिए, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया जैसा कि परिकल्पित था।

** 3,810 स्टील की अलमारियों के क्रय पर 46.74 लाख रु0 व्यय किए गए जिसका स्कीम के अन्तर्गत क्रय किए जाने वाले उपस्कर के स्केल में प्रावधान नहीं था ।

** प्रेषण से पूर्व सामग्रियों का निरीक्षण न किए जाने के परिणामस्वरूप दरी-पट्टियों को जो अनुबद्ध विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थी, स्वीकार किया गया, जिसके लिए 17.41 लाख रु0 का आंशिक भुगतान किया गया।

** प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव में 18.54 लाख रु0 की लागत पर अप्रैल 1988 तथा मार्च 1992 के मध्य क्रय किए गए तथा 4 जिलों में 1,922 स्कूलों को आपूर्ति किए गए विभिन्न अध्यापन साहाय्य मई 1992 तक उपयोग में नहीं लाए गए थे।

(परिच्छेद 3.1)

5. बाढ़ सुरक्षा कार्य

राज्य में बहने वाली पांच मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों से बाढ़ के द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानतः 2.31 लाख हैक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। कृषि योग्य भूमि के कटाव तथा मानव जीवन एवं पशुओं की हानि को रोकने के लिए सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभाग द्वारा 7 नदियों तथा खड्डों के साथ-साथ अधिकतम बाढ़ प्रवृत क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई थी तथा यह अनुमान लगाया गया था कि इन्हें आवर्ती बाढ़ों से सुरक्षा हेतु लगभग 465 करोड़ रु0 का निवेश अनिवार्य होगा । तथापि 1967-68 तथा 1986-87 के मध्य 4,865 हैक्टेयर क्षेत्र में प्रारम्भ किए गए बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर केवल कुल 7.01 करोड़ रु0 का व्यय हुआ , 1987-88 से 1991-92 तक की पंचवर्षीय अवधि के दौरान कुल 3.67 करोड़ रु0 की निधियां उपलब्ध करवाई गई जिसके प्रति 3.70 करोड़ रु0 का व्यय किया गया।

विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुपूरक सूचना द्वारा अनुपूरित 1987-92 के दौरान 41 सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डलों में से 8 द्वारा बाढ़ सुरक्षा कार्यों के निष्पादन की समीक्षा के दौरान ध्यान में आए अधिक महत्वपूर्ण तथ्य संक्षेप में नीचे सारांशित हैः-

*** बाढ़ सुरक्षा कार्यों के निष्पादन हेतु अग्रता को निर्धारित करने के लिए बाढ़ों से हुई क्षति का निर्धारण नहीं किया गया; एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने हेतु एक मास्टर योजना भी नहीं बनाई गई। इसकी बजाय ऐसे कार्यों को प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के अभ्यावेदनों के आधार पर विभिन्न नदियों एवं खड्डों के अंशों हेतु खण्डशः आधार पर प्रारम्भ किया गया। 1987-92 के दौरान 1,255 हैक्टेयर भूमि की सुरक्षा के लक्ष्य के प्रति 1,080 हैक्टेयरों की सुरक्षा की गई।

*** 1971-72 तथा 1991-92 के मध्य 4.24 करोड़ रु0 की कुल अनुमानित लागत पर निष्पादन हेतु प्रारम्भ किए गए 123 बाढ़ सुरक्षा कार्य दिसम्बर 1991 तक अपूर्ण रहे। इन कार्यों पर 3.26 करोड़ रु0 के व्यय तथा इन्हें पूरा करने के लिए प्रक्षेपित अतिरिक्त अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इनके पूर्ण करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप पहले ही 3.27 करोड़ रु0 (77 प्रतिशत) लागत वृद्धि हो चुकी थी।

** 5 अपूर्ण कार्यों (जो 4 से 12 मास की अवधि के भीतर पूर्ण होने अनुबन्धित थे) के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि जबकि उनकी प्रत्यक्ष प्रगति 5 से 80 प्रतिशत के परिक्षेत्र में थी, उन पर किया गया व्यय उनकी अनुमानित लागत से 4 से 131 प्रतिशत तक अधिक हो चुका था।

** जनवरी 1983 तथा मार्च 1988 के मध्य 57.54 लाख रु0 की कुल अनुमानित लागत पर 6 मण्डलों द्वारा प्रारम्भ किए गए 15 बाढ़ सुरक्षा कार्यों को 89.13 लाख रु0 की कुल लागत पर 25 से 113 मास के विलम्ब से पूर्ण किया गया। अप्रैल 1980 तथा मार्च 1988 के मध्य प्रारम्भ किए गए तथा सितम्बर 1988 तथा मार्च 1992 के मध्य पूर्ण किए गए 15 अन्य कार्यों (संस्वीकृत लागत: 64.18 लाख रु0) पर किया गया अधिक व्यय कुल 49.95 लाख रु0 था जिनमें प्रत्येक मामले में आधिक्य 23 से 335 प्रतिशत के मध्य में था।

** हमीरपुर जिले में चन्दस्ही तथा नेरी गांवों की सुरक्षा हेतु 1975-76 के दौरान 2 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर सीर खड्ड के साथ-साथ प्रारम्भ किए गए बाढ़ सुरक्षा कार्यों को 15 वर्ष से अधिक तथा 22.89 लाख रु0 का व्यय करने के बाद भी पूर्ण नहीं किया गया था।

** 5 मण्डलों द्वारा आवधिक अनुरक्षण तथा मरम्मतों को करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप कार्यों को बारम्बार क्षति हुई, जिससे 1.49 करोड़ रु0 की लागत पर 1987-92 के दौरान उनके पुन: स्थापन की आवश्यकता पड़ी।

(परिच्छेद 4.13)

6. प्राकृतिक आपदाओं के कारण विपत्ति से राहत

1985-92 के दौरान राज्य के चार जिलों में प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत उपायों के कार्यान्वयन की सामान्य समीक्षा के दौरान ध्यान में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नांकित थे:-

** वास्तव में हुई हानियों तथा प्रदान की जाने वाली राहत की प्रकृति तथा सीमा को दर्शाने वाली सूचियां तैयार नहीं की गई और राहत उपायों में लगे विभागों को आपूरित नहीं की गई थी। इन ब्यौरों के अभाव में यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं

था कि क्या अभिप्रेत लाभग्राहियों को वास्तव में राहत प्रदान की गई थी।

** व्यौरेवार लेखों की अप्राप्ति के कारण प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को संवितरण हेतु ऊना जिला में विभिन्न राजस्व अधिकारियों को 1988-89 के दौरान भुगतान किया गए 1.47 करोड़ रु0 के कुल अग्रिम का जून 1992 तक समायोजन नहीं किया गया था।

** 3 जिलों में 55.09 लाख रु0 का व्यय क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनःस्थापना पर करने की बजाय 1987-89 के दौरान नवीन कार्यों के निष्पादन पर किया गया। 14.51 लाख रु0 की कुल निधियों का उपयोग 4 जिलों में विश्राम गृहों एवं कुटियों के निर्माण हेतु किया गया। सरकार के आदेशों के विपरीत 22.56 लाख रु0 लागत के राहत कार्यों का शहरी क्षेत्रों में भी निष्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त, राहत कार्यों के निष्पादन हेतु नगरपालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों को 19.95 लाख रु0 का भुगतान किया गया।

** प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षतियों के पुनःस्थापन हेतु प्रदान की गई 9.77 लाख रु0 तक की निधियों को अनियमित रूप से अन्य स्कीमों को अपवर्तित कर दिया गया।

** सूखा राहत हेतु प्रदान की गई निधियां प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पादन पर व्यय की जानी थी और कार्यों का निष्पादन विभागीय रूप से या खण्ड अभिकरणों तथा पंचायतों के द्वारा किया जाना था। तथापि, 1985-92 के दौरान 4 जिलों में उत्पादित किए जाने वाले रोजगार के 19.86 लाख श्रम दिवसों के प्रति केवल 14.26 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। दो जिलों में संविदाकारों को 15.09 लाख रु0 लागत के 47 राहत कार्यों का निष्पादन भी ठेकेदारों को सौंपा गया।

** 1985-91 के दौरान निष्पादन हेतु प्रारम्भ किए गए 3,887 कार्यों में से 18.67 लाख रु0 के व्यय से अन्तर्गस्त 198 कार्यों को जून 1992 तक पूर्ण नहीं किया गया तथा इसके

परिणामस्वरूप पहले से किया गया व्यय अनुत्पादक रहा।

** यद्यपि प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने के तत्काल पश्चात् उनसे प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान की जानी थी, कुल्लू तथा ऊना जिलों में 30.67 लाख रु0 की राशि की अनुग्रहपूर्वक राहत एक मास तथा दो वर्ष से अधिक के विलम्ब से संवितरित की गयी।

(परिच्छेद 3.2)

7. नगर निगम, शिमला

1982-87 के दौरान शिमला नगर निगम की प्राप्तियां राज्य सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त 9.45 करोड़ रु0 सहित, कुल 20.83 करोड़ रु0 थी। इस अवधि के दौरान व्यय 12.84 करोड़ रु0 था:-

** अक्तूबर 1983 तथा मार्च 1991 के मध्य शिमला नगर को पीने का पानी प्रदान करने में निगम को 2.53 करोड़ रु0 की हानि हुई। इन हानियों के मुख्य कारण पानी का अधिक रिसाव, जो 1987-91 के दौरान औसत रूप में 40 प्रतिशत था तथा स्थापन एवं अनुरक्षण व्यय के उच्च घटक के कारण था जो 1985-86 तथा 1990-91 के मध्य 39 प्रतिशत तक ऊपर चला गया जबकि जल-वितरण से आय में वृद्धि केवल 17 प्रतिशत थी। एक निर्धारणानुसार 70 प्रतिशत घरेलू मीटर खराब थे।

** निगम 56.99 लाख गैलन प्रतिदिन की अनुमानित दैनिक आवश्यकता की भी पूर्ण रूप से पूर्ति करने योग्य नहीं था, कमी 27.91 लाख गैलन की सीमा तक थी।

** एक जल वितरण मुख्य लाइन की वृद्धि पर 27.78 लाख रु0 का निवेश होने के बावजूद अपेक्षित लाभग्राहियों की प्रक्षेपित आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं की गई क्योंकि इस प्रयोजन हेतु निर्मित भण्डारण टैंकों को मुख्य लाइनों के साथ 8 वर्षों से अधिक समय तक जोड़ा नहीं गया था।

** यद्यपि सरकार ने जनवरी 1985 से नगर निगम सम्पत्तियों के पट्टा प्रभारों की दरें बढ़ाई, निगम ने केवल 1988-89 के

दौरान परिशोधित दरों पर भुगतान के लिए मांग नोटिस जारी किए। तब भी पट्टाधारकों के अभ्यावेदनों पर सरकार के अन्तिम निर्णयों के अभाव में बढ़ी हुई दरों पर वसूली नहीं की गई। 150 पट्टाधारक जिनके अभिलेखों की नमूना-जांच की गई, से देय बकाये दिसम्बर 1984 के 1.87 लाख रु0 से बढ़कर मार्च 1992 तक 36.48 लाख रु0 हो गए। यहां तक कि 1987-88 के पश्चात् पुरानी दरों पर भी पट्टा प्रभार वसूल नही किए गए। निगम ने इन मामलों में निर्धारित पट्टा विलेख भी निष्पादित नहीं किए थे।

** निगम तथा राज्य विद्युत बोर्ड के विभिन्न विभागों को 1946-47 तथा 1986-87 के मध्य दिया गया 5.45 करोड़ रु0 का कुल अग्रिम मार्च 1992 तक समायोजित नहीं किया गया था।

** नगर के पहाड़ी क्षेत्र के लिए अनुकूलता को सुनिश्चित किए बिना ही कूड़े को हटाने के लिए एक यांत्रिक मार्ग मेहत्तर का अविवेकपूर्ण क्रय तथा बाद में निम्न मूल्य पर इसके विक्रय के परिणामस्वरूप 5.32 लाख रु0 का निवेश तीन वर्ष से अधिक तक बेकार रहा तथा 1.67 लाख रु0 की परिहार्य हानि हुई।

** रोगी वाहन तथा अग्निशमन दल की सेवाओं के प्रावधान को सम्भव बनाने हेतु कार्ट रोड से शांकली तक एक जीप योग्य मार्ग का जून 1983 में प्रारम्भ किया गया निर्माण निगम द्वारा यह सुनिश्चित करने में विफल रहने पर कि इसके रेखांकन के साथ-साथ की भूमि भारमुक्त थी, के कारण 9 वर्ष के पश्चात् भी पूर्ण नही किया गया था। परिणामतः मार्ग के आंशिक निर्माण पर फरवरी 1985 तक किया गया 2.79 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा था।

(परिच्छेद 6.2.2)

8. सिविल निर्माण कार्यों तथा सिंचाई स्कीमों पर निष्फल व्यय

** शिमला जिला के खस धार गांव के किसी भी सड़क के साथ सम्पर्क न होने के कारण, गांव को रोडड्-चिड़गांव-डोडरा कवार सड़क के साथ सम्पर्क बनाने के लिए एक सड़क तथा संधास् में पब्बर नदी पर एक पुल के निर्माण हेतु मार्च 1981 तथा मार्च

1984 के मध्य प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया। यद्यपि पुल का निर्माण जून 1990 में पूर्ण कर दिया गया था, सड़क का निर्माण 8 वर्ष से अधिक के समय के पश्चात् भी पूर्ण नहीं किया गया था। परिणामत: जैसाकि अपेक्षित था, पुल का उपयोग नही किया जा सका तथा खास धार को सम्पर्क मार्ग प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 29.02 लाख रु0 का कुल निवेश निष्फल रहा।

** मढोल (शिमला जिला) में एक क्रीड़ांगण के निर्माण का स्थल के गलत चयन के कारण ब्रेस्ट वाल (लागत:2.51 लाख रु0) के विफल हो जाने के कारण जुलाई 1989 तक 15.59 लाख रु0 का व्यय करने के पश्चात् निलम्बन कर दिया गया। दिसम्बर 1984 में अनुमोदित सोलन में एक अन्य क्रीड़ांगण का निर्माण भी मार्च 1989 में निलम्बित कर दिया गया क्योंकि केवल भूमि के समतल करने पर ही व्यय (12.03 लाख रु0) समस्त निर्माण कार्य की 12 लाख रु0 की अनुमोदित लागत से अधिक बढ़ गया था, जिससे प्राक्कलनों के परिशोधन की आवश्यकता पड़ी। ऐसी परिस्थितियों में दो निर्माण कार्यों पर किया गया कुल 27.62 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा।

** 5 वर्ष से अधिक समय तक क्षतिग्रस्त पाईपों को बदलने तथा सभी प्रकार से वितरण पद्धति को पूर्ण करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप जंगरोली चट्टा गांव (कांगड़ा जिला) हेतु लिफट सिंचाई स्कीम पर किया गया 15.99 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा, जोकि 7.54 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर फरवरी 1982 में तकनीकी रूप में संस्वीकृत किया गया था।

** एक सतत भू-खण्ड में गलोग से कुनिहार तक एक सड़क के निर्माण को सुनिश्चित करने हेतु योजना में कमियों तथा विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों के मध्य पर्याप्त समन्वय के अभाव के परिणामस्वरूप केवल असंयोजित भूखण्डों में ही सड़क पूर्ण की गई। परिणामत: सड़क के एक अंश तथा एक पुल के निर्माण तथा अनुरक्षण पर किया गया 14.28 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा।

*** उपर्युक्त के अतिरिक्त भूमि तथा नामित स्रोत में पर्याप्त पानी की उपलब्धता को सुनिश्चत करने में विफल रहने, अनिवार्य पम्प-मशीनरी के प्रतिष्ठापन न करने, सृजित सुविधाओं के उपयोग न करने आदि जैसे कारणों से ढुंगरी से नसोगी (कुल्लू जिला) तक एक सड़क के निर्माण, धर्मशाला में एक विश्राम गृह, थिरोट (लाहौल-स्पिति जिला) में एक कार्यालय एवं भण्डार तथा छराबड़ा (शिमला जिला) में हैलीपैड के निर्माण तथा दो सिंचाई स्कीमों पर किया गया कुल 29.45 लाख रु० का निवेश निष्फल रहा।

(परिच्छेद 4.2, 4.7 तथा 4.15)

9. वनवर्धन मण्डल, शिमला की कार्य-प्रणाली

वनवर्धन में व्यावहारिक अनुसधान तथा क्षेत्रीय परीक्षणों हेतु मई 1984 में मण्डल का सृजन किया गया। इसे देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के साथ एक समन्वयी अभिकरण के रूप में भी कार्य करना था। स्थापन लागत (1.09 करोड़ रु०) मण्डल द्वारा 1984-92 के दौरान किए गए 1.34 करोड़ रु० के व्यय की 81 प्रतिशत थी।

क्षेत्रीय परिस्थितियों में वानिकी किस्मों के प्रचार हेतु पौध-रोपण की मानक विधियों तथा तकनीकों का विकास करने के उद्देश्य से अनुसंधान हेतु विभाग द्वारा नर्सरियों की स्थापना बिना किसी सर्वेक्षण के की गई। इनका अनुरक्षण केवल दैनिक वेतन भोगी नैमितिक अशिक्षित श्रमिकों के द्वारा किया गया। जबकि अगस्त 1992 तक किसी भी प्रजाति के लिए कोई प्रौद्योगिकी तैयार नहीं की गई थी, इन नर्सरियों में किए गए अध्ययनों पर आधारित अनुसंधान लेखाओं की संख्या के बारे में भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

विभिन्न ऊंचाईयों पर स्थित चयनित वन क्षेत्रों से अच्छे बीजों के संग्रह तथा उनके विकास, प्रमाणीकरण तथा वितरण हेतु स्थापित एक बीज प्रमाणीकरण इकाई की गतिविधियां केवल शंकुधारी किस्म के बीजों के चयन तक सीमित थी। इकाई द्वारा भी कोई बीज प्रमाणीकरण नहीं किया गया।

6 लाख रु० की लागत पर 1988-89 के दौरान स्थापित की गई एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला विद्युत-आपूर्ति के प्रावधान में विलम्ब तथा प्रचालन कर्मचारियों की अनियुक्ति के कारण अगस्त 1992 तक प्रचालन योग्य नहीं थी।

(परिच्छेद 3.8)

10. अपूर्ण निर्माण कार्य

विभिन्न मार्ग तथा भवन निर्माण कार्यों पर कुल 48.12 लाख रु० का व्यय वन-भूमियों के अहस्तान्तरण, निधियों के अभाव, स्थलों/सीमांकन रेखाओं से सम्बन्धित विवाद के कारण लम्बी अवधि तक अपूर्ण रहने से निष्फल रहा, पृथक्-पृथक् मामलों में विलम्ब 8 तथा 173 मास के परिक्षेत्र में था ।

(परिच्छेद 4.12)

11. राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म, मिलवां

प्रति वर्ष 10 मीलियन अंगुलिक मछलियों के उत्पादन हेतु मिलवां में एक मत्स्य बीज जनन स्थान एवं बीज फार्म की स्थापना को भारत सरकार द्वारा सितम्बर 1982 में संस्वीकृत किया गया। फार्म को वित्तीय वर्ष 1984-85 के मत्स्य प्रजनन मौसम से पूर्व पूर्ण किया जाना था। मार्च 1992 तक 45.22 लाख रु० का व्यय विभिन्न निर्माण कार्यों पर तथा 19.42 लाख रु० का कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों तथा कार्यालय व्ययों पर व्यय किया गया। क्योंकि पर्याप्त भू-अन्वेषणों पर आधारित एक अनुकूल स्थल के चयन को सुनिश्चित बनाने में विफल रहने के कारण फार्म को पूर्ण नहीं किया गया था, अतः समस्त व्यय अनुत्पादक रहा।

(परिच्छेद 3.4)

12. कृषि अनुसंधान पर अनुत्पादक व्यय

सलूनी में एक कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु 1986-87 से 1988-89 के दौरान संरचनात्मक सुविधाओं के सृजन तथा वेतनों आदि पर 13.88 लाख रु० की राशि का व्यय किया गया। अप्रैल 1989 में यह पाया गया कि केन्द्र के लिए चयन किया गया स्थल अनुपयुक्त था तथा इसकी गतिविधियां भविष्य में भी अनुत्पादक रहेंगी। ऐसा होने के बावजूद भी 1989-92 के दौरान 28.98 लाख रु० की और राशि व्यय की गई।

(परिच्छेद 6.2.6)

13. सड़क निर्माण पर निष्फल व्यय

राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 22 पर स्थित चौलिंग का किन्नौर जिले में ऊरनी गांव के साथ सम्पर्क स्थापित करने हेतु एक सड़क के निर्माण पर 1986-91 के दौरान किया गया 24.84 लाख रु० का व्यय निष्फल हो गया क्योंकि सड़क पर अपनाए गए ग्रेड किसी भी अवस्था में एक वाहन-योग्य सड़क के लिए उपयुक्त नहीं थे। अधिशासी अभियन्ता के अनुसार खड़ी ढलानों के अन्तर्ग्रस्त होने के कारण ऊरनी को चौलिंग के साथ जोड़ना सम्भव नहीं होगा।

एक वैकल्पिक मार्ग जिस पर प्रारम्भ में 1982-83 में विचार किया गया था, पर अब कार्य प्रगति पर था।

(परिच्छेद 4.3)

14. बीज उत्पादन फार्म पर अनुत्पादक व्यय

थंगकरमा (किन्नौर जिला) में स्थित एक पशु-आहार बीज उत्पादन एवं प्रदर्शन फार्म के एक भाग के रूप में 1986-87 में निर्मित जल भण्डारण टैंक में सितम्बर 1988 में दरारें पड़ गई तथा परिणामतः फार्म की सिंचाई हेतु जल का भण्डारण नहीं किया जा सका। पशुपालन विभाग द्वारा चार वर्ष से अधिक समय तक टैंक की मरम्मत करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप फार्म को सिंचाई सुविधाओं की अनुपलब्धता रही तथा फार्म के विकास पर 22.53 लाख रु० का निवेश अधिकतर अनुत्पादक रहा।

(परिच्छेद 6.2.4)

15. शहद के अविक्रीत स्टॉक पर निष्क्रिय व्यय

पैंकिंग के समुचित प्रबन्ध किए बिना तथा इसके विक्रय मूल्य को नियत करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप उद्यान विभाग के पास शहद का 19.94 लाख रु० मूल्य का स्टॉक लगभग डेढ़ वर्ष तक अविक्रित रहा तथा इस पर किया गया निवेश निष्क्रिय हुआ।

(परिच्छेद 5.11)

16. सड़क निर्माण पर निष्फल व्यय

ट्रकों द्वारा वन-उत्पादों के परिवहन हेतु चौपाल से पाबस तक वानिकी कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग को सौंपा गया एक सड़क का निर्माण कार्य 13 वर्ष से अधिक समय तक भी पूर्ण नहीं किया गया था जिससे मार्च 1992 तक निर्माण कार्य पर किया गया 19.70 लाख रु० का व्यय निष्फल रहा और वन उत्पादों को शारीरिक रूप से ही ले जाया जाता रहा।

(परिच्छेद 3.6)

17. एक आईस स्केटिंग रिंक पर निष्क्रिय निवेश

नई दिल्ली नगरपालिका का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन के तहखाने में एक आईस स्केटिंग रिंक के प्रावधान के परिणामस्वरूप फरवरी 1982 में रिंक के लिए उपार्जित किया गया उपस्कर एक दशक से अधिक तक अप्रयुक्त रहा जिससे 10.79 लाख रु० का निवेश निष्क्रिय हुआ।

(परिच्छेद 3.12)

18. अन्य रोचक तथ्य

(क) शिमला में एक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल के निर्माण हेतु आयुर्वेद विभाग द्वारा अर्जन से पूर्व कुछ भूमियों के सहीपन तथा ऋण-मुक्तता की सुनिश्चित करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप उनके स्वामित्व के संदर्भ में तदनन्तर विवाद हुए। इसके सहित भारं मुक्त भूमि पर भी निर्माण के प्रारम्भ न किए जाने के परिणामस्वरूप भूमि क्षतिपूर्ति के भुगतान पर किया गया **18.07** लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा।

(परिच्दे 3.13)

(ख) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष **1983-92** के दौरान नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन के प्रबन्ध के संदर्भ में उठाई गई कुल **14.36** लाख रु0 की हानियों जोकि मुफ्त भोजन प्रदान करने या सहायय मूल्यों पर भोजन के प्रावधान के कारण थी, की सरकार के आदेशों के विपरीत अनियमित रूप से कम्पनी को प्रतिपूर्ति कर दी गई।

(परिच्छेद 6.2.8)

(ग) मार्च **1985** में डा0 वाई0 एस0 परमार उद्यान तथा वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन में **7** पूर्व-निर्मित कवचित चैम्बरों का उस भवन के निर्माण से भी पूर्व जिनमें इन्हें रखा जाना था, के प्रतिष्ठापन के परिणामस्वरूप भवन के निर्माण के दौरान यह क्षतिग्रस्त हो गए तथा 7 वर्ष से अधिक समय तक उनका उपयोग नहीं हो सका। परिणामतः भण्डार अध्ययन तथा फलों पर अनुसंधान जिनके लिए इन का प्रतिष्ठापन किया गया था, प्रभावित हुए तथा सुविधा के प्रावधान पर किए गए **8.53** लाख रु0 के कुल निवेश से अपेक्षित प्रयोजन सिद्ध नहीं हुए थे।

(परिच्छेद 6.2.7)

(घ) कृषि विभाग द्वारा पहले से ही पर्याप्त पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विफल रहने के कारण रेगारिक में एक बीज पुनरुत्पादन फार्म के स्थापन तथा इसके अनुरक्षण एवं प्रचालन पर किया गया **9.36** लाख रु0 का कुल व्यय अधिकतर निष्फल रहा।

(परिच्छेद 3.9)

(ड.) मत्स्य बीज फार्म, डियोली में **5.96** लाख रु0 की लागत पर पुनः स्थापित किए गए एक टैंक का जुलाई **1986** से मत्स्य-पालन हेतु उपयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि भूमि के एक भाग, जिसमें से टैंक का फीडर चैनल गुजरता था, का अर्जन नहीं किया गया था। इस संदर्भ में अक्तूबर

1992 तक कुल 3.42 लाख रु0 के राजस्व-हानि हुई।

(परिच्छेद 3.5)

(घ) 5 भवन एवं मार्ग तथा 4 जन-स्वास्थ्य मण्डलों में 10.53 लाख रु0 लागत की सामग्रियां या तो कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा अपने स्थानांतरण के समय कम सौंपी गई थी या मण्डारों के प्रत्यक्ष सत्यापन के समय इन्हें कम पाया गया। इसके अतिरिक्त, 5.86 लाख रु0 लागत की सामग्रियों को 3 भवन एवं मार्ग मण्डलों तथा 3 जन-स्वास्थ्य मण्डलों में लेखाबद्ध नहीं किया गया था। विसंगतियों का समायोजन या अन्वेषण नहीं किया गया।

(परिच्छेद 5.3 तथा 5.7)

(ङ) 3 भवन एवं निर्माण तथा 3 जन-स्वास्थ्य मण्डलों द्वारा वास्तविक अपेक्षा से अधिक सामग्रियों के क्रय के परिणामस्वरूप स्टॉक में 12.46 लाख रु0 कुल मूल्य की सामग्रियां दीर्घावधियों तक अप्रयुक्त रहीं।

(परिच्छेद 5.2 तथा 5.4)

(च) अनिवार्य तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति न किए जाने के कारण राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सूचना के प्रचार हेतु लोक सम्पर्क विभाग द्वारा 4.58 लाख रु0 की लागत पर उपार्जित किया गया माध्यम उपस्कर 13 खण्डों में 7 से 24 मास की अवधियों के परिक्षेत्र में अक्रियाशील रहा। 5 अन्य खण्डों को आपूर्ति किए गए उपस्कर (लागत: 1.76 लाख रु0) भी दिसम्बर 1989 में उनकी प्राप्ति से लेकर अपेक्षित प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किए गए।

(परिच्छेद 5.12)

पहला अध्याय
राज्य सरकार के लेखे

1.1 निधियों के स्रोत तथा उपयोग

वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य सरकार के नियंत्रण में निधियों के स्रोतों तथा उनके उपयोग के ब्यौरे निम्नांकित विवरणी में समाविष्ट हैं: –

स्रोत (प्राप्तियां)	(करोड़ रुपये)	उपयोग (व्यय)	(करोड़ रुपये)
कर राजस्व	192.93	राजस्व व्यय	982.56
कर-भिन्न राजस्व	74.45		
केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	485.22	पूंजीगत व्यय	188.10
संघीय करों/शुल्कों से राज्यांश			
कार्पोरेशन कर से भिन्न आय पर कर	32.08		
संघीय उत्पाद शुल्क	207.74		
आन्तरिक ऋण	1110.43	आन्तरिक ऋण का निर्वहन	1064.58
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	106.57	केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों का निर्वहन	53.06
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां	7.02	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	52.54
लोक लेखा के अधीन निवल प्राप्तियां	78.06		
नकद शेष निवेश लेखा, विभागीय नकद शेष, स्याई अग्रिमों, ऋणादि सहित नकद शेष में निवल कमी	46.34		
योग	2340.84		2340.84

राज्य सरकार की वित्त स्थिति का मोटे तौर पर अनुवर्ती परिच्छेदों में विश्लेषण किया गया है।

1.2 राजस्व प्राप्तियां

1.2.1 1991-92 की समाप्त छः वर्षों की अवधि के दौरान वास्तविक राजस्व प्राप्तियां नीचे दी जाती है:-

वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक (करोड़ रुपये)	विगत वर्षों पर राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता वृद्धि
1986-87	498.22	529.75	533.83	3
1987-88	549.19	631.82	649.81	22
1988-89	663.35	790.43	698.38	7
1989-90	817.83	748.04	721.23	3
1990-91	779.55	843.45	806.63	12
1991-92	936.42	994.07	992.42	23

1.2.2 1986-87 से 1991-92 की अवधि के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से राजस्व वसूलियों की स्थिति और राज्य के कुल राजस्व में उनके अंशदान निम्नलिखित चार्ट में निरूपित किए गए हैं:-

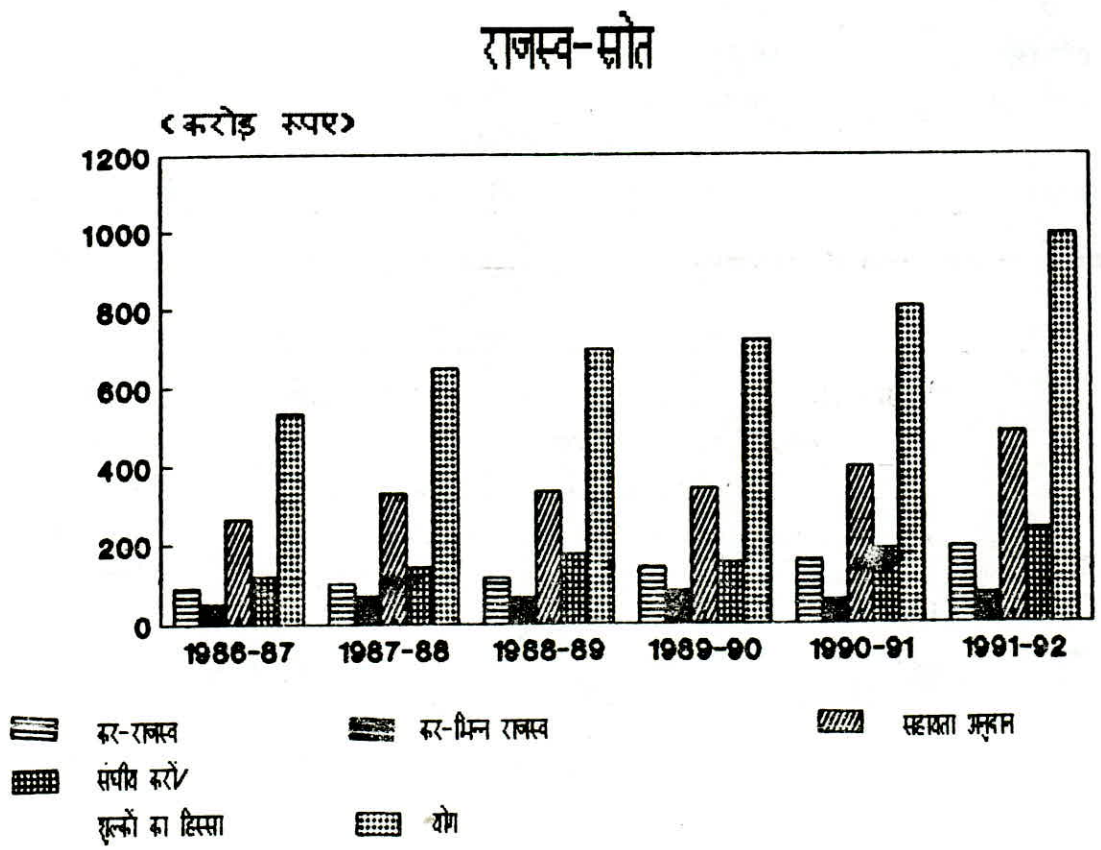

विभिन्न स्रोतों से प्राप्तियों का अधिक विस्तृत विश्लेषण अनुवर्ती परिच्छेदों में समाविष्ट है।

1.3 कर राजस्व

1.3.1 राज्य सरकार का कर राजस्व 1990-91 में 160.90 करोड़ रु० से बढ़ कर 1991-92 में 192.93 करोड़ रु० हो गया जो 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कर राजस्व में 1986-87 से 1991-92 के दौरान 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई जैसा कि सामने की तालिका से स्पष्ट है:-

वर्षानुसार कर राजस्व

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये)	गत वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि
1986-87	92.40	25
1987-88	103.28	12
1988-89	118.10	14
1989-90	141.96	20
1990-91	160.90	13
1991-92	192.93	20

1.3.2 1986-87 से 1991-92 के दौरान विभिन्न करों तथा शुल्कों से वसूलियों का विश्लेषण निम्नांकित तालिका में दिया गया है:-

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
	(करोड़ रुपये)					
बिक्री कर	39.85	35.16	44.86	52.59	62.11	66.90
	(43)	(38)	(38)	(37)	(39)	(35)
राज्य उत्पाद शुल्क	26.49	30.67	36.06	42.40	54.21	66.25
	(29)	(30)	(31)	(30)	(34)	(34)
वाहनों पर कर	2.89	3.33	5.27	6.47	6.59	8.78
	(3)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)
माल तथा यात्रियों पर कर	11.50	17.98	19.59	21.49	22.13	26.98
	(12)	(17)	(17)	(15)	(14)	(14)
बिक्री पर कर एवं शुल्क	1.32	1.75	1.57	5.00	1.81	2.76
	(1)	(2)	(1)	(3)	(1)	(1)

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
			(करोड़ रुपये)			
भू राजस्व	0.47	0.43	0.43	0.88	0.80	0.90
	(1)	(1)	(-)	(1)	(-)	(1)
स्टाम्प एवं पंजीकरण	4.33	4.39	4.38	4.99	5.49	7.98
शुल्क	(5)	(4)	(4)	(3)	(3)	(4)
पदार्थों व सेवाओं पर	5.55	5.57	5.94	8.14	7.76	12.38
अन्य कर एवं शुल्क	(6)	(5)	(5)	(6)	(5)	(6)
योग	92.48	103.28	118.10	141.96	160.90	192.93
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

टिप्पणी:- कोष्ठकों में आंकड़े कुल कर राजस्व पर पृथक्-पृथक् करों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

1.3.3 1991-92 के दौरान कर राजस्व संग्रहण में गत् वर्ष की तुलना में 32.03 करोड़ रु0 तक की वृद्धि मुख्यत: बिक्री कर (4.79 करोड़ रु0), राज्य आबकारी (12.04 करोड़ रु0), माल तथा यात्रियों पर कर (4.85 करोड़ रु0), पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (4.62 करोड़ रु0), वाहनों पर कर (2.19 करोड़ रु0) और स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (2.49 करोड़ रु0) की अतिरिक्त वसूली के कारण बताई गई।

1.3.4 पिछले छ: वर्षों में कर राजस्व के मुख्य स्रोतों के सम्बन्ध में प्रवृतियाँ नीचे दर्शाई गई है।

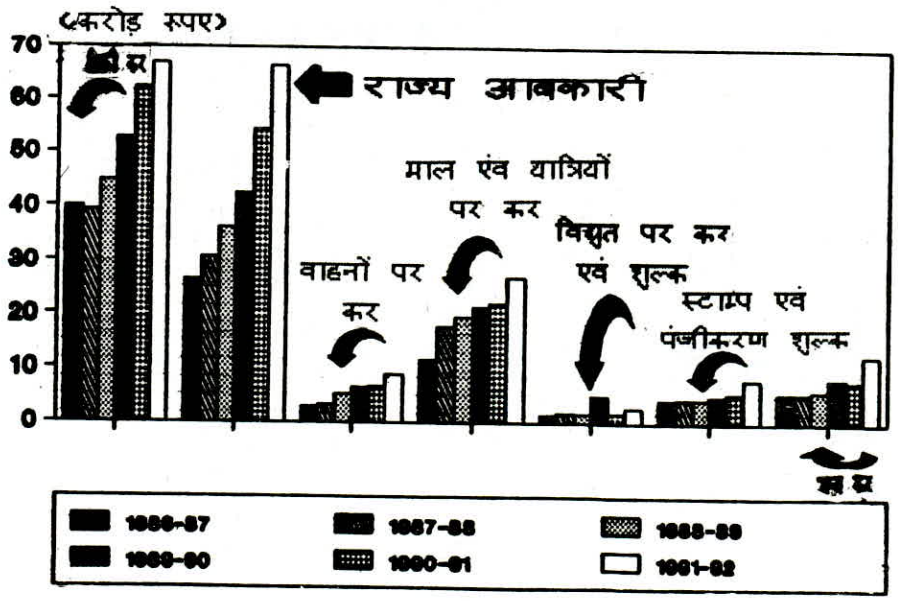

1986-87 तथा 1991-92 के मध्य कुल कर राजस्व के प्रति बिक्री कर अंशदान 43 से 35 प्रतिशत तक ह्रासोन्मुख हुआ। कुल कर राजस्व के मुख्य अंशदायी के रूप में राज्य उत्पाद शुल्क उत्तरोत्तर उभरा है, 1991-92 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्ति बिक्री कर प्राप्ति से केवल अंशत: कम थी।

1.3.5 1991-92 के दौरान विभिन्न स्रोतों से कर राजस्व की वसूलियों के विश्लेषणों की तुलना में बजट प्राक्कलनों तथा संशोधित प्राक्कलनों के मध्य अत्यधिक भिन्नताएं प्रकट हुई यथा भू-राजस्व के सम्बन्ध में संशोधित प्राक्कलनों में 34 प्रतिशत तक की और स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क के सम्बन्ध 24 प्रतिशत तक की भिन्नताएं थी। इस सम्बन्ध में सम्बद्ध ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:-

वास्तविक 1990-91	राजस्व शीर्ष	1991-92			
		बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक	संशोधित प्राक्कलनों के संदर्भ में प्रतिशत भिन्नता
		(करोड़ रुपये)			
0.80	भू-राजस्व	0.63	1.37	0.90	(-)34
5.49	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	4.99	6.46	7.98	(+)24
54.21	राज्य आबकारी	56.13	60.44	66.25	(+)10
62.11	बिक्री कर	61.00	68.32	66.90	(-) 2
6.59	वाहनों पर कर	6.79	8.06	8.78	(+) 9
22.13	माल एवं यात्रियों पर कर	26.00	23.23	26.98	(+)16
1.81	विद्युत पर कर एवं शुल्क	3.60	3.53	2.76	(-)22
7.77	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	8.50	10.21	12.38	(+)21

1.4 कर-भिन्न राजस्व

1.4.1 जबकि कर राजस्व में **1986-87** से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई थी, किन्तु कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि अनिश्चित रही, जैसाकि सामने की तालिका से स्पष्ट है:-

वर्षानुसार कर-भिन्न राजस्व

वर्ष	कर-भिन्न राजस्व (करोड़ रुपये)	गत वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि (+) /कमी (-)
1986-87	53.26	(-) 19
1987-88	71.63	(+) 34
1988-89	67.40	(-) 6
1989-90	82.25	(+) 22
1990-91	59.32	(-) 28
1991-92	74.45	(+) 26

1.4.2 कर राजस्व के मामले की तरह **1991-92** के दौरान कर-भिन्न राजस्व में वास्तविक वसूली, बजट तथा संशोधित प्राक्कलनों में काफी भिन्नताएं थी:-

"उद्योग" एवं " सहकारिता" के अन्तर्गत क्रमश: **1991-92** के **2.14** करोड़ रुपये और **1.34** करोड़ के संशोधित प्राक्कलनों के प्रति वास्तविक वसूलियां **8.33** करोड़ रुपये और **8.80** करोड़ रुपये थीं। इसी प्रकार "विद्युत" के अन्तर्गत **1.15** करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलन के प्रति वर्ष के दौरान कोई भी वसूली लेखाबद्ध नहीं की गई थी। इतनी भिन्नताओं के कारण सुनिश्चित करने योग्य नहीं थे।

1.5 सहायता अनुदान एवं संघीय करों व शुल्कों का अंश

1.5.1 हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य होने के कारण इसमें आन्तरिक रूप से राजस्व जुटाने के अवसर सदैव सीमित रहे। अतएव राज्य को केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान और संघीय करों एवं शुल्कों में अपने अंश पर अधिकतर निर्भर रहना पड़ा। वर्ष **1991-92** के दौरान राजस्व के चार प्रमुख स्रोतों अर्थात् कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान

तथा संघीय करों व शुल्कों के अंश का योगदान निम्नांकित चार्ट में दिया गया है:-

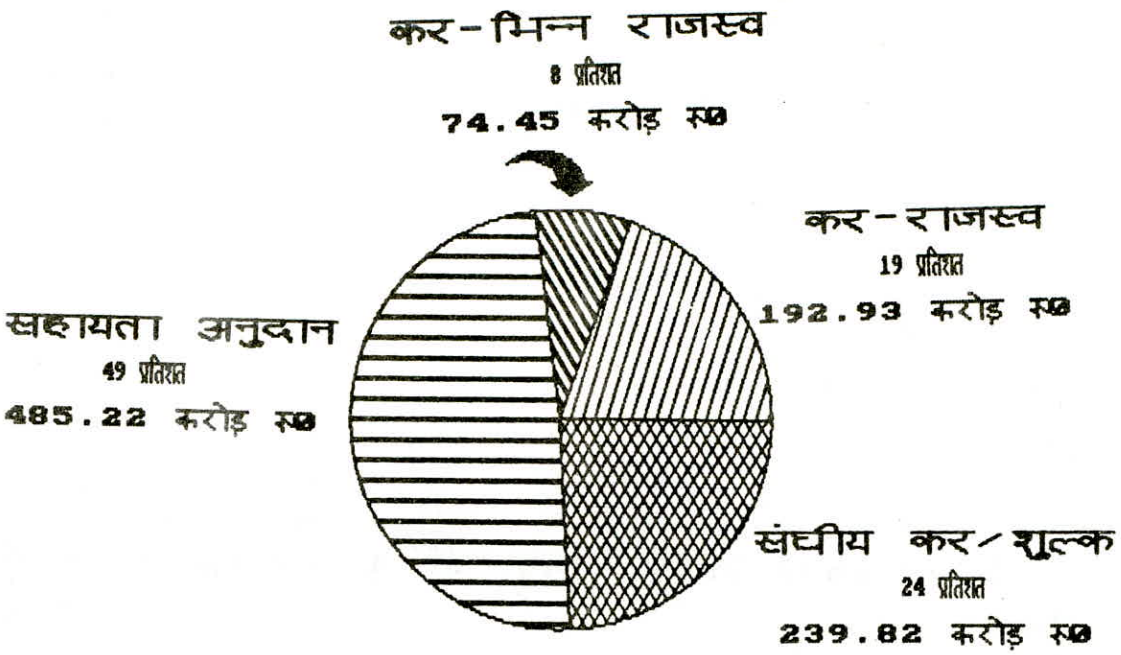

1.5.2 संघीय करो व शुल्कों में राज्यांश वर्ष 1986-87 (121.42 करोड़ रु0) से 1991-92 (239.82 करोड़ रु0) के मध्य उत्तरोत्तर बढ़ा। वर्ष 1991-92 के दौरान वृद्धि विगत वर्ष (187.95 करोड़ रु0) से 28 प्रतिशत थी। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान वर्ष 1986-87 के 266.75 करोड़ रु0 से बढ़कर वर्ष 1991-92 के दौरान 485.22 करोड़ रु0 हो गया। वर्ष 1991-92 में सहायता अनुदान पिछले वर्ष के 398.46 करोड़ से 485.22 करोड़ रु0 तक 22 प्रतिशत बढ़ गया। इसके सम्बन्ध ब्यौरे साथ की तालिका में प्रस्तुत है:-

केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं संघीय करों एवं शुल्कों का अंश

वर्ष	सहायता अनुदान	संघीय करों/ शुल्कों का अंश
	(करोड़ रुपये)	
1986-87	266.75	121.42
1987-88	332.33	142.57
1988-89	336.50	176.38
1989-90	342.97	154.05
1990-91	398.46	187.95
1991-92	485.22	239.82

1.6 राजस्व व्यय

1.6.1 1986-87 तथा 1991-92 के मध्य राजस्व व्यय में बढ़ौतरी निम्नांकित तालिका में दर्शाई गई है:-

राजस्व व्यय

वर्ष	योजना	आयोजनेतर (करोड़ रुपये)	योग
1986-87	118.71	345.36	464.07
1987-88	167.37	441.43	608.80
1988-89	200.80	567.42	768.22
1989-90	210.96	571.54	782.50
1990-91	249.02	652.45	901.47
1991-92	284.32	698.24	982.56

वर्ष 1986-87 तथा 1991-92 के मध्य योजनागत व्यय में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान आयोजनेतर व्यय में 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.6.2 वर्ष 1986-87 से 1991-92 तक राजस्व लेखे पर व्यय का क्षेत्रवार विश्लेषण नीचे प्रस्तुत है:-

मुख्य क्षेत्र	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
			(करोड़ रुपये)			
सामान्य सेवाएं (आयोजनेतर)	118.88	156.98	203.96	229.70	269.05	325.13
सामान्य सेवाएं (योजनागत)	3.70	4.59	5.64	6.00	9.14	12.00
सामाजिक सेवाएं (आयोजनेतर)	156.13	188.60	251.74	233.57	243.28	254.37
सामाजिक सेवाएं (योजनागत)	30.87	48.33	63.78	76.74	112.70	115.82
आर्थिक सेवाएं (आयोजनेतर)	68.23	93.65	108.85	105.93	137.82	115.49
आर्थिक सेवाएं (योजनागत)	84.14	114.45	131.38	128.22	127.18	156.50
सहायता अनुदान	2.12	2.20	2.87	2.34	2.38	3.25

गत वर्ष (1990-91) की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान सामान्य सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामाजिक सेवाओं पर योजनागत व्यय में क्रमशः 31 प्रतिशत, 23 प्रतिशत तथा 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि

सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओ पर आयोजनेतर व्यय में क्रमशः 21 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, आर्थिक सेवाओ पर आयोजनेतर व्यय में 16 प्रतिशत की कमी हुई थी।

आयोजनेतर व्यय की प्रवृत्ति

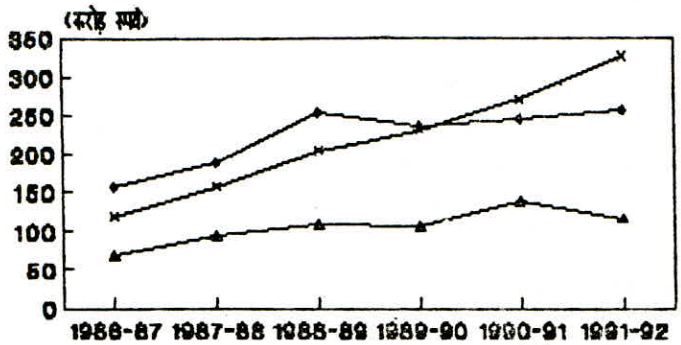

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
सामान्य सेवाए	118.88	156.38	203.96	229.7	269.05	325.13
सामाजिक सेवाएं	156.13	186.6	251.74	233.57	243.28	254.37
आर्थिक सेवाएं	68.23	93.56	108.86	105.93	137.52	115.49

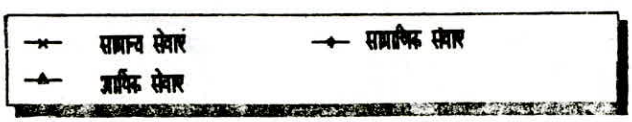

योजनागत व्यय की प्रवृत्ति

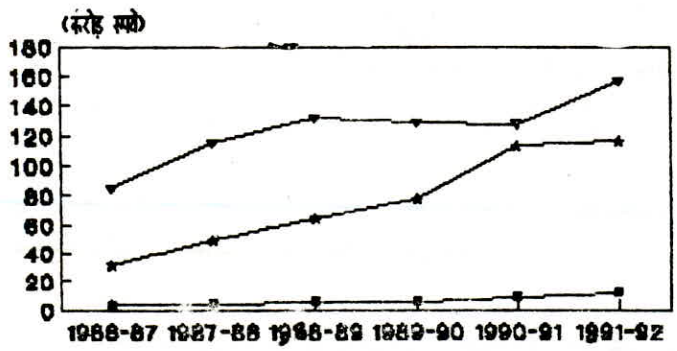

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
सामान्य सेवाएं	3.7	4.59	5.64	6	9.14	12
सामाजिक सेवाएं	30.87	48.33	63.78	76.74	112.7	115.62
आर्थिक सेवाएं	84.14	114.45	131.38	128.22	127.18	156.5

1.7 अधिशेष/घाटा

1990-91 में 37.66 करोड़ रु0 के समग्र अधिशेष के प्रति 1991-92 के दौरान 15.57 करोड़ रु0 का कुल निवल घाटा था। जबकि 1986-87 तथा 1991-92 के बीच राजस्व प्राप्तियां 86 प्रतिशत तक बढ़ी, उसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय में बढ़ौतरी 112 प्रतिशत तक ही तेज थी। परिणामत: 1986-87 में 69.76 करोड़ रु0 का राजस्व अधिशेष 1991-92 में घट कर 9.86 करोड़ रु0 ही गया था, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट है:-

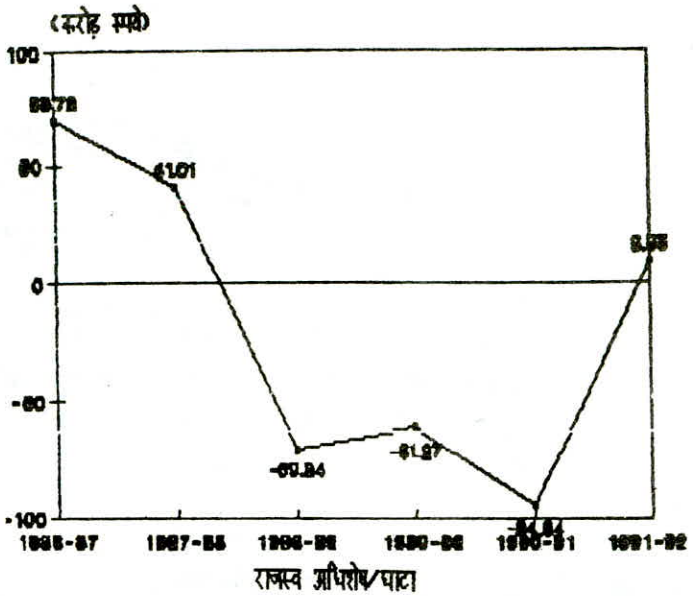

वर्ष	राजस्व		
	प्राप्तियां	व्यय	अधिशेष (+) घाटा (-)
1986-87	533.83	464.07	(+) 69.76
1987-88	649.81	608.80	(+) 41.01
1988-89	698.38	768.22	(-) 69.84
1989-90	721.23	782.50	(-) 61.27
1990-91	806.63	901.47	(-) 94.84
1991-92	992.42	982.56	(+) 9.86

1.8 पूंजीगत व्यय

1990-91 में 149.22 करोड़ रु0 के प्रति 1991-92 के दौरान पूंजीगत व्यय 26 प्रतिशत वृद्धि निरूपित करते हुए 188.10 करोड़ रु0 था। वर्ष 1986-87 से 1991-92 के दौरान

राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे सारणीकृत है:-

वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय (करोड़ रुपये)
1986-87	464.07	94.97
1987-88	608.80	130.18
1988-89	768.22	131.85
1989-90	782.50	122.14
1990-91	901.47	149.22
1991-92	982.56	188.10

यह अवलोकित होगा कि 1986-92 वर्षों के दौरान राजस्व-व्यय (योजनागत व अयोजनेतर दोनों ही) 112 प्रतिशत बढ़ गया था जबकि इसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय केवल 98 प्रतिशत बढ़ा था।

1.9 लोक ऋण तथा अन्य देयताएं

1.9.1 भारतीय संविधान की धारा 293 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार भारतीय क्षेत्र के भीतर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर, उन सीमाओं के भीतर यदि कोई हों जो राज्य के विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निश्चित की जायें, उधार ले सकती है। ऐसी सीमाओं के निर्धारणार्थ राज्य विधानमण्डल द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया है।

राज्य के लोक ऋण में आन्तरिक ऋण तथा केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। आन्तरिक ऋण में विभिन्न परियोजनाओं तथा स्कीमों को वित्तपोषित करने हेतु खुले बाजार में जुटाए गए दीर्घकालीन ऋण तथा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक एवं अन्य संस्थानों से प्राप्त किए गए ऋण सम्मिलित हैं। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बांड भी सम्मिलित है। केन्द्र सरकार से प्राप्त किए गए ऋण एवं अग्रिम विभिन्न योजनागत तथा अयोजनेतर स्कीमों के निष्पादन हेतु भारत सरकार से प्राप्त ऋणों को प्रकट करते हैं। इसके अतिरिक्त, लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि के द्वारा जुटाई गई निधियों के संदर्भ में सरकार की अन्य देयताएं हैं।

व्यय की बढ़ती हुई मांगों तथा संसाधन अन्तराल को पूरा करने की दृष्टि से राज्य सरकार अधिकाधिक रूप से ऋणों पर निर्भर थी। राज्य सरकार की कुल देयताएं **1986-87** में **550.33** करोड़ रु० **165** प्रतिशत बढ़कर **1991-92** में **1459.05** करोड़ रुपये हो गई थी, जबकि आन्तरिक ऋण में वृद्धि **225** प्रतिशत थी, केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य देयतामो में क्रमश: **147** प्रतिशत तथा **186** प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि में राज्य सरकार की ऐसी देयतामो का ब्यौरा निम्नांकित था:-

के अन्त में	आन्तरिक ऋण	केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	कुल लोक ऋण	अन्य देय-ताएं	कुल देय-ताएं
		(करोड़ रुपये में)			
1986-87	**55.74**	**356.22**	**411.96**	**138.37**	**550.33**
1987-88	**71.35**	**436.80**	**508.15**	**178.92**	**687.07**
1988-89	**87.39**	**515.20**	**602.59**	**217.64**	**820.23**
1989-90	**104.50**	**628.02**	**732.52**	**268.60**	**1001.12**
1990-91	**135.56**	**828-03**	**963.59**	**330.90**	**1294.49**
1991-92	**181.41**	**881.54**	**1062.95**	**396.10**	**1459.05**

1.9.2 ऋण के भार से राज्य सरकार का ब्याज दायित्व भी बढ़ गया था। चूंकि वर्ष **1991-92** के दौरान भुगतान **1986-87** के दौरान नि:स्राव से **254** प्रतिशत अधिक रहे ब्याज भुगतानों के कारण निधि नि:स्राव उत्तरोत्तर बढ़ता गया। यह स्थिति निम्न तालिका में सारांशित है:-

वर्ष	राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान	राजस्व व्यय पर ब्याज भुगतान की प्रतिशतता
	(करोड़ रुपयों में)		
1986-87	464.07	41.76	9
1987-88	608.80	49.11	8
1988-89	768.22	69.01	9
1989-90	782.50	87.99	11
1990-91	901.47	110.45	12
1991-92	982.56	147.85	15

1.9.3 तथापि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के प्रति अपने ऋण सेवा दायित्वों का निर्वाह कर दिया था। केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमों की चुकौती अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार से अपेक्षित था कि वह वर्ष **1991-92** के दौरान **53.06** करोड़ रु० मूलधन के रूप में तथा **84.07** करोड़ रु० ब्याज-स्वरूप भुगतान करें। दोनों ही राशियों का समय पर भुगतान कर दिया गया था।

1.10 अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबन्ध के अन्तर्गत राज्य सरकार को बैंक के पास न्यूनतम **20** लाख रु० का रोकड़ शेष रखना पड़ता है। यदि किसी दिन राशि न्यूनतम अनुबन्धित शेष से कम हो जाती है तो यह कमी बैंक से अर्थोपाय अग्रिम अथवा ओवर ड्राफ्ट लेकर पूरी की जाती है। नकद शेष में कमी को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों पर पुनः छूट देकर भी भुगतान किया जाता है।

राज्य सरकार ने **1986-92** के दौरान बैंक के पास जिस सीमा तक न्यूनतम शेष रखा वह नीचे निर्दिष्ट किया

गया है:-

		1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
(i)	दिनों की संख्या जिनमें न्यूनतम शेष रखा गया-						
(क)	बिना कोई अग्रिम प्राप्त किए	193	185	169	84	178	132
(ख)	अर्थोपाय अग्रिम लेकर	--	01	23	96	3	70
(ii)	दिनों की संख्या जिनमें ओवरड्राफ्ट लिया गया	--	--	2	108	77	98
(iii)	दिनों की संख्या भारत सरकार के खजाना बिलों पर पुनः छूट दी गई	172	180	171	77	107	66

राज्य सरकार द्वारा 1986-87 से 1991-92 की अवधि लिए गए अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों तथा उन पर दिए गए ब्याज का ब्यौरा आगे तालिकाबद्ध है:-

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
			(करोड़ रुपये)			
(1) अर्थोपाय अग्रिम						
(i) वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम	--	0.49	28.97	96.11	69.38	130.44
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया अग्रिम	--	--	--	--	--	11.27
(iii)प्रदत्त ब्याज	--	--@	0.03	0.45	0.34	0.45
(2) ओवरड्राफ्ट						
(i) वर्ष के दौरान लिए गए ओवरड्राफ्ट	--	--	7.23	849.78	988.73	940.85
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया ओवरड्राफ्ट	--	--	--	--	--	--
(iii)प्रदत्त ब्याज	--	--	--#	0.23	0.27	0.28
(3) भारत सरकार के खजाना बिलों पर प्रदत्त फुटकर						
(i) वर्ष के दौरान फुटकर दिए गए बिलों की राशि	271	313	356	157	354	172.00
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया राशि	47.39	72.36	31.31	12.72	30.63	--
(iii)प्रदत्त ब्याज	2.13	2.33	2.93	1.19	2.15	1.69

@ केवल 1,208 रु0

केवल 19,687 रु0

1.11 राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

1.11.1 राज्य सरकार विकासात्मक तथा अविकासात्मक क्रियाकलापों के लिये सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्वायत निकायों, सहकारिताओ तथा गैर सरकारी संस्थाओ आदि को ऋण देती रही है। **1986-87** से आरम्भ छः वर्षों के दौरान ऐसे ऋणों की स्थिति नीचे दी गई है:-

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
			(करोड़ रुपये)			
आदि शेष	260.02	323.93*	363.83*	416.08	459.36	493.94
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	68.94	45.14	60.22	60.16	39.82	52.54
वर्ष के दौरान प्रति दत्त राशि	4.87	5.24	7.97	16.88	5.24	7.02
अन्त शेष	324.09	363.83	416.08	459.36	493.94	539.46
निवल जमा	64.07	39.90	52.25	43.28	34.58	45.52
प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को क्रेडिट	1.17	2.50	3.39	3.44	1.80	3.96
दीर्घावधि उधारों से निवल प्राप्तियां	55.85	96.19	94.45	129.92	231.07	88.09

छः वर्षों की अवधि के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों के सम्बन्ध में निवल वृद्धि राज्य सरकार के दीर्घकालिक उधारों से निवल प्राप्तियों क्रमशः **15** प्रतिशत और **115** प्रतिशत के मध्य थीं।

1.11.2 बकाया वसूलियां: शिमला नगर निगम तथा विभिन्न नगरपालिकाओ आदि को दिए गए ऋणों, जिसके ब्यौरेवार लेखे वरिष्ठ उप महालेखाकार के कार्यालय (लेखा तथा हकदारी) में रखे जाते हैं, में से **9.64** लाख रु० (मूलधन: **4.64** लाख रु०; ब्याज:**5.00** लाख रु०) की वसूली **31** मार्च **1992** को अतिदेय थी।

---

* सम्बन्धित कार्यान्वित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने पर प्रोफार्मा आधार पर **0.16** करोड़ रुपये निष्कासित किए गए।

उन ऋणों के सन्दर्भ में जिनके ब्यौरेवार लेखाओं का विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुरक्षण किया जाता है, 31 मार्च 1992 को दिए गए ऋणों के प्रति वसूली हेतु जिस सीमा तक सम्बद्ध सूचना उपलब्ध थी, 1.63 करोड़ रु0 की ब्याज की राशि सहित 3.75 करोड़ रु0 की कुल राशि अतिदेय थी। बकायों का मुख्य भाग "ग्रामीण तथा लघु उद्योगों को ऋण" (2.08 करोड़ रु0), "बागवानी ऋण" (0.52 करोड़ रु0), "अग्नि तथा बाढ़ पीड़ितों को ऋण" (0.32करोड़ रु0) तथा "उर्वरक ऋण" (0.31 करोड़ रु0) से सम्बन्धित था।

1.12 निवेश तथा प्रतिफल

1.12.1 राज्य सरकार के कुल निवेश 31 मार्च 1991 को 177.51 करोड़ रु0 से बढ़ कर 31 मार्च 1992 को 198.11 करोड़ रु0 हो गए। इसमें वर्ष 1991-92 के दौरान 4 सांविधिक निगमों में किए गए कुल 10.33 करोड़ रु0 के निवेश सम्मिलित हैं। वर्ष के दौरान किए गए नवीन निवेशों की विस्तृत स्थिति निम्नांकित है:--

प्रतिष्ठान का नाम	1991-92 के दौरान निवेश	1991-92 के अन्त तक संचयित हानि/लाभ
	(लाख रुपये)	
1. सांविधिक निगम-		
हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	220.00	(-) 5.79
हिमाचल पथ परिवहन निगम	799.89	(-) 57.7100
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम	5.00	उपलब्ध नहीं
हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम	8.00	उपलब्ध नहीं
2. सरकारी कम्पनियां/संयुक्त स्टॉक कम्पनियां		
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	285.49	(+) 13.81
हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम सीमित	8.00	(-) 183.34

प्रतिष्ठान का नाम	1991-92 के दौरान निवेश	1991-92 के अन्त तक संचित हानि/लाभ
	(लाख रुपये)	
हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम सीमित	23.89	(-) 284.05
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	40.00	(-) 605.47
हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रानिक विकास निगम सीमित	15.00	(-) 62.29#
हिमाचल प्रदेश एग्रो-इण्डस्ट्रियल पैकेजिंग इण्डिया सीमित	150.00	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन तथा संसाधन निगम	150.00	(-)1783.80#
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	1.00	(+) 62.14

इसके अतिरिक्त सहकारिता बैंकों में 63.78 लाख रु@× तथा सहकारिता समितियों में 298.58 लाख रु@× का निवेश किया गया था। तथापि ये संगठन भारत के नियंत्रक महालेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते।

1990-91 के अन्त तक संचित हानियां प्रदर्शित करते हैं; वर्ष 1991-92 के लेखाओं को जनवरी 1993 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

@ अनन्तिम

× सहकारी बैंकों तथा समितियों में निवेश में 1991-92 के दौरान विमोचित अंशों के मूल्य के रूप में 8.79 लाख रु सम्मिलित है।

1.12.2 वर्ष **1991-92** के दौरान किए गए नए निवेशों का मुख्य भाग चार सांविधिक निगमों में था जो भारी हानियां उठा रहे थे।

1.12.3 जबकि राज्य सरकार द्वारा निवेश **1986-87** के अन्त में **106.23** करोड़ रु० से बढ़कर **1991-92** के अन्त में **198.11** करोड़ रु० हो गए थे, इस अवधि के दौरान लाभांशों तथा लाभों में तदनुरूपी वृद्धि नहीं हुई। **1990-91** के दौरान अर्जित लाभांश तथा लाभ **0.02** करोड़ रु० के थे तथा **1991-92** के दौरान सरकार ने **0.12** करोड़ रु० अर्जित किए। **1986-87** से आगे के निवेश व लाभांश तथा लाभ का विस्तृत विवरण नीचे दिया जाता है:-

वर्ष	वर्षान्त में कुल निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया लाभांश/ लाभ (करोड़ रुपये)	कालम 2 से 3 की प्रतिशतता
1986-87	106.23	0.07	0.07
1987-88	125.69	0.03	0.02
1988-89	141.02	0.03	0.02
1989-90	159.06	0.08*	0.05
1990-91	177.51	0.02*	0.01
1991-92	198.11	0.12*	0.06

सरकारी निवेशों से प्रतिफल, उस दर से जिस पर राज्य सरकार द्वारा ऋणों पर ब्याज का भुगतान किया गया था, काफी कम थे।

1.13 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारिताओं, आदि द्वारा ऋणों का पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए आकस्मिक देयता

* अनन्तिम आंकड़े

की स्थिति निम्नवत् थी:-

31 मार्च को	प्रत्याभूत अधिकतम राशि (केवल मूलधन)	बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
	(करोड़ रुपयों में)		
1987	313.47	226.82	5.64
1988	376.28	268.66	6.71
1989	442.98	313.28	13.04
1990	527.46	352.71	2.67
1991	674.88	403.30	4.60
1992	723.18	361.65	8.41

पांच वर्षों की अवधि से बकाया पड़ी प्रत्याभूतियों की राशि में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.14 सारांशित वित्तीय स्थिति

वर्ष 1991-92 के विनियोग लेखाओं एवं वित्त लेखाओं से उद्भूत 31 मार्च 1992 को राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार निम्नांकित विवरणियों में इंगित है:

विवरणी-I 31 मार्च 1992 को राज्य सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

दायित्व				परिसम्पत्तियां		
31 मार्च 1991 को धनराशि		31 मार्च 1992 को धनराशि	31 मार्च 1991 को धनराशि			31 मार्च 1992 को धनराशि
1	2		3	4	5		6
135.56	आन्तरिक ऋण-		181.41	1325.10	अक्षय परिसम्पत्तियों		1513.20
	बाजार ऋण	127.33			पर सकल पूंजीगत		
	भारतीय जीवन बीमा				परिव्यय-		
	निगम से ऋण	7.29			कम्पनियों, निगमों आदि		
	भारतीय सामान्य बीमा				के शेयरों में निवेश	198.11	
	निगम से ऋण	0.39			अन्य पूंजीगत		
	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण				परिव्यय	1315.09	
	विकास बैंक से ऋण	3.49					
	राष्ट्रीय सहकारिता						
	विकास निगम से ऋण	12.16					
	अन्य संस्थाओं से ऋण	19.48					
	भारतीय रिज़र्व बैंक से						
	अर्थोपाय अग्रिम	11.27					
828.03	केन्द्रीय सरकार से				ऋण एवं अग्रिम-		539.46
	ऋण एवं अग्रिम-		881.54	493.94	ऊर्जा के लिए ऋण	447.39	
	वर्ष 1984-85 से				अन्य विकास ऋण	67.64	
	पूर्वकालिक ऋण	137.62			सरकारी कर्मचारियों		
	आयोजनेतर ऋण	551.08			को ऋण तथा विविध		
	राज्य की योजनागत				ऋण	24.43	
	स्कीमों के लिए ऋण	146.12					
	केन्द्रीय योजनागत						
	स्कीमों के लिए ऋण	0.61					
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत						
	स्कीमों के लिए ऋण	46.11					

1.00	आकस्मिकता निधि		1.00	0.50	आकस्मिकता निधि को विनियोग-		0.50
				(-) 21.20*	उक्त एवं विविध शेष		(-)18.76
330.90	लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि		396.10	0.11	अग्रिम		0.13
31.62	जमा		30.63	-)103.11	नकद-		(-)149.45
1.78	आरक्षित निधियां		1.77**		कोषागारों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	2.99	
27.88	प्रेषण शेष		43.73		स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	0.07	
338.57	सरकारी लेखे पर अधिशेष-		348.90				
	गत वर्ष का शेष	348.28			नकद शेष निवेश	0.14	
	चालू वर्ष का अधिशेष	9.86			भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा (-)	152.65	
घटाइए:-							
	(i) समायोजन	9.24@					
	(ii) विविध सरकारी लेखे	*					
1695.34			1885.08	1695.34			1885.08

* वर्ष 1991-92 के वित्त लेखे में प्रकट आदि शेष से 0.46 करोड़ रु0 का अन्तर है जिसे उस सीमा तक अधिशेष को कम करके प्रोफॉर्मा आधार पर बढ़ाया गया है

** पूर्णांक करने के कारण 31 मार्च 1991 को 1.78 करोड़ रु0 का अन्तर है।

@ वर्ष 1991-92 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 14 के अनुसार सरकारी लेखे में 358.14 करोड़ रु0 का राजस्व अधिशेष था। (-) 9.24 करोड़ रु0 के अन्तर की व्याख्या निम्नलिखित है:-

(1)	"7810-अन्तर्राष्ट्रीय समायोजन" शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित प्रगामी धनराशि	(-) 1.43
(2)	"8680-विविध सरकारी लेखा" शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित प्रगामी धनराशि	(+) 0.18
(3)	निदर्श समायोजित निवल धनराशि	(-) 8.00
(4)	पूर्णांकन करने के कारण प्रगामी अन्तर	(+) 0.01
	निवल योग	(-) 9.24

* केवल 25,342 रु0

विवरणी II वर्ष 1991-92 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

प्रवर्ग-क-राजस्व

(करोड़ रुपयों में)

प्राप्तियां		संवितरण				
1. राजस्व प्राप्तियां	992.42	1. खण्ड राजस्व व्यय				982.56
			आयोजनेतर	योजनागत	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (योजनागत स्कीमों सहित)	योग
(i) कर राजस्व	192.93	(क) सामान्य सेवाएं	325.13	8.52	3.48	337.13
(ii) कर-भिन्न राजस्व	74.45	(ख) सामाजिक सेवाएं	254.37	87.06	28.76	370.19
		(ग) आर्थिक सेवाएं-				
(iii) संघीय करों/शुल्कों में राज्य का भाग	239.82	(i) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	63.95	76.18	14.87	155.00
(iv) आयोजनेतर अनुदान	126.65	(ii) ग्रामीण विकास	11.28	12.55	10.26	34.09
(v) राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	263.49	(iii) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4.26	10.77	0.56	15.59
(vi) केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	95.08	(iv) ऊर्जा	4.50	0.91	2.10	7.51
		(v) उद्योग एवं खनिज	2.46	6.22	3.59	12.27
		(vi) परिवहन	25.85	6.39	--	32.24
		(vii) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	--	0.50	--	0.50
		(viii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	3.19	11.55	0.05	14.79
		(घ) सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.25	--	--	3.25
			698.24	220.65	63.67	982.56
		II. प्रवर्ग-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा				9.86
	992.42					992.42

प्रपत्र-ख अन्य

प्राप्तियां			संवितरण (करोड़ रुपये)				
II स्थायी अग्रिम तथा नकद शेष निवेश सहित अन्य नकद शेष		(-)103.11	III पूंजीगत परिव्यय				188.10
			खण्ड	आयोजनेतर	योजनागत	योग	
			(क) सामान्य सेवाएं	...	5.22	5.22	
			(ख) सामाजिक सेवाएं	...	79.04	79.04	
III ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली		7.02					
			(ग) आर्थिक सेवाएं-				
(i) ऊर्जा	1.18		(i) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	(-)0.20	9.57	9.37	
(ii) सरकारी कर्मचारियों से	3.21		(ii) ग्रामीण विकास	--	0.03	0.03	
			(iii) सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	--	16.39	16.39	
(iii) अन्य से	2.63		(iv) ऊर्जा	--	11.38	11.38	
			(v) उद्योग एवं खनिज	--	8.86	8.86	
IV अग्रेनीत राजस्व अधिशेष		9.86	(vi) परिवहन	--	56.33	56.33	
			(vii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	..	1.48	1.48	
V लोक ऋण प्राप्तियाँ		1217.00	IV संवितरित ऋण एवं अग्रिम				52.54
(i) अर्थोपाय अग्रिम सहित आन्तरिक ऋण	1110.43		(i) ऊर्जा के लिए		35.26		
(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	106.57		(ii) सरकारी कर्मचारियों के लिए		7.63		
VI लोक लेखा प्राप्तियाँ		767.57	(iii) अन्य के लिए		9.65		
(i) लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	123.62						
(ii) उचन्त एवं विविध	59.93						
(iii) प्रेषण	473.73						
(iv) जमा एवं अग्रिम	110.29						
			V लोक ऋणों की चुकौती				1117.64
			(i) अर्थोपाय अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण		1064.58		
			(ii) केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती		53.06		

VI	लोक लेखा संवितरण		689.51
(i)	लघु बचतें, भविष्य निधियां, आदि	58.42	
(ii)	उपक्रम एवं विविध	61.92	
(iii)	प्रेषण	457.87	
(iv)	जमा एवं अग्रिम	111.30	
VII	वर्ष के अन्त में नकद शेष		(-)149.45
(i)	कोषागारों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	2.99	
(ii)	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष लेखा	0.07	
(iii)	नकद शेष निवेश	0.14	
(iv)	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-)152.65	
		1898.34	1898.34

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ: –

1. ये सारांशित वित्तीय विवरणियाँ राज्य सरकार के वित्त लेखाओं एवं विनियोग लेखाओं की विवरणियों पर आधारित है तथा उनमें निहित टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के अनुसार हैं।

2. सरकारी लेखें मुख्यत: नकद आधार पर होने के कारण राजस्व अधिशेष या घाटा नकद आधार पर संगणित किया गया है। परिणामत: भुगतान योग्य या प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास या स्टॉक–ऑकड़ों में भिन्नता आदि जैसी मदें इन लेखाओं में प्रदर्शित नहीं होते।

3. यद्यपि प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्व व्यय (अनुदानों) का अंश तथा ऋण पूंजी रचना के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेकिन राज्य सरकार के लेखाओं में इसका वर्गीकरण साध्य प्रयोग द्वारा अप्रभावित रहता है।

4. सरकारी लेखापद्धति के अन्तर्गत राजस्व अधिशेष या घाटा वार्षिक रूप से सरकारी लेखे में सम्वृत होता है। 31 मार्च 1983 को 285.32 करोड़ रु० के संतुलनकारी आकड़े 1983–84 के लिए प्रथम विवरणी को बनाने के लिए संचित अधिशेष के रूप में माना गया।

5. उचन्त एवं विविध शेषों में जारी किए गए लेकिन भुगतान न किए गए चैक, राज्यों की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य बकाया पड़े समायोजन आदि शामिल हैं। उचन्त एवं विविध के अन्तर्गत शेष 31 मार्च 1991 के 21.20 करोड़ रु0 (जमा) से घटकर 31 मार्च 1992 को 18.76 करोड़ रु0 (जमा) हो गया था।

6. लेखाओं में प्रदर्शित 152.65 करोड़ रु0 (नामे) के शेष के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत अन्तिम शेष 157.51 करोड़ रु0 (नामे) था। जबकि 1.65 करोड़ रु0 के अन्तर का समाधान हो चुका था, शेष (3.21 करोड़ रु0) समाधानाधीन था (जनवरी 1993)।

1.15 राज्य की परिसम्पतियां एवं दायित्व

1986-87 से 1991-92 की छः वर्षीय अवधि के दौरान पूंजी निवेश तथा प्रदत्त ऋणों को शामिल करके राज्य सरकार की परिसम्पतियां एवं कुल दायित्व निम्नांकित थे:-

के अन्त में	परिसम्पतियां	दायित्व
	(करोड़ रुपयों में)	
1986-87	1111.68*	587.98*
1987-88	1294.12*	729.60*
1988-89	1374.32*	879.64*
1989-90	1495.11	1061.70
1990-91	1695.34	1356.77
1991-92	1885.08	1536.18

यद्यपि पांच वर्षों के दौरान परिसम्पतियां 70 प्रतिशत बढ़ी लेकिन इसी अवधि के दौरान दायित्व 161 प्रतिशत बढ़ गए।

* नकद शेष के अन्तर्गत "रिजर्व बैंक के पास जमा" से सम्बद्ध आंकड़े शामिल न करने के कारण पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रदर्शित स्थिति से भिन्न है।

दूसरा अध्याय
विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण

2.1 बजट एवं व्यय

अनुदानों/विनियोगों के प्रतिवर्ष **1991-92** के दौरान वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति निम्नवत् है:-

	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक	योग	वास्तविक व्यय	अन्तर बचत(-)/आधिक्य(+)
		(करोड़ रुपये)			
I. राजस्व-					
दत्तमत	918.22	47.58	965.80	1921.56	(-)44.24
प्रभारित	161.17	0.38	161.55	150.76	(-)10.79
II. पूंजीगत-					
दत्तमत	234.88	60.53	295.41	219.82	(-) 75.59
प्रभारित	0.90	0.20	1.10	1.06	(-) 0.04
III. लोक ऋण					
प्रभारित	134.62	2.83	137.45	1117.64@	(+)980.19@
IV. ऋण एवं					
अग्रिम दत्तमत	31.82	7.49	39.31	52.54	(+) 13.23
सकल योग	1481.61	119.01	1600.62	2463.38	(+)862.76

2.2 विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम

2.2.1 अनुदानों/विनियोगों में बचत/आधिक्य

समग्र बचत/आधिक्य, **50** मामलों में बचत तथा **19** मामलों में आधिक्य का निवल परिणाम था जैसे नीचे प्रदर्शित है:-

	बचत		आधिक्य		शुद्ध बचत(-)/आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
			(करोड़ रुपये)			
दत्तमत	65.05	83.39	20.81	1.03	(-)44.24	(-)62.36
	(21 अनुदानों में)		(18 अनुदानों में)	(9 अनुदानों में)	(7 अनुदानों में)	

@ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओवरड्राफटों व गिरावटों के कारण इसमें **940.85** करोड़ रु0 भी शामिल हैं।

	बचत		आधिक्य		शुद्ध बचत(-)/आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
प्रभारित	10.80	0.04	0.01	980.19@	(-)10.79	(+)980.15@
विनियोग	(8 विनियोगों में)	(3 विनियोगों में)	(2 विनियोगों में)	(1 विनियोग में)		

वर्ष 1991-92 के दौरान प्राप्त समग्र पूरक अनुदान व विनियोग मूल अनुदानों व विनियोगों के 8 प्रतिशत थे

9 मामलों में 12.49 करोड़ रु0 का पूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि इन सभी मामलों में व्यय मूल प्रावधान से भी कम था। ब्यौरे परिशिष्ट -I में दिए गए हैं।

दत्तमत अनुदानों के अन्तर्गत 128.44 करोड़ रु0 तथा प्रभारित विनियोगों के अन्तर्गत 10.84 करोड़ रु0 की अन्तिम बचत में से 17 अनुदानों व एक विनियोग (20 मामले) में 135.41 करोड़ रु0 की बचत हुई जो प्रत्येक मामले में 50 लाख रु0 से कम न थी और सरकार द्वारा जहाँ प्रस्तुत बचतों के मुख्य कारण दिए गए, उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्रमांक	अनुदान	बचत राशि (बचत प्रतिशतता)	मुख्य कारण
		(करोड़ रुपये)	
दत्तमत अनुदान			
राजस्व			
1.	4- सामान्य प्रशासन	1.50 (4)	रिक्त पद न भरना।
2.	5-भू- राजस्व	10.22 (31)	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषकों को उधारों पर उपदान देने के लिए मांग संख्या 11 व 17 में भी निधि आवंटन के कारण तथा सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन हेतु इन प्रयोजनों के लिए इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए प्रावधान का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा सका।

@ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओवरड्राफ्टों व गिरावटों के कारण इसमें 940.85 करोड़ रु0 भी शामिल है।

क्रमांक अनुदान	बचत राशि (बचत प्रतिशतता)	मुख्य कारण
	(करोड़ रुपये)	
3. 7-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	3.37 (6)	रिक्त पद न भरना।
4. 8- शिक्षा ,क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	25.10 (12)	रिक्त पद न भरना।
5. 11-कृषि	3.18 (5)	सूचित नहीं किए गए (दिसम्बर,1992)।
6. 13-भू एवं जल संरक्षण	0.97 (10)	योजना सीमांकन में कटौती।
7. 16-वन एवं वन्य प्राणी	2.12 (4)	रिक्त पद न भरना ।
8. 19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	1.96 (9)	रिक्त पद न भरना।
9. 20-ग्रामीण विकास	2.98 (10)	विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीम को जारी न रखने तथा ऋण उपदान मामलों की कम प्राप्ति के कारण।
10. 25-पथ,जल परिवहन तथा सिविल विमानन	5.15 (37)	हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम से कम मांग।
11. 29-वित्त	3.26 (5)	नए पैंशन /पैंशन संशोधन मामलों की प्रत्याशा से कम प्राप्ति तथा अन्य राज्यों में अपनी पेंशन आहूत करने वाले पैंशन भोगियों के सम्बन्ध में अन्य महालेखाकार कार्यालयों से डेबिटों की कम प्राप्ति के कारण।
12. 31- जनजातीय विकास	3.12 (5)	रिक्त पद न भरने के कारण।
पूंजीगत अनुदान		
13. 9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2.69 (23)	भवनों के निर्माणार्थ प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय संस्वीकृतियां प्राप्त न होना और भूमि उपलब्ध न होना।
14. 11-कृषि	2.65 (13)	प्रत्याशा से कम सामग्री की खरीद तथा कम मांग के कारण।
15. 12-सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	8.74 (36)	योजना सीमांकन में कटौती।
16. 17-सड़कें एवं पुल	10.42 (18)	सूचित नहीं किए गए (दिसम्बर 1992)।

क्रमांक	अनुदान	बचत राशि (बचत प्रतिशतता)	मुख्य कारण
		(करोड़ रुपये)	
17.	23-जल एवं विद्युत विकास	29.07 (39)	नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम में राज्यांश का कम निवेश
18.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	6.95 (11)	योजना सीमांकन में संशोधन एवं कटौती आदि के कारण
19.	31-जनजातीय विकास	1.47 (8)	सूचित नहीं किए गए (दिसम्बर 1992)।
	प्रभारित विनियोग		
	राजस्व		
20.	29-वित्त	10.49 (7)	अभिदाताओं द्वारा प्रत्याशा से अधिक आहरणों एवं अग्रिम राशियों के कारण राज्य भविष्य निधि पर कम ब्याज दायित्व।

2.2.2 निरन्तर बचतें/अधिक्य

1989-92 वर्षों में 9 मामलों में व्यय कुल प्रावधान से निरन्तर कम था जबकि अन्य 2 मामलों में यह प्रावधान से निरन्तर अधिक था। सम्बद्ध ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

कुल अनुदानों की प्रतिशतता के रूप में बचत/अधिक्य

अनुदान	1989-90	1990-91	1991-92
I. बचतें			
क. राजस्व-दत्तमत			
20- ग्रामीण विकास	28	11	10
ख. पूंजीगत -दत्तमत			
9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	24	31	23
12-सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	18	10	36
14-पशुपालन एवं डेरी विकास	16	35	14

अनुदान	1989-90	1990-91	1991-92
17-सड़कें एवं पुल	14	23	18
19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	31	14	21
23- जल एवं विद्युत विकास	19	19	39
ग. राजस्व प्रभारित			
1-विधान सभा एवं निर्वाचन	11	26	40
4-सामान्य प्रशासन	11	16	24
II-आधिक्य			
घ. राजस्व दत्तमत			
10-लोक निर्माण कार्य	16	12	31
ड. पूंजीगत-प्रभारित			
29-वित्त	1255	1458	713

2.2.3 निधियों का अभ्यर्पण

अनुदान या विनियोग में बचतों के पूर्वाभास के तत्काल पश्चात्, वर्ष के अन्त तक प्रतीक्षा किए बिना, उन्हें सरकार को अभ्यर्पित किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा ऐसी बचतें कुछ अन्य इकाईयों के अन्तर्गत आधिक्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित न हो । तथापि, सम्भावित भावी आधिक्यों हेतु कोई भी बचतें आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए ।

वर्ष 1991-92 के लेखाओं में प्रदर्शित दत्तमत अनुदानों के अन्तर्गत 128.44 करोड़ रुपये की अन्तिम बचतों में से 106.68 करोड़ रु0 की राशि वित्त वर्ष के अन्तिम दिवस पर अभ्यर्पित की गई थी ।

अगस्त-अक्तूबर 1992 के दौरान 4 अनुदानों (संख्या 13, 16, 26, तथा 27) की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि विभाग जनवरी 1992 में, जब परिशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किए गए, इस तथ्य से अवगत थे कि 409.68 लाख रु0 की कुल निधियां अभ्यर्पित किए जाने की आवश्यकता होगी । तथापि ये अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के केवल अन्तिम दिवस को ही प्रभावी हुए ।

19 दत्तमत अनुदानों तथा 5 प्रभारित विनियोगों में क्रमशः 28.69 करोड़ रु0 तथा 5.67 करोड़ रु0 की बचत की राशियां अभ्यर्पित

नहीं की गई । इनमें से 5 दत्तमत अनुदानों और 3 विनियोगों में 13.82 करोड़ रु0 तथा 0.04 करोड़ रु0 की समस्त बचतें अभ्यर्पित नही की गई। उन मुख्य विभिन्नताओ के ब्यौरे परिशिष्ट-II में निहित है जिनमें बचते 20 प्रतिशत व 1.00 करोड़ रु0 से अधिक थीं लेकिन उन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

12 मामलों में अभ्यर्पित की गई राशि समग्र बचतों से अधिक रही । पुन: 4 अनुदानों तथा एक विनियोग के मामले में 4.39 करोड़ रु0 अभ्यर्पित किए गए, यद्यपि अनुदान/विनियोग से व्यय अधिक था तथा अभ्यर्पण हेतु कोई बचतें उपलब्ध नही थी । सम्बद्ध ब्यौरे नीचे सारणीकृत हैं :

(क) उपलब्ध बचतों से अधिक निधियों का अभ्यर्पण

क्रम संख्या	अनुदान	बचतों की राशि	अभ्यर्पित राशि
		(लाख रुपये)	
	राजस्व-दत्तमत		
1.	5-भू-राजस्व	1021.78	1147.79
2.	6-आबकारी एंव कराधान	17.71	20.27
3.	13-भू एंव जल संरक्षण	96.90	118.57
4.	15-मत्स्य पालन	12.21	13.71
5.	21-सहकारिता	30.03	33.98
6.	26-पर्यटन एंव अतिथ्य सत्कार संगठन	41.85	41.88
7.	27-श्रम एंव रोजगार	49.44	73.58
	पूंजीगत-दत्तमत		
8.	8-शिक्षा क्रीडा कला एंव संस्कृति	9.96	27.01
9.	12-सिंचाई एंव बाढ़ नियन्त्रक	873.56	903.02
10.	14-पशु पालन एंव डेरी विकास	28.37	44.95
11.	21-सहकारिता	15.61	15.73
12.	30-सरकारी कर्मचारियो को ऋण	44.88	55.20

(ख) समग्र अधिक व्यय के बावजूद निधियों का अभ्यर्पण

क्रम संख्या	अनुदान	अधिक व्यय की राशि	अभ्यर्पित राशि
		(लाख रुपये)	
	राजस्व–दतमत		
1.	9–स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण	66.21	62.21
2.	10–लोक निर्माण	1615.41	172.80
3.	12–सिंचाई एंव बाढ़ नियत्रंक	26.65	65.34
4.	28–जलापूर्ति स्वच्छता आवास एंव शहरी विकास	307.60	120.17
	पूंजीगत–दतमत		
5.	10–लोक निर्माण	7.61	18.40
	राजस्व–प्रभारित		
6.	3–न्याय प्रशासन	0.31	0.50

इन सभी मामलों में राशियों का अभ्यर्पण वर्ष के अन्तिम दिन पर किया गया । ये दृष्टान्त यह दर्शाते थे कि व्यय पर कोई समुचित नियन्त्रण एंव अनुश्रवण नहीं था ।

2.2.4 अनुदान/विनियोग पर आधिक्य

राजस्व प्रवर्ग में 9 अनुदानों में 20,81,30,186 रु0 का तथा 2 विनियोगों में 30,937 रु0 का कुल आधिक्य था, जबकि पूंजी प्रवर्ग में 7 अनुदानों में 1,03,06,502 रु0 का तथा एक विनियोग में 9,80,19,03,699 रु0* का आधिक्य था। संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत इन आधिक्यों का नियमन अपेक्षित था जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

क्रम संख्या	अनुदान	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि आधिक्य प्रतिशतता
		रुपये	रुपये	रुपये
	मतदत अनुदान			
	राजस्व			
1.	9-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	72,10,75,000	72,76,95,897	66,20,897 (0.9)

* भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष तथा कमी के संदर्भ में 9,40,85,40,000 रु0 सम्मिलित है ।

क्रम संख्या	अनुदान	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि आधिक्य प्रतिशतता
		रुपये	रुपये	रुपये
2.	10-लोक निर्माण कार्य	51,76,65,000	67,92,05,708	16,15,40,708 (31.2)
3.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	24,50,53,000	24,77,17,598	26,64,598 (1.1)
4.	14-पशु पालन एवं डेरी विकास	14,91,33,000	14,97,72,553	6,39,553 (0.4)
5.	17-सड़कें एवं पुल	29,01,31,000	29,08,64,638	7,33,638 (0.3)
6.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	11,32,50,244	11,54,78,408	22,28,164 (2)
7.	22-माप एवं भाण्डागार	9,63,84,000	9,65,26,290	1,42,290 (0.1)
8.	23-जल एवं विद्युत विकास	4,60,00,000	4,88,00,000	28,00,000 (6.1)
9.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	58,15,35,000	61,22,95,338	3,07,60,338 (5.3)
	पूंजीगत			
10.	10-लोक निर्माण कार्य	3,70,04,000	3,77,64,743	7,60,743 (2.1)
11.	18-आपूर्तियां, उद्योग एवं खनिज	6,74,40,000	7,42,85,607	68,45,607 (10.2)
12.	20-ग्रामीण विकास	10,50,000	10,50,252	252 (--)
13.	24-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	10,01,000	11,58,789	1,57,789 (15.8)
14.	25-मार्ग, जल परिवहन एवं सिविल विमानन	8,10,70,000	8,31,93,205	21,23,205 (2.6)
15.	26-पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार संगठन	1,39,00,000	1,41,33,913	2,33,913 (1.7)

क्रम संख्या	अनुदान	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि आधिक्य प्रतिशतता
16	27-श्रम एवं रोजगार	83,50,000	85,34,993	1,84,993 (2.2)
	प्रभारित विनियोग			
	राजस्व			
17.	3-न्याय प्रशासन	1,66,88,000	1,67,18,936	30,936 (0.2)
18.	16-वन एवं वन्य प्राणी	1,13,477	1,13,478	001 (--)
	पूंजीगत			
19.	29-वित्त	1,37,45,30,000	11,17,64,33,699*	9,80,19,03,699* (713.1)

आधिक्य के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे (दिसम्बर 1992) ।

2.2.5. बचतों/आधिक्यों के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्राप्त न होना

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं को बन्द किए जाने के पश्चात् अन्तिम अनुदानों/विनियोगों, वास्तविक व्यय तथा परिणामी भिन्नताओं को दर्शाते हुए ब्यौरेवार विनियोग लेखे नियन्त्रण अधिकारियों को भेजे जाते है, जिन्हें भिन्नताओं के लिए सामान्य रूप में तथा मुख्यशीर्षों /उप शीर्षों के अन्तर्गत विशेष रूप से स्पष्टीकरण देना अपेक्षित होता है ।

1991-92 के विनियोग लेखाओं से सम्बन्धित 451 शीर्ष/उप शीर्ष के संदर्भ में विभिन्नताओं के लिए ऐसे स्पष्टीकरण दिसम्बर 1992 तक प्राप्त नहीं किए गए थे ।

2.2.6 व्यय की कटौती के रूप में वसूलियां

अनुदान मांगे किसी वर्ष विशेष में किए जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए होती हैं तथा ऐसी वसूलियां जिन्हें व्यय की कटौती के रूप

---

* भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष तथा कमी के संदर्भ में 9,40,85,40,000 रु0 सम्मिलित है ।

में लिया जाना हो, उनके नीचे पृथक् रूप से पाद-टिप्पणी के रूप में दर्शाती हैं। इसी प्रकार विनियोग लेखाओं में वसूलियों को भी पृथक् रूप से उसके अनुबन्ध में दर्शाया जाता है। 1991-92 के लेखाओं की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि राजस्व प्रवर्ग में 69.84 करोड़ रु0 के बजट प्राकलनों के प्रति वास्तविक वसूलियां 89.76 करोड़ रु0 की थी। पूंजी प्रवर्ग में 39.16 करोड़ रु0 के बजट प्राकलनों के प्रति वास्तविक वसूलियां 32.78 करोड़ रु0 की थी।

राजस्व प्रवर्ग में 3 अनुदानों में व्यय की कटौती के रूप में वसूलियों का 20.70 करोड़ रु0 का कम आकलन किया गया, जबकि 2 अनुदानों में 0.78 करोड़ रु0 की सीमा की कम वसूलियां थी। इस प्रकार पूंजी प्रवर्ग में 0.32 करोड़ रु0 से ग्रस्त 4 अनुदानों/विनियोगों के संदर्भ में कम बजट प्रावधान था तथा 6.70 करोड़ रु0 से ग्रस्त 4 अनुदानों में कम वसूलियां थी। मूल प्राकलनों के 20 प्रतिशत तथा कम से कम एक करोड़ से ग्रस्त मुख्य विभिन्नताओं के ब्यौरे परिशिष्ट-III में दिए जाते हैं ।

2.2.7 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

प्रभारित व्यय हेतु एक अनुदान या विनियोग का वितरण उप शीर्षों या मानक उद्देश्यों (जो प्राथमिक इकाइयां कहलाती है), जिनके अन्तर्गत इस का लेखांकन किया जाता है। निधियों का पुनर्विनियोजन एक अनुदान के बीच विनियोजन की ऐसी प्राथमिक इकाईयों के मध्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व हो सकता है जिससे ऐसा अनुदान या विनियोग सम्बन्धी हो। निधियों का पुनर्विनियोजन केवल तभी किया जाना चाहिए जब ज्ञात हो या प्रत्याशित हो कि उस इकाई जिसके लिए निधियां हस्तान्तरित की जानी है, में से विनियोजन का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा या कथित इकाई के विनियोग में बचतें की जा सकती है।

1991-92 के लेखाओं की नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि 15 अनुदानों/विनियोगों में 39 उप-शीर्षों के मामलों मे 4.93 करोड़ रु0 की राशि का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था जहां तक कि (i) मूल प्रावधान जिसके उपशीर्ष के अन्तर्गत पुर्विनियोजन द्वारा निधियां हस्तांतरित की गई वह निधियां पर्याप्त से अधिक थी तथा परिणामस्वरूप उपशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत उस उप शीर्ष को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी या (ii) मूल प्रावधान जहां से निधियां अंतरित की गई थी, अपर्याप्त थी तथा उस उपशीर्ष के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य पुनर्विनियोजित राशि से अधिक था। यह व्यय

पर पर्याप्त नियंत्रण के अभाव को दर्शाता था। विवरण परिशिष्ट-IV में दिए गए हैं।

2.2.8 पुनर्विनियोजन आदेशों का विलम्बित संप्रेक्षण

वित्त विभाग वित्तीय वर्ष के अन्त तक किए गए वास्तविक व्यय पर आधारित पुनर्विनियोजन आदेश जारी करता है, जिसका प्रभाव उन शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधानों को कम करना है जहाँ बचत प्रत्याशित हो और उन शीर्षों में तद्‌नुरूप वृद्धि करना है जहाँ अधिकयों की सम्भावना हो। ऐसे सभी पुनर्विनियोजन आदेश वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस अर्थात् 31 मार्च को अथवा पहले जारी किए जाने चाहिए और लेखा कार्यालय को सामान्यता 15 अप्रैल तक प्रेषित किए जाने अपेक्षित हैं।

तथापि सभी 31 अनुदानों के सम्बन्ध में पुनर्विनियोजन आदेश 40 से 76 दिन के विलम्ब के पश्चात् प्राप्त हुए। विनियोग लेखाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के अतिरिक्त, ऐसे पुनर्विनियोजन आदेशों की विलम्ब से प्राप्ति से बचतों तथा अधिकयों के समायोचित पूर्वानुमान को समर्थ करने तथा पुनर्विनियोजन आदेशों को जारी करने में सरकार की वित्तीय सूचना पद्धतियों की उपयुक्तता के बारे में भी सन्देह उत्पन्न करती है।

2.3 विभागीय आंकड़ों का समाशोधन

व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण रखने हेतु सभी विभागीय अधिकारियों से अपने-अपने विभागों के व्यय वर्ष के लेखाओं को बन्द करने पूर्व महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित लेखाओं में पुस्तांकित व्यय के साथ मासिक समाशोधन करना अपेक्षित है। इससे विभागीय अधिकारी किसी धोखाधड़ी या गबन को तत्परता से पता लगाने में समर्थ होंगे।

तथापि दो नियंत्रक अधिकारियों* ने लेखाओं के दो शीर्षों के सम्बन्ध में 2.17 करोड़ रुपए के लेखाओं का समाशोधन नहीं किया था, जबकि अन्य नियंत्रक अधिकारी** ने पाँच महीनों तक एक शीर्ष के सम्बन्ध में 0.76 करोड़ रुपए के लेखाओं का समाशोधन नहीं किया इसलिए 2.93 करोड़ रु० असमाशोधित रहे।

मामला सरकार को अक्तूबर 1992 में सन्दर्भित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

---

* मुख्य अभियन्ता, यू एस ऐड प्रोजेक्ट तथा महानिरीक्षक जेल

** सचिव वित्त

2.4 आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि किसी भी धनराशि का खजाने से तब तक आहरण नहीं करना चाहिए जब तक वह तुरन्त भुगतान अथवा किसी स्थायी अग्रिम से संवितरित निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु अपेक्षित न हो। जिन कार्यों की पूर्णता में यथेष्ट समय लगने की सम्भावना हो, उनके निष्पादनार्थ खजाने से अग्रिम आहरित करना भी अनुमत्य नहीं है। किसी अव्ययित शेष राशि को तत्परता से खजाने में वापस लौटाना आवश्यक है।

छः विभागों के लेखाओं की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादनार्थ (303.16 लाख रु0) तथा अन्य स्कीमों के कार्यान्वयन (45.76 लाख रु0) हेतु 1985-86 तथा 1991-92 के बीच 348.92 लाख रु0 आहरित किए गए जिसमें से जुलाई 1992 तक 141.17 लाख रु0 (विकास कार्य: 116.91 लाख रु0 तथा अन्य स्कीमें: 24.26 लाख रु0) नकद या बैंकों में जमाराशि के रूप में अप्रयुक्त पड़े थे। विकास कार्यों हेतु आहरित 303.16 लाख रु0 में से 171.94 लाख रु0 का प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी संस्वीकृति प्रदान नहीं की गई जबकि 27.47 लाख रु0 की तकनीकी संस्वीकृति प्रतीक्षित थी। शेष कार्यों, जिनके लिए 103.75 लाख रु0 आहरित किए गए थे, के सम्बन्ध में सूचना प्रतीक्षित थी (जनवरी 1993)। इस सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट-V में अन्तर्विष्ट है।

ऐसी निधियों का वास्तविक आवश्यकताओं से पूर्व आहरण वित्तीय हितों के प्रतिकूल सरकार के सीमित साधनों के अवरोधन में परिणत हुआ।

मामला सरकार को सितम्बर 1992 में सन्दर्भित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

2.5 निधियों का प्रत्यावर्तन

नियमों में अपेक्षित है कि निधियां उन उद्देश्यार्थ खर्च की जानी चाहिए जिनके लिए वे संस्वीकृत की गई हैं। सात वन मण्डलों* में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना के प्रावधान के प्रति 1990-91 के दौरान 31.94 लाख रु0 मूल्य की क्रीत सामग्रियां जैसे कांटेदार तार, कीलें, स्टैप्ल इत्यादि राज्य स्कीमों पर प्रयुक्त की गई। अंतरण द्वारा निधियों के प्रत्यावर्तन हेतु विभाग द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

सरकार को मामला जुलाई 1992 में सन्दर्भित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

---

* देहरा: 5.05 लाख रु0; हमीरपुर : 2.21 लाख रु0; जोगिन्द्रनगर: 2.97 लाख रु0; कुल्लू :0.43 लाख रु0; नूरपुर: 1 लाख रु0; पालमपुर : 18.55 लाख रु0 और ठियोग: 1.73 लाख रु0

तीसरा अध्याय
सिविल विभाग

शिक्षा विभाग

3.1 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड

3.1.1 भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम **1987** में संस्वीकृत की गई और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, **1986** में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से **1988-89** से कार्यान्वित की गई। स्कीम का मुख्य उद्देश्य सितम्बर, **1986** में विद्यमान सभी प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम स्तर की सुविधाओं का प्रावधान करना तथा भविष्य में सभी नए खोले जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों के लिए कम से कम निधिकरण स्तर निर्धारित करके प्राथमिक शिक्षा में पर्याप्त सुधार लाना था। स्कीम के उद्देश्य को परस्पर-निर्भर निम्नांकित तीन संघटकों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रस्ताव था:-

(i) लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक्-पृथक् शौचालयों के साथ-साथ एक चौड़े बरामदे सहित सभी प्रकार के मौसम में उपयोज्य दो यथोचित बड़े कमरों का प्रावधान;

(ii) प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में यथासम्भव कम से कम दो अध्यापकों का प्रावधान, जिनमें से एक महिला हो; तथा

(iii) श्यामपट्टों, नक्शों, चार्टों, एक लघु पुस्तकालय, खिलौनों व खेलों तथा कार्य अनुभव अर्जित करने हेतु कुछ उपकरणों सहित अनिवार्य अध्यापन तथा शिक्षण सामग्री का प्रावधान।

स्कीम का कार्यान्वयन शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी, स्थानीय निकायों, पंचायतीराज संस्थानों तथा मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे चौथी तथा पांचवी कक्षाओं वाले सभी प्राथमिक विद्यालयों में किया जाना था। परन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों को, चाहे उनमें पहली से चौथी/पांचवी तक कक्षाएं हों, इस स्कीम के अन्तर्गत आवृत नहीं किया गया था।

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों तथा खण्ड स्तर पर खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा स्कीम कार्यान्वित की जा रही थी। विद्यालय भवनों का निर्माण उपायुक्तों द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से किया गया।

स्कीम से सम्बन्धित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को अनुमोदित करने की शक्तियों सहित जनवरी **1988** में राज्य स्तर पर एक शक्ति प्राप्त

समिति का गठन किया गया था।

1988-89 से 1991-92 की अवधि के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के अभिलेखों की संवीक्षा द्वारा अनुपूरित, पांच जिलों* के उपायुक्तों और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों तथा उनके नियंत्रणाधीन खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच के आधार पर अप्रैल-जून 1992 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई। इन 5 जिलों के मुख्यालयों पर स्थित खण्ड विकास अधिकारियों के अभिलेखों की भी नमूना-जांच की गई। समीक्षा के दौरान ध्यान में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का निम्नांकित परिच्छेदों में वर्णन किया गया है।

3.1.2 वित्तीय प्रबन्ध, आबंटन तथा व्यय

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम थी। अध्यापकों के वेतन तथा शिक्षण एवं अधिगम सामग्रियों की लागत हेतु निधियां शत-प्रतिशत आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सातवीं योजना (1991-92 तक विस्तृत) के अन्त तक प्रदान की गई। स्कीम पर 1991-92 तक 1648.68 लाख रु0 का व्यय किया जा चुका था; अप्रैल 1992 तक 1640.91 लाख रु0 केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त हुए थे।

किन्तु कमी वाले स्कूलों के लिए भवनों के निर्माणार्थ अलग से निधियों का प्रावधान नहीं किया गया था। इसका प्रबन्ध आठवें तथा नवें वित्त आयोगों के अधिनिर्णयों के अनुसार इस उद्देश्यार्थ प्रावधित निधियों के समय पर और नियोजित उपयोग और 31 मार्च 1989 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अधीन पर्याप्त निधियों के प्रावधान एवं उसके बाद जवाहर रोजगार योजना के द्वारा किया जाना था। इन कार्यक्रमों के अधीन स्कूल भवनो के निर्माण को उच्च वरीयता कार्यकलाप के रूप में माना जाना था।

कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिलेख की नमूना-जांच से निम्नवत् उद्घाटित हुआ:-

(i) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा अध्यापन एव शिक्षण सामग्रियों

---

* बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

का भार 360 से 400 ग्राम प्रति वर्ग मीटर तक विनिर्दिष्ट सीमा से कम था, अतः वे विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। इसे निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में लाने पर राज्य सरकार ने जुलाई 1991 में मामले की छानबीन हेतु एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने निर्णय दिया कि जिला निरीक्षण समिति द्वारा प्रेषण से पूर्व सामग्री का निरीक्षण न किए जाने के कारण घटिया आपूर्ति आसान हो गई। तथापि आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ख) अध्यापन साधनों का अनुपयोग

18.54 लाख रु0 की लागत पर अप्रैल 1988 तथा मार्च 1992 के मध्य क्रय किए गए तथा 4 जिलों* के 1,922 विद्यालयों को आपूर्ति किए गए हारमोनियम, विज्ञान किट्टें, गणित किट्टें आदि जैसे अध्यापन साधन इन सहायकों के प्रचालन हेतु व्यवसाय-प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव में मई 1992 तक विद्यालयों में अप्रयुक्त पड़े थे। इस पहलू को न तो अध्यापकों की भर्ती के समय ध्यान में रखा गया था और न ही अध्यापकों को इन साधनों का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाने हेतु कोई प्रशिक्षण दिया गया था।

(ग) इस्पात की अलमारियों का अनियमित क्रय

स्कीम के अन्तर्गत कार्यालय फर्नीचर का क्रय प्रतिबन्धित था। तथापि यह पाया गया कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड निधियों में से 46.74 लाख रु0 की लागत पर 3,810 इस्पात की अलमारियों का क्रय किया गया तथा इनकी विद्यालयों को आपूर्ति की गई।

(घ) समाचारपत्रों का क्रय

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा स्कीम के चरण I तथा II के अन्तर्गत आवृत्त 2,031 विद्यालयों को समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं की आपूर्ति हेतु मई 1988 तथा मार्च 1991 के मध्य दो फर्मों को 18.70 लाख रु0 का अग्रिम प्रदान किया गया। परन्तु विभाग द्वारा विद्यालयों को समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं की वास्तविक रूप में आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रक्रिया विकसित नहीं की गई। न ही उनको प्रदान किए गए अग्रिमों के समायोजन हेतु कोई लेखे प्राप्त किए गए। पांच खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनके नियन्त्रणाधीन किसी भी विद्यालय द्वारा समाचारपत्र तथा पत्रिकाएं प्राप्त नहीं की गई थी। खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, घुन्धन ने बताया कि

---

* बिलासपुर, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

दो मास तक समाचारपत्र प्राप्त किया गया और पत्रिका की केवल दो प्रतियां प्राप्त की गई।

इन तथ्यों को सरकार के ध्यान में अगस्त 1992 में लाया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

राजस्व विभाग

3.2 प्राकृतिक आपदाओं के कारण संकट से राहत

हिमाचल प्रदेश बाढ़, भूकम्पों, सूखा, अधिक वर्षा, ओलावृष्टि तथा भूस्खलनों जैसी प्राकृतिक आपदा प्रवृत हैं। ऐसी आपदाओ से प्रभावित लोगों के कष्ट को कम करने हेतु ऐसी आपदाओ के घटित होने के तुरन्त बाद उन्हें अनुग्रह राहत, तकावी ऋणों, भू-राजस्व की माफी, आदि के रूप में राहत प्रदान की जाती है। ऐसे लोगों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने हेतु राहत कार्य भी प्रारम्भ किए जाते हैं। ये कार्य राज्य सरकार के राजस्व, कृषि, उद्यान, सामान्य प्रशासन तथा लोक निर्माण विभागों द्वारा प्रारम्भ किए जाते हैं। राजस्व विभाग, तथापि एक केन्द्रीय विभाग के रूप में कार्य करता है।

वित्त आयुक्त एव सचिव (राजस्व) तथा सम्बन्धित उपायुक्त राहत उपायों के कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी हैं।

चार जिलों* में 1985-86 से 1991-92 के दौरान राहत उपायों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा द्वारा मई-जून 1992 में की गई। सामान्य समीक्षा के दौरान ध्यान में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का निम्नांकित परिच्छेदों में वर्णन किया जाता है:-

(क) अनुमानित हानियों तथा केन्द्रीय सहायता

वर्ष 1990-91 से पूर्व क्षतियों व हानियों के निर्धारणार्थ नियुक्त केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिशों पर आधारित भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओ से हुए कष्ट ही राहत हेतु सहायता प्रदान की जानी थी। वर्ष 1990-91 से आगे 9वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में प्रत्येक राज्य में एक आपदा राहत निधि सृजित की गई और हिमाचल प्रदेश में निधि को प्रतिवर्ष 18 करोड़ रु0 क्रेडिट किए जाने थे। वार्षिक क्रेडिट का निधियन केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जाता है। प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार द्वारा हानियों के अपने निर्धारण पर आधारित माग से निरन्तर कम थी।

---

* चम्बा, हमीरपुर, कुल्लू तथा ऊना।

1985-91 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई अनुमानित हानियों तथा मांगी गई और प्राप्त की गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

वर्ष फसल	आपदाओं की प्रकृति	कुल अनुमानित हानि	मांगी गई केन्द्रीय सहायता	प्राप्त की गई केन्द्रीय सहायता
		(लाख रुपयों में)		
1985 खरीफ	वर्षा, बाढ़ आदि	130.57	79.78	14.68
1986 -	भूस्खल	105.60	95.74	4.61
1986 रबी	वर्षा और बर्फ़	90.25	59.56	3.46
1986 खरीफ	सूखा और वर्षा	106.83	97.28	6.31
1987 रबी	वर्षा और ओलावृष्टि	108.56	65.74	9.36
1987 खरीफ	सूखा और बाढ़	286.58	276.59	19.03
1988 रबी	सूखा, ओला और वर्षा	86.13	80.89	--
1988 खरीफ	वर्षा आदि	347.54	286.89	33.40
1989 रबी	ओला, वर्षा आदि	105:39	101.36	10.78
1989 खरीफ	वर्षा आदि	181.69	140.22	--
1990 रबी	वर्षा आदि	101.08	--	13.50
1990 खरीफ	वर्षा आदि	129.93	--	--
1991 रबी	हिमपात आदि	108.59	--	13.50
1991 खरीफ	वर्षा आदि	50.72	--	13.50

आपात राहत संहिता के उपबन्धों के अनुसार, प्रथमत: प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को तुरन्त राहत प्रदान की जानी होती है। इसके पश्चात् राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक लाभग्राही द्वारा वास्तव में उठाई गई हानियों, उनकी अनुमानित लागत, पहले से भुगतान की गई तथा प्रस्तावित भुगतान की सीमा आदि विवरणों से युक्त सूचियां तैयार करनी अपेक्षित है।

इन उपबन्धों के विपरीत, प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानियों का केवल तदर्थ आधार पर निर्धारण किया गया। राजस्व विभाग द्वारा वास्तविक हानियों तथा प्रत्येक लाभग्राही को प्रदान की जाने वाली राहत की प्रकृति और सीमा को दर्शाने वाली सूचियां तैयार नहीं की गई और राहत प्रदान करने में लगे विभागों को इन की आपूर्ति नहीं की गई। इन ब्यौरों के अभाव में लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं था कि विभिन्न निष्पादन अभिकरणों द्वारा वास्तव में अभिप्रेत लाभग्राहियों को राहत प्रदान की गई थी।

(ख) बजट प्रावधान तथा व्यय

नीचे दी गई सारणी चार जिलों में वर्ष 1985-86 से 1991-92 के दौरान बजट प्रावधानों तथा किए गए व्यय को इंगित करती है:-

वर्ष	चम्बा		हमीरपुर		कुल्लू		ऊना	
	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
				(लाख रुपयों में)				
1985-86	104.76	94.61	46.00	63.97	64.62	64.20	19.00	16.07
1986-87	28.74	27.61	24.00	24.00	23.00	22.86	25.00	21.20
1987-88	75.50	73.96	44.70	46.85	48.45	45.04	51.00	49.66
1988-89	106.73	152.88	63.71	63.71	54.60	56.95	232.00	252.25
1989-90	35.00	35.00	5.25	5.25	21.00	22.20	10.00	9.22
1990-91	28.00	31.99	18.00	26.78	19.00	44.90	18.00	24.64
1991-92	51.66	33.31	20.00	20.00	24.44	46.00	32.43	21.78

(i) क्षतिपूर्ति हेतु प्रदान की गई 9.77 लाख रु0 की राशि की निधियां 1985-92 के दौरान अनियमित रूप से अन्य स्कीमों (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 9 वे वित्त आयोग के अन्तर्गत स्कीमें, चम्बा तथा हमीरपुर जिलों में चारे का क्रय तथा सामुदायिक विकास निर्माण कार्य) को अपवर्तित कर दी गई। खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा इस का कारण स्कीमों एवं कार्यक्रमों हेतु निधियों की अनुपलब्धता बताया गया।

(ii) क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों के पुन:स्थापन हेतु जिला राजस्व अधिकारी, कुल्लू द्वारा मार्च 1989 में कोषागार से 7 लाख रु0 आहरित किए गए। राशि को रोकड़वही में उसी दिन बैंक में जमा किया दिखाया गया था। परन्तु वास्तव में बैंक में राशि केवल जुलाई 1989 में जमा करवाई गई। लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों से राशि की प्रयुक्ति का ढंग सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(iii) जिला राजस्व अधिकारी, ऊना द्वारा विभिन्न राजस्व अधिकारियों को 1988-89 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त लोगों को संवितरण हेतु अग्रिम प्रदान की गई 1.47 करोड़ रु0 की राशि इन राजस्व अधिकारियों से विस्तृत लेखों की अप्राप्ति के कारण जून 1992 तक समायोजित नहीं की गई थी। ऐसी परिस्थितियों मे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अभिप्रेत लाभग्राहियों को वास्तव में राहत प्रदान की गई थी।

(iv) वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आय का व्यय हेतु उपयोग करना निषिद्ध है। तथापि यह पाया गया कि वर्ष 1985-86 से 1991-92 के दौरान चार जिलों में बैंकों एवं डाकघरों में जमा राशि पर ब्याज के रूप में अर्जित 40.80 लाख रु0 में से 9.94 लाख रु0 का इन जिलों में विभिन्न निर्माण कार्यों को पूर्ण करने, स्टाफ की मजदूरियों का भुगतान, पेट्रोल तथा लेखन-सामग्री के क्रय पर उपयोग किया गया। ब्याज-आय की शेष राशि (30.86 लाख रु0) को सरकारी लेखे में भी जमा नहीं करवाया गया था और वह बैंकों एवं डाकघरों में पड़ी रही।

(ग) रोजगार उत्पादन

राहत प्रयासों का उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार एवं जीविका प्रदान करना था। राहत कार्यों पर किए गए व्यय के आधार पर चार जिलों में 1985-92 के दौरान रोजगार के 19,85,838 श्रम दिवस उत्पादित किए जाने थे। परन्तु इस अवधि में केवल 14,26,396 व्यक्तियों (72 प्रतिशत) को रोजगार प्रदान किया गया। रोजगार उत्पादन में कमी के कारण नही बताए गए।

सरकार ने अक्तूबर 1982 में आदेश जारी किए कि सूखा-राहत हेतु निधियों का प्रयोग विपत्ति ग्रस्त लोगों के लिए रोजगार-उत्पादन पर किया जाये तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन सरकारी विभागों या खण्ड अभिकरणों/पंचायतों के माध्यम से करवाया जाये।

इन अनुदेशों के प्रतिकूल, 15.09 लाख रु0 की लागत के 47 राहत कार्यों को अनियमित रूप से चम्बा (46 निर्माण कार्य: 13.76 लाख रु0) तथा हमीरपुर (1 निर्माणकार्य: 1.33 लाख रु0) में संविदाकारों के माध्यम से करवाया गया।

नमूना-जांच किए गए चार जिलों में राहत कार्यों के निष्पादन हेतु इस संदर्भ में उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए 1985-86 से 1991-92 की अवधि के दौरान नगरपालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों को 19.95 लाख रु0* का भुगतान किया गया।

(घ) निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब

भारत सरकार के दिशा निदेशों के अनुसार जिन निर्माण कार्यों को कम से कम अवधि में पूर्ण किया जा सकता था उनका निष्पादन प्रारम्भ किया जाए। तथापि 1985-91 के दौरान चार जिलों में निष्पादन हेतु प्रारम्भ किए गए 3,887 निर्माण कार्यों में से 3,689 कार्यों को 450.65 लाख रु0 की लागत पर 3 से 18 मास के बाद पूर्ण किया गया। शेष 198 निर्माण कार्यों को, जिन पर 18.67 लाख रु0 का व्यय किया जा चुका था जून 1992 तक पूर्ण नहीं किया गया था और जिनके निष्पादन हेतु लगा समय 9 से 18 मास तक था जो निधियों की अनुपलब्धता या भू-विवादों आदि के कारण था। इन परिस्थितियों में पहले से व्यय की गई निधियां अनुत्पादक रही।

(ङ.) अनुग्रह राहत का असंवितरण

अनुग्रह राहत संस्वीकृत करने का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के घटित होने के तुरन्त पश्चात् पीड़ितों को राहत प्रदान करना था। तथापि यह पाया गया कि 1985-92 के दौरान कुल्लू तथा ऊना जिलों के 1,531 पीड़ितों को राहत के रूप में 30.67 लाख रु0 का भुगतान एक मास तथा दो वर्ष से अधिक के विलम्ब से किया गया। उप-मण्डलीय अधिकारी (सिविल) चम्बा द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की प्रारम्भिक पहचान के आधार पर 1990-91 (1.22 लाख रु0) तथा 1991-92 (4.25 लाख रु0) के दौरान आहरित किए गए 5.47 लाख रु0 की अनुग्रह राहत 460 लाभग्राहियों को जून 1992 तक संवितरण नहीं की गयी थी क्योंकि उनके पते-ठिकाने ज्ञात नहीं थे।

(च) बिना प्राक्कलनों के निर्माण कार्यों का निष्पादन

विभिन्न राहत कार्यों के प्रारम्भ किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत प्राक्कलनों को तैयार तथा अनुमोदित करना अपेक्षित था। उप-मण्डलीय अधिकारियों (सिविल), तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों आदि द्वारा वृत्त पटवारियों के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों में निर्माण कार्यों का निष्पादन करवाया गया। ये अभिकरण ऐसे निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु

---

* चम्बा : 13.38 लाख रु0; हमीरपुर : 1.13 लाख रु0; कुल्लू : 3.20 लाख रु0 तथा ऊना: 2.24 लाख रु0

तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं थे। नमूना-जांच किए गए जिलों में 108 लाख रु0 की लागत के 329 निर्माण कार्यों को प्राक्कलनों के तैयार एवं अनुमोदित किए बिना 1985-86 तथा 1991-92 के मध्य निष्पादित किया गया।

(छ) लाभग्राहियों को अनियमित भुगतान

ऐसे क्षेत्रों में जहां सूखे के कारण जल स्रोत सूख गए थे, टैंकरों, ट्रकों तथा यातायात के अन्य साधनों के द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति करनी थी।

इन दिशानिर्देशों के बावजूद उप-मण्डलीय अधिकारी (सिविल), आनी द्वारा तहसीलदार, निरमण्ड के माध्यम से 2,014 लाभग्राहियों को उसके द्वारा परम्परागत जल-स्रोतों से उनके घरों को 2 रु0 प्रति कनस्तर की दर पर पानी ले जाने के लिए 1985-86 के दौरान 2.41 लाख रु0 का भुगतान किया गया, यद्यपि यह क्षेत्र सम्बद्ध अवधि के दौरान सूखे से प्रभावित नहीं था। क्योंकि ये व्यक्ति केवल सामान्य परिस्थितियों में साधारण जल-स्रोतों से स्वय पानी लाते थे अत: भुगतान अनुचित तथा अनियमित थे।

(ज) अनियमित व्यय

(i) भारत सरकार के मार्ग दर्शिकाओं के अनुसार राहत उपायों के कार्यान्वयन में क्षतिग्रस्त सड़कों, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों, जलापूर्ति स्कीमों आदि और राज्य विद्युत बोर्ड, सड़क परिवहन निगम आदि की सम्पति की मरम्मत व पुन: स्थापना पर बल दिया जाना था। तथापि किसी भी मूल निर्माण कार्य का निष्पादन नहीं किया जाना था। परन्तु चार जिलों में से तीन* में 434 नए निर्माण कार्यों के निष्पादन पर 1987-89 के दौरान 55.09 लाख रु0 व्यय किए गए। फिर इस सदर्भ में आदेशों का उल्लघन करते हुए 1985-92 के दौरान चार जिलों में 14.51 लाख रु0 की लागत पर 19 राजस्व विश्राम गृहों/कुटियों का निर्माण किया गया।

(ii) राहत कार्यों का निष्पादन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाना

---

* हमीरपुर : 18 निर्माणकार्य (2.69 लाख रु0); कुल्लू: 306 निर्माणकार्य (36.49 लाख रु0) तथा ऊना: 110 निर्माण कार्य (15.91 लाख रु0

था। तथापि चार जिलों* के शहरी क्षेत्रों में 1985 से 1992 के दौरान राहत कार्यों के निष्पादन पर 22.56 लाख रु० का अनियमित रूप से व्यय किया गया।

(घ) तिरपालों की आपूर्ति पर हानि

उपायुक्त, ऊना ने वर्ष 1988-89 के दौरान 517 तिरपालों (लागत: 4.01 लाख रु०) का क्रय किया। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को अस्थायी शरणागृहों के रूप में प्रयोग करने हेतु 1988-89 (503) तथा 1990 (14) में ये तिरपालें जारी की गईं। इन व्यक्तियों द्वारा अपने घरों के निर्माण/मरम्मत के बाद तिरपालों को लौटाना अपेक्षित था। परन्तु जून 1992 तक ये तिरपालें लाभग्राहियों से वापिस प्राप्त नहीं हुई थीं। मामले की जांच नहीं की गई थी।

(ङ) चारे की आपूर्ति

जिला हमीरपुर में 0.68 लाख रु० की लागत के 1,304 क्विंटल भूसे की अनियमित रूप से शहरी क्षेत्रों को आपूर्ति की गई, जबकि इसकी आपूर्ति केवल ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी थी।

पुन: हमीरपुर तथा ऊना जिलों में खुले में संगृहीत 0.63 लाख रु० मूल्य का 475 क्विंटल भूसा तथा 0.04 लाख रु० की लागत का 14 क्विंटल घास 1988-89 के दौरान वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें से 171 क्विंटल भूसे की जिला ऊना में 0.06 लाख रु० में निलामी कर दी गई। शेष क्षतिग्रस्त भूसा तथा घास अप्रयुक्त पड़े थे।

इन तथ्यों को सितम्बर 1992 में सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

3.3 कानूनगो कुटीर का निर्माण

कानूनगो** को कार्यालय तथा निवासीय आवास प्रदान करने के उद्देश्य से योजना में कानूनगो कुटीर के निर्माणार्थ उपायुक्त किन्नौर द्वारा सितम्बर 1987 में अतिरिक्त उपायुक्त, पूह के अधिकार में एक लाख रु० रखे गए। राशि को निजी लेखे खाते में जमा कराने की बजाये डाकखाना बचत खाते में अनियमित रूप से जमा करवाया गया।

---

* चम्बा: 6.15 लाख रु०; हमीरपुर: 9.05 लाख रु०; कुल्लू: 3.51 लाख रु० तथा ऊना: 3.85 लाख रु०

** राजस्व अधिकारी

कार्य एक लाख रु0 की लागत पर एक ठेकेदार को मार्च 1989 में प्रदान किया गया। इसे अप्रैल 1989 तक पूर्ण किया जाना अनुबन्धित था। ठेकेदार के साथ किए गए करारनामे के अनुसार किए गए कार्य के लिए भुगतान प्रत्येक 0.25 लाख रु0 की चार बराबर किश्तों में (i) स्थल विकास, (ii) कुर्सी समतल तक कार्य, (iii) छत के समतल तक कार्य और (iv) कुटीर की समस्त पूर्णता पर विमुक्त किया जाना था। इन प्रावधानों के बावजूद, उसे दिए गए कार्य की प्रत्याशा में ही ठेकेदार को मई 1988 (0.25 लाख रु0) तथा सितम्बर 1988 (0.25लाख रु0) में 0.50 लाख रु0 का भुगतान किया गया।

ठेकेदार ने जून 1989 तक खिड़कीं के समतल तक कार्य पूर्ण किया। जब हिमपात के कारण कुटीर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं तो उसके बाद ठेकेदार ने कोई कार्य निष्पादित नहीं किया। फिर भी जुलाई 1990 में उसे 0.30 लाख रु0 राशि का और भुगतान किया गया।

इस प्रकार ठेकेदार को अनियमित रूप से अग्रिम भुगतानों के रूप में कुल 0.80 लाख रु0 का अनुचित लाभ दिया गया। कार्य भी जुलाई 1992 तक अपूर्ण पड़ा रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे अक्तूबर 1990 में इंगित किए जाने पर मण्डल आयुक्त, शिमला को सरकार द्वारा अगस्त 1992 में मामले की विस्तृत छानबीन करने तथा अग्रिमों के अनियमित भुगतान हेतु दायित्व निर्धारित करने और राशि की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 1992)।

मत्स्य विभाग

3.4 राष्ट्रीय मत्स्य सन्तति फार्म, मिलवां

भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 100 लाख अंगुलिक मछली के उत्पादन हेतु मिलवां (जिला कांगड़ा) में 39 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर 10 हेक्टेयर क्षेत्र में मत्स्य सन्तति एवं अण्डज सन्तति फार्म के प्रतिष्ठापन की सितम्बर 1982 में संस्वीकृति दी गई। इसमें से 24.36 लाख रु0 के व्यय की पूर्ति ऋण के रूप में भारत सरकार द्वारा की जानी थी तथा शेष व्यय राज्य सरकार ने अपने स्वयं के स्रोतों से पूरा करना था। समस्त केन्द्रीय सहायता 1982-86 के दौरान विमोचित कर दी गई।

फार्म वित्तीय वर्ष 1984-85 की मत्स्य प्रजनन ऋतु (जून से

(तकनीकी), मत्स्य कर्मियों इत्यादि) को 1985-86 से ही नियुक्त किया गया। उनके वेतन एवं भत्तों, कार्यालयों खर्चों, आदि पर मार्च 1992 तक कुल 19.42 लाख रु0 व्यय किए गए।

इस प्रकार पर्याप्त भू-जांच पर आधारित उपयुक्त स्थल के चुनाव को सुनिश्चित करने में विफलता फार्म की स्थापना पर किए गए 45.22 लाख रु0 के व्यय को निष्फल करते हुए 8 वर्षों के पश्चात् भी परियोजना की अपूर्णता तथा अभिप्रेत उद्देश्यों की अप्राप्ति में परिणत हुई। पर्याप्त समय सीमा के बढ़ जाने तथा 1988 के पश्चात् कार्यों के स्थगन के सन्दर्भ में लोक निर्माण विभाग द्वारा 1983-84 के दौरान तैयार किए गए आंकलन भी वैध नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता से अधिक भूमि अर्जन, मछलियों के पालन- पोषण हेतु झील के दोहन करने में विफलता तथा काफी पहले कर्मियों की नियुक्ति पट्टा किराया तथा स्थापना खर्चों के कारण परिहार्य आवर्ती व्यय में परिणत हुई।

मामला सरकार को सितम्बर 1992 में संदर्भित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

3.5 पुनः स्थापन कार्यों पर अनुत्पादक व्यय

3.60 टन विपणन योग्य मछली के उत्पादन हेतु 1961-62 के दौरान मत्स्य सन्तति फार्म, देवली (जिला बिलासपुर) में पोषक नाली सहित एक तालाब (क्षेत्र: 0.09 हेक्टेयर) निर्मित किया गया। अगस्त 1971 के दौरान तालाब बाढ़ों से क्षतिग्रस्त हो गया। सरकार द्वारा 3.29 लाख रु0 (मार्च 1979 में 5.62 लाख रु0 को संशोधित) की अनुमानित लागत पर इसके पुनः स्थापन का प्रशासनिक रूप से अनुमोदन मार्च 1972 में किया गया।

तालाब का पुनः स्थापन जो सितम्बर 1973 में आरम्भ हुआ, लोक निर्माण विभाग द्वारा 5.44 लाख रु0 की लागत से दिसम्बर 1980 में पूरा किया गया। पुनः स्थापन कार्यों की पूर्णता में 9 वर्षों से अधिक समय के विलम्ब के कारण मत्स्य विभाग के अभिलेखों से सुनिश्चित नहीं हो सके। इन कार्यों की पूर्णता पर भी तालाब प्रयोगकर्ता विभाग को नहीं सौंपा जा सका क्योंकि इसमें अत्यधिक रिसाव उत्पन्न हो गए। अक्तूबर 1981 और जून 1986 के बीच 0.52 लाख रु0 की लागत से आवश्यक उपचारी उपायों के पूरा किए जाने पर तालाब जुलाई 1986 में अन्ततः मत्स्य विभाग के सुपुर्द कर दिया गया।

तथापि उसके पश्चात् भी मछली पालन हेतु तालाब का प्रयोग नहीं किया जा सका। इसका कारण 1986 के दौरान ग्रामीणों द्वारा पोषक नाली से पानी के बहाव पर उठाई गई आपत्तियां बताया गया जिसका आधार यह कि भूमि के उस भाग को जिसके बीच से नाली गुजरती थी, 1961-62 के दौरान उसके आरम्भिक निर्माण के समय सरकार द्वारा यथाविधि अर्जित नहीं किया गया था। उसके बाद विवादग्रस्त भूमि के औपचारिक अधिग्रहण हेतु जनवरी 1988 में एक अधिसूचना जारी की गई। अक्तूबर 1992 तक भू-अर्जन अधिकारी का अधिनिर्णय प्रतीक्षित था।

विवादग्रस्त भूमि के अनधिग्रहण के कारण जिसका अधिग्रहण आरम्भ में ही किया जाना चाहिए था, यथा परिकल्पित विपणनयोग्य मछली-पालन हेतु तालाब का प्रयोग नहीं किया जा सका। परिणामत: तालाब व उसकी मरम्मत पर किया गया 5.96 लाख रु0 का व्यय दिसम्बर 1980 (5.44 लाख रु0)/जुलाई 1986 (0.52 लाख रु0) से अनुत्पादक रहा। सम्बद्ध अवधि के दौरान प्रभावी गोबिन्दसागर मत्स्य सहकारिता विपणन तथा आपूर्ति संघ सीमित के थोक मूल्यों पर आधारित अगस्त 1986 से अक्तूबर 1992 के दौरान 22.5 टन विपणन योग्य मछली के अपालन के कारण कुल 3.42 लाख रु0 के राजस्व की हानि हुई।

मामला सरकार को सितम्बर 1992 में संदर्भित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

वन कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग

3.6 सड़क निर्माण पर निष्फल व्यय

1979-80 तथा 1989-90 के मध्य वन कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग द्वारा चौपाल से पबास तक 16 किलोमीटर लम्बी सड़क के निर्माण हेतु सरकार ने प्रत्येक संस्वीकृति को वार्षिक रूप से आबंटित निधियों तक सीमित करते हुए कुल 18.39 लाख रु0 की खण्डश: 11 संस्वीकृतियां जारी की। सड़क इकों द्वारा वनोत्पाद के परिवहन को सुगम बनाने के लिए अभिप्रेत थी और इससे चौपाल तहसील (जिला शिमला) के अगम्य क्षेत्र में रहने वाले 25,000 लोगों की आबादी को लाभ होने की आशा थी।

वन मण्डल अधिकारी, चौपाल द्वारा अप्रैल 1979 में कार्य आरम्भ किया गया। 1988-89 तक 10.190 किलोमीटर (0/0 कि0मी0 से 10/190 कि0मी0 तक) के फासले का निर्माण पूरा किया गया परन्तु

सितम्बर 1988 के दौरान भारी वर्षा के कारण 0/0 कि0मी0 से 6/500 कि0 मी0 तक का भाग क्षतिग्रस्त हो गया और इसकी अक्तूबर 1992 तक मरम्मत की जानी बाकी थी। वन मण्डल अधिकारी द्वारा इस कारण 3.70 लाख रु0 की हानि का अनुमान लगाया गया। शेष भाग (10/190 कि0मी0 से 16 कि0मी0 तक) पर कार्य प्रगति पर था और अक्तूबर 1992 तक केवल 12/0 कि0मी0 तक टुकड़ों में पूरा किया गया था। तथापि चट्टानी भू-भाग से गुजरने वाली 10/190 कि0मी0 से 12 कि0मी0 के मध्य सड़क के कुछ भागों को कथित रूप से विस्फोट हेतु विस्फोटकों की अनुपलब्धता के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

परिणामतः सड़क का कोई भी भाग वाहन यातायात हेतु नहीं खोला गया था और वनोत्पाद केवल श्रमिकों द्वारा ढोया जा रहा था और मार्च 1992 तक कार्य पर 19.70 लाख रु0 का किया गया व्यय निष्फल हो गया था। वन मण्डलाधिकारी, चौपाल ने अक्तूबर 1992 में स्वीकार किया कि मण्डल के पास भारी वाहनों के संचलन से अभिप्रेत सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक संरचनात्मक ढांचा नहीं था।

सरकार को मामला जुलाई 1992 में संदर्भित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

3.7 गड्ढों/भू-खण्डों की खुदाई पर निरर्थक व्यय

वन क्षेत्रों में पौधारोपण हेतु वार्षिक परिचालन योजना वन मण्डल अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है और अरण्यपाल द्वारा अनुमोदित की जाती है। वार्षिक परिचालन योजना में परिकल्पित लक्ष्य क्षेत्र के रूप में प्रकट किए जाते हैं, जबकि पौधारोपण हेतु खोदे जाने वाले गड्ढों तथा भू-खण्डों की संख्या मण्डल के क्षेत्रीय स्टॉफ द्वारा स्थल की स्थितियों के आधार पर निर्णीत की जाती है। मौसम विशेष में पौधारोपणार्थ प्रयुक्त न किए गए ऐसे गड्ढे तथा भू-खण्ड अनुवर्ती मौसम में रोपित किए जा सकने वाले बन्दोबस्त वृक्षों से पूर्व साधारणतया पुनः खोदे जाते हैं जिसमें अतिरिक्त व्यय अन्तर्ग्रस्त होता है।

1991-92 के दौरान गड्ढों तथा भू-खण्डों की खुदाई से सम्बन्धित 6 वन मण्डलों* के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि इन मण्डलों के अधीन कुछ वन क्षेत्रों में 1988-91 के दौरान खोदे गए गड्ढे

---

* चौपाल, कोटगढ़, निचार, पूह, रामपुर तथा रोहड़ू

तथा भू-खण्ड उसी मौसम में पौधारोपण हेतु पूर्णतया प्रयुक्त नहीं किए गए थे जैसा नीचे दिखाया गया है:-

वर्ष	गड्ढों/भू-खण्डों की संख्या		
	खोदे गए	पौधारोपण हेतु प्रयुक्त	अप्रयुक्त
		(लाखों में)	
1988-89	0.87	0.35	0.52
1989-90	1.41	0.19	1.22
1990-91	3.12	1.38	1.74
योग	5.40	1.92	3.48

इस प्रकार केवल 36 प्रतिशत गड्ढे तथा भू-खण्ड प्रयुक्त किए गए और शेष 3.48 लाख गड्ढों तथा भू-खण्डों पर किए गए 3.28 लाख रु0 के व्यय से अभिप्रेत उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खोदे गए 5.40 लाख गड्ढों तथा भू-खण्डों में से 2.55 लाख गड्ढे/भू-खण्ड कोटगढ़ मण्डल से सम्बन्धित थे जिसमें से केवल 0.47 लाख गड्ढे/भू-खण्ड प्रयुक्त किए गए। शेष 2.08 लाख गड्ढे/भू-खण्डों में से 0.53 लाख रु0 खर्च करके नए सिरे से खोदने के पश्चात् अनुवर्ती मौसम में 0.96 लाख (व्यय: 0.75 लाख रु0) प्रयुक्त किए गए।

गड्ढों/भू-खण्डों की काफी अप्रयुक्ति के सन्दर्भ में यह प्रतीत होगा कि स्थल स्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विशेष में रोपित किए जाने वाले बीजोत्पादन वृक्षों की संख्या का उचित निर्धारण किए बिना यह खोदें गए थे। यह वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक गड्ढों/भू-खण्डों को खोदने में परिणत हुआ जिससे कोटगढ़ मण्डल में अनुवर्ती मौसम में प्रयुक्त किए गए को हिसाब में लेकर 2.53 लाख रु0 का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त इन में से कुछ गड्ढों/भू-खण्डों की दुबारा खुदाई पर 0.53 लाख रु0 परिहार्य अतिरिक्त व्यय भी किया गया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर वन मण्डल अधिकारी, निचार ने बताया (अक्तूबर 1992) कि उसके मण्डल के विभिन्न वन क्षेत्रों में अप्रयुक्त गड्ढों/भू-खण्डों में से नवम्बर 1990 में 0.02 लाख रु0 की लागत

से खोदे गए **2850** गड्ढे भू- स्खलनों तथा बाढ़ों के बाद बह गए और परिक्षेत्र अधिकारियों को मार्च **1992** में यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि शेष गड्ढे/भू-खण्ड आवश्यकतानुसार पुन: खोदने के पश्चात् प्रयुक्त कर लिए जाएं। उसने यह भी बताया कि **3** परिक्षेत्रों में गड्ढों/भू-खण्डों की अधिक खुदाई के लिए जिम्मेदार सम्बन्धित कर्मचारियों से मार्च **1992** में **0.10** लाख रु० की राशि को वसूल करने के आदेशानुसार अक्तूबर **1992** तक **0.03** लाख रु० की राशि वसूल हो चुकी थी।

वन मण्डल अधिकारी ने नवम्बर **1992** में पुन: बताया कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित मामलों में न तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खुदाई परिचालनों के पश्चात निरीक्षण हेतु कोई पद्धति थी और न ही निरीक्षण किए गए।

इसी प्रकार वन मण्डल अधिकारी कोटगढ़ द्वारा अक्तूबर **1992** में सम्बन्धित कर्मचारियों से **0.04** लाख रु० की वसूली के आदेश भी दिए गए थे। वसूली के विवरण प्रतीक्षित थे (दिसम्बर **1992**)।

अन्य **4** मण्डलों द्वारा की गई कार्रवाई अक्तूबर **1992** तक सूचित नहीं की गई थी।

यह आवश्यक है कि सरकार गड्ढों तथा भू-खण्डों की खुदाई की पद्धति को सुप्रवाहित करे और उसकी अनुपालना को सुनिश्चित करे जिससे उसी मौसम में प्रयुक्त न किए गए गड्ढों और भू-खण्डों पर निष्फल व्यय का परिहार हो जाए। खुदाई कार्यों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उचित पर्यवेक्षण की पर्याप्त तथा सही आवश्यकता पर भी बल दिया जाए।

सरकार को मामला जुलाई **1992** में संदर्भित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर **1992**)।

3.8 वन-विज्ञान मण्डल, शिमला का कार्यचालन

भू-संरक्षण निदेशालय का वन कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग में विलय और वन विभाग के पुनर्गठन के पश्चात इस क्षेत्र में प्रायोगिक अनुसधान करने तथा क्षेत्र प्रयोगों को भी संचालित करने के लिए मई **1984** में वन-विज्ञान मण्डल, शिमला का सृजन किया गया। इस मण्डल ने देश में विभिन्न अनुसन्धान संस्थानों के साथ समन्वय अभिकरण के रूप में भी कार्य करना था। मण्डल में **42** क्षेत्रीय तथा **10** लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की

सहायता से एक वन मण्डल अधिकारी कार्य कर रहा था।

मण्डल द्वारा अपने कर्मियों के वेतन एवं भत्तों और स्थापना तथा नर्सरियों के अनुरक्षण व अन्य संरचनात्मक सुविधाओ पर आरम्भ से किए गए व्यय निम्नलिखित थे:-

वर्ष	वेतन तथा भत्तों पर व्यय	सुविधाओ के स्थापन तथा अनुरक्षण पर व्यय	जोड़
		(लाख रुपए)	
1984-85	4.86	0.84	5.70
1985-86	8.56	0.50	9.06
1986-87	8.49	2.09	10.58
1987-88	11.73	2.35	14.08
1988-89	14.17	3.72	17.89
1989-90	20.04	2.88	22.92
1990-91	18.99	1.45	20.44
1991-92	21.67	11.99*	33.66
योग	108.51	25.82	134.33

मण्डल के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय का प्रभाव-क्षेत्र विभिन्न सुविधाओ के सृजन तथा अनुरक्षण पर किए गए व्यय से उल्लेखनीय रूप से अधिक था तथा इस अवधि में मण्डल के कुल व्यय का 81% था।

मण्डल के अप्रैल 1989 को मार्च 1991 तक की अवधि से सम्बन्धित लेखाओ की नवम्बर 1991 में नमूना-जांच से निम्न उद्घाटित हुआ:-

(क) नर्सरियों की स्थापना

क्षेत्र स्थितियों में वानिकी किस्मों के प्रचार हेतु पौधरोपण के मानक प्रणाली विज्ञान तथा तकनीकी को विकसित करने के लिए अनुसन्धान करने

* बीज जांच प्रमाणीकरण तथा विधायन प्रयोगशाला, पालमपुर के निर्माणार्थ 2.35 लाख रु0 तथा हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को अपेक्षित विद्युत भार हेतु 3.50 लाख रु0 सहित।

हेतु मण्डल द्वारा राज्य में सत्रह नर्सरियाँ स्थापित की गई। इन नर्सरियों को शुरू करने से पहले कोई सर्वेक्षण अथवा वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया था। नर्सरियाँ वन रक्षकों के पर्यवेक्षणाधीन दैनिक वेतन भोगी अस्थायी मजदूरों द्वारा अनुरक्षित की जा रही थी जो तकनीकी रूप से अयोग्य थे जैसा कि स्कीम में परिकल्पित था। वन मण्डल अधिकारी के अनुसार **1989-90** तक अनुसन्धान कार्यकलाप केवल "प्रयोग तथा परीक्षण" पर कार्यान्वित किए गए। जबकि **1984-92** के दौरान नर्सरियों पर **16.47** लाख रु० का कुल व्यय किया गया परन्तु **1990-91** के दौरान केवल **10** समस्यात्मक सामाजिक आवश्यकता पर आधारित किस्मों पर अनुसंधान शुरू किया गया। तथापि, अगस्त **1992** तक किसी किस्म की प्रोद्योगिकी विकसित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष पौधों/किस्मों की वृद्धि, विकास तथा व्यवहार के विषय में कोई सांख्यिकीय अभिलेख अथवा आंकड़े या इन नर्सरियों में आरम्भ किए गए अध्ययनों पर आधारित अनुसन्धान पत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए।

(ख) बीज प्रमाणीकरण इकाई

(i) विभिन्न उन्नतांशीय अंचलों में अभिज्ञात किए जाने वाले चुनिंदा वन क्षेत्रों (बीज की खड़ी फसल) से अत्युत्तम कोटि के बीज के संग्रहण और अनुवर्ती अल्प बीज वर्ष के दौरान वितरण हेतु उनके विधायन, प्रमाणीकरण और भण्डारण हेतु इंडो-डेनिश परियोजना के अन्तर्गत **1981** में सोलन में एक बीज प्रमाणीकरण इकाई की स्थापना की गई। जून **1984** में इस इकाई को वन-विज्ञान मण्डल में विलीन कर दिया गया और जुलाई **1990** में शिमला को विस्थापित कर दिया गया। तथापि मण्डल ने **3.50** लाख रु० के व्यय से अन्तर्गस्त केवल शंकुधारी किस्म की बीज की खड़ी फसल के चयन तक अपने क्रिया-कलाप सीमित रखे और कोई बीज प्रमाणीकरण नहीं किया गया। बीजों के संग्रहण या रोपण के लिए किसी प्रादेशिक मण्डल को उनके वितरण के ब्यौरे दर्शाने वाले अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए।

(ii) वन मण्डल अधिकारी, शिमला द्वारा शिमला में वन-विज्ञान मण्डल के लिए एक शीत भण्डार सहित **1988-89** के दौरान **6.00** लाख रु० की लागत से निर्मित एक बीज प्रमाणीकरण इकाई आवश्यक 3-फेस विद्युत कनैक्शन के अभाव के कारण तत्काल पश्चात चालू नहीं की गई थी। राज्य विद्युत बोर्ड से 3-फेस विद्युत कनैक्शन प्रदान करने के लिए केवल **1990-91** में सम्पर्क किया गया और नवम्बर **1991** में बोर्ड के पास **3.50** लाख रु० की राशि जमा करवाई गई। जबकि विद्युत कनैक्शन अगस्त **1992** में दिया गया, प्रयोगशाला अक्रियाशील ही चलती रही क्योंकि शीत भण्डार हेतु अपेक्षित

परिचालन स्टाफ उपलब्ध नहीं करवाया गया था। परिणामस्वरूप, प्रयोगशाला में कोई बीज प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका न ही बीजों को शीत भण्डारण में भण्डारित किया जा सका। इसके अतिरिक्त, बीज प्रमाणीकरण इकाई हेतु 0.77 लाख रु0 की लागत से मार्च 1989 में पृथक् रूप से क्रय की गई मशीनरी तथा उपकरण भी अप्रयुक्त पड़े थे तथा 1989-92 के दौरान प्रयोगशाला के लिए अनन्य रूप से नियुक्त एक वन संरक्षक के वेतन एवं भत्तों पर किया गया 0.76 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा ।

(ग) मण्डल के कर्मियों की नियुक्ति

भारतीय वन अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून ने सितम्बर 1989 में सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि अनुसन्धान मण्डलों में केवल अनुसन्धान में अभिरुचि रखने वाले उपयुक्त वन अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाए और ऐसे अधिकारियों को अधिक से अधिक सम्भव वर्षों तक परन्तु पांच वर्षों से कम समय न हो, अनुसंधान पदों पर ही बनाए रखना चाहिए क्योंकि वानिकी अनुसंधान जारी रखना महत्वपूर्ण है।

तथापि यह देखा गया कि 1984-85 से अगस्त 1992 तक नौ अधिकारियों ने मण्डल का कार्यभार सम्भाला और इस प्रकार कर्मियों की निरन्तरता सुनिश्चित नहीं की गई।

ये तथ्य सितम्बर 1992 में सरकार के ध्यान में लाए गए थे। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992) ।

कृषि विभाग

3.9 बीज संवर्धन फार्म के प्रतिष्ठापन पर निष्फल व्यय

बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के निष्पादन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समिति ने सभी प्रकार के बीजों के उत्पादन हेतु स्थिति क्षेत्र में बड़े बीज संवर्धन फार्म की स्थापना की सम्भावना खोजने के लिए मार्च 1988 में विभाग को निर्देश दिए। उस समय कृषि निदेशक ने भी विचार व्यक्त किया कि अनुकूल मौसमी स्थितियों के कारण क्षेत्र में उत्पादित बीजों की किस्म बहुत अच्छी होगी और विभाग भी राज्य के कृषकों की समस्त बीज आवश्यकताओं को पूरा करने तथा फालतू उत्पाद राज्य बीज निगम को आपूरित करने की स्थिति में होगा।

विस्तृत सर्वेक्षणों तथा जांच पर आधारित इस उद्देश्यार्थ कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया। तथापि निदेशक ने सहायक परियोजना अधिकारी, काजा को अतिरिक्त उपायुक्त, काजा के परामर्श से यह सुनिश्चित

करने के पश्चात् कि चयनित स्थल के समीप फार्म की सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध होगा, उपयुक्त स्थल चुनने के लिए आवश्यक पग उठाने के विषय में मार्च 1988 में अनुदेश जारी किए।

तदनुसार सहायक परियोजना अधिकारी ने अतिरिक्त उपायुक्त के परामर्श से रंगरिक में 64 हेक्टेयर का एक क्षेत्र चुना। लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख यह इंगित नहीं करते थे कि क्या स्थल चयन से पूर्व पर्याप्त जल की उपलब्धता सम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण अथवा जांच की गई थी। इसके बजाय स्थल का चयन इस परिकल्पना पर किया गया था कि फार्म की सिंचाई हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के रंगतांग जलाशय के अतिरेक जल के उपयोग से की जाएगी। तथापि इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से कोई लिखित या मौखिक आश्वासन प्राप्त नहीं किया गया।

बीज सबर्धन फार्म 4.94 लाख रु0 की लागत से मई 1989 में रंगरिक में स्थापित किया गया। तथापि 1989-90 से 1991-92 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान (1989-90: एक हेक्टेयर; 1990-91 तथा 1991-92: प्रति वर्ष 2 हेक्टेयर) केवल नगण्य क्षेत्र ही कृषि के अधीन लाया जा सका। इस छोटे से क्षेत्र में भी लगाई गई फसल विफल हुई क्योंकि जैसा कि परिकल्पित था खेतों को सींचने के लिए किसी अतिस्राव की अनुपस्थिति में रोंगटोंग जलाशय से जल उपलब्ध नहीं था। इन परिस्थितियों में इन तीन वर्षों के दौरान फार्म में केवल 0.03 लाख रु0 मूल्य के बीज का ही उत्पादन किया जा सका। दूसरी ओर इस अवधि के दौरान फार्म के परिचालन पर कुल 4.42 लाख रु0 (वेतन तथा मजदूरी: 4 लाख रु0; क्रय: 0.42 लाख रु0) का राजस्व व्यय किया गया।

पर्याप्त सर्वेक्षणों अथवा जांच या राज्य विद्युत बोर्ड के परामर्श पर आधारित, विभाग की चुनिंदा स्थल पर फार्म स्थापित करने से पूर्व सिंचाई हेतु पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की विफलता कुल 9.36 लाख रु0 के पूंजी तथा राजस्व व्यय अधिकतया निष्फल तथा अभिप्रेत उद्देश्यों की अप्राप्ति में परिणत हुआ।

सरकार को मामला अगस्त 1992 में संदर्भित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

3.10 फिल्म पर निष्क्रिय निवेश

विभाग ने राज्य में उगाए आलू के बीज को लोकप्रिय करने के

उद्देश्य से अगस्त 1989 में 2.50 लाख रु० की लागत पर एक हिन्दी वृत चित्र ("आलू का बीज") प्राप्त किया। किन्तु फिल्म को जुलाई 1992 तक भी प्रदर्शित नहीं किया गया था जो 2.50 लाख रु० के निष्क्रिय निवेश तथा अभिप्रेत उद्देश्य की अप्राप्ति में परिणत हुई।

विभाग ने बताया (जुलाई 1992) कि फिल्म को 1 लाख रु० की अनुमानित लागत से बीज आलू उपयोग करने वाले राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं में डब करना था जिसे निधियों के अभाव के कारण नहीं किया जा सका। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म सरकार द्वारा लगाए गए मितव्ययी उपायों के कारण उन बीज आलू उपयोग करने वालें राज्यों में प्रदर्शित नहीं की जा सकतीं थी जहाँ हिन्दी कार्यालय/प्रादेशिक भाषा थी।

सरकार को मामला अगस्त 1992 में सन्दर्भित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

3.11 ब्याज की अवसूली

भारत सरकार के सीमेंट नियंत्रक द्वारा फरवरी 1982 में जारी अनुदेशों के अनुसार, सीमेंट विनिर्माता उनके पास अग्रिम में जमा राशियों पर 14 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी थे जिनके प्रति 30 दिनों की अवधि के भीतर आपूर्ति नहीं की गई हो।

कृषि उप निदेशक, पालमपुर ने अगस्त 1987 तथा जून 1989 के मध्य दो सीमेंट विनिर्माताओं को 16.45 लाख रु० के अग्रिम दिए। पेशगी भुगतान में से केवल 4.79 लाख रु० आपूरित सीमेंट के प्रति समायोजित किए गए और विनिर्माताओं द्वारा 5 से 53 महीनों के विलम्ब के पश्चात जून 1988 और अगस्त 1991 के मध्य विभाग को 11.09 लाख रु० की राशि प्रत्यर्पित कर दी गई। 0.57 लाख रु० की शेष राशि फरवरी 1992 तक प्रत्यर्पित नहीं की गई थी।

अत: सीमेंट विनिर्माता कुछ अवसरों पर सीमेंट की विलम्बित आपूर्ति पर ब्याज के अतिरिक्त केवल विलम्बित प्रत्यर्पणों पर 2.89 लाख रु० के ब्याज के भुगतान के लिए दायी थे। तथापि अगस्त 1992 तक इसे वसूल नहीं किया गया था।

सरकार को मामला जुलाई 1992 में सन्दर्भित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

आतिथ्य एवं शिष्टाचार विभाग

3.12 आइस स्केटिंग पर निष्क्रिय निवेश

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष **1983-84** के प्रतिवेदन (सिविल) के परिच्छेद **4.2** में नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन के तहखाने में निर्मित आइस स्केटिंग रिंक की अप्रयुक्तता के बारे में उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार ने लोक लेखा समिति को अक्तूबर **1987** में सूचित किया था कि रिंक को चालू नहीं किया जा सका क्योंकि नई दिल्ली में **1982** में एशियाई खेलों के आयोजन के सन्दर्भ में नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा अपेक्षित विद्युत भार विमोचित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा आगामी संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि अप्रैल **1985** में प्रस्तुत हिमाचल भवन की पूर्णता की योजना को वास्तव में मई **1985** में नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि आइस स्केटिंग रिंक का प्रावधान इसके पूर्व अनुमोदन से बिना किया गया था।तहखाने को इसलिए मार्च **1991** में भण्डार में रूपान्तरित कर दिया गया और **10.79** लाख रु० की लागत से रिंक हेतु उपार्जित तथा फरवरी **1982** में प्रतिष्ठापित उपकरण अप्रयुक्त पड़ा रहा। विभाग ने इसकी प्रयुक्तता अथवा बेचने के लिए सितम्बर **1992** तक कोई प्रस्ताव नहीं बनाया था। उपकरण से सम्बद्ध समाश्वासन जो केवल **12** महीनों के लिए वैध था, भी फरवरी **1983** में समाप्त हो गया था।

इन परिस्थितियों में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्केटिंग रिंक हेतु उपकरण के उपार्जन पर **10.79** लाख रु० का पूंजी निवेश **10** वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय रहा। कार्यकारी अभियन्ता, शिमला मण्डल-**II**, लोक निर्माण विभाग ने भी मार्च **1992** में लेखापरीक्षा को सूचित किया कि नई दिल्ली नगरपालिका को प्रस्तुत भवन की मूल योजनाओं में हिमाचल भवन के तहखाने को आरम्भ में भण्डारण स्थान के बतौर प्रयुक्त किए जाने का प्रस्ताव था और रिंक का प्रावधान तत्पश्चात् किया गया।

सरकार को मामला जुलाई **1992** में सन्दर्भित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर **1992**)।

आयुर्वेद विभाग

3.13 भूमि अर्जन पर निष्फल व्यय

नवम्बर **1986** में सरकार ने क्षेत्रीय आयुर्वैदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत शिमला में तीन खसरों* में स्थित 2520 वर्ग गज निजी भूमि के अर्जन की अधिसूचना जारी की। इस भूमि पर पेड़ों के साथ-साथ कुछ ढांचे (उपभवन) भी थे। भू- अर्जन समाहर्ता द्वारा दिसम्बर 1987 में भूमि के अर्जन हेतु 4.83 लाख रु0 के अधिनिर्णय की घोषणा की गई जिसे विभाग द्वारा जनवरी 1988 में अदा कर दिया गया। भूमि के मालिकों द्वारा दायर एक अपील पर यह अधिनिर्णय जिला न्यायाधीश शिमला द्वारा सितम्बर 1990 में 18.07 लाख रु0 तक बढ़ा दिया गया। 13.24 लाख रु0 की शेष राशि का भी अप्रैल 1991 में भुगतान कर दिया गया।

तथापि विभाग उनमें से केवल एक खसरे में पड़ने वाली 1530 वर्ग गज भूमि का कब्जा जनवरी 1990 में ले सका। अन्य दो खसरों में स्थित शेष 990 वर्ग गज भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सका क्योंकि उस भूमि का स्वामित्व जिसे दूसरे मोहाल** के कुछ अन्य खसरों में भी शामिल किया गया बताया गया था, का उन व्यक्तियों से अन्य द्वारा दावा किया गया जिन्हें मुआवजे का भुगतान किया गया था। विवादग्रस्त भूमि पर स्थित उपभवन भी विभिन्न किरायेदारों के कब्जें में थे। दिसम्बर 1991 में मामला राजस्व विभाग के साथ उठाया गया था।

शेष भूमि पर भी अगस्त 1992 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था क्योंकि आरेखणों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

अर्जन से पूर्व भूमि के स्वामित्व को स्पष्ट तथा भारमुक्त सुनिश्चित करने में विफलता, उसके स्वामित्व पर परिहार्य विवाद तथा विभाग को 990 वर्ग गज भूमि तथा उस पर बने ढांचों की अनुपलब्धता में परिणत हुई। भारमुक्त भूमि पर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न किए जाने सहित यह भूमि की क्षतिपूर्ति के 18.07 लाख रु0 के व्यय में परिणत हुआ जो निष्फल रहा।

सरकार को मामला अगस्त 1992 में सन्दर्भित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 1992)।

---

* राजस्व विभाग द्वारा नियत भूमि के प्लाट की संख्या

** राजस्व वृत्त

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग

3.14 भवन के निर्माण पर निष्क्रिय निवेश

जिला चिकित्सालय सोलन में रोगियों के परिचरों को आवास सुविधाएँ देने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा एक सराय भवन का निर्माण मार्च 1985 में आरम्भ किया गया। सिविल कार्यों की पूर्णता पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन द्वारा भवन का कब्जा फरवरी 1990 में लिया गया यद्यपि उस समय तक जल, स्वच्छता तथा विद्युत प्रतिष्ठापन पूर्ण नहीं किए गए थे। इन्हें केवल जून 1991 में पूर्ण किया गया। तथापि, उसके बाद भवन को अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया क्योंकि विभाग द्वारा कोई परिचारक स्टाफ नहीं दिया गया और वसूली योग्य किराया निर्धारित नहीं किया गया था। जिला चिकित्सालय सोलन से एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बदल कर भवन को फरवरी 1992 में रोगियों के परिचारकों को आवास देने हेतु खोल दिया गया। परन्तु उसके बाद भी सराय अधिकार में नहीं ली गई और जुलाई 1992 तक किराया प्रभारों को भी निर्धारित नहीं किया गया था।

इन परिस्थितियों में भवन पर 2.77 लाख रु० का निवेश निष्क्रिय रहा और अभिप्रेत उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी।

सरकार को मामला सितम्बर 1992 में सन्दर्भित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

उद्योग विभाग

3.15 औद्योगिक प्लाटों/शैडों के किराए की अवसूली

(क) (i) देहरा (जिला कांगड़ा) की एक औद्योगिक इकाई को 736 रु० के मासिक किराए पर 4 औद्योगिक शैड मार्च 1978 में आवंटित किए गए। इकाई ने मई 1978 में केवल एक महीने के लिए 736 रु० का किराया अदा किया। उसके बाद जनवरी 1979 तक कोई किराया नहीं दिया गया। निर्धारित प्रक्रियाओं की शर्तों के अनुसार किराए के भुगतान न करने के लिए इकाई के विरुद्ध कोई उचित दण्डात्मक कार्रवाई आरम्भ करने की बजाय इकाई को 590 रु० के मासिक किराए पर फरवरी 1979 में दो और औद्योगिक शैड आवंटित कर दिए गए। इकाई ने मई 1980 और सितम्बर 1981 के मध्य 3500/- रुपए के किराए का भुगतान किया। जब इकाई सभी 6 शैडों से सम्बद्ध नवम्बर 1982 तक देय 0.65 लाख रु० के और किराए की राशि को अदा करने में विफल हुई और बकाया की वसूली के प्रयत्न असफल हो गए तो विभाग ने दिसम्बर 1982 में उपमण्डल समाहर्ता, देहरा की अदालत में किराए की वसूली हेतु दीवानी मुकद्दमा दायर कर दिया। उसके बाद

जनवरी 1984 में इकाई ने 0.07 लाख रु0 की राशि का भुगतान किया और अदालत में नवम्बर 1984 तक बकाया देयों को चुकाने का भी वचन दिया। जबकि 0.02 लाख रु0 की और राशि का मार्च 1984 में भुगतान किया गया, इकाई के मालिक द्वारा सितम्बर 1984 में देहरा छोड़ देने से उस का अता-पता मालूम नहीं हो पाया। जुलाई 1988 में सभी शैडों का कब्जा विभाग द्वारा ले लिया गया और उस समय तक किराए की संचित राशि 1.02 लाख रु0 हो गई थी। मुख्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कांगड़ा ने अवसूली योग्य राशि को बट्टे खाते डालने हेतु संस्वीकृति प्रदान करने के लिए मार्च 1992 में अनुरोध किया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्तूबर 1992)।

राशि को बट्टे खातें डालने का परिहार किया जा सकता था यदि विभाग द्वारा किराए की वसूली हेतु नियमित रूप से दबाव डाला जाता या बेदखली करने की कार्रवाई समय पर की जाती। चाहे कुछ भी हो जब इकाई पहलें 4 शैडों के किराये के भुगतान में लगातार दोषी थी, तो फरवरी 1979 में अतिरिक्त शैडों के आबंटन में बुद्धिमत्ता नहीं थी।

(ii) एक अन्य मामले में जून 1973 से जुलाई 1984 की अवधि हेतु दो शैडों के 0.22 लाख रु0 के किराए की वसूली के लिए एक औद्योगिक इकाई के विरुद्ध अगस्त 1984 में उप मण्डल मजिस्ट्रेट, देहरा की अदालत से डिग्री प्राप्त की गई। अदालत ने इकाई के मालिक को अगस्त 1984 तक परिसर खाली करने का भी आदेश दिया जिसकी विफलता में उसे जबरदस्ती निष्कासित करने के लिए विभाग को अनुमति दी। अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने की बजाय, विभाग इकाई को बकाया किराया अदा करने के लिए कहता रहा जो मई 1992 तक कुल 0.65 लाख रु0 के किराए तथा उस पर ब्याज के संचय में परिणत हुआ। मई 1992 तक शैडों के आबंटन को निरस्त करने की कार्रवाई भी नहीं की गई और शैड इकाई के कब्जे में रहे।

(ख) मार्च 1992 में जिला उद्योग केन्द्र कांगड़ा के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 1983-84 से 1991-92 की अवधि से सम्बन्धित 2.45 लाख रु0 दो* औद्योगिक सम्पदाओ में स्थित 74 औद्योगिक इकाइयों से औद्योगिक प्लाटों/शैडो के सम्बन्ध में वसूली योग्य थे। यद्यपि इकाइयों के साथ निष्पादित किए गए पट्टा अनुबन्धों में आबटितियों द्वारा किराए के भुगतान में होने वाली चूक की अवस्था में विभाग को आबंटनों के रद्द करने

---

* नगरोटा बगवां तथा संसारपुर टैरस

तथा प्लाटों/शैडों के खाली कब्जों को प्राप्त करने के लिए एक धारा को अन्तर्विष्ट किया गया, तथापि इस धारा को लागू नहीं किया गया था।

विभाग ने बताया (मई 1992) कि जबकि इकाइयों को बकाया देयों के शोधन का परामर्श देते हुए नोटिस जारी किए गए थे, परन्तु इस प्रत्येक मामले में आवटनों का निरस्त करना सम्भव नहीं था क्योंकि इकाइयों को उन वित्तीय संस्थाओं, जिनसे उन्होंने आवधिक ऋण प्राप्त किए थे, के हक में पट्टाधारी अधिकारों का बन्धन करने की अनुमति भी प्रदान की गई थी।

ये मामले सरकार को सितम्बर 1992 में सन्दर्भित किए गए। उसके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

सामाजिक तथा महिला कल्याण विभाग

3.16 विकलांग व्यक्तियों को राहत का भुगतान

विकलांग व्यक्तियों, 60 वर्ष की आयु से ऊपर के नि:सहाय तथा अपंग और स्थायी रूप से विकलांग व्यक्तियों को जिनकी सहायता के लिए कोई नहीं था तथा जिनकी वार्षिक आय 2000 रु से अधिक नहीं थी, को राहत भत्ते के भुगतान हेतु सरकार द्वारा 1973 में लागू किए गए नियमों के अनुसार 60 रु प्रति माह की पैंशन के हकदार थे। हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन) नियमावली, 1989 में प्रावधान है कि विधवाएं, विकलांग तथा मानसिक रूप से मन्दित व्यक्ति इत्यादि भी पैंशन के हकदार होंगे यदि उनकी वार्षिक आय 2000 रु से अधिक न हो और जिनकी कोई सहायता न करता हो। तथापि वे वृद्ध व्यक्ति इन नियमों द्वारा आवृत्त नहीं थे जिनके वयस्क पुत्रों की मासिक आय 1000 रु से अधिक थी। ऐसे पैंशनभोगियों के मामले विभाग द्वारा सावधिक समीक्षा के अधीन थे तथा विभाग द्वारा की गई समीक्षा को दृष्टि में रखते हुए पैंशन हेतु उनकी निरन्तर पात्रता का जिला कल्याण समितियों द्वारा निर्णय किया जाना था। तथापि इन मामलों में पहले संवितरित की गई पैंशन की कोई वसूली नहीं की जानी थी।

सावधिक समीक्षाओं पर आधारित चम्बा जिले में विभाग ने पैंशन आहरण करने हेतु अपात्र 184 विकलांग व्यक्तियों की पहचान की। जिला कल्याण समिति द्वारा 1986 तथा 1989 के मध्य इन मामलों की समीक्षा की गई। जबकि 76 विकलांग व्यक्ति पैंशन आहरण करने के लिए अपात्र ठहराए गए, समिति ने मार्च 1989 और दिसम्बर 1989 में इच्छा व्यक्त की कि शेष 108 मामलों की पुन:समीक्षा की जाये। जुलाई 1992 तक विभाग द्वारा परिकल्पित समीक्षा पूर्ण न किए जाने से इन मामलों में यथेष्ट समय बीतने पर

भी पैंशन स्वीकार्यता पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया। प्रश्नास्पद व्यक्तियों ने पैंशन का आहरण जारी रखा, जिसकी राशि अप्रैल 1989 से मार्च 1992 तक 2.33 लाख रु0 थी।

पैंशन हेतु अपात्र पहचान किए गए व्यक्तियों को विभाग द्वारा भुगतानों की निरन्तर पुनरावृति का परिहार किया जा सकता था। यदि ऐसे मामलों की उचित समयावधि के भीतर तत्परता से समीक्षा तथा अन्तिम निपटान सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाएं तैयार की गई होती। इससे विद्यमान प्रक्रियाओं को गतिशील बनाने की आवश्यकता इंगित होती है।

मामला सरकार को अगस्त 1992 में संदर्भित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

सामान्य

मुद्रण तथा लेखन सामग्री एवं राजस्व विभाग

3.17 इलैक्ट्रोनिक दूरभाष एक्सचेंज के प्रतिष्ठापन पर निष्फल व्यय

मार्च 1989 में सरकार ने निर्णय किया कि सभी सरकारी विभाग तथा स्वायत निकायों को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला की एक सहायक इकाई जो राज्य में ऐसे एक्सचेंजों की एकमात्र विनिर्माता थी, से इलैक्ट्रोनिक निजी शाखा स्वचालित एक्सचेंज उपार्जित करने चाहिए।

तदनुसार नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री तथा उपायुक्त शिमला ने 4.47 लाख रु0 (मुद्रण तथा लेखन सामग्री: 2.43 लाख रु0; उपायुक्त शिमला: 2.04 लाख रु0) की कुल लागत पर दो एक्सचेंजों की आपूर्ति तथा प्रतिष्ठापन हेतु फर्म को मार्च 1989 में दो पृथक-पृथक आदेश दिए। फर्म द्वारा दो एक्सचेंज क्रमश: जून 1989 तथा अप्रैल 1989 में प्रतिष्ठापित किए गए। उपायुक्त द्वारा अप्रैल 1989 में फर्म को 1.50 लाख रु0 का भुगतान किया गया। दूसरी ओर नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री द्वारा फर्म को 2.43 लाख रु0 का पूरा भुगतान मई 1989 तथा जुलाई 1989 के मध्य में किया गया। इनमें से 0.49 लाख रु0 का अन्तिम भुगतान उप-नियंत्रक द्वारा जून 1989 में, यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के आधार पर किया गया कि राजकीय मुद्रणालय, शिमला में प्रतिष्ठापित एक्सचेंज सन्तोषप्रद रूप से कार्य कर रहा था।

किन्तु इस इलैक्ट्रोनिक निजी शाखा स्वचालित एक्सचेंज का

निष्पादन उस समय से ही असन्तोषप्रद पाया गया। बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद फर्म द्वारा इसकी मरम्मत विभाग के संतोष के अनुरूप नहीं की गई। एक्सचेंज जनवरी 1990 से पूर्णतया अकार्यशील भी हो गया जब कुछ पुर्जे (मूल्य: 1.42 लाख रु0) मरम्मत हेतु फर्म द्वारा निकाल लिए गए। पुर्जों को न बदले जाने पर विभाग ने हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन के समुख फरवरी 1992 में फर्म के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया, जिसका अन्तिम परिणाम प्रतीक्षित था।

उपायुक्त के कार्यालय में प्रतिष्ठापित एक्सचेंज भी अगस्त 1990 में खराब हो गया। यद्यपि जनवरी 1991 में उपायुक्त द्वारा 0.20 लाख रु0 के किए गए अग्रिम भुगतान के प्रति 0.39 लाख रु0 की लागत से सितम्बर 1991 में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसकी मरम्मत की गई किन्तु एक्सचेंज पुन: नवम्बर 1991 में खराब हो गया और उस समय से अकार्यशील था।

इन परिस्थितियों में इन दो एक्सचेंजों के प्रतिष्ठापन तथा उन में से एक की मरम्मत पर कुल 4.13 लाख रु0 के निवेश अधिकतया निष्फल हो गये। अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि दोनों विभागों ने न तो आपूर्तिकर्ता फर्म के साथ औपचारिक करारनामे किए न ही आपूर्ति आदेशों में समाश्वासन की उपयुक्त धाराएं शामिल की। उनके संतोषप्रद कार्यचालन को सुनिश्चित करने हेतु अन्य एजेंसियों द्वारा एक्सचेंजों की मरम्मत करवाने की सम्भावना पर भी उन्होंने विचार नहीं किया। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जून 1992 में लेखापरीक्षा को भी सूचित किया था कि फर्म ने 1990 से अपने कार्यकलाप स्थगित कर दिए थे और बिक्री के पश्चात् सेवाएं प्रदान करना बन्द कर दी थी।

मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के सम्बन्ध में मामला मई 1992 में तथा राजस्व विभाग के सम्बन्ध में सितम्बर 1992 में सरकार को सदर्भित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

3.18 नकद प्रबन्ध में कमियाँ

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाले प्रत्येक अधिकारी को निर्धारित फार्म में रोकड़ पुस्तिका बनानी चाहिए और सभी वित्तीय लेन देन जैसे ही घटित हो उसमें दर्ज किए जाने चाहिए। कार्यालय अध्यक्ष को रोकड़ पुस्तिका की जांच करनी अथवा रोकड़ पुस्तिका के लेखक से किसी अन्य जिम्मेदार अधीनस्थ द्वारा जांच करवानी

चाहिए। कार्यालयाध्यक्ष के लिए प्रत्येक मास के अन्त में रोकड़ शेष को सत्यापित करना तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र दर्ज करना अपेक्षित है। सरकार की ओर से प्राप्त धन के बदले में निर्धारित फार्म में एक उपयुक्त रसीद दिया जाना भी अपेक्षित है।

विभिन्न विभागों के आहरण तथा संवितरण अधिकारियों द्वारा रखी गई रोकड़-पुस्तकों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान रोकड़ प्रबन्ध में ध्यान में आई कुछ कमियों का उल्लेख निम्नलिखित परिच्छेदों में किया जाता है:

(क) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिमला के कार्यालय के आहरण तथा संवितरण अधिकारी ने प्रथमोक्त को **20** जून **1990** की रात्रि को सूचित किया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कार्यालय के कोषाध्यक्ष पर हमला किया गया और उनके द्वारा तीन रोकड़ पुस्तकों सहित तिजोरी से नकदी ले गए। दूसरे दिन शीघ्र प्रात:काल ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की। उसमें यह कहा गया कि कोषाध्यक्ष स्थानांतरण के आदेशाधीन था और रोकड़-पुस्तक पूरी करके **21** जून **1990** तक कार्यभार सौंपना था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोषाध्यक्ष को **21** जून **1990** को गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन निलम्बित कर दिया गया। चूंकि रोकड़-पुस्तिका उपलब्ध नहीं थी, तिजोरी में पाई गई नकदी (**5,441.42** रु०) की शुद्धता की रोकड़ पुस्तक की प्रविष्टियों/शेष के अनुसार जांच नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने जून **1990** तथा अक्तूबर **1991** के बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की कि उसके कार्यालय को की गई आपूर्तियों (दवाइयों तथा अन्य वस्तुओं) के बिलों के प्रति उन्हें भुगतान प्राप्त नहीं हुए थे। लेखापरीक्षा द्वारा जुलाई से अक्तूबर **1991** के दौरान बिल रजिस्टरों तथा आकस्मिकता रजिस्टरों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि फरवरी **1989** तथा मार्च **1990** के बीच आहृत **5,43,171** रु० का प्राप्तकर्ताओं को अक्तूबर **1991** तक भुगतान नहीं किया गया था। पुलिस के पास लम्बित मामले की आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्तूबर **1992**)।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अभिलेखों की आगामी संवीक्षा से निम्न कमियां उद्घाटित हुईं:-

(i) रोकड़ बही में विसंगतियां

मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रोकड़ बही के अनुसार **8,56,337.35** रु० की राशि **31** मार्च **1987** को असंवितरित थी।

तथापि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा केवल 6,77,383.35 रु0 का रोकड़ शेष प्रभावित किया गया था। जबकि विसंगति का समायोजन नहीं किया गया था, प्रथम दृष्टि में ही ऐसा प्रतीत हुआ कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण तिजोरी में प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध शेष के वास्तविक सत्यापन पर आधारित नहीं था।

(ii) नकदी की अलेखाबद्धता

1984-85 तथा 1990-91 के बीच जिला परिवार कल्याण अधिकारी, शिमला तथा क्षेत्रीय इकाइयों को 4.48 लाख[23] रु0 के अग्रिम दिए गए। अग्रिमों की प्राप्ति के समर्थन में पावतियां प्राप्त नहीं की गई। ये अग्रिम जिला परिवार कल्याण अधिकारी या सम्बद्ध क्षेत्रीय इकाई की रोकड़ बहियों में लेखाबद्ध नहीं किए गए। इन अग्रिमों से सम्बद्ध समायोजन वाऊचर भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में वास्तविक प्राप्तकर्तामों को राशि के भुगतान प्रमाणित नहीं किए जा सके।

1984-87 के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिमला द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बधित 0.75 लाख रु0 की राशि के बिल आहृत किए गए। ये राशियां जिला परिवार नियोजन अधिकारी/क्षेत्रीय इकाइयों को अग्रिम दी गई थी। तथापि लेनदेन रोकड़-पुस्तक में दर्ज नहीं किए गए। इसलिए रोकड़-पुस्तक नकद लेन-देनों का सही चित्र नहीं दर्शाती थी।

(iii) कोषागार से धन का दोहरा आहरण

मई 1984 तथा दिसम्बर 1985 के बीच कोषागार से 0.53 लाख रु0 के आहृत 10 बिल उन्हीं बिल नम्बरों से नए बिलों के द्वारा पुनः आहृत कर लिए गए। इस प्रकार आहृत राशियों में से 0.48 लाख रु0 की राशि रोकड़ पुस्तक में लेखाबद्ध नहीं की गई। आगामी विस्तृत संवीक्षार्थ सम्बद्ध बिल लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में नकदी प्रबन्ध में इसी प्रकार की अनियमितताए लेखापरीक्षा द्वारा जुलाई 1986, अक्तूबर 1987 तथा फरवरी 1989 में भी इंगित की गई थी।

---

23 परिवार नियोजन अग्रिम: 4.39 लाख रु0 और आकस्मिकता अग्रिम: 0.09 लाख रु0

(ख) राजस्व विभाग

(i) उपायुक्त, कांगड़ा द्वारा रखी गई रोकड़ पुस्तक में रोजगार उत्पादक कार्यों के अधीन 31 मार्च 1990 को 16,073.30 रु0 का अन्त शेष था। उसने अप्रैल 1990 से जून 1991की अवधि के दौरान 35,91,103.16 रु0 और आहृत किए। इस अवधि के दौरान 20,92,257.00 रु0 संवितरित करने के पश्चात् रोकड़ पुस्तक में 30 जून 1991 को 15,14,919.46 रु0 की बजाय 14,17,912.46 रु0 का शेष निकाला गया। 97,007 रु0 के अन्तर का न तो परिशोधन और न ही समाधान किया गया।

(ii) विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा आहृत धन बैंकों मे रखा गया था। रोकड़ पुस्तकों तथा बैंक पास बुकों में दर्शाए गए शेष मेल नहीं खाते थे जैसाकि नीचे दिखाया गया है:-

कार्यालय का नाम	तिथि	रोकड़ बही के अनुसार शेष	बैंक पास बुक के अनुसार शेष	अन्तर	स्कीम का नाम
			(लाख रुपये)		
उपायुक्त, कांगड़ा	30 जून 1991	39.06	41.53	(+) 2.47	स्थानीय जिला योजना
उपायुक्त, सिरमौर	19 मई 1989	1.15	1.10	(-) 0.05	अहमदनगर परीक्षण
	31 मार्च 1990	शून्य	56.13	(+)56.13	स्थानीय जिला योजना
तहसीलदार पालमपुर	30 जून 1991	0.24	0.13	(-) 0.11	कुल्ह जागीर
	30 जून 1991	0.63	0.38	(-) 0.25	राहत कार्य

विसंगतियों का समाधान नहीं किया गया था।

(ग) शिक्षा विभाग

(i) खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, पूह (जिला किन्नौर) के कार्यालय के कोषाध्यक्ष की मई 1984 में मृत्यु हो गई। जब नकदी तिजोरी खोली गई तो 0.62 लाख रु0 की नकद राशि कम पाई गई। न तो हानि

की पूर्ति की गई थी न ही कमी के कारणों की छानबीन की गई थी(जून 1991)।

(ii) 31 जनवरी 1992 को खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, बंगाना (जिला ऊना) द्वारा रखी रोकड़ पुस्तक में प्राप्ति तथा व्यय में क्रमश: मार्च 1991, सितम्बर 1991 एवं दिसम्बर 1991 में 1218 रु० और फरवरी 1989, अप्रैल 1989, दिसम्बर 1989, जनवरी 1990, मई 1990, फरवरी 1991, जुलाई 1991 एवं दिसम्बर 1991 के दौरान 17,149 रु० के अन्तर पाए गए। विसंगतियों का समाधान नहीं किया गया था (फरवरी 1992)।

(iii) खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, बंगाना के कोषाध्यक्ष द्वारा दिसम्बर 1989 तथा जनवरी 1992 के बीच प्राप्त 0.39 लाख रु० की राशियों के प्रमाण में निर्धारित मुद्रित फार्मों पर रसीदें नहीं दी गई।

(घ) विविध विभाग

1980-81 तथा 1991-92 के बीच कुल 746.98 रु० के आहरण एवं संवितरण के नकद लेन-देन तीन विभागों[24] के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा रखी रोकड़ पुस्तकों के माध्यम से नहीं किए गए। अत: नकद लेन देनों पर नियंत्रण रखना सम्भव नहीं था।

ये बातें सरकार को जुलाई 1992 तथा अक्तूबर 1992 में सन्दर्भित की गई। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

3.19 निष्क्रिय उपस्कर

विभिन्न विभागों द्वारा 9.04 लाख रु० की कुल लागत के मार्च 1981 तथा जुलाई 1990 के बीच प्राप्त उपस्कर की विभिन्न मदें लेखन सामग्री के अप्रबन्ध, मरम्मतों में बिलम्ब और दोषपूर्ण पुर्जों के विस्थापन इत्यादि जैसे कारणों से या तो प्रतिष्ठापित नहीं गई या लाभकारी रूप से प्रयुक्त नहीं की गई। इस सम्बन्ध में सम्बद्ध ब्यौरे परिशिष्ट-VI में दिए गए हैं।

उपस्कर को चालू न करने/अप्रयुक्ति न केवल निवेश को निष्क्रिय करने अपितु उन उद्देश्य, जिन के लिए उन्हें उपार्जित किया था, की अप्राप्ति में परिणत हुई।

---

24 शिक्षा :30.77 लाख रु०; उद्योग : 17.35 लाख रु० तथा राजस्व :698.86 लाख रु०

सरकार को मामला सितम्बर 1992 में सन्दर्भित किया गया। उनके उत्तर (मद संख्या 6 के अतिरिक्त) प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

3.20 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय अनियमितताओं तथा लेखाओं के अनुरक्षण में पाई गई त्रुटियों पर लेखापरीक्षा संप्रेषण जिन्हें पूर्ण उत्तरों के अभाव में स्थल पर ही नहीं निपटाया गया हो, निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागीय उच्च प्राधिकारियों को सूचित किए जाते हैं। गम्भीर तथा अधिक महत्वपूर्ण अनियमितताए विभागाध्यक्षों और सरकार को भी प्रतिवेदित की जाती हैं। निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा छः महीनों से अधिक समय से बकाया के सम्बन्ध में अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन भी उनके शीघ्र निपटान हेतु सरकार को प्रेषित किए जाते हैं।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा वन कृषि व पर्यावरण संरक्षण विभागों सहित विभिन्न सिविल विभागों के सम्बन्ध में दिसम्बर 1991 तक जारी 5356 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 20632 परिच्छेदों का जून 1992 के अन्त तक निपटान किया जाना शेष था जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है:-

क्रम संख्या	विभाग का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	परिच्छेदों की संख्या
1.	असैनिक विभाग	4,277	16,095
2.	लोक निर्माण (भवन व सड़कें)	402	1,665
3.	सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य	263	1,232
4.	वन कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण	414	1,640
	योग	5,356	20,632

ग्रामीण विकास, गृह (पुलिस) तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभागों के सम्बन्ध में दिसम्बर 1991 तक जारी परन्तु जून 1992 तक नहीं निपटाए गए बकाया प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नवत् था:-

क्रम संख्या	अवधि	ग्रामीण विकास		गृह पुलिस		खाद्य एवं आपूर्ति	
		निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	परिच्छेदों की संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	परिच्छेदों की संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	परिच्छेदों की संख्या
1.	मार्च 1986 तक	222	484	12	12	30	51
2.	1986-87	17	47	7	7	1	1
3.	1987-88	36	105	3	3	5	17
4.	1988-89	58	212	6	8	-	-
5.	1989-90	72	365	13	20	9	25
6.	1990-91	61	367	17	59	2	8
7.	1991-92 (दिसम्बर 1991 तक)	43	430	14	75	12	45

सम्बन्धित कार्यालय द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर लेखा परीक्षा कार्यालय को भेज दिए जाने अपेक्षित हैं। निम्नलिखित विभागों से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों के प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे:-

क्र0सं0	विभाग का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	परिच्छेदों की संख्या
1.	ग्रामीण विकास	3	33
2.	खाद्य एवं आपूर्तियाँ	3	12

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में विवेचित विशिष्ट अनियमितताओं को मोटे-तौर पर नीचे वर्गीकृत किया जाता है:-

क्र0सं0	आपत्ति का वर्ग	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	परिच्छेदों की संख्या	राशि (लाख रु0)
1.	आवश्यकताओं से अधिक निधियों का आहरण	31	37	122.52

क्र0सं0	आपत्ति का वर्ग	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	परिच्छेदों की संख्या	राशि (लाख रु0)
2.	संस्वीकृतियों, निविदाओं के अनिमंत्रण इत्यादि की अनुपस्थिति के कारण बताया गया अनियमित व्यय	41	50	22.35
3.	अधिक भुगतान, किराए व अग्रिमों की अवसूली, विविध वसूलियां	65	91	37.06
4.	भण्डारों की अलेखाबद्धता/ कमियां	14	15	6.81
5.	भण्डारों/नकदी का दुर्विनियोजन	12	14	4.68
6.	हानियां तथा चोरियां इत्यादि	13	15	9.09
7.	अव्यवहार्य भण्डारों का अनिपटान	39	42	16.81
8.	वाहनों की मरम्मतों में अनियमितताए	26	28	6.45
9.	वास्तविक प्राप्तिकर्ताओं की रसीदों/प्रयुक्तता प्रमाण-पत्रों का अप्रस्तुतीकरण	21	21	133.73
10.	असमायोजित आकस्मिकता अग्रिम	9	10	119.16
11.	कोषागारों के साथ असमाधान	18	18	--
12.	बकाया ऋण	32	32	60.11
13.	अपूर्ण कार्य	37	44	285.03
14.	प्रोद्भूत ब्याज परन्तु कोषागार में जमा नही किया गया	44	48	36.62
15.	व्यर्थ व्यय	11	12	2.84

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल कतिपय रुचिकर प्रसंग संक्षेपत: नीचे उल्लिखित किए जाते हैं:-

ग्रामीण विकास विभाग

(क) अपूर्ण कार्य

फरवरी 1982 तथा अक्तूबर 1990 के बीच छः खण्ड विकास अधिकारियों* द्वारा 15 निर्माण कार्य 13 पंचायतों को निष्पादनार्थ सौंपे गए। इस उद्देश्यार्थ 0.81 लाख रु० नकद तथा 0.16 लाख रु० मूल्य की सामग्री उनके अधिकार में रखी गई।

खण्ड विकास अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि दो पंचायतों द्वारा केवल दो निर्माण कार्य आरम्भ किए गए थे जिनके लिए 0.21 लाख रु० की निधियां तथा 0.06 लाख रु० की सामग्रियां जारी की गई थी परन्तु यह निर्माण कार्य भी पूर्ण नहीं किए गए। इन मामलों में किए गए कार्य का मूल्य कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा केवल 0.12 लाख रु० निर्धारित किया गया। शेष 13 निर्माण कार्य जिनके प्रति 0.60 लाख रु० का नकद भुगतान तथा 0.10 लाख रु० की सामग्रियां विमुक्त की गई थी, 11 पंचायतों द्वारा निष्पादनार्थ आरम्भ नहीं किए गए। 0.69 लाख रु० की अव्ययित राशि तथा 0.16 लाख रु० मूल्य की अप्रयुक्त सामग्रियां सितम्बर 1991 तक पंचायतों के पास पड़ी हुई थी। कार्यों की अपूर्णता न केवल अभिप्रेत लाभों की अप्राप्ति में बल्कि सरकारी निधियों को निष्क्रिय करने में परिणत हुई।

(ख) परित्यक्त/क्षतिग्रस्त कार्यों पर निष्फल व्यय

सात विकास खण्डों** में अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि अप्रैल 1983 तथा मई 1990 के बीच 10 कार्य निष्पादनार्थ आरम्भ किए गए। इनमें से पांच निर्माण कार्य स्थल की अनुपयुक्तता, निम्न स्तर कार्यों, जल की अनुपलब्धता इत्यादि के कारण मार्च 1986 तथा जून 1990 के बीच 0.60 लाख रु० व्यय करने के बाद छोड़ दिए गए। अन्य तीन कार्य जिन पर 0.78 लाख रु० खर्च किए जा चुके थे, दोषपूर्ण निर्माण के कारण फरवरी 1988 तथा दिसम्बर 1990 के बीच पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए। शेष बचे दो कार्य जिन पर 0.92 लाख रु० खर्च किए गए, अक्तूबर 1988 और जुलाई 1990 में अपूर्ण छोड़ दिए गए क्योंकि पंचायत के प्रधान जिसे इन कार्यों में से एक कार्य सौंपा गया था, का अता-पता मालूम नहीं था और अन्य कार्य न्यायालय द्वारा एक निजी पार्टी द्वारा भूमि विवाद उठाए जाने के कारण रोक दिया गया था। अतः 2.30 लाख रु० व्यय से अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं हुए थे।

---

* अम्ब, भोरंज, बिलासपुर, बीझड़ी, चिड़गांव तथा मशोबरा

** अम्ब, बिलासपुर, चौंतड़ा, गोपालपुर, जुब्बल, नादौन तथा तीसा

(ग) ब्याज का कोषागार में जमा न करवाना

विभिन्न स्कीमों के निष्पादनार्थ खण्ड विकास अधिकारियों को निधियां उपायुक्तों से प्राप्त होती है। कार्यों के निष्पादन/पूर्ण होने तक खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा ये निधियां कोषागारों में निजी लेखा खातों की बजाय स्थानीय बैंकों में जमा करवाई गई। जबकि बैंकों में जमा की गई ऐसी निधियों के विवरण उपलब्ध नहीं थे। 36 खण्डों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 29.84 लाख रु० की राशि का ब्याज जो इन जमा राशियों पर सितम्बर 1982 तथा दिसम्बर 1991 के बीच दिया गया, जैसाकि वित्तीय नियमों में निर्धारित था, कोषागार में जमा नहीं करवाया गया।

वित्तीय नियमों में यह भी प्रावधान है कि विभागीय प्राप्तियों की प्रयुक्ति विभागीय व्यय के लिए निषिद्ध है। इन नियमों के विपरीत 5.54 लाख रु० की राशि सितम्बर 1982 और दिसम्बर 1991 के बीच ग्यारह खण्डों में विभागीय व्यय के लिए प्रयुक्त की गई।

(घ) वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान

राज्य सरकार ने दिसम्बर 1986 में निर्णय लिया कि सैनिक कर्मी जिन्होंने रक्षा सेवाएं नवम्बर 1962 से पूर्व शुरू की थी, उनकी असैनिक सेवाओं में पुनर्नियुक्ति पर वरिष्ठता एवं वेतन निर्धारण के उद्देश्यार्थ उनके द्वारा की गई अनुमोदित सैनिक सेवा की अवधि को शामिल करने के पात्र नहीं होंगे।

इसके बावजूद, एक भूतपूर्व सैनिक का वेतन जिसने रक्षा सेवाएं नवम्बर 1962 से पूर्व शुरू की थी, उसके द्वारा सेना में की गई पिछली सेवा का लाभ देते हुए, मार्च 1987 के दौरान तीसा खण्ड में उसकी पुनर्नियुक्ति पर गलत रूप से 1800 रु० नियत कर दिया गया और तदनुसार उसे भुगतान कर दिया गया। जुलाई 1989 में लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर, दिसम्बर 1990 में उसका वेतन पुनः निर्धारित किया गया और कम करके 1600 रु० कर दिया गया। प्रथम चरण में गलत वेतन निर्धारण 0.46 लाख रु० के अधिक भुगतान में परिणत हुआ।

अधिकारी कांगड़ा खण्ड से मार्च 1991 में सेवानिवृत हो गया परन्तु उसे अधिक अदा की गई राशि मार्च 1992 तक वसूल नहीं की गई थी।

गृह विभाग

(क) रक्षकों की नियुक्ति के कारण बकाया प्रभार

पुलिस अधीक्षक, कुल्लू असैनिक हवाई अड्डे, भुन्तर के लिए सुरक्षा रक्षक उपलब्ध करवाता है। रक्षकों के व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जानी थी।

तथापि भारत सरकार द्वारा मई 1985 से सितम्बर 1991 तक की अवधि हेतु 23.91 लाख रु० के कुल प्रभारों की सितम्बर 1992 तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी।

(ख) वाहनों की अनियमित मरम्मतें

वित्तीय नियम वित्त विभाग की विशेष संस्वीकृति के बिना वाहनों की मरम्मत पर उनके क्रय मूल्य से अधिक व्यय करने पर निषेध करते हैं। दिसम्बर 1989 और जनवरी 1991 में अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि कांगड़ा तथा शिमला जिलों* में 4 वाहनों की मरम्मतों पर उनके क्रय मूल्य से 0.96 लाख रु० की सीमा तक अधिक व्यय किया गया। अधिक व्यय का जो वित्त विभाग के अनुमोदन से बिना किया गया, विनियमन अगस्त 1992 तक नहीं किया गया था।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

(क) निष्कार्य स्टॉफ

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सोलन की विभागीय जीप अक्तूबर 1989 में सड़क पर चलने योग्य नहीं रही जिस पर 0.11 लाख रु० की अनुमानित मरम्मत अपेक्षित थी। निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति से आवश्यक संस्वीकृति की प्राप्ति में विलम्ब के कारण जीप की मरम्मत केवल मई 1992 में करवाई जा सकी। अक्तूबर 1989 से अप्रैल 1992 की अवधि के दौरान वाहन चालक के वेतन एवं भत्तों पर 0.66 लाख रु० का व्यय किया गया जबकि उसकी सेवाओं का लाभदायक रूप से उपयोग नहीं किया जा सका।

(ख) बकाया किराया

विभाग द्वारा तीन गोदाम** मई 1983 तथा दिसम्बर 1989 के बीच भारतीय खाद्य निगम (दो गोदाम) तथा एक ठेकेदार को उनके द्वारा भुगतान योग्य किराया निर्धारित किए बगैर किराए पर चढ़ाए गए।

---

* कांगड़ा : 1 तथा शिमला : 3

** हमीरपुर, रानीताल तथा तरेला

मार्च 1991 तथा मार्च 1992 के बीच लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि इन गोदामों के किराए के निर्धारण को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। परिणामतः सम्बद्ध मांगें नहीं उठाई जा सकी और किराए की वसूली बकाया हो गई। इन तीन गोदामों में से दो के सम्बन्ध में शेष किराए के बकाया 3.49 लाख रु0 तक होगें जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया हैः-

क्रम सं0	गोदाम की स्थिति	आबंटिती	अवधि जिसके लिए किराया देय था	देय राशि (लाख रुपये)	संगणना का आधार
1.	तरेला	ठेकेदार	मई 1983 से मई 1986	0.41	उत्तरवर्ती आबंटिती से सम्बन्धित तथा के द्वारा प्रदत्त जुलाई 1989 में निर्धारित किराए के आधार पर संगणित ।
2.	हमीरपर	भारतीय खाद्य निगम	जुलाई 1985 से फरवरी 1992	3.08	लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता द्वारा निर्धारित किराए के आधार पर संगणित जिस पर मण्डल अधिकारी का अनुमोदन प्रतीक्षित था।
			योग	3.49	

सरकार को मामला अक्तूबर 1992 में सन्दर्भित किया गया। उनके प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

3.21 दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि

लेखापरीक्षा को मार्च 1992 की समाप्ति तक प्रतिवेदित सरकारी धन के कथित दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि के मामलों की स्थिति, जिन पर अक्तूबर 1992 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी, निम्नवत् थीः-

विवरण	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये)
31 मार्च 1991 तक प्रतिवेदित और 31 अक्तूबर 1991 तक शेष मामले	128	59.09
1991-92 के दौरान प्रतिवेदित मामले	4	1.05
अक्तूबर 1992 तक निपटाए गए मामले	8	7.34
31 अक्तूबर 1992 को शेष मामले	124	52.80

इनमें से 17 मामले (अन्तर्ग्रस्त राशि 2.81 लाख रु0) 20 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग (55 मामले: 35.87 लाख रु0), सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग (47 मामले: 8.76 लाख रु0) और वन खेती तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग (5 मामले: 1.35 लाख रु0) में बकाया 107 मामलों में से 44 मामले (23.72 लाख रु0) विभागीय छानबीन पूरी होने की प्रतीक्षारत थे।

कृषि विभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पुन: निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:-

(क) कृषि विभाग द्वारा विकास अधिकारियों/सहायक विकास अधिकारियों को कृषकों को रियायती मूल्यों पर आगामी आपूर्ति हेतु बीजों, कृषिय उपकरणों तथा पौधा-रक्षक सामग्रियां दी जाती हैं। वसूल की गई बिक्री लब्धियां या तो सम्बधित विभागीय कार्यालयों अथवा सीधे कोषागार में तत्काल जमा करवानी अपेक्षित हैं।

इन अनुदेशों के विपरीत मार्च 1990 से जुलाई 1991 की अवधि के दौरान चार कार्यालयों[29] में विकास अधिकारियों/सहायक विकास अधिकारियों द्वारा बीजों, कृषिय उपकरणों तथा पौधा-रक्षक सामग्रियों की कुल 8.28 लाख रु0 की वसूल की गई बिक्री लब्धियां या तो कोषागार में अथवा सम्बन्धित कार्यालयों के पास जमा नहीं करवाई गई।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1992) कि (i) काजा और केलांग इकाइयों में बिक्री आय को जमा न करवाने से सम्बन्धित एक मामला पुलिस में पंजीकृत करवाया गया और उनके जांचे परिणाम प्रतीक्षित थे, (ii) मण्डी में जून 1992 तक 0.26 लाख रु0 वसूल किए जा चुके थे और शेष 1.58 लाख रु0 की राशि 1500 रु0 प्रति माह की दर से वसूल की जा रही थी और (iii) लेखाओं के समाधान करने तथा दोषियों से एक माह में वसूली करने के अनुदेश हमीरपुर इकाई को जारी किए गए।

(ख) ग्रामीण विस्तार अधिकारी, बंगाना (जिला ऊना) द्वारा 0.73 लाख रु0 मूल्य के उपकरण जाली तरीके से सितम्बर 1988 और जून

---

29 हमीरपुर: 0.40 लाख रु0; काजा :1.19 लाख रु0; केलांग :4.85 लाख रु0 तथा मण्डी :1.84 लाख रु0

1989 के बीच अन्य इकाइयों को स्थानांतरित अथवा किसानों को बेचे गए दर्शाए गए। न तो सम्बद्ध पावतियां उपलब्ध थीं और न ही बिक्री आय कार्यालय अथवा कोषागार में जमा करवाई गई।

लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर 1990 में जाली स्थानांतरणों/बिक्रियों के इंगित किए जाने पर विभाग ने सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली सम्बन्धी आदेश दिए और फरवरी 1992 तक 0.18 लाख रु0 की वसूली की जा चुकी थी।

चौथा अध्याय
निर्माण कार्य व्यय
लोक निर्माण विभाग

4.1 उत्तरी अंचल में ग्रामीण सड़कें

4.1.1 परिचय

नवम्बर 1966 में राज्य के पुनर्गठन के समय राज्य में केवल 3991 किलोमीटर सड़कें थी, जिनमें से ग्रामीण सड़कें 1348 किलोमीटर थी। पुनर्गठन के समय लोक निर्माण विभाग के उत्तरी अंचल में 720 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें आती थी जो प्रगामी बढ़ोतरी से मार्च 1992 के अन्त तक 5529 किलोमीटर हो गई।

4.1.2 संगठनात्मक ढांचा

उत्तरी अंचल के धर्मशाला स्थित मुख्यालय में, मुख्य अभियन्ता के नेतृत्व में 5 वृत तथा 22 भवन और सड़क मण्डल उसके नियन्त्रणाधीन थे।

4.1.3 लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र

लोक निर्माण विभाग के दक्षिण अंचल के अधिकार क्षेत्र में आने वाली ग्रामीण सड़कों से सम्बन्धित निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यकलापों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1991 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सिविल) के प्रतिवेदन के परिच्छेद 4.1 में टिप्पणी की गई थी। प्रमुख अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता उत्तरी अंचल तथा सात अन्य मण्डलों* द्वारा दी गई सूचना द्वारा अनुपूरित सात मण्डलों** के अभिलेखों की नमूना-जांच पर आधारित, 1987-92 के दौरान उत्तरी अंचल में ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण से सम्बन्धित क्रियाकलापों के सम्बन्ध में समीक्षा गई तथा जुलाई 1992 के मध्य की गई। समीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण तथ्य अनुवर्ती परिच्छेदों में उल्लिखित हैं।

4.1.4 मुख्य विशेषताएँ

ग्रामीण सड़कों के विकासार्थ चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में कोई मास्टर प्लान नहीं बनाई गई थी।

मार्च 1992 तक अंचल के 7 मण्डलों द्वारा निर्मित 2486

---

* चम्बा, चुराह, देहरा, धर्मशाला, कुल्लू-I, मण्डी-II तथा पालमपुर

** बैजनाथ, उदयपुर स्थित चिनाब वैली, डलहौजी, फतेहपुर, मण्डी-I, [illegible] तथा सुन्दरनगर

किलोमीटर सड़कों में से 1537 किलोमीटर (62प्रतिशत) की कुल लम्बाई की सड़कें ही केवल साफ मौसम में प्रयोग की जा सकीं।

देहरा मण्डल में 8 किलोमीटर लम्बी सड़क 15.73 लाख रु0 के अनुमानित लागत के प्रति केवल 0.44 लाख रु0 में निर्मित की गई, प्रतिवेदित की गई।

(परिच्छेद 4.1.5)

7 मण्डलों द्वारा निष्पादनार्थ शुरू किए गए 671 कार्यों में से केवल 98 ही मार्च 1992 तक पूर्ण किए गए। इनमें से 84 कार्य (अनुमानित लागत: 631.72 लाख रु0) 788.19 लाख रु0 की लागत से 6महीने से 17 वर्ष से अधिक समय तक के विलम्ब के पश्चात् पूरे किए गए। 573 अपूर्ण कार्यों के सम्बन्ध में मार्च 1992 तक लिया गया अधिक समय 4 महीने और 20 वर्ष के ऊपर के बीच था। 568.40 लाख रु0 के कुल निवेश से अन्तर्गस्त 73 निर्माण कार्य मई 1992 तक अपूर्ण रहें क्योंकि इनके सरेखण में पड़ने वाली वन भूमि के अन्तरण के लिए प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए थे।

(परिच्छेद 4.1.6)

अप्रैल 1987 और मार्च 1991 के मध्य 18 पूर्ण तथा 7 अपूर्ण पुलों के सम्बन्ध में कुल 131.89 लाख रु0 का मूल्य अतिक्रमण कार्यों की पूर्णता में विलम्ब, कार्यों के विषय में रेखाकनों का देरी से अनुमोदन और कार्य के कार्य क्षेत्र में परिवर्तनों के कारण बताया गया। पृथक्-पृथक् मामलों में वृद्धि 8 प्रतिशत से 527 प्रतिशत थी। इसी प्रकार 7 मण्डलों द्वारा 111 सड़कों के निर्माण पर मार्च 1992 तक किए गए कुल 1257.24 लाख रु0 का व्यय अनुमानित व्यय से 613.61 लाख रु0 बढ़ गया, पृथक-2 मामलों में व्यय वृद्धि 7 प्रतिशत से 639 प्रतिशत तक उच्च थी।

(परिच्छेद 4.1.7)

8 सड़कों तथा 3 पुलों के निर्माण पर कुल 57.42 लाख रु0 के निवेश सभी प्रकार से उनकी अपूर्णता, आवश्यक भूमि की अनुपस्थिति में कार्यों के स्थगन सम्बद्ध कार्यों की अपूर्णता, दोषपूर्ण योजना, अपर्याप्त सर्वेक्षण तथा अन्वेषणों, इत्यादि के कारण निष्फल रहे अथवा बेकार हो गए थे।

(परिच्छेद 4.1.8)

अनुरक्षण व्यय हेतु उपयुक्त मानकों की अनुपस्थिति में, उद्देश्यार्थ निधियां केवल तदर्थ आधार पर आंबटित की गई। नमूना जांचित 6 मण्डलों में सड़कों के अनुरक्षण पर

वास्तविक व्यय व्यापक रूप से 1253 रुपये प्रति किलोमीटर तथा 19624 रु० प्रति किलोमीटर के बीच था।

(परिच्छेद 4.1.9)

1987-92 के मध्य कुल 566.34 लाख रु० के निवेशों से अन्तर्गस्त अनुसूचित जातियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से विशेष सर्वेक्षणों, अनुसूचित जातियों के बाहुल्य निवासित ग्रामों तथा यह सुनिश्चित किए बिना कि लाभ वास्तव में अभिप्रेत लक्ष्य समूह को प्राप्त हो रहा है, के आधार पर पहचान किए बिना निष्पादित किए गए।

(परिच्छेद 4.1.10(क))

दोषपूर्ण करारों, करार आदि की शर्तों के अनुरूप भुगतानों को विनियमित करने में विफलता के कारण 5 पुलों के सम्बन्ध में ठेकेदारों को 26.01 लाख रु० के अधिक भुगतान हुए थे।

(परिच्छेद 4.1.11)

4.1.5 प्रत्यक्ष एवं वित्तीय लक्ष्य व उपलब्धियां

किसी चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप ग्रामीण सड़कों के विकासार्थ कोई महायोजना या दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई गई थी और निष्पादनार्थ निर्माणकार्य पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं की परिकल्पनानुसार ही आरम्भ किए गए। वर्ष 1987-88 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान उत्तरी अंचल में ग्रामीण सड़कों के निर्माणार्थ प्रत्यक्ष एवं वित्तीय लक्ष्य और उनके प्रति उपलब्धियां निम्नवत् थी:-

अवधि	प्रत्यक्ष लक्ष्य	निर्मित सड़कों की कुल लम्बाई	बजट प्रावधान	बजट
	(किलोमीटर)			(लाख रुपये)
1987-88	196	225	546.80	563.73
1988-89	137	175	572.69	610.97
1989-90	173	216	555.48	630.37
1990-91	117	192	581.63	553.08
1991-92	154	216	872.03	918.07
योग	777	1,024	3,128.63	3,276.22

नमूना-जांच हेतु चयनित सात मण्डलों के अभिलेखों की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि इन मण्डलों द्वारा मार्च 1992 तक निर्मित 2486 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों में से केवल 949 किलोमीटर सड़कें पक्की थी तथा शेष 1537 किलोमीटर सड़कें केवल साफ मौसम के दौरान ही प्रयोगार्थ थी।

देहरा मण्डल में 8कि0मी0 लम्बी एक सड़क 15.73 लाख रु0 की प्राक्कलित लागत के प्रति केवल 0.44 लाख रु0 की लागत से मार्च 1988 में पूर्ण की गयी प्रतिवेदित की गयी थी। प्रति कि0मी0 व्यय (0.055 लाख रु0) भी प्रमुख अभियन्ता द्वारा मई 1986 में निर्धारित 1.88 लाख रु0 प्रति कि0 मी0 के प्रति काफी कम था। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अक्तूबर 1992) कि पूर्णता लागत में पर्याप्त अन्तर के कारणों की छानबीन की जा रही थी।

4.1.6 निर्माणकार्यों की पूर्णता में विलम्ब

नमूना परीक्षित 7 मण्डलों में मार्च 1992 तक आरम्भ किए गए, पूर्ण हुए तथा अपूर्ण पड़े निर्माण कार्यों को नीचे सारणीकृत किया गया है:

अवधि	आरम्भ किए गए निर्माण कार्य	प्राक्कलित लागत (लाख रुपये)	पूर्ण किए गए निर्माण कार्य		अपूर्ण पड़े निर्माणकार्य	
			संख्या	व्यय (लाख रुपये)	संख्या	व्यय (लाख रुपये)
मार्च 1987 तक	495	4882.59	83	861.12	412	2162.98
1987-88	28	323.65	7	81.22	21	77.20
1988-89	51	700.51	4	37.37	47	47.98
1989-90	51	1068.01	2	11.18	49	150.91
1990-91	23	284.17	2	20.22	21	23.18
1991-92	23	148.95	-	-	23	13.19
योग	671	7327.88	98	1011.11	573	2475.44

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नांकित तथ्य उद्घाटित हुए:-

(क) मार्च 1992 तक निष्पादनार्थ आरम्भ किए गए 671 निर्माण कार्यों में से 12 निर्माण कार्य प्रशासनिक अनुमोदन तथा 664

निर्माणकार्य तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना आरम्भ किए गए। इसके अतिरिक्त 8 निर्माणकार्य सम्बद्ध प्रशासनिक अनुमोदनों की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ किए गए।

(ख) 31 मार्च 1992 तक पूर्ण किए गए 98 निर्माणकार्यों में से 84 निर्माणकार्य 631.72 लाख रु0 की प्राक्कलित लागत से आरम्भ किए गए और 788.19 लाख रु0 की लागत से पूर्ण हुए। इन निर्माणकार्यों की पूर्णता में विलम्ब की सीमा 6 मास से 17 वर्षोपरि थी। सम्बद्ध मण्डलों ने इसे भू-अधिग्रहण में विलम्ब, पर्याप्त मशीनरी के अभाव, सड़क के प्रस्तावित संरेखण के साथ वन-भूमि पड़ने तथा निधियों के अभाव से सम्बद्ध किया। इन 98 निर्माणकार्यों की संवीक्षा से पुनः उद्घाटित हुआ कि मात्राओं, दरों तथा निष्पादित निर्माणकार्यों की विभिन्न मदों की लागत के प्रकारान्तर विश्लेषण वाले पूर्णता प्रतिवेदनों को तैयार/प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सम्बद्ध निर्माणकार्य लेखे सम्वृत्त नहीं हुए। निष्पादक अभिकरणों ने इसे भू-क्षतिपूर्ति, ठेकेदारों के देयों तथा अन्य भुगतानों के कारण दायित्वों को न निपटाने से सम्बद्ध किया।

(ग) (i) मार्च 1992 तक अपूर्ण पड़े 573 निर्माणकार्यों में से 503 निर्माणकार्यों की पूर्णता की नियत अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इन मामलों में समय-वृद्धि 4 मास से 20 वर्षोपरि थी। अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि यह निधि-अभाव, भू-अधिग्रहण में विवाद तथा प्रस्तावित संरेखणों के साथ पड़ने वाली वन-भूमि के हस्तान्तरण में विलम्ब से सम्बद्ध था।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार भारत सरकार की स्पष्ट अनुमति के बिना वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि का प्रयोग निषिद्ध है। नमूना परीक्षित 7 मण्डलों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, पण्डोह में ऐसे अनुमोदन की प्रत्याशा में सितम्बर 1980 व मार्च 1991 के मध्य निष्पादनार्थ आरम्भ किए गए 55 निर्माणकार्य मई 1992 तक अपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की उद्घोषणा के पश्चात् सितम्बर 1980 से पूर्व आरम्भ किए गए 20 अन्य कार्य भी रुक गये क्योंकि

वन भूमि के प्रयोगार्थ भारत सरकार की अनुमति आवश्यक थी। मार्च 1992 तक इन 75 कार्यों पर कुल 578.78 लाख रु0 का व्यय हो चुका था। इनमें से 73 निर्माणकार्यों के सम्बन्ध में वन-भूमि के हस्तान्तरणार्थ प्रस्ताव जुलाई 1992 तक भी तैयार करके वन विभाग को प्रस्तुत नहीं किए गए थे जबकि मार्च 1992 तक इन पर 568.40 लाख रु0 का व्यय हो चुका था।

(ii) ये निर्माणकार्य केवल तभी आरम्भ किए जाने अपेक्षित थे जब आवश्यक भू मि उपलब्ध हो जाती । तथापि 13 निर्माण कार्य भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना आरम्भ किए गए थे और भू-अधिग्राहण करने तथा भू-अधिग्राहण न किए जाने से विवाद के कारण 5 मण्डलों*में अपूर्ण पड़े थे । अगस्त 1973 से अप्रैल 1987 के मध्य निष्पादनार्थ आरम्भ किए गए 12 निर्माणकार्यों के सम्बन्ध में जुलाई 1992 तक भू-अधिग्राहण सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं की गई थीं। मार्च 1992 तक इन कार्यों पर कुल 41.06 लाख रु0 का व्यय परिणामत: निष्फल हुआ।

नमूना परीक्षित 7 मण्डलों में 200.10 लाख रु0 की प्राक्कलित लागत वाली 22 सड़कें (कुल लम्बाई 176 कि0मी0) मई 1980 व अगस्त 1989 के मध्य निर्माणार्थ आरम्भ की गयी थी । तथापि मार्च 1992 तक विशिष्ट प्रगति नहीं हुई थी क्योंकि 11.72 लाख रु0 की लागत से तब तक 47.535 कि0मी0 की लम्बाई में ही अनुरेखण कटान कार्य किया गया था। वन भूमि पड़ने तथा निधि अभाव के कारण सड़कों की रचना कटान कार्य अवरुद्ध पड़े थे।

4.1.7 लागत-वृद्धि

निर्माणकार्यों की पूर्णता में विलम्ब का लागत पर प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था। अक्तूबर 1973 और अक्तूबर 1988 के मध्य 7 मण्डलों ने 192.22 लाख रु0 की कुल प्राक्कलित लागत से 25 पुलों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया। इनमें से 18 पुल (प्राक्कलित लागत:137.15 लाख रु0) अप्रैल 1987 तथा मार्च 1991 के मध्य 241.24 लाख रु0 की लागत से पूर्ण किए गए थे। प्रत्येक मामले में लागत-वृद्धि 8 से 527 प्रतिशत के मध्य थी। तथापि 55.07 लाख रु0 की कुल प्राक्कलित लागत से अक्तूबर 1973

---

* चुराह, धर्मशाला, मण्डी-II, पालमपुर तथा सुन्दरनगर

व अक्तूबर 1988 के मध्य 5 मण्डलों* द्वारा निष्पादनार्थ आरम्भ किए गए शेष 7 पुल मार्च 1992 तक पूर्ण नहीं किए गए थे जबकि तब तक कुल 82.87 लाख रु० का व्यय हो चुका था जिसमें 27.80 लाख रु० (50 प्रतिशत) की लागत-वृद्धि शामिल थी।

इन 25 मामलों में कुल 131.89 लाख रु० की लागत-वृद्धि को सम्बद्ध अधिशासी अभियन्ताओं ने पुलों के डिजाइन में परिवर्तन, डिजाइनों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब तथा निधि अभाव से सम्बद्ध (मई व जुलाई 1992 के मध्य) किया।

इसी प्रकार 643.63 लाख रु० की कुल प्राक्कलित लागत पर संस्वीकृत 111 सड़कों के निर्माण पर 7 मण्डलों ने मार्च 1992 तक कुल 1257.24 लाख रु० का व्यय किया। मण्डलीय अधिकारियों ने प्रत्येक मामले में लागत वृद्धि (जो 7 प्रतिशत से 639 प्रतिशत तक उच्च थी) को सामग्री के मूल्य तथा मजदूरी में वृद्धि तथा भूमि के लिए अधिक क्षतिपूर्ति के भुगतान से सम्बद्ध किया।

विभागीय विलम्बों से सम्बद्ध असामान्य लागत वृद्धि के कतिपय दृष्टांत निम्नांकित हैं:-

(क) मेहला को बकानी (चम्बा जिला) से जोड़ने के लिए धारबेड नाले के ऊपर एक पुल के निर्माणकार्य को जनवरी 1979 में 2.97 लाख रु० की प्राक्कलित लागत से संस्वीकृत किया गया था जोकि जलीय आंकड़ों के आधार पर चम्बा मण्डल द्वारा उद्भूत व अक्तूबर 1978 में प्रेषित आरेखणों के अनुसार था। तथापि पहले प्रेषित जलीय आंकड़े नवम्बर 1982 में अशुद्ध पाए गए। इसलिए मण्डल ने परिमण्डल कार्यालय को संशोधित आंकड़े उपलब्ध करवाए। तत्पश्चात् नक्शों को दिसम्बर 1985 में अन्तिम रूप दिए जाने तक यह मामला मण्डलीय व परिमण्डलीय कार्यालय के मध्य पत्राचाराधीन रहा। वर्ष 1986-87 के दौरान निष्पादनार्थ आरम्भ किया गया यह निर्माणकार्य 18.62 लाख रु० की लागत से दिसम्बर 1990 में पूर्ण हुआ जो कि 15.65 लाख रु० (527 प्रतिशत) की लागत-वृद्धि दर्शाता था।

---

* चम्बा, चुराह, देहरा, धर्मशाला तथा कुल्लू-I

पहली बार में ही शुद्ध आंकड़े प्रस्तुत करने में विफलता (जो कि अपर्याप्त छानबीन का सूचक थी) तथा नक्शों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत-वृद्धि हुई।

(ख) 2.75 मीटर चौड़ी कल्हेल-बालीघराट जीपयोग्य सड़क को 2.750 कि0मी0 लम्बाई तक चौड़ा करने का कार्य 0.54 लाख रु0 की लागत से अक्तूबर 1976 में संस्वीकृत किया गया था। दो वर्षों में पूर्णता हेतु नियत यह निर्माण कार्य चुराह मण्डल द्वारा जनवरी 1977 में आरम्भ किया गया था। तथापि इसे 15 वर्ष पश्चात् भी पूर्ण नहीं किया गया तथा सितम्बर 1992 में 3.88 लाख रु0 के व्यय से 2.740 कि0मी0 लम्बाई तक सड़क पूर्ण हो पायी थी। तब तक लागत-वृद्धि 3.34 लाख रु0 (619 प्रतिशत) थी।

मण्डल ने विलम्ब को निधियों के अभाव तथा सामग्री व मजदूरी की लागत में समग्र वृद्धि से सम्बद्ध किया तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 1976-77 तथा 1992-93 के मध्य कुल 6.33 लाख रु0 के बजट प्रावधान के प्रति केवल 3.88 लाख रु0 प्रयुक्त किये गये थे और शेष राशि अन्य निर्माणकार्यों को अपवर्तित कर दी गयी थी। यदि विभाग ने उपलब्ध निधियों की प्रयुक्ति सुनिश्चित की होती तो समय व लागत वृद्धि को कम किया जा सकता था।

4.1.8 अपूर्ण निर्माणकार्यों पर निष्फल निवेश

(क) चम्बा-साहू सड़क के कुरील गांव तक विस्तार (लम्बाई 4.090 कि0मी0) पर 1/670कि0मी0 पर राजिन्दू नाले (पाट:19.75मी0) पर एक पुल के निर्माण कार्य को 4.89 लाख रु0 की प्राक्कलित लागत से अप्रैल 1986 में संस्वीकृत किया गया था। चुराह मण्डल द्वारा अक्तूबर 1985 में प्रेषित जलीय आंकड़ों के आधार पर 7 वें परिमण्डल, डलहौजी ने अगस्त 1986 में उप ढ़ांचे व वृहत् ढ़ांचे के नक्शे उद्भूत किए। नक्शों के आधार अर्थात् जलीय आंकड़ों व सम्बद्ध अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि ये आंकड़े अपूर्ण थे क्योंकि वर्षा सम्बन्धी निम्नांकित कारकों पर विचार नहीं किया गया था:-

-वर्षा की अधिकतम प्रचण्डता;
-बाढ़/तूफान की बारम्बारता तथा
-मासिक वृष्टि

इन अपेक्षणों के आधार पर अगस्त 1986 में उप ढ़ांचे का

निर्माण कार्य विभागीय रूप से निष्पादनार्थ आरम्भ किया गया था। कुरील की तरफ अन्त्याधार की पूर्णता पर तथा साहू की तरफ वाले अन्त्याधार के खुदाई कार्य के जुलाई 1988 तक प्रगतिरत होने के समय जुलाई/अगस्त 1988 में अतिवृष्टि के कारण कुरील की तरफ का अन्त्याधार क्षतिग्रस्त हो गया/बह गया। तब तक इस निर्माण कार्य पर 2.34 लाख रु0 का व्यय हुआ।

7 वें परिमण्डल, डलहौजी के अधीक्षण अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता (अभिकल्प) धर्मशाला ने दिसम्बर 1988 में कार्य स्थल का निरीक्षण किया और पुल के पाट को में 19.75 मी0 से बढ़ा कर 45 मी0 तक करने का प्रस्ताव किया तथा यह पुल कार्यस्थल की आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक 22.50 मी0 के दो पाटों में उसी अक्ष पर निर्मित किया जाना था। दिसम्बर 1988 में मुख्य अभियन्ता (उत्तर) को प्रेषित जलीय आंकड़ों के आधार पर आवश्यक आरेखणों को अक्तूबर 1992 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था तथा यह कार्य तब से अवरुद्ध पड़ा था। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अक्तूबर 1992) कि आरेखणों को अन्तिम रूप न दिए जाने तथा पर्याप्त बजट प्रावधान की अनुपलब्धता के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका और आरेखण नक्शे अभी भी मुख्य अभियन्ता के साथ पत्राचाराधीन थे।

आरम्भ में लघु पाट पुल हेतु उद्भूत ये आरेखण अपूर्ण आकड़ों पर आधारित थे और परिणामस्वरूप अन्त्याधार को क्षति हुई जिससे 2.34 लाख रु0 का अपव्यय हुआ। इस दौरान चम्बा साहू सड़क को 17.55 लाख रु0 की लागत पर कुरील गांव तक विस्तरित किया जा चुका था। इसे भी जैसा परिकल्पित था 1/670 कि0मी0 पर पुल के अनिर्माण के कारण प्रयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप सड़क के विस्तार पर किया गया व्यय भी अधिकतर निष्फल हुआ।

(ख) सलगान के निकट घिनाव घाटी सड़क से कुरुड़ तक 8 कि0मी0 की लम्बाई में 1.85 मी0 चौड़ी खच्चर सड़क के निर्माण का कार्य 1.36 लाख रु0 की लागत से अक्तूबर 1979 में संस्वीकृत किया गया था। तकनीकी संस्वीकृति की प्रत्याशा में घिनाव घाटी मण्डल, उदयपुर ने यह कार्य नवम्बर 1979 में शुरु किया तथापि 1.06 लाख रु0 की लागत से 0/0 कि0मी0 से 4/0 कि0मी0 तक एक मी0 चौड़ी पगडंडी तथा 0/0 कि0मी0 से 4/0 कि0मी0 के मध्य पांच खण्डों में 1.125 कि0मी0 की लम्बाई में 1.85 मी0 चौड़ी खच्चर सड़क पूरी करने के बाद यह कार्य नवम्बर 1984 में छोड़ दिया गया। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1991) कि निर्माणकार्य इसलिए त्याग दिया गया क्योंकि चट्टानी सतह जिस पर काफी निवेश होगा, के कारण सड़क का निर्माण मितव्ययी नहीं समझा गया।

अतएव यह प्रतीत होगा कि पर्याप्त सर्वेक्षण व छानबीन के आधार पर आर्थिक पहलू स्थापित किए बिना कार्य शुरू किया गया था जिससे परित्यक्त सड़क के निर्माणकार्य पर हुआ 1.06 लाख रु० का व्यय निष्फल हो गया।

(ग) भारी वाहनों के यातायात को सुगम बनाने के लिए स्मोट-टिक्करी-गोला-हटली सड़क (0/0कि०मी० से 4/500कि०मी०) का निर्माण कार्य प्राक्कलन की तकनीकी सम्स्वीकृति प्राप्त किए बिना अगस्त 1984 में डलहौजी मण्डल द्वारा 11.94 लाख रु० की प्राक्कलित लागत से आरम्भ किया गया था। भूमि पर विवाद के कारण निर्मित न किए जा सकने वाले 2/700 कि०मी० पर 20 मी० के एक लघु भू-खण्ड (जहां से सड़क गुजरनी थी) को छोड़कर 3/900 कि०मी० तक 5 से 7 मी० चौड़ी सड़क मई 1988 तक 11.53 लाख रु० की लागत से निर्मित की गयी थी। तत्पश्चात् निधियों की अनुपलब्धता तथा पत्राचाराधीन बताए गए (जून 1991) 2/700 कि०मी० पर विवादास्पद भूमि के अनधिग्रहण के कारण आगामी कार्य रोक दिया गया था।

जनवरी 1990 के दौरान 2/500 कि०मी० तक निर्मित सड़क के निरीक्षण पर सड़क उपयुक्तता समिति ने माना कि स्मोट बाजार में 100 मी० लम्बाई की सड़क के सकरे होने के कारण यह सड़क भारी वाहन चलाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। परिणामत: 2/500 कि०मी० तक सड़क की प्रयुक्ति केवल हल्के वाहनों के लिए की जा रही थी।

इन परिस्थितियों में दो तरफ से सड़क के निर्माण पर किए गये 11.53 लाख रु० के व्यय से अभिप्रेत प्रयोजन सिद्ध नहीं हुए।

(घ) 1.85 मी० चौड़ी मरवाह-घियारा सड़क (0/0कि०मी० से 4/800 कि०मी०) का निर्माण कार्य जून 1969 में 0.54 लाख रु० की लागत से अनुमोदित किया गया था जिसे 8/800 कि०मी० तक सड़क का विस्तार करने के निर्णयानुसार फरवरी 1971 में संशोधित करके 1.04 लाख रु० कर दिया गया। सितम्बर 1971 में घियारा नाले के ऊपर 0.64 लाख रु० की लागत से सड़क की प्रयुक्ति हेतु आवश्यक समझे गए काष्ठ पुल के निर्माण का कार्य सम्स्वीकृत किया गया तथापि मई 1972 में इसकी बजाय एक जीपयोग्य हवाई रज्जुमार्ग पुल (प्राक्कलित लागत: 0.92 लाख रु०) के निर्माण का निर्णय लिया गया।

सितम्बर 1983 तक कुल्लू मण्डल संख्या-I द्वारा 1.48 लाख रुपये की लागत पर 0/0 से 5/250 कि0मी0 लम्बाई में सड़क का निर्माण कर दिया था तथा कार्य राष्ट्रीय राज मार्ग मण्डल पण्डोह को हस्तान्तरित कर दिया था। तत्पश्चात कोई प्रगति नहीं हुई थी। जलीय आकंड़ों तथा अभिकल्प को अन्तिम न करने के कारण पुल भी सितम्बर 1991 तक निर्मित नहीं किया गया था। तथापि तब तक सड़क तथा पुल के निर्माण पर दो मण्डलों द्वारा 2.38 लाख रुपये का कुल व्यय हुआ प्रतिवेदित किया गया था।

विभाग के मतानुसार पुल की अनुपस्थिति में सड़क प्रयोग में नहीं लाई जा सकी। परिणामत: निर्माण कार्य पर किया गया 2.38लाख रु0 का व्यय मुख्यत: निष्फल रहा।

(ङ.) 0/0 कि0मी0 से 17/600 कि0मी0 तक टिक्कन-शिलबधानी सड़क (4 फीट चौड़ी पगडंडी) के निर्माण का कार्य दिसम्बर 1971 में 1.03 लाख रु0 की प्राक्कलित लागत से संस्वीकृत किया गया था। यह कार्य दिसम्बर 1971 में मण्डी मण्डल संख्या 1 द्वारा शुरू किया गया था। 0.94 लाख रु0 की लागत से 0/0 कि0मी0 से 5/0 कि0मी0 तक तथा 6/100 कि0मी0 से 15/0 कि0मी0 तक अनुरेखण कटान किए जाने पर सड़क के संरेखण में पड़ रही निजी भूमि पर विवाद के कारण वर्ष 1983-84 में यह कार्य परित्यक्त कर दिया गया। तत्पश्चात् दिसम्बर 1984 में सड़क संरेखण में परिवर्तन कर दिया गया और 1.22 लाख रु0 की लागत से संशोधित संरेखण पर 1/800 कि0मी0 तक 5 से 7 मी0 चौड़ी सड़क और 15/0 कि0मी0 तक 4 फीट चौड़ी पगडंडी निर्मित करने के बाद परिवर्तित संरेखण में पड़ रही निजी भूमि पर विवाद के कारण पुन: वर्ष 1987-88 के दौरान निर्माणकार्य रोक दिया गया। फरवरी 1992 में यह विवाद सुलझा लिया गया और आगामी कार्य प्रगतिरत बताया गया।

यद्यपि परित्यक्त सड़क पर 0.94 लाख रु0 का अपव्यय हुआ था लेकिन इस सड़क पर पुन: 1.22 लाख रु0 के व्यय से भी अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं हुए।

(च) मार्च 1983 में 10.09 लाख रु0 की प्राक्कलित लागत से चानन ग्राम से बीर (0/0 कि0मी0 से 5/0कि0मी0) तक सम्पर्क सड़क का निर्माण संस्वीकृत किया गया था। तकनीकी संस्वीकृति की प्रत्याशा में मण्डी मण्डल संख्या-II द्वारा यह कार्य मार्च 1983 में चानन की तरफ से शुरू किया गया था। सड़क-संरेखण में पड़ रही निजी भूमि के उपयोग पर विवाद के कारण

कार्य रोक दिए जाने के समय दिसम्बर 1987 तक 1.17 लाख रु0 की लागत से 0/0 से 0/400 कि0मी0 तक 5 से 7 मी0 चौड़ी सड़क और 0/400 कि0मी0 से 3/0 तक एक मी0 चौड़ी पगडंडी निर्मित की गयी थी।

जनवरी 1988 में कोटली उपमण्डल के सहायक अभियन्ता से मण्डलीय कार्यालय में प्राप्त एक पृथक् संरेखण के साथ सड़क निर्माण के प्रस्ताव को जुलाई 1992 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था तथापि उपमण्डल द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान इस संरेखण पर सड़क निर्मित करने का कार्य शुरू किया गया था और मई 1992 तक 2.55 लाख रु0 की लागत से 3/300 कि0मी0 की लम्बाई में 5 से 7 मी0 चौड़ी एक सड़क निर्मित की गयी थी।

आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना चानन की तरफ से कार्य शुरू करने के परिणामस्वरूप 1.17 लाख रु0 का व्यय निष्फल हुआ। आवश्यक अनुमोदन के बिना तथा संरेखण पर किए गए 2.55 लाख रु0 के व्यय का नियमन भी अपेक्षित था।

(घ) 0/0 कि0मी0 से 1/500 कि0मी0 तक तथा 1/500 कि0मी0 से 6/0 कि0मी0 तक दो आगमों में 5 से 7 मी0 चौड़ी बन्जार-खबल सड़क का निर्माणकार्य क्रमश: 1.66 लाख रु0 तथा 5 लाख रु0 की प्राक्कलित लागत से फरवरी 1976 व अगस्त 1976 में संस्वीकृत किया गया था। इन दोनों ही आगमों में निष्पादनार्थ कार्य वर्ष 1976-77 में कुल्लू मण्डल संख्या-1 द्वारा आरम्भ किया गया था। 0/0 कि0मी0 से 1/500 कि0मी0 तक का कार्य 5.09 लाख रु0 की लागत पर मार्च 1984 में पूर्ण किया गया तथा 1/500 से 6/0 तक 12.22 लाख रु0 की लागत पर मार्च 1991 में पूर्ण किया गया। 10.65 लाख रु0 लागत वृद्धि को सामग्री व मजदूरी की लागत में वृद्धि से सम्बद्ध किया गया।

सड़क के इन खण्डों को खुण्डन (0/345 कि0मी0) में बन्जार खड्ड के ऊपर पुल के अभाव में प्रयुक्त नहीं किया जा सका। इस पुल के निर्माण का कार्य 7.31 लाख रु0 की प्राक्कलित लागत से केवल नवम्बर 1985 में संस्वीकृत किया गया था। अगस्त 1984 में मण्डल द्वारा प्रेषित जलीय आंकड़ों के आधार पर नवम्बर 1991 में डिजाइन उद्भूत किए गए और 3.83 लाख रु0 की लागत से जून 1992 तक पुल के दोनों ओर अन्त्याधार निर्मित किए गए।

पुल व सड़क को एक साथ निर्मित करने में विफलता और

तदनन्तर पुल के लिए नक्शों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप सड़क के निर्माण पर किया गया 17.31लाख रु0 का निवेश निष्फल हो गया।

(ज) सगूर व बैजनाथ के बीच दूरी घटाने के लिए 14 कि0मी0 सगूर लागू सड़क (कांगड़ा जिला) के निर्माण कार्य 7.87 लाख रु0 की प्राक्कलित लागत से सितम्बर 1980 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था जिसे पांच वर्षों में पूर्ण किया जाना था। यह कार्य मई 1980 में बैजनाथ मण्डल द्वारा शुरू किया गया। मार्च 1985 तक 1/930 कि0मी0 तक सड़क का संरचना कटान तथा 200 मी0 की लम्बाई में परस्पर निकासी कार्य पूर्ण हुए थे जिन पर 1.49 लाख रु0 का व्यय हुआ।

पुनः निर्माण कार्य का निष्पादन अप्रैल 1985 में रोक लिया गया क्योंकि बिनवा खड्ड पर पुल, जिसके निर्माण को जुलाई 1981 में 17.40 लाख रु0 की प्राकलित लागत पर प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था, पूर्ण नहीं किया गया था तथा सड़क पुल के अभाव में प्रयोग में नहीं लाई जा सकी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा समीक्षा से प्रकट हुआ कि यद्यपि यह पुल 3 वर्षों में पूर्ण किया जाना था और 1980-88 वर्षों के दौरान 10.34 लाख रु0 का बजट प्रावधान भी उपलब्ध था लेकिन जुलाई 1992 तक भी पुल का कार्य शुरू नहीं किया गया था। तब तक छानबीन पर 0.43 लाख रु0 व्यय किए जा चुके थे। पालमपुर परिमण्डल के अधीक्षण अभियन्ता ने जुलाई 1992 में सरकार को सूचित किया कि पुल निर्मित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को इसके निर्माण पर काफी निवेश करने की दृष्टि से छोड़ दिया गया था।

इन परिस्थितियों में दो निर्माणकार्यों पर हुए 1.92 लाख रु0 के व्यय के निष्फल रहने के अतिरिक्त सात वर्ष बीत जाने पर भी सगूर व बैजनाथ के बीच दूरी कम करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका था।

4.1.9 सड़कों का अनुरक्षण

यातायात घनत्व, सड़कों की चौड़ाई तथा सामग्री व श्रम लागत के आधार पर सड़कों के अनुरक्षणार्थ निधियों के आबंटन हेतु उपयुक्त मानक उद्भूत नहीं किए गए थे इसकी बजाय निधियां केवल तदर्थ आधार पर आबंटित की जा रही थी। नवम्बर 1975 में मुख्य अभियन्ता ने निचले व हिमाच्छादित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण पर क्रमशः 2,540 रु0 व 2,800 रु0 प्रति कि0मी0 की सीमा निर्धारित की थी। तत्पश्चात् इन मानकों को समीक्षा

नहीं की गयी। 1987-92 वर्षों के दौरान 6 मण्डलों* में सड़कों के अनुरक्षणार्थ 883 रु0 तथा 19,214 रु0 के मध्य प्रति कि0मी0 वार्षिक आबटन के प्रति वास्तविक व्यय में विस्तृत अन्तर था जो 1,253 रु0 तथा 19,624 रु0 प्रति कि0मी0 के मध्य था।

मुख्य अभियन्ता (उत्तर) ने बताया (मई 1992) कि अनुरक्षणार्थ निधियां किसी निर्धारित मापदण्ड के बिना आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आबण्टित की गयी थीं। 3 मण्डलों** में सड़कों के अनुरक्षणार्थ प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए थे जबकि वर्ष 1987 से 1992 तक 467.01 लाख रु0 का व्यय किया जा चुका था।

अभिलेखों की पुन: संवीक्षा से प्रकट हुआ कि नमूना परीक्षित 7 मण्डलों में 37 निर्माणकार्यों के पूर्णता वर्ष के तत्काल बाद के वर्षों में इन निर्माणकार्यों का मरम्मत व अनुरक्षण शुरू हो गया था।

4.1.10 विशेष कार्यक्रमों का अनियमित कार्यान्वयन

(क) राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले अनुसूचित जाति प्रधान ग्रामों को जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माणार्थ वर्ष 1970-71 में एक विशेष अवयव उपयोजना का सूत्रपात किया गया था। नमूना परीक्षित 7 मण्डलों में उपयोजना के अन्तर्गत 65 निर्माणकार्यों पर 1987-92 वर्षों के दौरान 566.34 लाख रु0 का व्यय किया जा चुका था। तथापि यह पाया गया कि इन निर्माणकार्यों को शुरू करने से पूर्व अनुसूचित जाति प्रधान ग्रामों की पहचान के लिए सर्वेक्षण नहीं किए गए थे ताकि अभिप्रेत लक्ष्य समूह को लाभ सुनिश्चित किया जा सकता।

उपयोजना के अन्तर्गत निष्पादित 30 निर्माणकार्यों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इन निर्माणकार्यों (व्यय:238.59 लाख रु0) द्वारा आवृत ग्रामों में निवास कर रही अनुसूचित जाति की जनसंख्या 28 निर्माणकार्यों के मामले में इनके द्वारा आवृत्त ग्रामों में 1981 की जनगणना के आधार पर 50 प्रतिशत से कम थी और ऐसी जनसंख्या केवल दो निर्माणकार्यों में ही विहित प्रतिशतता से अधिक थी। जैसा नीचे इंगित है:-

---

* चुराह, देहरा, धर्मशाला, कुल्लू-I, मण्डी-II तथा पालमपुर

** धर्मशाला, कुल्लू-I तथा पालमपुर

निर्माण कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रुपये)	अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता
2	10.14	0.5 से 25
14	127.37	25 से 40
12	90.76	40 से 50
2	10.32	50 से अधिक
30	238.59	

इन निर्माणकार्यों को शुरू करने से पूर्व अनुसूचित जाति प्रधान ग्रामों की पहचान में विफल रहना जोकि घटिया योजना का सूचक था, के परिणामस्वरूप कार्यक्रम का अनियमित क्रियान्वयन हुआ जिससे लक्ष्य ही विफल हो गए।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों के विकासार्थ राज्य में पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। कुल्लू मण्डल संख्या 1 में इस उपयोजना के अन्तर्गत 3 सड़क निर्माणकार्यों पर मार्च 1992 तक 18.85 लाख रु0 का व्यय किया गया था जबकि यह क्षेत्र अभिज्ञात पिछड़ी पंचायतों में नहीं आता था।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जून 1992) कि इस उपयोजना के अन्तर्गत इन सड़कों के निर्माण का निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया था इसलिए वह कार्यक्रम के अनियमित क्रियान्वयन पर कोई विवेचना प्रस्तुत नहीं कर सका।

4.1.11 अन्य रुचिकर तथ्य

(क) जनवरी 1985 और मई 1985 के मध्य मण्डी मण्डल संख्या II ने जुलाई 1987 और जून 1988 तक पूर्णता हेतु नियत क्रमश: 36.76 लाख रु0 और 44.89 लाख रु0 की एकमुश्त लागत पर (i) कुन-का-तार में व्यास नदी के ऊपर एक पुल और (ii) चक्कर में सुकेती के ऊपर एक अन्य पुल के निर्माण का कार्य दो फर्मों ("क" व "ख") को सौंपा। इन दो फर्मों को डिजाइनों के प्रथम समूह को प्रस्तुत करने तथा मशीनरी के उपार्जन पर गतिशीलता हेतु 8.17 लाख रु0 की अग्रिम राशि (फर्म "क: 3.68 लाख रु0

तथा फर्म "ख":4.49 लाख रु0) का भुगतान किया गया था। यद्यपि संविदाओं में उपबन्धित था कि केवल बैंक प्रत्याभूति तथा मशीनरी के सरकार के पास बन्धक रखने के प्रति ही अग्रिम राशि का भुगतान करना था लेकिन इसे सुनिश्चित नहीं किया गया था।

दोनों ही फर्मों ने पूर्णता हेतु नियत अवधि का पालन नहीं किया। कार्य की धीमी प्रगति हेतु दोनों ही फर्मों पर क्रमश: 1.84 लाख रु0 और 2.24 लाख रु0 की क्षतिपूर्ति राशि उद्ग्रहीत की गयी।

जुलाई 1988 में फर्म "ख" के एकमात्र स्वामी की मृत्यु के कारण नवम्बर 1988 में फर्म के साथ किया गया अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया । तब तक अग्रिम राशियों के प्रति 1.12 लाख रु0 समायोजित किए जा चुके थे। पुन: 13.41 लाख रु0 की सकल राशि के लिए फर्म के अन्तिम बिल को तैयार करने पर फर्म से प्रदत्त सामग्री तथा क्षतिपूर्ति के कारण प्राप्य 1.74 लाख रु0 की राशि निर्धारित की गयी। जून 1992 तक अन्तिम बिल का भुगतान न करने से बकाया पड़ी अग्रिम राशि और सामग्री लागत व क्षतिपूर्ति के 5.11 लाख रु0 की तब तक वसूली नहीं हुई।

इसी प्रकार फर्म "क" को प्रदत्त 3.68 लाख रु0 की अग्रिम राशि और 1.84 लाख रु0 की क्षतिपूर्ति राशि में से जून 1992 तक इसके चालू खाता बिलों से केवल 1.42 लाख रु0 की अग्रिम राशि और 0.10 लाख रु0 की क्षतिपूर्ति राशि ही समायोजित की गयी।

बैंक गारण्टी और मशीनरी के बन्धक रखने के सम्बन्ध में सांविधिक उपबन्धों की अनुपालना और दोनों ही फर्मों से देय राशियों की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप काफी लम्बी अवधि तक 9.11 लाख रु0 की वसूली नहीं हुई।

(ख) मई 1984 में फतेहपुर मण्डल ने 95.10 लाख रु0 की एकमुश्त लागत से बम्बई की एक फर्म को देहर-ज्वाली सड़क पर देहर खड्ड के ऊपर एक पूर्वदाबी कंकरीट पुल के निर्माण का कार्य सौंपा। इसमें वास्तविक निष्पादन में अपनाई गई अथवा नहीं प्रक्रिया ध्यान में रखने के बिना नींव के लिए हवादार कुओं की खुदाई के लिए फर्म द्वारा मांगी गई 19.70 लाख रु0 की राशि भी शामिल थी। फर्म द्वारा यह पुल दिसम्बर 1988 में पूर्ण किया गया था और फर्म को किए गए भुगतानों में कुओं की हवादार खोदने से सुखाने के लिए 19.70 लाख रु0 भी शामिल थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कुओं को सुखाने में वातिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। इन परिस्थितियों में खोदने की आवश्यकता व्यापित किए बिना विभाग द्वारा यह शर्त स्वीकार करना अविवेक पूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप फर्म को **19.70** लाख रु० का अनायास लाभ हुआ।

मुख्य अभियन्ता ने बताया (मई **1992**) कि संविदा को अन्तिम रूप देते समय यह पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था कि नींव-निष्पादन के समय किसी अवस्था में कुओं को खोदने की प्रक्रिया का आश्रय लेना पड़ेगा। यदि ऐसा भी था तो भी विभाग कम से कम यह सुनिश्चित कर सकता था कि बिना शर्त भुगतान की सहमति न देता (जैसा कि किया गया था) और यह शर्त रखता कि वास्तविक निष्पादन में इस प्रक्रिया को अपनाने पर ही भुगतान होगा।

(ग) धर्मशाला मण्डल द्वारा एकमुश्त आधार पर एक नगरोटा बलधार सड़क पर बनेर खड्ड के ऊपर तथा दूसरा बागली मशरेहड़ भयोल-योल सड़क पर न्योड़ खड्ड के ऊपर दो पुलों के निर्माण कार्य क्रमश: **21.05** लाख रु० और **10.10** लाख रु० में जुलाई **1980** में बम्बई की एक फर्म को तथा मई **1981** में चण्डीगढ़ की एक फर्म को सौंपा गया था। इन फर्मों को क्रमश: श्रम व सामग्री मूल्यों के अन्तर हेतु मार्च **1986** और मई **1986** में **3.75** लाख रु० और **1.10** लाख रु० के वृद्धि प्रभारों का भुगतान किया गया था। संविदा करारों के अनुसार **5** प्रतिशत से अधिक अन्तरों पर ही सामग्री व श्रम लागतों की वृद्धि भुगतान-योग्य थी तथापि वृद्धि प्रभार विमुक्त करते समय इस उपबन्ध को ध्यान में नहीं रखा गया था जिसके परिणामस्वरूप **0.68** लाख रु० (बम्बई स्थित फर्म:**0.48** लाख रु० तथा चण्डीगढ़ स्थित फर्म:**0.20** लाख रु०) का अधिक भुगतान हुआ। मण्डल का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई **1992**)।

(घ) विभाग ने तारकोल/बालू/रिट को गर्म करने के लिए ईंधन काष्ठ की खपत के मापदण्ड आरम्भ में मई **1974** में निर्धारित किए थे। अनुभव के आधार पर इन्हें दिसम्बर **1980** तथा पुन: जनवरी **1987** में संशोधित किया गया था।

6 मण्डलों* में वर्ष **1987** के संशोधित मापदण्डों के आधार पर **14,473** क्विंटल ईंधनकाष्ठ की अनुमत्य आवश्यकता के प्रति **40** कार्यों में मार्च **1987** तथा मार्च **1992** के मध्य **1452** टन तारकोल तथा **8,476** घन मी० बालू व रिट गर्म करने के लिए **18,256** क्विंटल ईंधन काष्ठ की

---

* बैजनाथ, देहरा, धर्मशाला, फतेहपुर, कुल्लू-I तथा पालमपुर

खपत हुई। इसके परिणामस्वरूप 3.20 लाख रु0 की लागत के 3,783 क्विंटल ईंधन काष्ठ की अतिरिक्त खपत हुई।

निष्पादन अभिकरणों ने अतिरिक्त खपत को मोटे तौर पर मौसम दशाओं में परिवर्तन से सम्बद्ध किया (मई-जुलाई 1992)। उनका तर्क मान्य नहीं था क्योंकि मौसम दशाओं पर आधारित खपत के अन्तर को मापदण्ड निर्धारित करते समय ध्यान में रख लिया गया था और इसकी समुचित अनुमति दे दी गयी थी।

4.1.12 अनुश्रवण एव मूल्यांकन

अप्रैल 1968 में शिमला स्थित प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में एक पृथक् आयोजना एवं अनुश्रवण कक्ष सृजित किया गया था जिसे मुख्य अभियन्ता (उत्तर) और अधीक्षण अभियन्ताओं से प्राप्त प्रत्यक्ष एवं वित्तीय उपलब्धियों के आवधिक प्रतिवेदनों के अनुश्रवणार्थ वर्ष 1984 के दौरान पुनर्गठित किया गया था।

निर्माणकार्यों की गुणवत्ता, विनिर्दिष्टों व अनुसूचियों की अनुपालना आदि सुनिश्चित करने के लिए मुख्य अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ताओ द्वारा निर्माणकार्यों के निरीक्षण की आवधिकता निर्धारित करने के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गए थे। नमूना परीक्षित 7 मण्डलों में 1987-92 वर्षों के दौरान मुख्य अभियन्ता (उत्तर) तथा अधीक्षण अभियन्ताओ द्वारा जारी निरीक्षण टिप्पणियों की संख्या में एक वित्तीय वर्ष में क्रमशः शून्य से छः तथा शून्य से बारह का अन्तर था।

4.1.13 ये तथ्य अगस्त 1992 में सरकार के ध्यान में लाए गए थे। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

4.2 निर्माणकार्यों पर निष्फल व्यय

(क) शिमला जिले का खासधार गांव किसी भी सड़क से जुड़ा नहीं था। इसे रोहडू चिड़गांव-डोडरा क्वार सड़क से जोड़ने के लिए मार्च 1981 में 6.53 लाख रु0 की प्राक्कलित लागत से सन्धासू में पब्बर नदी पर 29 मी0 पाट वाले इस्पात ट्रस पुल के निर्माण को प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था तदनन्तर जनवरी 1982 तथा मार्च 1984 में आरम्भ में 0/0 कि0मी0 से 2/250 कि0मी0 (प्राक्कलित लागत: 4.37 लाख रु0) तथा 2/250 कि0मी0 से 7/250 कि0मी0 (प्राक्कलित लागत: 9.73 लाख रु0) तक दो भू-खण्डों पर सन्धासू से खासधार (दूरी: 9 कि0मी0) तक

सड़क निर्माण का भी प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था।

0/0कि0मी0 से 2/250 कि0मी0 तक सड़क निर्माण का कार्य अप्रैल 1983 में रोहडू मण्डल द्वारा शुरू किया गया था। यद्यपि पब्बर नदी कार्यस्थल को अन्तिम रूप न दिए जाने पर पुल का निर्माण मार्च 1981 में अनुमोदित किया गया था लेकिन इसे कार्य स्थल को अंतिम रूप न दिए जाने और निधि अनुपलब्धता के कारण तत्काल आरम्भ नहीं किया जा सका। आवश्यक तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना इसे अगस्त 1987 में आरम्भ किया गया था।

अनुमोदित 29 मी0 पाट वाले इस्पात ट्रस पुल की बजाय 26.81 लाख रु0 की लागत से जून 1990 में एक 32 मी0 पाट वाले पूर्वदावी ककरीट पुल को पूर्ण किया गया था जो 20.28 लाख रु0 (311 प्रतिशत) की लागत वृद्धि प्रकट करता था। मण्डलीय अधिकारी ने लागत वृद्धि को पुल के डिजाइन और निर्माणकार्य के क्षेत्र में परिवर्तन तथा सामग्री व श्रम की लागत में वृद्धि से सम्बद्ध किया (मई 1992) तथापि डिजाइन में परिवर्तन हेतु कारण उपलब्ध नहीं करवाए गए। लेखापरीक्षा को उपलब्ध अभिलेखों से भी ये सुनिश्चित करने योग्य नहीं थे। मण्डल ने भी संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मई 1992 तक कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की।

मई 1992 तक सन्धासू से खासधार तक सड़क निर्माण कि स्थिति निम्नवत थी:-

(i) 0/0 कि0मी0 से 2/250 कि0मी0 तक :760 मीटर की लम्बाई का कार्य खण्डश: 2.21 लाख रु0 की लागत से किया गया।

(ii) 2/250 कि0मी0 से 7/250 कि0मी0 तक: कोई भी कार्य निष्पादित नहीं किया गया क्योंकि अंशत प्रस्तावित संरेखण में पड़ने वाली 17 बीघे जमीन निजी पार्टियों (4.25 बीघा) तथा वन विभाग (12.75 बीघा) से सम्बन्धित थी, मण्डल द्वारा सड़क निर्माण हेतु वन -भूमि के उपयोगार्थ पश्चात्वर्ती की अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही फरवरी 1992 में ही आरम्भ की गई; सड़क संरेखण में पड़ने वाली निजी भूमि के अर्जन करने की कार्रवाई मई 1992 तक आरम्भ नहीं की गई थी।

(iii) 7/250 कि0मी0 से 9/000 कि0मी0 तक : निर्माण हेतु प्रस्ताव नहीं किया गया।

जनवरी 1982 तथा मार्च 1984 में अनुमोदित सड़क के उसी अंश के 8 वर्षोपरि समय में भी पूर्ण न होने से अभिप्रेत प्रयोजनार्थ पुल का उपयोग नहीं हो सका और खास धार को सड़क सम्पर्क उपलब्ध करवाने का लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ। परिणामत: पुल व सड़क के एक भाग के निर्माण पर हुआ कुल 29.02 लाख रु0 का निवेश निष्फल रहा। पुन: सड़क निर्माण में काफी समय पिछड़ जाने के दृष्टिगत अस्सी के दशक के पूर्ववर्ती वर्षों में तैयार किए गए प्राक्कलनों में अधिक लागत के संशोधन अपेक्षित हो सकते हैं।

(ख) गलोग से कुनिहार तक एक सड़क (लम्बाई: 24 किलोमीटर) शिमला मण्डल-II द्वारा (18 किलोमीटर) तथा सोलन मण्डल द्वारा (6 किलोमीटर) बनवाई जानी थी। इसके अतिरिक्त, सड़क के 6/020 किलोमीटर स्थित कुनी खड्ड के ऊपर एक पुल का निर्माण भी पश्चादोक्त को सौंपा गया। इन कार्यों के विवरण निम्नवत् थे:-

विवरण	अनुमोदन का मास	अनुमोदित व्यय (लाख रुपये)	पूर्णता की अनुसूची
कुनिहार से 6कि0मी0 सड़क	अप्रैल 1980	5.00	अप्रैल 1982
गलोग से 18 कि0मी0 सड़क	अक्तूबर 1982	30.06	अक्तूबर 1984
कुनी खड्ड के ऊपर पुल	जुलाई 1985	4.91	जुलाई 1987

6 किलोमीटर सड़क तथा पुल का निर्माण कार्य सोलन मण्डल द्वारा क्रमश: मार्च 1981 तथा जून 1987 में आरम्भ किया गया। ये 13.69 लाख रु0 के कुल व्यय से क्रमश: जून 1986 तथा मार्च 1990 में पूर्ण किए गए। मण्डल द्वारा कार्यों की पूर्णता में विलम्ब निधियों के अभाव के कारण बताया गया; तथापि क्योंकि संशोधित आकलनों के अन्तिम रूप नहीं दिया गया था; व्यय वृद्धि हेतु कारणों का विश्लेषण नहीं किया जा सका। मई 1992 तक सडक की मरम्मतों एवं अनुरक्षण पर 0.59 लाख रु0 का व्यय भी किया गया।

गलोग से 18 किलोमीटर लम्बे भू-खण्ड का निर्माण शिमला मण्डल-II द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वयं सितम्बर 1980 में आरम्भ कर दिया गया। अक्तूबर 1992 तक सम्पूर्ण फासले पर एक मीटर पगडंडी का कटान और 7.750 किलोमीटर सड़क 10 लाख रु0 के व्यय से

पूरी की गई थी। 7/000 किलोमीटर तक सड़क वाहनीय यातायात हेतु भी अक्तूबर 1986 में खोल दी गई थी। 7/750 किलोमीटर से आगे सड़क का निर्माण तथापि कथित रूप से निधियों के अभाव के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया।

तथापि कुनिहार से 6 किलोमीटर सड़क तथा पुल दिसम्बर 1991 तक वाहनीय यातायात हेतु नहीं खोले गए थे क्योंकि अधिकतर जनसंख्या जिन्हें इसका लाभ पहुंचना था वे शिमला मण्डल-II के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्रों में थी, जिसने दो भागों के मध्य सम्पर्क प्रदान करने हेतु अभी 6/000 किलोमीटर के आगे सड़क पूरी करनी थी।

शिमला मण्डल-II के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली सड़क का भाग 12 वर्षों की समाप्ति के बाद भी पूर्ण न होने से, कुनिहार से सड़क निर्माण व अनुरक्षण तथा पुल पर किया गया 14.28 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा। उपयुक्त आयोजना उपलब्ध स्रोतों के अधिक न्यायसंगत विकास तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि समस्त दूरी के साथ-साथ सड़क पूरी की जाये न कि असम्बद्ध दूरियों में जैसा कि किया गया था, दोनों मण्डलों के मध्य पर्याप्त समन्वय से शायद इस स्थिति का परिहार किया जा सकता था।

(ग) 11.92 लाख रु0 की अनुमानित लागत से मन्ढोल (जिला शिमला में) क्रीड़ा स्टेडियम के निर्माण का प्रशासनिक रूप से मार्च 1987 में अनुमोदन किया गया। जुब्बल मण्डल ने प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी संस्वीकृति की प्रत्याशा में चयनित स्थल की उपयुक्तता स्थापित करने के लिए भूमि सर्वेक्षण अथवा अन्वेषण किए बगैर स्वयं ही कार्य निष्पादन मार्च 1985 में आरम्भ कर दिया।

कार्य के अनुमोदित क्षेत्र के अनुसार खेल के मैदान की लम्बाई-चौड़ाई 100x55 मीटर होनी थी। तथापि मण्डल ने इन्हें 110x90 मीटर में संशोधित किया। क्षेत्र में इस परिवर्तन के कारण अभिलेखों से सुनिश्चित योग्य नहीं थे। मण्डल ने परिवर्तन के विषय में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग (युवा सेवाएं तथा क्रीड़ा विभाग) का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया था।

मण्डल ने मैदान को समतल करने तथा अंगुष्ठ भित्ति तथा वक्ष भित्ती के निर्माण पर जुलाई 1989 तक 15.59 लाख रु0 का व्यय किया था। 2.51 लाख रु0 के व्यय से मार्च 1985 तथा मई 1989 के मध्य निर्मित दीवार जुलाई 1989 में नाकाम हो गई; स्टेडियम का आगामी कार्य

तत्पश्चात् स्थगित कर दिया गया। प्रशासनिक विभाग द्वारा किए 14.55 लाख रु0 के कुल प्रावधान से व्यय बढ़ गया ; इस विभाग ने अतिरिक्त निधियाँ प्रदान करना भी इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य-क्षेत्र का परिवर्तन स्वत: प्रेरणा से किया गया था।

जून 1990 में कार्य के निरीक्षण के दौरान, अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत शिमला ने वक्ष-भित्ति की विफलता भारी गलीचा दाब को आरोपित की। इस कारण दीवार की विफलता के लिए कारणों की छानबीन करने हेतु अगस्त 1990 में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया। अधीक्षण अभियन्ता ने अप्रैल 1991 में यह परामर्श दिया कि राज्य भूवैज्ञानिक से स्थल निरीक्षण करने का अनुरोध किया जाए।

तत्पश्चात् मार्च 1992 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में तकनीकी समिति ने बताया कि चयनित स्थल पर मिट्टी रेतीली थी जो संसक्ति के अभाव के कारण वक्ष भित्ती में दरारों/क्षतियों में परिणत हुई। इस कारण, उन्होंने विस्तृत भू-वैज्ञानिक तथा भू-अन्वेषणों की सिफारिश की। समिति ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि वक्षभित्ति के निर्माण पर किया गया 2.51 लाख रु0 का व्यय निष्फल हो गया था। सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई के विवरण प्रतीक्षित थे (जून 1992)।

इस प्रकार, कार्य के प्रारम्भ से पूर्व अन्वेषणों पर आधारित स्थल की अपयुक्तता को स्थगन करने में विभाग की विफलता के कारण निष्पादन अवधि के दौरान कार्य स्थगन आवश्यक हो गया था और परिणामत: 13.08 लाख रु0 का व्यय निष्फल हो गया इसके अतिरिक्त वक्ष भित्ति के निर्माण पर 2.51 लाख रु0 का व्यय भी बेकार गया था।

(घ) 6 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर सोलन में एक अन्य स्टेडियम के निर्माण का दिसम्बर 1984 में प्राशानिक रूप से अनुमोदन किया गया। 8 महीनों की निश्चित अवधि में पूर्ण किया जाने वाला कार्य सोलन मण्डल द्वारा तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना मार्च 1985 में शुरू किया गया। सामग्रियों के मूल्यों तथा मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि तथा कार्य के क्षेत्र में विस्तार के कारण मार्च 1987 में आकलन 12 लाख रु0 संशोधित कर दिया गया।

कार्य के अनुमोदित क्षेत्र में मैदान को समतल करने तथा पैविलियन और 110 मीटर की लम्बाई में सीढ़ीयों के निर्माण की परिकल्पना

थी। तथापि मार्च 1989 तक अकेले मैदान समतल करने पर ही 12.03 लाख रु0 का व्यय किया गया। अत: उसके बाद कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया। मई 1990 में मण्डल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत 25.08 लाख रु0 का संशोधित आकलन कुछ टिप्पणियों सहित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा लौटा दिया गया। उसके बाद, मैदान समतल करने (12.19 लाख रु0) तथा पैविलियन के निर्माण (19.03 लाख रु0) के दो पृथक आकलन मण्डल द्वारा अक्तूबर 1991 में प्रस्तुत किए गए। तथापि, ये जून 1992 तक अनुमादित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, अब तक 12.03 लाख रु0 के किए गए व्यय से अभिप्रेत उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी।

(ड.) कुल्लू जिले में द्वारी से नासोगी तक 7.49 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर 2.5 किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण प्रशासनिक रूप से जनवरी 1982 में अनुमोदित किया गया। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने जनवरी 1982 में विशेष रूप से निर्देश दिए कि कार्य का निष्पादन सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त करने पर तथा यह सुनिश्चित करने के पश्चात् ही शुरू किया जाना चाहिए कि सड़क के संरेखण के साथ कृषीय भूमि अथवा बगीचे नहीं आए।

तथापि कुल्लू मण्डल-II ने तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना तथा यह सुनिश्चित किए बिना कि सड़कों के प्रस्तावित संरेखण में जमीनें झगड़ों से मुक्त थी, अप्रैल 1982 से कार्य आरम्भ कर दिया। 2.68 लाख रु0 के व्यय से केवल 610 मीटर फासले तक सड़क की पूर्णता पर, मार्च 1983 में आगामी कार्य स्थगित कर दिया गया क्योंकि निजि जमीनों के बीच में से गुजरने वाले संरेखण के लिए उनके स्वामियों ने स्वीकृति नहीं दी।

तत्पश्चात् निजी जमीनों के अर्जन हेतु प्रस्थापना मई 1983 में आरम्भ की गई। भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान को सुगम बनाने के लिए 6.87 लाख रु0 की राशि भी भू-अर्जन अधिकारी, कुल्लू के पास मार्च 1986 में जमा करवाई गई। केवल 1.49 लाख रु0 की क्षतिपूर्ति का ही कुछ भू-स्वामियों को सितम्बर-अक्तूबर 1992 के दौरान भुगतान किया गया और शेष राशि (5.38 लाख रु0) भू-अर्जन अधिकारी के पास निजी जमीनों के कुछ भाग के स्वामित्व पर विवाद के कारण असंवितरित पड़ी थी, जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुल्लू के पास लम्बित थे।

इस प्रकार, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के विशेष निदेश के बावजूद निर्माणारम्भ से पूर्व आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने की

विफलता अपूर्ण सड़क पर किए गए 2.68 लाख रु0 के निष्फल व्यय में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त, 5.38 लाख रु0 की असंवितरित राशि भू-अर्जन अधिकारी के पास 6 वर्षों से भी अधिक समय तक पड़ी रही।

(घ) 39.30 लाख रु0 की अनुमानित लागत से धर्मशाला में एक नए सर्किट हाऊस के निर्माण का अगस्त 1987 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदन किया गया। तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्य निष्पादनार्थ अगस्त 1987 से आरम्भ किया गया। अप्रैल 1990तक, स्थल विकास, कालम उठाने तथा धरातल की खुदाई (4.06 लाख रु0) और ठेकेदार को सामग्रियों के क्रय हेतु देने (4.17 लाख रु0) पर 8.23 लाख रु0 का व्यय किया गया।

तथापि कार्य अप्रैल 1990 में स्थगित कर दिया गया और दिसम्बर 1991 तक पुनः शुरू नहीं किया गया था क्योंकि भूमि जिस पर सर्किट हाऊस निर्मित किया जाना था वन विभाग से सम्बन्धित थी जिससे अवानिकी कार्य कलापों हेतु वन भूमि के प्रयोगार्थ अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। निर्माण के प्रारम्भ से पूर्वभूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता निष्फल हुए 4.06 लाख रु0 के व्यय में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त, अक्तूबर 1989 और जनवरी 1990 के मध्य ठेकेदार को जारी सामग्रियों का मूल्य (4.17 लाख रु0) भी कार्य पर उनकी वास्तविक खपत के आधार पर वसूल नहीं किया गया था।

सरकार ने बताया (फरवरी 1992) कि वन भूमि स्थानान्तरण की कार्रवाई विचाराधीन थी और वन विभाग से आवश्यक संस्वीकृति की प्राप्ति पर कार्य पुनः शुरू किया जाएगा।

(ङ) चिरोट जिला (लाहौल एवं स्पिति) में 2.71 लाख रु0 की अनुमानित लागत से उद्यान निरीक्षक हेतु एक कार्यालय व भण्डार एवं आवास हेतु एक भवन के निर्माण अक्तूबर 1980 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया। तीन वर्षों में पूर्ण किए जाने वाला नियत कार्य चिनाव घाटी मण्डल उदयपुर द्वारा स्वयं जून 1980 में आरम्भ किया गया और 2.60 लाख रु0 के व्यय से सिविल कार्य नवम्बर 1985 में पूर्ण किए गए। तथापि आवश्यक जलापूर्ति तथा स्वच्छता संस्थापन उस समय तक उपार्जित नहीं किए गए यद्यपि इस उद्देश्यार्थ आकलन में 0.25 लाख रु0 का प्रावधान शामिल था। इसलिए जिला उद्यान अधिकारी ने भवन का कब्जा लेने से इनकार कर दिया।

मण्डल अधिकारी ने बताया (सितम्बर 1992) कि जलापूर्ति

तथा स्वच्छता संस्थापन उपर्जित नहीं करवाए जा सके क्योंकि उद्यान विभाग द्वारा 1985-86 के बाद निधियां उपलब्ध नहीं करवाई थी।

इन परिस्थितियों में लगभग सात वर्षों से पूर्व तैयार भवन को अभिप्रेत उद्देश्यार्थ प्रयुक्त नहीं किया गया था, उस पर किया गया 2.60 लाख रु0 का व्यय निष्फल हो गया।

सरकार को यह बातें जून, जुलाई तथा अगस्त 1992 में सन्दर्भित की गई। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

4.3 सड़क निर्माण पर निष्फल व्यय

राष्ट्रीय उच्च मार्ग सं0 22 पर टापरी के समीप एक स्थान से जिला किन्नौर में ग्राम चगांव तक 8.960 किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण कड़छम मण्डल द्वारा 1982-83 के दौरान आरम्भ किया गया। 25.25 लाख रु0 के व्यय से 1988-89 के दौरान इसकी पूर्णता पर, इसे वाहनीय यातायात हेतु खोल दिया गया। आरम्भिक रूप में, इस सड़क को आगे उरनि ग्राम तक बढ़ा दिए जाने का प्रस्ताव किया गया था। यह प्रस्ताव इस तथ्य के विचार से छोड़ दिया गया कि चंगाव तथा उरनि ग्रामों के मध्य 2 किलोमीटर सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग से थोड़ा ऊपर से गुजरना होगा और कि इस भाग से शिलाखण्ड गिरने से उच्च मार्ग तथा टापरी के समीप उच्च मार्ग पर चोलिंग स्थित अन्य गांव में रक्षा संस्थापनों को अत्यधिक क्षतियाँ पहुंच सकती थी। इसलिए सड़क चगांव से आगे नहीं बढ़ाई गई।

इसलिए उरनि ग्राम को विभिन्न संरेखण से चोलिंग से अन्य सड़क (लम्बाई 7.5 किलोमीटर) द्वारा जोड़ दिए जाने का प्रस्ताव किया गया। सितम्बर 1986 में प्राप्त प्रशासनिक अनुमोदन के आधार पर 20.03 लाख रु0 के अनुमानित व्यय से आरम्भ में 6 किलोमीटर दूरी तक के लिए इस सड़क का निर्माण 1986-87 के मध्य शुरू किया गया। अप्रैल 1991 तक 0/0 कि0मी0 तथा 5/660 कि0मी0 के बीच पड़ने वाले 10 विलगित पहुंचों तक 4.022 किलोमीटर सड़क पूरी की गई जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। अधीक्षण अभियन्ता 11 वृत, रामपुर ने मई 1991 में कार्य के निरीक्षण के दौरान इंगित किया कि रूपरेखाओं में प्राक्कलित 1.20 ग्रेड के प्रति इस सड़क पर 1:8 तथा 1:9 के अपनाए गए ग्रेड मोटरयोग्य सड़क हेतु सर्वथा उपयुक्त नहीं थे। इसलिए उसने अधिशासी अभियन्ता को कार्य स्थगित करने तथा ग्रेडों की पड़ताल करने के लिए निर्देश किए।

उसी दौरान लोगों की मांग के जवाब में कि 1982-83 के दौरान प्रारम्भतः परिकल्पित संरेखण पर उरनि से चगांव तक सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए, अधिशासी अभियन्ता ने उपायुक्त किन्नौर को अप्रैल 1991 में सूचित किया कि राष्ट्रीय राज मार्ग तथा सुरक्षा संस्थापनों की क्षतियों का परिहार करने के लिए पर्याप्त सावधानी लेकर इस संरेखण पर सड़क को चंगांव से 12/900 कि0मी0 उरनि तक बढ़ाया जा सकता था। तदनुसार इस मार्ग पर जुलाई 1991 में प्राप्त प्रशासनिक अनुमोदन पर आधारित 22.88 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर 1991-92 के दौरान कार्य आरम्भ किया गया। अगस्त 1992 तक कार्य प्रगति पर था और उस समय तक 5.25 लाख रु0 का व्यय हो चुका था।

परिणामतः चोलिंग से उरनि ग्राम तक सड़क पर कार्य स्थगित रहा और अभिप्रेत उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई; उसने स्थगन तक इसके निर्माण पर किया गया 24.84 लाख रु0 का व्यय भी व्यर्थ हो गया था।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (सितम्बर 1992) कि में चोलिंग उरनि सड़क के ग्रेड 0/0 किलोमीटर से 3/320 किलोमीटर तक ठीक कर लिए गए थे और इस फासले पर कुछ अधूरे भागों को पूरा करने के पश्चात् इस स्थान तक सड़क को वाहनीय यातायात के लिए उपयोग किया जाएगा। उसने यह भी बताया कि अन्तर्ग्रस्त खड़ी चढ़ाई के कारण, चोलिंग से उरनि को जोड़ना सम्भव नहीं होगा।

तथापि 0/0 किलोमीटर से 3/320 किलोमीटर की दूरी तक कोई गांव नहीं पड़ता है। इन परिस्थितियों में, यदि इस स्थान तक सड़क पूरी भी की जाती है, जैसाकि कहा गया है, अन्तर्ग्रस्त अतिरिक्त व्यय के साथ-साथ इससे किसी लाभदायक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसके बजाये, चगांव उरनि सड़क के मूल संरेखण पर निर्माणार्थ अब परिकल्पित उपायों को प्रारम्भ में ही 1982-83 के दौरान अन्तिम रूप दिया जा सकता था जो इसकी तकनीकी व्यवहार्यता के सावधानीपूर्वक परीक्षण पर आधारित था। इसी प्रकार चोलिंग से सड़क निर्माण के विकल्प की व्यवहार्यतः कार्य आरम्भ होने से पूर्व विस्तरित सर्वेक्षण के आधार पर अन्तिमतः स्थापित की जा सकती थी। यदि ऐसा किया गया होता तो चोलिंग से बीच-बीच में से 4.022 किलोमीटर सड़क के निर्माण पर 24.84 लाख रु0 के निरर्थक व्यय का परिहार किया जा सकता था। चंगांव से उरनि सड़क यदि पहले आरम्भ की गई होती तो निर्माण कार्य कम लागत पर हुआ होता।

सरकार को मामला नवम्बर 1992 में संदर्भित किया गया था; उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

4.4 निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय

(क) भरमौर के पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों को उचित मूल्यों पर अच्छी किस्म के बीजों और उर्वरकों को उपलब्ध करवाने के लिए 1.71 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर मार्च 1981 में चम्बा जिले के लाहौल में एक बीज एवं उर्वरक भण्डार के निर्माण को प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया। कार्य को 1.61 लाख रु0 के लिए अप्रैल 1982 में तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की गई। भण्डार के लिए भवन निर्माण विद्यमान सड़क से लगभग 300 मीटर दूर कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये एकान्त कार्यस्थल में किया जाना प्रस्तावित था। तथापि लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गए इस कार्य के संस्वीकृत प्राक्कलन में सम्पर्क सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक प्रावधान नहीं था।

एक वर्ष के अन्दर पूर्णता हेतु नियत स्टोर निर्माण कार्य चम्बा मण्डल द्वारा मार्च 1981 में आरम्भ किया गया था और अगस्त 1985 में 1.47 लाख रु0 की लागत से पूर्ण किया गया। किन्तु कृषि विभाग ने इस आधार पर भवन अधिग्रहण अस्वीकार कर दिया कि भवन तक सम्पर्क सड़क निर्मित नहीं की गई थी और इसलिए यह इसकी पूर्णता से ही अप्रयुक्त पड़ा रहा।

एक भारी भू-स्खलन के फलस्वरूप भवन को अप्रैल 1991 में अत्यधिक क्षति पहुंची। भू-स्खलन के निरन्तर भय के कारण भवन का पुन: स्थापन असम्भव पाया गया, अत: 0.78 लाख रु0 की सामग्रियों को बचाते हुए इसका परित्याग कर दिया गया। प्रशासनिक विभाग द्वारा अपेक्षित स्थल उपलब्ध करवाने के उपरान्त इसी प्रकार के भण्डार भवन के निर्माण के लिए इन सामग्रियों का उपयोग किया जाना प्रस्तावित था।

यह सुनिश्चित न किए जाने के कारण कि (i) भवन निर्माण के कार्य प्रारम्भ से पूर्व सम्पर्क मार्ग के लिए भूमि उपलब्ध थी तथा (ii) उपलब्ध करवाया गया स्थल अनुकूल था; भवन पर किया गया व्यय निष्फल रहा तथा जन- जातियों की जनसंख्या को उचित मूल्यों पर उत्कृष्ठ बीज तथा उर्वरक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य की अप्राप्ति में परिणत हुआ।

मण्डलीय अधिकारी ने कहा (मई 1992) कि बार-बार निवेदन करने पर भी कृषि विभाग द्वारा पहुंच मार्ग निर्माण के लिए भूमि

उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

(ख) किल्बा ग्राम को राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 22 से जोड़ने की दृष्टि से चोलिंग (जिला किन्नौर) में सतलुज नदी पर एक जीप योग्य झूला (सस्पैंशन) पुल का निर्माण प्रमुख अभियन्ता द्वारा मार्च 1984 में 9.86 लाख रु0 की लागत पर प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया। कार्य तीन वर्ष में पूरा होना निर्धारित था। चूंकि वर्तमान जीप योग्य मार्ग कड़छम से किल्बा तक पहले ही मोटर योग्य बनाने के लिए चौड़ा किया जा रहा था जनवरी 1985 में सरकार ने निर्णय लिया कि चोलिंग में पुल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस सड़क को चौड़ा करने का कार्य मार्च 1984 में प्रारम्भ किया गया था। इसे मार्च 1986 में 11.86 लाख रु0 की लागत पर पूरा किया गया।

सरकार के निर्णय के बावजूद मण्डल ने मार्च 1989 में चोलिंग में झूला पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया और 2.38 लाख रु0 की लागत की सामग्री उपार्जित कर ली। पुल का उप-संरचना कार्य 1990-91 के दौरान एक ठेकेदार को सौंपा गया और चोलिंग की ओर से कार्य बैड खण्ड स्तर तक सितम्बर 1990 में 0.58 लाख रु0 की लागत पर पूर्ण किया गया। तदुपरान्त कार्य भारत सरकार जनवरी 1985 के अनुदेशों की प्राप्ति पर स्थगित कर दिया गया।

सरकार के जनवरी 1985 के निर्णय के प्रतिकूल पुल का निर्माण कार्य शुरू करने के फलस्वरूप इसके निर्माण पर और सामग्री उपार्जन पर 2.96 लाख रु0 का व्यय निष्फल हो गया।

मण्डलीय अधिकारी ने बताया (नवम्बर 1991) कि 1983-84 में कार्य नई योजनाओं के अन्तर्गत 0.25 लाख रु0 के सांकेतिक बजट प्रावधान के आधार पर शुरू किया गया था और सरकार के अनुदेश मण्डल की जानकारी में नहीं थे। क्योंकि यह वास्तव में दिसम्बर 1990 में प्राप्त हुए थे।

(ग) मण्डल (जिला शिमला) में पशु औषधालय के लिए भवन निर्माण कार्य 1.67 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर अगस्त 1987 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया। एक वर्ष की निर्धारित अवधि में समाप्त होने वाले निर्माण कार्य का जुब्बल मण्डल द्वारा मार्च 1988 में इस धारणा पर निष्पादन प्रारम्भ किया गया कि भूमि सरकार से सम्बन्धित थी। अप्रैल 1989 तक सामग्रियों (1.43 लाख रु0) तथा स्थल के विकास पर (0.46 लाख

रु0) 1.89 लाख रु0 का व्यय किया गया। विभाग को 1991 के प्रारम्भ में ज्ञात हुआ कि भूमि जिस पर भवन का निर्माण करना प्रस्तावित था वास्तव में एक निजी पक्ष से सम्बन्धित थी जिसने निर्माण कार्य निष्पादन की आगामी अनुमति प्रदान नहीं की। अत: स्थल का परित्याग करना पड़ा जिससे 0.46 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त मार्च 1988 तथा मार्च 1989 के मध्य निर्माण कार्य को पुस्तांकित किए गए टार इस्पात तथा तारकोल जैसी सामग्रियों की लागत को मई 1988 तथा अप्रैल 1989 में स्टॉक को पुनरांकित किया हुआ बताया गया था, मार्च 1992 तक निर्माण कार्य लेखाओ में जमा दर्शाकर वास्तव में समायोजन नहीं किया गया था।

यह तथ्य जून 1992 में सरकार को संदर्भित किए गए। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 1992)।

4.5 **निर्माण कार्य के दोषपूर्ण निष्पादन के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय**

मण्डी मण्डल नं0 II द्वारा अप्रैल 1977 में प्रदत्त 2.67 लाख रु0 के प्रशासनिक अनुमोदन के प्रति अरनोडी खड्ड (जिला मण्डी) पर 1980-81 के दौरान 1.16 लाख रु0 के व्यय से 38.5 मीटर लम्बे पैदल पुल का निर्माण किया गया। पुल को जून 1981 में जनता के लिए खोल दिया गया।

मई 1990 में कार्यकारी अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ता को प्रतिवेदित किया कि पुल पर एक बारात पार्टी द्वारा नाचने से हुए स्पंदन के परिणामस्वरूप अप्रैल 1990 में पुल नीचे नदी की ओर झुक गया था। जैसाकि संरचनात्मक रूपरेखाओ में प्रावधित था, यह पुल को खम्बों पर धारकों और काबलों द्वारा स्थिर करने में असफलता के कारण हुआ। विशेष मुरम्मत अनुमान प्रस्तुत किए जाने और उसकी संस्वीकृति की प्रत्याशा में पुल का अक्तूबर 1990 में 2.21 लाख रु0 की लागत पर पुनर्निर्माण किया गया। अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वित्त मण्डी को केवल जून 1992 में प्रस्तुत किए गए अनुमानों की संस्वीकृति अक्तूबर 1992 तक प्रतीक्षित थी।

संरचनात्मक रूपरेखाओ का अनुसरण सुनिश्चत करने में असफलता जो अपर्याप्त निरीक्षण की परिचायक थी फलत: 2.21 लाख रु0 के अतिरिक्त परिहार्य व्यय में परिणत हुई। जिसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई थी।

जुलाई 1992 में मामला सरकार को संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

4.6 अपव्यय

भैखली (कुल्लू जिला) स्थित एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण कुल्लू मण्डल न०II द्वारा मार्च 1986 में 2.76 लाख रु० की लागत पर एक संविदाकार के सुपुर्द किया गया। निर्माण कार्य को एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना निर्धारित था। जबकि मई 1987 में भवन को छत स्तर तक 1.76 लाख रु० की लागत पर पूर्ण किया गया था और निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर था, 1987 की वर्षा ऋतु के दौरान भवन के पिछली ओर से एक बड़े शिलाखण्ड से सरक जाने के कारण ढांचे को व्यापक क्षति हुई।

अधिशासी अभियन्ता ने अधीक्षण अभियन्ता, छठे वृत्त, कुल्लू को जून 1988 में सूचित किया कि शिलाखण्ड को बारूद से उड़ाना या हटाना सम्भव नहीं था, क्योंकि इस पर अधिक भार होने के कारण यह फिर खिसक सकता था। अतः केवल 0.08 लाख रु० की लागत की उपयोगी सामग्रियों को बचाते हुए भवन का निर्माण एक अन्य स्थल पर किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि स्थल की अनुकूलता सुनिश्चित करने हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-विज्ञानी के परामर्श से कोई स्थल छानबीन नहीं की गई। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रतिकूल स्थल पर भवन का निर्माण किया जा रहा था तथा इस पर किया गया 1.68 लाख रु० का व्यय निष्फल रहा।

अगस्त 1992 में मामला सरकार को संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

4.7 छराबड़ा में हैलीपैड

जून 1988 में अधिशासी अभियन्ता, ठियोग मण्डल ने छराबड़ा (जिला शिमला) में रिट्रीट भवन के निकट 7.50 लाख रु० की लागत पर एक हैलीपैड का निर्माण करने हेतु एक प्राक्कलन प्रस्तुत किया। इसके निर्माण को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया कि रिट्रीट भवन के निकट, जहां पर शिमला आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति ठहरते थे, कोई हैलीपैड नहीं था तथा भवन के निकट एक हैलीपैड का प्रावधान करने से सुरक्षा प्रबन्धों पर व्यय कम होगा तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जोखिम में भी कमी आएगी जो कि तब तक अनाडेल स्थित हैलीपैड का प्रयोग किया करते थे।

मण्डल द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन की प्रत्याशा में अप्रैल 1989 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया तथा 7.45 लाख रु0 की लागत पर नवम्बर 1989 में इसे पूर्ण किया गया। प्रस्ताव पर तकनीकी संस्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी।

मई 1989 में प्रमुख अभियन्ता द्वारा पर्यटन विभाग को निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने का निवेदन करने पर पर्यटन विभाग ने नवम्बर 1989 में आयुक्त-एवं-सचिव (लोक निर्माण) को सूचित किया कि न तो पर्यटन विभाग का हैलीपैड निर्माण करने का कोई प्रस्ताव था और न ही इसके साथ इस संदर्भ में परामर्श ही किया गया। फिर भी दिसम्बर 1989 में विभाग द्वारा 8.90 लाख रु0 का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया। तथापि तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा अगस्त 1992 तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी।

परन्तु जब से हैलीपैड का निर्माण हुआ, इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया गया तथा शिमला आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति केवल जनाडेल स्थित हैलीपैड का ही प्रयोग करते रहे, न ही हैलीपैड का प्रयोग पर्यटन-विकास जैसे वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। सितम्बर 1992 तक हैलीपैड को पर्यटन विभाग को भी नहीं सौंपा गया था। ऐसी परिस्थितियों में इसके निर्माण पर किए गए 7.45 लाख रु0 के व्यय से अभिप्रेत उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तथा व्यय निष्फल रहा।

सितम्बर 1992 में मामला सरकार को सदर्भित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

4.8 वृद्धि प्रभारों का अधिक भुगतान

विभिन्न लोक निर्माण मण्डलों के संविदाकारों के साथ हुए अनुबन्धों में प्रावधान था कि यदि किसी नए कानून या सांविधिक नियम या आदेश के परिणामस्वरूप निर्माणकार्यों की निष्पादनावधि में सामग्रियों (विभागीय भण्डारों से जारी की गई सामग्रियां नहीं) तथा/या श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि होती है तो विभाग संविदाकारों को 5 प्रतिशत से अधिक ऐसी वृद्धि की प्रतिपूर्ति करेगा।

इन उपबन्धों के प्रतिकूल अप्रैल 1979 से जुलाई 1988 की अवधि के दौरान सामग्रियों के मूल्यों तथा श्रमिकों की मजदूरियों में वृद्धि के कारण 3 संविदाकारों की वृद्धि प्रभारों के भुगतान को नियमित करते हुए तीन

मण्डल (कांगड़ा, नूरपुर तथा पालमपुर) 5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक वृद्धि के सम्बन्ध में ऐसे भुगतानों की अनुमत्य राशियों को सीमित रखने में असमर्थ रहे। परिणामस्वरूप इन मामलों* में कुल 1.72 लाख रु0 के अधिक भुगतान हुए।

जबकि कांगड़ा मण्डल द्वारा जून 1992 तक संविदाकारों को अन्तिम भुगतान नहीं किया गया था, तथापि अन्य दो मण्डल मार्च तथा जुलाई 1988 में संविदाओं को अन्तिम रूप दे चुके थे तथा परिणामतः इन मामलों में अधिक भुगतान की गई राशियां वसूली योग्य नहीं थी।

जुलाई 1992 में मामला सरकार को संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

4.9 संविदात्मक उपबन्धों को लागू न करना

1988-89 तथा 1990-91 के मध्य शिलाई मण्डल द्वारा एक सड़क** का निर्माण तथा दूसरी सड़क*** का सुधार 15 संविदाकारों/निर्माण कार्य आदेशों के माध्यम से किया गया। इन निर्माण कार्यों के अनुमोदित प्राक्कलनों पर आधारित संविदाओं/निर्माण कार्य आदेशों में प्रावधित था कि किए गए विस्फोट कार्य की 1/3 मात्रा के बराबर उपयोगी पत्थरों का संग्रह संविदाकारों द्वारा किया जाएगा, अन्यथा उनसे विनिर्दिष्ट दरों पर वसूली की जाएगी।

संविदाकारों द्वारा निष्पादित कुल विस्फोट कार्य 19,446 घन मी0 था। तदनुसार उनके द्वारा 6,482 घन मी0 उपयोगी पत्थरों का संग्रह किया जाना था तथा उनका चट्ठा लगाया जाना था। तथापि जैसाकि संविदाओं/निर्माण कार्य आदेशों में अनुबन्धित था, निर्माण कार्य स्थलों पर पत्थरों का संग्रह नहीं किया गया। संविदाकारों से उनकी चूक के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर 1.82 लाख रु0 की राशि की वसूली भी नहीं की गई थी।

इनमें से 1.23 लाख रु0 की वसूली से ग्रस्त 6

---

* कांगड़ा: 0.83 लाख रु0, नूरपुर: 0.24 लाख रु0 तथा पालमपुर: 0.65 लाख रु0

** नघेटा-भारली-बनौर-तिलोरधार सड़क (5/495 से 7/495 कि0मी0)

*** लाल ढांग-पांवटा-राजबन-रोहड़ू सड़क (66/390 से 66/885 कि0मी0 तथा 89/990 से 96/316 कि0मी0)

संविदाओं/निर्माण कार्य आदेशों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था अन्तिम भुगतान जून 1989 तथा फरवरी 1992 के मध्य किए गए। तथापि शेष 9 संविदाओ/निर्माणकार्य आदेशों को नवम्बर 1992 तक अभी अन्तिम रूप दिया जाना था।

मण्डलीय अधिकारी ने बताया (नवम्बर 1992) कि उन मामलों में जहां पर संविदाओ/निर्माण कार्य आदेशों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, कोई उपयोगी पत्थर नहीं पाए गए। अतः कोई वसूली नहीं की गई। तथापि इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट संविदात्मक उपबन्धों जो केवल स्थल स्थितियों के निर्धारण के पश्चात् ही स्वीकार किए गए होंगे, के संदर्भ में वसूलियों को इस सारहीन आधार पर कि विस्फोट में वास्तविक रूप से कोई उपयोगी पत्थर नहीं पाए गए, वसूलियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए था।

सरकार को सितम्बर 1992 में मामला संदर्भित किए गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

4.10 निविदाओं के आमत्रण परिहार करने हेतु निर्माण कार्यों का विभाजन

प्रतियोगी दरों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए नियमों में अपेक्षित है कि निविदाओं को, जहां तक सम्भव हो सके परम खुले ढंग से आमन्त्रित करना चाहिए। प्रमुख अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ताओं को ऐसे निर्माण कार्यों आदेशों जिनकी लागत 0.20 लाख रु0 से अधिक न हो खुली निविदाओं को आमन्त्रित किए बिना जारी करने हेतु शक्ति प्रदान करने के लिए मार्च 1984 में आदेश जारी किया । तथापि यह इस शर्ताधीन था कि सम्बन्धित प्राक्कलन के सम्बन्ध में यथा स्थिति, अधीक्षण अभियन्ता या मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त किया जाए तथा किसी दत्त समय में किसी संविदाकार को दो से अधिक निर्माण कार्य आदेश जारी न किए जाए।

10 भवन एवं निर्माण मण्डलों* में अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा 61 निर्माण कार्यों को क्रियान्वित किया गया तथा निविदाओं को आमन्त्रित किए बिना निर्माण कार्य आदेश इस ढंग से जारी किए गए कि प्रत्येक निर्माण कार्य आदेश के मूल्य को इन प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के बीच सीमित किया जा सके। इस प्रकार 347 निर्माण कार्य आदेशों के प्रति 1988-89 तथा 1991-92

---

* बिलासपुर-II, चौपाल, घुमारवी, कड़रुम, कसौली, आयुर्विज्ञान विद्यालय शिमला, पालमपुर, प्रगतिनगर, रोहड़ू तथा ऊना

के दौरान 57.35 लाख रु0 के निर्माण कार्य विभिन्न संविदाकारों को दिए गए, प्राक्कलन सक्षम अधिकारी द्वारा भी अनुमोदित नहीं करवाए गए। इसके अलावा, 13 संविदाकारों को अतिरिक्त निर्माण कार्य आदेश जारी किए गए यद्यपि सम्बद्ध समय पर उन्हें दो से अधिक निर्माण कार्य आदेश पहले ही जारी किए जा चुके थे। खुली निविदाए आमन्त्रित किए बिना निर्माण कार्यों को सौंपने से विभाग प्रतियोगी दरों के लाभ से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अपनाई गई कार्यवाही भी अनियमित थी।

मामला सरकार को जुलाई 1992 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

4.11 निक्षेप निर्माण कार्य पर अधिक व्यय

हिमाचल प्रदेश में लागू, पंजाब वित्तीय पुस्तिका सं0 3 के अनुसार, निक्षेप निर्माण कार्यों पर परिव्यय को सम्बन्धित अभिकरणों से प्राप्त निक्षेपों तक सीमित करना अपेक्षित है। ऐसे निक्षेपों से किए गए अधिक व्यय को, इसकी वसूली को लम्बित करते हुए, "विविध निर्माणकार्य अग्रिम" लेखे के उचन्त शीर्ष के नामे किया जाता है और वसूली प्राप्त करने हेतु तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

29.92 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (एक सरकारी कम्पनी) की ओर से मनीकरण (जिला कुल्लू) में एक पर्यटन परिसर के निर्माण को प्रशासनिक रूप में जनवरी 1980 में अनुमोदित किया गया। जबकि प्रशासनिक अनुमोदन की प्रत्याशा में कुल्लू मण्डल नं0 I द्वारा केवल अगस्त 1979 में स्वत: ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, तथापि जून 1992 तक इसकी तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

1985-86 के दौरान जबकि 9.87 लाख रु0 मूल्य के निर्माण कार्य का निष्पादन हो चुका था, भूमि का एक भाग, जिस पर परिसर का निर्माण किया जा रहा था, धंसना प्रारम्भ हो गया। अगस्त 1986 में स्थल का निरीक्षण करने पर राज्य भू-विज्ञानी ने मत व्यक्त किया कि मुख्यत: रेतीली मिट्टी से ढका होने के कारण इस पर अधिक भार पड़ रहा था। परिणामत: स्थल पर परिसर के एक भाग के निर्माण को सम्भव नहीं पाया गया। इससे मूल रूप से अभिकल्पित 1575.21 वर्ग मीटर के कुर्सी क्षेत्र को कम करके 894.07 वर्ग मी0 करने की आवश्यकता पड़ी।

निर्माण कार्य के कार्यक्षेत्र में कमी के अनुसरण में मण्डल द्वारा 19.76 लाख रु0 का एक संशोधित प्राक्कलन तैयार किया गया। तथापि इसे मुख्य अभियन्ता (उत्तर), धर्मशाला द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, जिसके कारण नहीं बताये गये थे। इतने में 1979-80 तथा 1986-87 के मध्य हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करवाए गए कुल 19.50 लाख रु0 के निक्षेप के प्रति मण्डल ने संशोधित कार्यक्षेत्र के आधार पर परिसर का निर्माण प्रारम्भ कर दिया। 25.30 लाख रु0 की कुल लागत पर परिसर को 1986 में पूर्ण किया गया तथा नवम्बर 1986 में कम्पनी को सुपुर्द कर दिया गया।

जनवरी 1987 में मण्डल ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को निक्षेपों से अधिक किए गए 5.80 लाख रु0 की राशि का भुगतान करने हेतु निवेदन किया परन्तु हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने फरवरी 1987 में ऐसा करने के लिए इस आधार पर इन्कार कर दिया कि 19.50 लाख रु0 के कुल निक्षेपों का पहले ही भुगतान किया जा चुका था। अत: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने निवेदन किया कि अनुमोदित संशोधित प्राक्कलन पुन: उपलब्ध करवाए जाएं। चूंकि 25.30 लाख रु0 की समापन लागत 19.76 लाख रु0 के संशोधित प्राक्कलन से बढ़ गई थी तथा प्राक्कलन को फिर संशोधित नहीं किया गया तथा निक्षेपों से अधिक किए गए व्यय को मई 1992 तक वसूल नहीं किया गया था।

प्राप्त हुए निक्षेपों से अधिक व्यय करने की मण्डल की कार्यवाही नियमों के प्रतिकूल थी तथा अनियमित थी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड से अपेक्षित अतिरिक्त निक्षेपों को प्राप्त किए बिना मण्डल द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन पर दिसम्बर 1986 में मुख्य अभियन्ता ने भी आपत्ति व्यक्त की थी।

जुलाई 1992 में मामला सरकार को संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

4.12 अपूर्ण निर्माण कार्य

(क) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना वन भूमि का वनों के अतिरिक्त प्रयोजनों हेतु प्रयोग निषेध है।

4 मण्डलों* में 61.12 लाख रु0 की अनुमानित लागत तथा

---

* कड़छम, कुमारसैन, रामगढ़ तथा ऊना

उनके आरम्भ से 2 वर्ष से 3 वर्ष अवधि के भीतर पूर्ण किए जाने वाले 6 सड़क निर्माण कार्य इन सड़कों के संरेखण में पड़ने वाली वन भूमि के प्रयोग हेतु भारत सरकार के अनुमोदन के बिना 1980-81 तथा 1988-89 के मध्य शुरू किए गए। यह कार्यों जिन पर 12.57 लाख रु0 व्यय किए गए थे, वन भूमि के अस्थानांतरण के कारण अपूर्ण थे, प्रत्येक मामले में अतिसमयावधि 8 से 107 महीने थी। तदनुसार, 1976-77 तथा 1978-79 में निष्पादनार्थ दो अन्य कार्य प्रारम्भ किए गए जिन पर 3.13 लाख रु0 का व्यय किया गया अपूर्ण रहे क्योंकि उनके संरेखण में पड़ने वाली वन भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। इस सम्बन्ध में सम्बद्ध ब्यौरे परिशिष्ट-VII में सम्मिलित हैं।

पुन: 10 मण्डलों* में 128.54 लाख रु0 की अनुमानित लागत के तथा निर्माण कार्य के प्रारम्भ करने की तिथि से 4 मास से 3 वर्षों के भीतर की अवधि में पूर्ण किए जाने वाले अनुबन्धित 4 मार्ग निर्माण कार्यों तथा 17 भवन निर्माण कार्यों का मार्च 1979 तथा जनवरी 1990 के मध्य निष्पादन प्रारम्भ किया गया। निधियों के अभाव (10 मामले) स्थल/सीमांकन-रेखा विवाद (4 मामले), जलोत्सारण निर्माण कार्यों तथा प्रतिधारक दीवारों का अनिर्माण (एक मामला) के कारण 32.42 लाख रु0 का व्यय करने के बाद भी ये अपूर्ण पड़े थे। शेष 6 निर्माण कार्यों के निलम्बन के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इन निर्माण कार्यों, जिनका ब्यौरा परिशिष्ट-VIII में दिया गया है, के पूर्ण करने में विलम्ब 19 तथा 78 मास के परिक्षेत्र में था।

इस प्रकार इन निर्माण कार्यों पर 48.12 लाख रु0 का किया गया व्यय निष्फल रहा तथा लाभग्राही अपेक्षित लाभों से वंचित रहे।

जून 1992 में यह मामले सरकार को संदर्भित किए गए। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

4.13 बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य

हिमाचल प्रदेश प्रधानत: एक पहाड़ी राज्य है। पांच मुख्य नदियों (व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज तथा यमुना) तथा इनकी अनेक सहायक नदियां द्रुतगति से खड़ी ढलानों से होती हुई राज्य से बहती है। जब नदियों तथा इनकी

---

* भरवाई, बिलासपुर-II, डलहौजी, घुमारवी, कसौली, कुल्लू-I, रामगढ़, रोहड़ू, शिमला-II तथा ऊना।

सहायक नदियों में पानी का आयतन बढ़ जाता है तो उनके किनारों पर अधिकतर कृषि-भूमि (6.21 लाख हैक्टेयर) बह जाती है तथा मनुष्य और पशु जीवन से हाथ धो बैठते हैं। 7 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए एक मोटे अनुमान के अनुसार राज्य में प्रत्येक वर्ष बाढ़ों से लगभग 2.31 लाख हैक्टेयर भूमि प्रभावित होती है।

अतः नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के मार्ग बनाने हेतु तट-बन्धनों, पर्वत-स्कंधों आदि जैसे बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों का शिमला तथा धर्मशाला स्थित दो क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के पर्यवेक्षण में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा निष्पादन किया जाता है। इस प्रयोजन हेतु बनाई गई स्कीमों की राज्य तकनीकी परामर्श समिति द्वारा परीक्षा की जाती है तथा प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति हेतु सरकार को प्रस्तुत की जाती है। अन्तर्राज्यीय जटिलताओं से ग्रस्त या उच्च मार्गों और रेलवे यातायात को प्रभावित करने वाली स्कीमों के लिए केन्द्रीय जल आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

दो क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना द्वारा अनुपूरित 1987-88 से 1991-92 की अवधि के दौरान राज्य में 41 सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डलों में से आठ* द्वारा किए गए बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों के निष्पादन के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा अप्रैल तथा जून 1992 के मध्य की गई समीक्षा के दौरान ध्यान में आए कुछ तथ्यों का निम्नांकित परिच्छेदों में वर्णन किया जाता है:-

(क) 7 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभाग ने सात नदियों तथा खड्डों (बाटा, चक्की, गिरी और सिरसा नदियां, तथा सीर, सुकेती और स्वैन खड्डों) के साथ सबसे अधिक बाढ़ उन्मुख क्षेत्रों की पहचान की। विभिन्न अधीनस्थ अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर विभाग ने अनुमान लगाया कि इन नदियों तथा खड्डों के साथ बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों पर लगभग 465 करोड़ रु0 का व्यय होगा।

परन्तु निर्धारित संसाधन आवश्यकताओं तथा निधियों के वास्तविक प्रावधान में पर्याप्त अन्तर था। जबकि 1967-68 तथा 1986-87 के मध्य बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों पर 701.09 लाख रु0 का कुल व्यय किया

---

* बड़सर, चम्बा, इन्दौरा, नूरपुर, पांवटा साहिब, सुन्दरनगर, ऊना-I तथा ऊना-II

गया, 1987-88 से 1991-92 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान कुल 367.17 लाख रु0 का ही आबटन था, जिसके प्रति कुल 370.25 लाख रु0 का व्यय किया गया जैसाकि निम्नांगित हैं:-

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
		(लाख रुपयों में)	
1987-88	47.00	45.55	(-) 1.45
1988-89	56.00	57.30	(+) 1.30
1989-90	72.25	74.90	(+) 2.65
1990-91	77.41	78.06	(+) 0.65
1991-92	114.51	114.44	(-) 0.07
योग	367.17	370.25	(+) 3.08

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु उनमें अग्रताओं के निर्धारण को सुलभ बनाने के लिए विभाग ने बाढ़ों से हुई हानियों का कोई निर्धारण नहीं किया। इस प्रयोजन हेतु कोई दीर्घकालीन मास्टर-योजना भी नहीं बनाई गई। इसकी बजाय ऐसे निर्माण कार्यों का निष्पादन सामान्यत: प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से अभिवेदनों के प्राप्त होने पर प्रारम्भ किया गया। जबकि 1967-68 से 1986-87 के दो दशकों में केवल 4,865 हैक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य किए गए थे, 1987-88 से 1991-92 की अवधि में 1,255 हैक्टेयर भूमि की लक्षित सुरक्षा के प्रति 1,080 हैक्टेयर की सुरक्षा की गई बताई गई। तथापि कमी (175 हैक्टेयर) के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ग) एकीकृत दृष्टिकोण को सुलभ बनाने हेतु एक दीर्घकालीन मास्टर-योजना के अभाव में विभिन्न नदियों तथा खड्डों के भागों के लिए बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों के प्राक्कलन केवल खण्डशः आधार पर तैयार किए गए।

(i) ऊना जिला में 16.79 किलोमीटर की लम्बाई (राज्य में कुल लम्बाई: 55 किलोमीटर) में स्वाँ खड्ड के जल-मार्ग बनाने हेतु मॉडल अध्ययन 1975 तथा 1984 के मध्य सिंचाई एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान, अमृतसर द्वारा करवाए गए। राज्य तकनीकी परामर्श समिति ने समय-समय पर जोर दिया था कि खड्ड के किनारों के साथ बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य इन मॉडल अध्ययनों

पर आधारित होने चाहिए ताकि इनके जल-मार्गीकरण हेतु एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा सके। इन सुझावों के विपरीत मॉडल अध्ययनों के क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले निर्माण कार्यों पर खड्ड के किनारों पर स्थित तीन गांवों* की बाढ़ों से सुरक्षा हेतु 1982-83 तथा 1991-92 के मध्य 59.69 लाख रु0 का व्यय किया गया।

केवल नवम्बर 1990 में खड्ड के किनारों पर 12,200 हैक्टेयर भूमि के सुधार हेतु 311.64 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत पर एक एकीकृत परियोजना के कार्यान्वियन के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर सरकार के निर्णय जून 1992 तक प्रतीक्षित थे।

(ii) बाटा नदी के साथ 19.53 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों के सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा मॉडल अध्ययन अगस्त 1987 में सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किए गए। मई 1988 में उत्तरप्रदेश सिंचाई अनुसन्धान संस्थान, रुड़की को सुपुर्द किए गए निर्माण कार्य को एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना निर्धारित था। मई 1988 तथा मार्च 1990 के मध्य संस्थान को कुल 6 लाख रु0 के भुगतान भी किए गए।

फरवरी 1991 में आगे अपनाई जाने वाली कार्यवाही पर निर्णयों को सुगम बनाने हेतु संस्थान ने अधिशासी अभियन्ता, पांवटा साहिब मण्डल से उनके द्वारा विकसित नमूना का निरीक्षण करने का निवेदन किया। परन्तु अप्रैल 1992 तक ऐसा नहीं किया गया था जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इतने में नदी के किनारों पर तीन गांवों** में बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर मार्च 1992 तक 26.38 लाख रु0 का कुल व्यय किया गया। अप्रैल 1991 में प्रमुख अभियन्ता ने पाया कि नदी के साथ बाढ़ सुरक्षा कार्यों का अव्यवस्थित रूप से निष्पादन किया गया था तथा यह चाहा कि भविष्य में निर्माण कार्यों को इस प्रकार से निष्पादित किया जाए ताकि यह इसके सुचारु निष्पादन में एक समग्र कार्यक्रम का भाग बन सके। तथापि उत्तर प्रदेश अनुसन्धान संस्थान द्वारा विकसित नमूनों की मण्डल द्वारा जांच न किए जाने के फलस्वरूप नमूना अध्ययनों को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण यह सम्भव नहीं हो पाया।

(घ) वर्ष 1981-82 के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के

---

* लाल सिंधी, जकौर तथा फतेहपुर ननग्राम

** गुलाबगढ़ फतेहपुर, कीरतपुर, भगवानपुर और कोटी साईवाला

प्रतिवेदन (सिविल) के परिच्छेद 4.2.3 तथा 4.2.4 में बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों के पूर्ण करने में विलम्ब का उल्लेख किया गया था। अपने 112 वें प्रतिवेदन (छठी विधानसभा) में लोक लेखा समिति ने सुझाव दिया कि निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने हेतु विभाग को पर्याप्त निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा स्थिति की आगामी समीक्षा से निम्नांकित तथ्य उद्घाटित हुए:-

(i) 1971-72 तथा 1991-92 के मध्य संस्वीकृत किए गए 123 बाढ़ सुरक्षा कार्य (कुल अनुमानित लागत: 423.57 लाख रु0) दिसम्बर 1991 तक अपूर्ण रहे। इनमें से 45 निर्माण कार्य (कुल अनुमानित लागत: 175.39 लाख रु0) 1971-72 तथा 1986-87 के मध्य संस्वीकृत किए गए।

जबकि दिसम्बर 1991 तक 123 अपूर्ण निर्माणकार्यों पर 326.16 लाख रु0 का कुल व्यय किया, उनके समापन में हुए विलम्ब का लागत पर अपरिहार्य प्रभाव पड़ा। 1991-92 में यह अनुमान लगाया गया था कि इनके समापन हेतु 423.97 लाख रु0 की सीमा तक अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होगी। परन्तु 1991-92 के दौरान केवल 40.48 लाख रु0 की निधियां प्रदान की गई। अनुमानित लागत के संदर्भ में उनकी संगणना करने पर और निधियों की प्रक्षिप्त अतिरिक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप पहले ही 326.56 लाख रु0 (77 प्रतिशत) लागत का अतिक्रमण हुआ था। तथापि सम्बद्ध परिशोधित प्राक्कलनों के तैयार न किए जाने के कारण लागत में वृद्धि के यथार्थ कारणों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं अन्वेषण, इकाई-II, शिमला ने बताया (जून 1992) कि जबकि चालू स्कीमों को अग्रिम प्रदान की गई तथा निधियों की मांग भी तदनुरूप की गई किन्तु सार्वजनिक सम्पत्ति को अनुवर्ती क्षतियों के पश्चात् नवीन निर्माण कार्यों को भी प्रारम्भ करना अपेक्षित था तथा वित्तीय बाधाओं के कारण स्कीमों को समय पर पूर्ण न किया जा सका।

(ii) मई 1980 तथा अगस्त 1985 के मध्य तीन* मण्डलों द्वारा हाथ में लिए गए पांच अपूर्ण निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों के नमूना-परीक्षण से यह उद्घाटित हुआ कि जबकि इन निर्माण कार्यों पर मार्च 1992 तक किया गया व्यय उनकी अनुमानित लागत से 4 से 131 प्रतिशत तक अधिक हुआ परन्तु प्रत्यक्ष प्रगति केवल 5 तथा 80 प्रतिशत के मध्य में थी। इससे सम्बद्ध ब्यौरों को नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:-

बाढ़ सुरक्षा निर्माणकार्य का नाम	प्रारम्भ करने की तिथि	पूर्ण होने की अनुबन्धित अवधि (मास)	अनुमानित लागत	मार्च 1992 तक व्यय	अनुमानित लागत से आधिक्य	प्रत्यक्ष प्रगति (प्रतिशत)
			(लाख रुपयों में)			
समोर खड्ड						
चरण-I	मई 1980	4	1.45	3.35	1.90	50
सतलुज नाला	मार्च 1983	12	2.04	2.13	0.09	43
लनखड़ी खड्ड	मार्च 1984	3	1.15	1.24	0.09	67
कोटरी साईवाला	1985	12	4.16	6.46	2.30	5
बुनेरा खड्ड	अगस्त 1985	6	1.76	3.38	1.62	80

(iii) जनवरी 1983 तथा मार्च 1988 के मध्य छः मण्डलों** ने 15 बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों (कुल अनुमानित लागत: 57.54 लाख रु0) का निष्पादन आरम्भ किया। इनका समापन इनको प्रारम्भ किए जाने के 2 से 12 मास के भीतर अनुसूचित था। ये निर्माण कार्य 89.13 लाख रु0 की कुल लागत पर 25 से 113 मास के विलम्बों के पश्चात पूर्ण किए गए।

सम्बन्धित मण्डलों द्वारा इनमें से तीन निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब का कारण निधियों का अभाव बताया गया। शेष 12 निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में विलम्ब तथा सभी 15 निर्माण कार्यों की लागत में वृद्धि के कोई कारण नहीं बताए गए।

---

* चम्बा, पांवटा साहिब तथा ऊना-II

** चम्बा, नूरपुर, पांवटा साहिब, सुन्दरनगर, ऊना-I तथा ऊना-II

(iv) छः मण्डलों में 64.18 लाख रु0 की लागत पर तकनीकी रूप से संस्वीकृत तथा अप्रैल 1980 तथा मार्च 1988 के मध्य निष्पादन हेतु आरम्भ किए गए 15 निर्माण कार्यों को 114.13 लाख रु0 की लागत पर सितम्बर 1988 तथा मार्च 1992 के मध्य पूर्ण किया गया। पृथक-पृथक मामलों में तकनीकी संस्वीकृतियों के सदर्भ में अधिक व्यय 23 तथा 335 प्रतिशत के परिक्षेत्र में था। इसे जून 1992 तक नियमित नहीं किया गया था।

(v) जिला हमीरपुर में चन्दस्ही तथा नेरी गांवों की सुरक्षा हेतु सीर खड्ड के साथ-साथ 690 मीटर लम्बे तार पेटी शिलाखण्ड बांध तथा प्रत्येक 12 मीटर लम्बाई के 19 निवारण पर्वत प्रक्षेपों का निर्माण प्रशासकीय रूप में सितम्बर 1974 में 1.98 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया। मई 1977 में 2 लाख रु0 की तकनीकी संस्वीकृति भी प्रदान करने से पूर्व ही निष्पादन हेतु निर्माण कार्यों को 1975-76 में प्रारम्भ किया गया।

तथापि निर्माण कार्यों को जिन्हें दो वर्ष में पूर्ण करना अनुबन्धित था, मार्च 1992 तक भी पूर्ण नहीं किया गया था। मई 1983 में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य वृत्त, ऊना ने मुख्य अभियन्ता को सूचित किया कि जबकि बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य खड्ड के दाएं किनारे पर प्रारम्भ किए गए थे, क्षति जिला मण्डी में पड़ने वाले बाएं किनारे को हुई जिससे निर्माण कार्य के क्षेत्र में वृद्धि की आवश्यकता पड़ी और इसके परिणामस्वरूप अनुमानित लागत से आधिक्य हुआ। अगस्त 1983 में मुख्य अभियन्ता ने कहा कि खड्ड के दोनों किनारों की उपजाऊ भूमि को भूमि कटाव से बचाने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण तथा जांच की जाएं।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों से इन निदेशों के अनुसरण में की गई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जून 1984 में तथापि 45.26 लाख रु0 की राशि का एक परिशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया। यद्यपि मई 1992 तक प्राक्कलन को अनुमोदित नहीं किया गया था, 7.85 लाख रु0 के व्यय से अन्तर्गस्त 1255 प्रवाही मीटर के बांध तथा 8 निवारक पर्वत प्रक्षेपों का खड्ड के दोनों किनारों पर मार्च 1985 तक निर्माण किया गया। इसके पश्चात् 115 मीटर के बांध के निर्माण पर मार्च 1992 तक 8.35 लाख रु0 का अनुवर्ती व्यय भी किया गया। राज्य तकनीकी परामर्श समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

1984 तथा 1989 की मौनसून वर्षा में निर्माण कार्यों को क्षति पहुची जिससे उनके पुन:स्थापन पर 6.69 लाख रु0 का व्यय आवश्यक हो गया। क्षति के कारणों की जांच नहीं की गयी।

प्रारम्भ में केवल 2 लाख रु0 की अनुमानित लागत वाले बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों को 22.89 लाख रु0 के व्यय के बावजूद 15 से अधिक वर्षों के पश्चात् भी पूर्ण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त जबकि मार्च 1985 से पूर्व बांध तथा पर्वत प्रक्षेपों के निर्माण की औसत लागत 625 रु0 प्रति प्रवाही मीटर थी। यह अप्रैल 1985 तथा मार्च 1992 के मध्य निर्माण की औसत लागत 7,261 रु0 प्रति प्रवाही मीटर तक पहुच गई थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए अधिशासी अभियन्ता, बड़सर मण्डल ने बताया (जून 1992) कि अप्रैल 1985 के पश्चात् निर्माण कार्यों पर किए गए अधिक व्यय के बारे में वास्तविक स्थिति सम्बन्धित सहायक अभियन्ता से सुनिश्चित की जाएगी।

(च) प्राकृतिक आपदाओं से संकट से राहत हेतु प्रदान की गई निधियों को ऐसी आपदाओ से हुई क्षति के पुन: स्थापन के लिए उपयोग किया जाना होता है। अत्यधिक वर्षा से हुई क्षति के पुन:स्थापन हेतु 1990-91 के दौरान कुल्लू मण्डल को 5 लाख रु0 प्रदान किए गए। परन्तु मण्डल ने तीन चालू बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों पर 4 लाख रु0 का उपयोग किया तथा एक लाख रु0 की शेष राशि अनियमित रूप से सिंचाई एव जलापूर्ति स्कीमों पर लगा दी।

(छ) नियमों में प्रावधान है कि कोई भी कार्य तब तक आरम्भ नहीं करना चाहिए या उस पर दायित्व का वहन न किया जाए जब तक कि इसका प्रशासकीय रूप में अनुमोदन न हो गया हो तथा विस्तृत डिजाईनों और प्राक्कलनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्वीकृत न कर दिया जाए। तकनीकी संस्वीकृति के अभाव में मण्डलीय अधिकारियों द्वारा व्यय तथा निर्माण कार्य की विभिन्न मदों की मात्राओं पर नियत्रण कठिन हो जाएगा।

नियमों के प्रतिकूल, तीन मण्डलों* ने प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किए बिना 1987-88 के दौरान तीन निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रारम्भ किया था तथा मार्च 1992 तक इन निर्माण कार्यों पर कुल 13.51 लाख रु0

---

* बड़सर, इन्दौरा तथा ऊना-II

का व्यय किया था। इसी प्रकार सात मण्डलों* ने तकनीकी सम्वीकृति की प्राप्ति के बिना ही 1982-83 तथा 1990-91 के मध्य 19 निर्माण कार्यों को प्रारम्भ किया था। मार्च 1992 तक इन निर्माण कार्यों पर 115.80 लाख रु0 का कुल व्यय हो गया।

(ज) पूर्ण किए गए बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों का आवधिक अनुरक्षण और मरम्मत यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उनको क्षति न पहुंचे। इस प्रयोजन हेतु वार्षिक बजट प्राक्कलनों में प्रावधान रखना अपेक्षित है। नमूना-परीक्षित मण्डलों में से चार** ने इस संदर्भ में 1987-88 से 1991-92 के वर्षों के बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा था। दो अन्य मण्डलों*** ने 1987-88 से 1989-90 की अवधि के बजट में 1000 रु0 तथा 5000 रु0 के मध्य केवल सांकेतिक प्रावधान रखा था।

आवधिक अनुरक्षण तथा मरम्मत न किए जाने के कारण, निर्माण कार्यों को बारम्बार क्षति हुई। 1987-88 से 1991-92 की अवधि के दौरान 5 मण्डलों**** द्वारा क्षति के पुन: स्थापन पर 148.76 लाख रु0 का कुल व्यय हुआ।

(झ) हिमाचल प्रदेश में अपनाए गए पंजाब लोक निर्माण विभाग विनिर्देश, 1983 के अनुसार प्रभारी-अभियन्ता द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तट-बंधन में प्रयोग की गई पेटियों का निर्माण शारीरिक रूप से 6 या 8 मानक मोटाई की जस्तीकृत की तार से किया जाना अपेक्षित था। इन पेटियों के छिद्र, जिन्हें 18 किलोग्राम या इससे अधिक तौल के शिला-खण्डों से भरा जाना था, 15सैं0मी0 x 15 सैं0मी0 या 25 सैं0मी0 x 7.5 से0मी0 के होने थे।

जबकि चालू निर्माण कार्यों को कथित रूप से निधियों के अभाव के कारण नुकसान हुआ, विभाग ने नवम्बर 1988 तथा मार्च 1992 के मध्य तार की पेटियां बनाने हेतु 2.89 लाख वर्ग मीटर की अधिक मूल्य की अन्त:-संयोजी जंजीरों का क्रय किया जिसमें से 2.40 लाख वर्ग मीटर में 10 सैं0मी0 x 10 सैं0मी0 का छिद्र था। इन फर्मों से जिनसे इस प्रयोजन हेतु दर-संविदाएं तय की गई थी उनसे कम महंगी जस्तीकृत लौह तारों का क्रय करने

---

* बड़सर, चम्बा, इन्दौरा, नूरपूर, सुन्दरनगर, ऊना-I तथा ऊना-II

** चम्बा, नूरपूर, ऊना-I तथा ऊना-II

*** इन्दौरा तथा सुन्दरनगर

**** बड़सर, इन्दौरा, नूरपूर, ऊना-I तथा ऊना-II

की बजाय पेटियों का निर्माण करने के परिणामस्वरूप 20.08 लाख रु0 की बचत हुई होती। लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए अभिलेखों से अधिक मंहगी अन्त:-संयोजी जंजीरों का क्रय सुनिश्चित नहीं हो सका। प्रमुख अभियन्ता ने भी अक्तूबर 1989 में बताया था कि ये जंजीरें बाढ़-सुरक्षा निर्माण कार्यों को क्षति पहुंचाती थी अत: पेटियों के निर्माण हेतु इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

चाहे पेटियों के निर्माण में अन्त:-संयोजी जंजीरों के प्रयोग हेतु उचित कारण तथा पर्याप्त औचित्य था, यथा विनिर्दिष्ट 15सैं0मी0 × 15 सैं0मी0 छिद्र वाली अन्त:-संयोजी जंजीरों के प्रयोग जो लगभग 5 रु0 प्रति वर्ग मीटर सस्ती थी, के परिणामस्वरूप 11.99 लाख रु0 की बचत हुई होती। यद्यपि मुख्य अभियन्ता (उत्तरी क्षेत्र) को मई 1992 में 10 से0मी0×10 से0मी0 छिद्र वाली अन्त:-संयोजी जंजीरों के क्रय का औचित्य बताने का अनुरोध किया गया था, उसका दिसम्बर 1992 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

नूरपुर मण्डल ने 7.34 लाख रु0 की कुल लागत की मार्च 1989 (14,022 वर्ग मी0) में तथा मार्च 1991 (3,500 वर्ग मी0) में 17,522 वर्ग मीटर अन्त:-संयोजी जंजीरों का क्रय किया। इसमें से 3.13 लाख रु0 लागत की 7,149 वर्गमीटर की मात्रा चार बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों के स्थल-सामग्री लेखों में मई 1992 तक अप्रयुक्त पड़ी थी।

(ग) अप्रैल 1983 में मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, एक बुलडोजर को प्रतिवर्ष 800 से 1200 घण्टे तक उपयोग करना अपेक्षित था। तथापि ऊना-I तथा ऊना-II मण्डलों में 1988-89 से 1991-92 की अवधि के दौरान तीन बुलडोजरों की उपयोगिता 13 से 34 प्रतिशत के मध्य थी जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

मण्डल	बुलडोजर का विवरण	मानकों पर आधारित उपयोगिता (घण्टों में)	वास्तविक उपयोगिता	उपयोगिता प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
ऊना-I	रु0 8930	3,200	403	13	अप्रैल से जून 1988, सितम्बर 1988 से जनवरी 1989 तथा अक्तूबर 1990 से सितम्बर 1991 तक खराब रहा।
	रु0 8918	3,200	1,083	34	अप्रैल से दिसम्बर 1989,

मण्डल	बुलडोजर का विवरण	मानकों पर आधारित उपयोगिता (घण्टों में)	वास्तविक उपयोगिता	उपयोगिता प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
					नवम्बर-दिसम्बर 1990, मई-जून 1991 तथा नवम्बर 1991 और जनवरी 1992 में बेकार रहा।
शिमला-II	रू0 डी-80-8969	3,200	802	25	अप्रैल 1988 से अप्रैल 1989, अप्रैल 1990, अक्तूबर 1990 से जुलाई 1991 तक तथा सितम्बर-अक्तूबर 1991 में बेकार रहा।

यह तथ्य सरकार को अगस्त 1992 में सदर्भित किये गये। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

4.14 शिमला जलापूर्ति स्कीम की वृद्धि

शिमला जलापूर्ति स्कीम की वृद्धि हेतु ढली निस्यन्दक से संजौली जलाशय तक विद्यमान मुख्य मेन के बदलने को प्रशासनिक रूप से मार्च 1988 में 105.05 लाख रू0 की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया। मुख्य एवं वितरण लाईनों की आपूर्ति तथा बिछाने का कार्य शिमला मण्डल नं0 II द्वारा मार्च 1988 में 72.30 लाख रू0 की लागत पर एक जालन्धर स्थित फर्म को सौंपा गया। एक वर्ष के भीतर कार्य का सम्पन्न किया जाना निर्धारित था, जिसकी गणना आदेश पत्र के जारी किए जाने के 15 वें दिन से की जानी थी। परन्तु फर्म ने इस तर्क पर कि फरवरी 1988 में तय की गई कुछ शर्तों का आदेश पत्र में समावेश नहीं किया गया था, न तो अनुबन्ध को हस्ताक्षरित किया और न ही कार्य प्रारम्भ किया। अतः मार्च 1989 तथा जुलाई 1989 में फर्म के साथ पुनः बातचीत की गई तथा सितम्बर 1989 में एक संशोधित आदेश पत्र जारी किया गया जिसके अनुसार जून 1990 तक कार्य को सम्पन्न किया जाना था। परन्तु वास्तव में निर्माण कार्य को फर्म द्वारा 90.40 लाख रू0 की कुल लागत पर फरवरी 1992 में सम्पन्न किया गया।

अगस्त-सितम्बर 1990 तथा अप्रैल 1992 के दौरान मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा करने पर निम्नांकित उद्घाटित हुआ:-

(क) दिसम्बर 1987 में प्रस्तुत किए गए अपने प्रस्ताव में फर्म ने अन्य बातों के साथ-साथ सभी प्रकार की भूमि में नींव, खाईयों आदि की खुदाई हेतु 30 रु0 प्रति घन मीटर की दर उद्धृत की थी, बशर्ते कि यदि विस्फोट-कार्य अन्तर्ग्रस्त हो तो विभाग द्वारा विस्फोटक-सामग्री की आपूर्ति नि:शुल्क करवाई जाएगी। तथापि इस शर्त की वित्तीय जटिलताओं का मूल्यांकन किए बिना फरवरी 1988 में हुई वार्ता के दौरान विभाग फर्म को 60 रु0 प्रति घन मीटर की दर का भुगतान करने पर सहमत हो गया तथा विभाग द्वारा आपूर्ति की गई विस्फोटक सामग्री की लागत फर्म से वसूल की जानी थी।

3.24 लाख रु0 की लागत का नींव तथा खाईयों आदि की खुदाई के कारण 5,406.54 घन मीटर की कुल मात्रा का मिट्टी का कार्य फर्म द्वारा निष्पादित किया गया। विभाग द्वारा आपूर्ति की गई विस्फोटक सामग्री की केवल 0.06 लाख रु0 की वसूली की गई। यदि विभाग विस्फोटक सामग्री की नि:शुल्क आपूर्ति करने के लिए सहमत हो जाता तो फर्म को केवल 1.62 लाख रु0 की राशि देय होती। ऐसा न करने के परिणामस्वरूप 1.56 लाख रु0 का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ख) फर्म ने दिसम्बर 1987 के अपने प्रस्ताव में तर्क दिया था कि पाईप-लाईन की लम्बाई में परिवर्तन 5 प्रतिशत धनात्मक या ऋणात्मक तक सीमित होंगे। फरवरी 1988 में वार्ता के पश्चात् इसे 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। विभाग ने फर्म की इस शर्त को भी स्वीकार किया कि यदि पाईप-लाईन की लम्बाई विनिर्दिष्ट 10 प्रतिशत की सीमा से कम हो तो फर्म के पास बची हुई पाईप लाईनों को फर्म द्वारा उनकी निविदा में इंगित दर में से श्रम प्रभारों को घटा कर विभाग द्वारा खरीद लिया जाएगा।

निविदा प्रलेखों के साथ संलग्न मात्राओं की अनुसूची में विनिर्दिष्ट 4,115 प्रवाही मीटर की मात्रा के प्रति फर्म द्वारा वास्तव में 457 एम एम एस स्पाईरल वेल्ड कमर्शियल क्वालिटी पाईपों की 3,825 प्रवाही मीटर की कुल मात्रा को बिछाया गया। विभाग ने मार्च 1992 में फर्म से 3.55 लाख

रु० की लागत पर 270 प्रवाही मीटर पाईपें खरीदी जो अक्तूबर 1992 तक स्टॉक में अप्रयुक्त पड़ी थी।

निर्माण कार्य में प्रयुक्त (3,825 प्रवाही मीटर) पाईपें ठीक 3,704 प्रवाही मीटर की न्यूनतम मात्रा की सीमा में थी जो परिवर्तन धारा की शर्तों के अनुसार प्रयोग की जानी चाहिए थी। अतः निर्माण कार्य की समाप्ति पर विभाग फर्म के पास बची पाईपों को खरीदना बाध्य नहीं था। संविदा की शर्तों को लागू न करने के परिणामस्वरूप 3.55 लाख रु० का परिहार्य निरर्थक निवेश हुआ।

(ग) मार्च 1988 के आदेश पत्रानुसार निर्माण कार्य का अप्रैल 1989 तक पूर्ण करना अनुबन्धित था। तदनन्तर इसको जून 1990 तक बढ़ा दिया गया। फर्म द्वारा निर्माण कार्य को वास्तव में 21.70 लाख रु० के कुल वृद्धि प्रभारों के भुगतान से अन्तर्गस्त फरवरी 1992 में पूर्ण किया गया। अप्रैल 1989 से जून 1990 की अनुसूचि में विस्तार की फर्म के साथ आगे की जाने वाली वार्ता में हुए विलम्ब के कारण आवश्यकता पड़ी। तद्नन्तर विलम्ब का कारण विभाग का फर्म द्वारा पाईपों को बिछाने हेतु समय पर 2.75 मीटर चौड़े मार्ग का उपलब्ध न करवाना था जिसके के कारण अभिलेखों से सुनिश्चित करने योग्य नहीं थे। यदि मार्च 1988 में आदेश पत्र के जारी किए जाने के तुरन्त पश्चात् फर्म के साथ आगे की बातचीत हो गई होती तथा मार्ग को भी तुरन्त उपलब्ध करवा दिया जाता तो 4.01 लाख रु० की सीमा तक वृद्धि प्रभारों का भुगतान का परिहार किया जा सकता था।

यह तथ्य सरकार को सितम्बर 1992 में संदर्भित किये गये। उनका उत्तर प्राप्त नहीं किया गया था (दिसम्बर 1992) ।

4.15 सिंचाई स्कीमों पर निष्फल व्यय

(क) कृषि योग्य कमांड क्षेत्र की 184 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु अभिकल्पित भंगरोली चट्टा गांव (जिला कांगड़ा) के लिए एक लिफट सिंचाई स्कीम अक्तूबर 1980 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित की गई तथा फरवरी 1982 में 7.54 लाख रु० की अनुमानित लागत पर तकनीकी रूप में सस्वीकृत की गई।

जून 1986 तक स्कीम को नूरपुर मण्डल द्वारा 12.24 लाख रु० की लागत पर आंशिक रूप से चालू किया गया था। तब तक वितरण प्रणाली का केवल 60 प्रतिशत भाग बिछाया गया था। तथापि तब से स्कीम परिचालित नहीं थी, क्योंकि स्कीम के उन्नयन मेन में प्रयुक्त ढलवां लोहे की पाईपें पानी के वेग को सहन नहीं कर सकी तथा जून 1986 में परीक्षण के समय फट गई थी। तथापि वितरण पद्धति का 3.75 लाख रु० के व्यय से गस्त 10 प्रतिशत और बिछाने का कार्य को जुलाई 1986 तथा जून 1990 के मध्य पूर्ण किया गया। जनवरी 1992 तक उस मण्डल द्वारा पाईपों को बदलने तथा स्कीम को कार्यशील बनाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। स्कीम को पूरा करने के संदर्भ में उत्तरदायित्व को जुलाई 1990 में इन्दौरा मण्डल को हस्तांतरित कर दिया गया। वितरण पद्धति के शेष 30 प्रतिशत को भी पूर्ण नहीं किया गया था, जिसका कारण मण्डलीय अधिकारी द्वारा निधियों का अभाव बताया गया।

इस प्रकार स्कीम पर किया गया 15.99 लाख रु० का व्यय निष्फल रहा तथा लाभग्राही अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।

(ख) 51 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जमना कूहल* (जिला सिरमौर) की पुनः की गई मॉडलिंग का मार्च 1980 में 3.59 लाख रु० की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक रूप में अनुमोदन किया गया। 3.71 लाख रु० की तकनीकी संस्वीकृति दिसम्बर 1980 में प्रदान की गई। पांवटा मण्डल द्वारा निष्पादन हेतु निर्माण कार्य को मार्च 1980 में प्रारम्भ किया गया तथा 5.17 लाख रु० की लागत पर जनवरी 1983 में पूर्ण किया गया। 1985-86 से जनवरी 1991 तक स्कीम की मरम्मतों तथा अनुरक्षण पर 0.51 लाख रु० का व्यय भी किया गया था।

तथापि, कृषि योग्य कमांड क्षेत्र को स्कीम के पूरा होने से लेकर कोई सिंचाई प्रदान नहीं की गई थी। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (नवम्बर 1991) कि इसी स्रोत से एक अन्य निजी कूहल थी तथा कृषक जो अधिकार धारक थे, सिंचाई मौसम में जमना कूहल से पानी के बहाव में बाधा डाला करते थे। इसके परिणामस्वरूप कूहल से निस्सारण में इस सीमा तक कमी हो जाती थी कि कृषि योग्य कमांड क्षेत्र तक पानी की केवल लघु मात्रा ही पहुंच पाती थी और वह भी रिसाव के कारण व्यर्थ हो जाती थी।

---

* एक लघु सिंचाई मार्ग

विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर पाने के कि अभीष्ट कमांड तथा विद्यमान अधिकार धारकों की भूमियों की सिंचाई हेतु निर्दिष्ट स्रोत से वास्तव में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो पाएगा तथा कूहल की पुनः मॉडलिंग करने से पूर्व पानी के प्रयोग के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 5.68 लाख रु0 का व्यय हुआ जो निष्फल रहा तथा लाभग्राही अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।

(ग) 51 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु अभिकल्पित जिला सिरमौर में बड़ोग बनारी (ठाकुर गवाना) में लिफट सिंचाई स्कीम मार्च 1983 में 6.10 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक रूप से अनुमोदित की गई। निर्माण कार्य पांवटा मण्डल द्वारा नवम्बर 1984 में प्रारम्भ किया गया तथा 1991-92 तक 5.49 लाख रु0 का व्यय किया गया।

मण्डलीय अधिकारी ने 1986-87 में उच्चतर प्राधिकारियों को सूचित किया कि स्कीम के पूर्ण होने पर इसका समग्र कृषि योग्य कमांड क्षेत्र सिंचाई के अधीन लाया जा चुका था।

तथापि मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 1985-86 में एक फर्म द्वारा आपूर्ति की गई पम्प-मशीनरी फरवरी 1992 तक प्रतिष्ठापित नहीं की गई थी। चूंकि लिफ्ट सिंचाई स्कीम के चालू किए जाने हेतु पम्प-मशीनरी का प्रतिष्ठापन एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा थी, मण्डलीय अधिकारी की सूचना स्पष्टतया तथ्यों पर आधारित नहीं थी।

अभिलेखों की संवीक्षा से आगे यह उद्घाटित हुआ कि प्राक्कलन में हौदी कुआं तथा संभरक चैनल के निर्माण के प्रावधान के प्रति एक रिसाव कुएं का निर्माण किया गया।

गिरी नदी, जो स्कीम का स्रोत थी, ने 1988 की वर्षा ऋतु के दौरान अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। परिणामतः नदी का जल-स्तर रिसाव कुएं के स्तर से नीचे चला गया जिससे स्कीम का प्रचालन असम्भव हो गया। सहायक अभियन्ता माजरा उप-मण्डल ने जनवरी 1992 में भी पुष्टि की कि नदी का जल-स्तर रिसाव कुएं के स्तर से बहुत नीचे था जिसके परिणामस्वरूप नदी का पानी प्राकृतिक रूप से रिसाव कुएं में नहीं बह सका। स्कीम को पूर्ण करने तथा इसे कार्यात्मक बनाने हेतु फरवरी 1992 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष की अनुबन्धित अवधि के

भीतर पूर्ण करने वाली स्कीम 7 वर्ष से अधिक के बीत जाने के बाद भी अपूर्ण थी तथा इस पर 5.49 लाख रु0 का किया व्यय निष्फल रहा।

यह तथ्य सरकार को जुलाई 1992 में संदर्भित किये गये थे। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

4.16 एक जलापूर्ति स्कीम पर निष्फल व्यय

जिला बिलासपुर में तल्याना, बाडी, भगोट तथा हान गांवों-समूह के लिए एक लिफ्ट जलापूर्ति स्कीम दिसम्बर 1981 में 5.74 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक रूप से अनुमोदित की गई। यह स्कीम वर्ष 1999 में 2,356 व्यक्तियों तथा 831 विद्यार्थियों की एक चरम जनसंख्या को प्रतिदिन 1,02,550 लीटर पीने का पानी उपलब्ध करवाने से अभिप्रेत थी। स्कीम के लिए पानी को एक रिसाव कुएं को खोद कर तल्याना नाले से उत्थापन कराने का प्रस्ताव था । यह पई 1981 में सहायक अभियन्ता, घुमारवीं उप-मण्डल द्वारा प्रस्तुत केवल इस प्रमाण-पत्र पर आधारित था कि रिसाव कुएं को खोदने के बाद स्रोत पर अपेक्षित निस्सारण उपलब्ध होगा तथा इससे पूर्व/इसके समर्थन में कोई विस्तृत जांच नहीं की गई थी।

बिलासपुर मण्डल द्वारा निष्पादन हेतु स्कीम 1981-82 के दौरान प्रारम्भ की गई तथा 10.60 लाख रु0 की लागत पर 1982-83 में पूर्ण की गई। मण्डल द्वारा लागत वृद्धि का कारण (क) एक और गांव को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए वितरण लाईनों की लम्बाई में वृद्धि तथा (ख) राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत आपूर्ति के प्रावधान हेतु तथा संविदाकार को पम्प-मशीनरी की आपूर्ति करवाने हेतु किए गए वास्तविक भुगतानों का अनुमानों से अधिक होना बताया गया। स्कीम के अनुरक्षण पर मार्च 1992 तक 7.76 लाख रु0 का कुल व्यय भी किया गया।

किन्तु जुलाई 1985 में चयनित स्रोत से निस्सारण पर्याप्त न पाया गया। बाद में अक्तूबर 1986 के दौरान लिए गए मापों से उद्घाटित हुआ कि प्रतिदिन निस्सारण केवल 72,000 लीटर था। अत: अधिशासी अभियन्ता ने स्कीम के विस्तार का सुझाव दिया। इसकी प्राप्ति एक के अतिरिक्त उन्नयन मेन, पम्प घर तथा हौदी के निर्माण तथा पहले से निर्मित रिसाव कुएं को एक निकट के चश्में से पानी की अतिरिक्त मात्रा के उत्थापन को सुलभ बनाने हेतु अतिरिक्त पम्प मशीनरी के प्रतिष्ठापन द्वारा की जानी थी। तदनुसार स्कीम के विस्तार हेतु मार्च 1988 में 3.51 लाख रु0 की लागत पर दो प्राक्कलन संस्वीकृत किए गए।

विस्तार कार्य के लिए 1986-87 के दौरान प्रारम्भ की गई तथा सितम्बर 1988 तक अनुसूचित समाप्ति की स्कीम केवल अक्तूबर 1992 में पूर्ण की गयी। परन्तु इसे राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली अपेक्षित विद्युत आपूर्ति के अभाव में चालू नहीं किया गया था। अगस्त 1992 तक विस्तार पर 6.99 लाख रु0 का व्यय किया जा चुका था।

इसी मध्य मूल स्रोत (तल्याना नाला) से निस्सारण और भी कम हो गया। जबकि 1989-90 से 1991-92 की अवधि के दौरान सामान्य दैनिक निस्सारण 57,600 लीटर था, क्षीण् अवधि में निस्सारण 1,02,550 लीटर की प्रक्षिप्त दैनिक आवश्यकता के प्रति केवल 2,880 तथा 28,800 लीटर के मध्य में था।

विस्तार में विलम्ब सहित स्कीम को प्रारम्भ करने से पूर्व समुचित जांच पर आधारित, प्रक्षिप्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु तल्याना नाला से पर्याप्त पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप अभिप्रेत लाभग्राहियों को पानी की कम मात्रा आपूरित हुई तथा 10.60 लाख रु0 के निवेश से 7 वर्षों से अधिक तक अभिप्रेत प्रयोजन की पूरी तरह पूर्ति नहीं हो पायी । पुन: विस्तार स्कीम के चालू न किए जाने के कारण उस पर किया गया 6.99 लाख रु0 का व्यय भी निष्फल रहा।

मण्डलीय अधिकारी ने बताया (अगस्त 1991) कि मूल स्रोत से निस्सारण में कमी अनावृष्टि की परिस्थितियों के कारण आई। तथापि राज्य में भारी अनावृष्टि की परिस्थितियां केवल 1985-86 के दौरान विद्यमान थी। यह भी तथ्य है स्कीम का सूत्रीकरण किसी विस्तृत जांच पर आधारित नहीं था।

मामला सरकार को सितम्बर 1992 में संबंमित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

4.17 अनधिकृत व्यय

राना खड्ड से चतरभुजा (जिला मण्डी) तक एक लिफट-जलापूर्ति स्कीम प्रशासनिक रूप से जुलाई 1989 में 21.13 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गई। यह स्कीम अन्तत: 787 व्यक्तियों तथा वर्ष 2008 में चतुर्भुजा देवी मन्दिर के 1,491 उपासकों की जनसंख्या को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए अभिकल्पित की गई थी। परन्तु इसकी पूर्णता के लिए विनिर्दिष्ट समय अनुसूची निर्धारित नहीं की गई थी।

1989-90 तथा 1992-93 के मध्य स्कीम हेतु केवल 1.25 लाख रु0 की कुल निधियां उपलब्ध करवाई गई। स्कीम के कार्यान्वन के लिए उपलब्ध करवाई गई ऐसी निधियों का उपयोग करने की बजाय पड़र मण्डल ने एक शिकायत कार्यालय तथा एक कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय के आवास हेतु अक्तूबर 1989 में मकेरीरी में एक भवन का निर्माण प्रारम्भ किया। जून 1990 में 2.29 लाख रु0 की लागत पर भवन का निर्माण पूर्ण किया गया। जलापूर्ति स्कीम के संस्वीकृत प्राक्कलन में, जिसके नामे यह व्यय डाला गया, इस सम्बन्ध में किसी प्राकार के प्रावधान का समावेश नहीं किया गया था; न ही भवन का स्कीम के साथ किसी प्रकार से विशेष सम्बन्ध था। स्कीम हेतु चिन्हित निधियों का प्रयोग करके भवन का निर्माण करना अनधिकृत तथा अनुचित था।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अक्तूबर 1992) कि एक सुदूर क्षेत्र में जहां निजी आवास सुगमता से उपलब्ध नहीं था, कनिष्ठ अभियन्ता के लिए किसी आवास का उपलब्ध करवाना आवश्यक था। यदि इस उद्देश्यार्थ भवन का निर्माण उचित तथा अपरिहार्य समझा गया था तो इसे एक जलापूर्ति स्कीम हेतु अभिप्रेत निधियों को अनियमित रूप से दिक् परिवर्तन करने की बजाय आवश्यक अनुमोदन तथा निधियों को प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाना चाहिए था।

सरकार को मामला अगस्त 1992 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था दिसम्बर 1992) ।

4.18 एक नलकूप के बरमाने पर निष्फल व्यय

करलूही (जिला ऊना) में 40 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 0.71 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर एक नलकूप के निर्माण को दिसम्बर 1974 में प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया। नलकूप मण्डल, नालागढ़ (अगस्त 1991 में गगरेट को स्थानान्तरित) ने नलकूप का बरमाना आवश्यक तकनीकी संस्वीकृति की प्राप्ति किए बिना केवल नवम्बर 1981 में प्रारम्भ किया। जैसाकि निर्धारित था, धरातल जल संगठन द्वारा कार्य के प्रारम्भ करने से पूर्व निस्सारण तथा पानी की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जांच भी नहीं की गई।

नलकूप का बरमाना दिसम्बर 1983 में 2.73 लाख रु0 की लागत पर पूर्ण किया गया जिसमें लागत में वृद्धि का कारण मध्यावधि सामग्रियों के मूल्यों तथा श्रम-मजदूरी में वृद्धि था। बाद में नलकूप को सम्बन्धित

सिविल कार्यों के निष्पादन तथा चालू करने हेतु मार्च 1986 में ऊना मण्डल नं0 2 को सौंप दिया गया।

किन्तु नलकूप से निस्सारण केवल 4000 गैलन प्रति घण्टा पाया गया जो अपेक्षित 40 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु अपर्याप्त समझा गया। अतः ऊना मण्डल नं0 2 द्वारा किसी सिविल कार्य का निष्पादन नहीं किया गया तथा बोर होल को बन्द कर दिया गया।

तदनन्तर जुलाई 1991 में मण्डल ने स्रोत के रूप में पहले ही खोदे गए नलकूप का उपयोग करने वाली एक लिफ्ट जलापूर्ति स्कीम के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य वृत्त, ऊना को 9.99 लाख रु0 का एक प्राक्कलन प्रस्तुत किया। तैयार की गई स्कीम नलकूप से उपलब्ध पानी का उपयोग करके अथवा तथा कुथेरी गांवों को पीने के पानी की आपूर्ति को सुलभ बनाने के उद्देश्य से थी। परन्तु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अगस्त 1991 में प्राक्कलन को इस अभ्युक्ति के साथ वापिस कर दिया गया कि एक शीर्ष टरबाइन पम्प का प्रयोग करते हुए बोर का और विकास किया जाए तथा इससे होने वाले निस्सारण को पुनः सुनिश्चित किया जाये। परन्तु इन निर्देशों के अनुसरण में मार्च 1992 तक कार्यवाही नहीं की गई थी।

परिणामतः पर्याप्त पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना दिसम्बर 1983 में 2.73 लाख रु0 की लागत पर बरमाए गए नलकूप का सिंचाई के लिए जैसाकि मूल रूप से अभिप्रेत था, या पीने के पानी की आपूर्ति हेतु, जैसाकि बाद में परिकल्पित किया गया, उपयोग नहीं किया गया था जिससे इस पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

अधिशासी अभियन्ता, ऊना मण्डल नं0 2 ने मार्च 1992 में बताया कि नलकूप मण्डल, गगरेट को अगस्त 1991 में बोर को विकसित करने तथा निस्सारण को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया था। तथापि नलकूप मण्डल, गगरेट ने अक्तूबर 1991 में लेखापरीक्षा को सूचित किया कि इस प्रयोजन हेतु ऊना मण्डल नं0 2 द्वारा निधियां उपलब्ध न करवाने के कारण निर्माण कार्य को प्रारम्भ न किया जा सका।

सरकार को यह मामला सितम्बर 1992 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

पांचवाँ अध्याय
भण्डार एवं स्टॉक
लोक निर्माण विभाग

5.1 सामग्री के जारी करने में अनियमितताएं

हिमाचल प्रदेश में यथा लागू पंजाब वित्तीय पुस्तिका संख्या 3 के नियम 6.4 में यह प्रावधान है कि निर्माण कार्यों को तब तक सामग्री जारी न की जाये जब तक कि तुरन्त उपयोग हेतु उनकी वास्तविक आवश्यकता न हो। केवल बजट प्रावधान के उपयोग हेतु सामग्री की लागत को एक निर्माण कार्य के नामे डालना निषिद्ध है।

(क) 21 लोक निर्माण मण्डलों* में मार्च 1987 तथा मार्च 1991 के मध्य 159 निर्माण कार्यों को 175.57 लाख रु0 की लागत की विभिन्न निर्माण सामग्री जारी की गई दर्शाई गई थी। सम्बद्ध अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि या तो निर्माण कार्यों के संस्वीकृत प्राक्कलनों में इन सामग्रियों हेतु कोई प्रावधान न था या सामग्रियों के उपयोग हेतु बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी तथा इन्हें अप्रैल 1987 तथा दिसम्बर 1991 के मध्य या तो स्टॉक को पुनरांकन या अन्य निर्माण कार्यों को हस्तान्तरित कर दिया गया। अधिकांश मामलों में सामग्रियों को निर्माण स्थलों तक भी नहीं भेजा गया था तथा स्थल सामग्री लेखाओं में लेखांकन ही नहीं किया गया था। केवल बजट में प्रावधित निधियों का उपयोग करने के उद्देश्य से ही समायोजन किए गए प्रतीत होते थे।

ऊना मण्डल में 300 बोरी सीमेंट के मूल्य की गणना 0.30 लाख रु0 की बजाय 3 लाख रु0 की गई तथा मार्च 1991 में 2.70 लाख रु0 के एक फर्जी नामे को एक निर्माण कार्य को कर दिया गया। इसका बाद में मई 1991 तथा नवम्बर 1991 के मध्य पुनरांकन किया गया।

(ख) सोलन मण्डल ने सामग्री की लागत को दर्शाने वाली 4.86 लाख रु0 की राशि को अप्रैल 1984 तथा मार्च 1990 के मध्य दो निर्माण कार्यों के नामे डाला। 12.95 लाख रु0 की अनुमानित लागत के ये निर्माण कार्य नवम्बर 1977 तथा अगस्त 1987 में संस्वीकृत किए गए थे तथा दो वर्ष

---

* बिलासपुर-II, चुराह, डलहौजी, देहरा, विद्युत-II शिमला, घुमारवीं, कल्पा, कांगड़ा, कसौली, कुमारसैन, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला, नाहन, पांगी, रामपुर, रोहड़ू, शिमला-II, शिमला-III, सोलन, ठियोग, उदयपुर तथा ऊना।

की अवधि के भीतर पूर्ण होने अनुसूचित थे। तथापि कथित रूप से सम्बन्धित विभाग द्वारा स्थलों के मण्डल को न सौंपे जाने के कारण इन निर्माण कार्यों का वास्तविक निष्पादन अगस्त 1992 तक आरम्भ नही किया गया था।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1991) कि इन निर्माण कार्यों में से सोलन में उपायुक्त के आवास के निर्माण से सम्बन्धित एक निर्माण कार्य के निष्पादन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अधिकारी को आवास प्रदान करने हेतु 1.86 लाख रु0 की लागत पर मार्च 1980 में एक निजी भवन पहले ही खरीदा जा चुका था। इस प्रकार इस निर्माण कार्य के प्रति अप्रैल 1984 तथा सितम्बर 1987 के मध्य 1.36 लाख रु0 की लागत की सामग्रियों की बुकिंग अनुचित थी।

मामला सरकार को जुलाई 1992 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

5.2 अविवेकपूर्ण क्रय

नियमों में अपेक्षित है कि लोक सेवाओं की निश्चित आवश्यकताओ के अनुसार ही भण्डारों का क्रय किया जाये तथा इनका वास्तविक आवश्यकता से अधिक क्रय नहीं करना चाहिए।

(i) राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डल, रामपुर में जून 1989 में 2.75 लाख रु0 लागत की विभिन्न मापों की 310 बरमा छड़ों का क्रय किया गया। इनमें से 0.67 लाख रु0 लागत की केवल 76 बरमा छड़ों का जून 1989 तथा नवम्बर 1991 के मध्य उपयोग किया गया। 2.08 लाख रु0 लागत की शेष 234 छड़े विभिन्न निर्माण कार्यों को दिसम्बर 1991 तथा अगस्त 1992 के मध्य जारी की गई तथा अक्तूबर 1992 तक स्थल-सामग्री लेखाओ में अप्रयुक्त पड़ी थी।

(ii) मार्च 1987 में प्रमुख अभियन्ता ने 1.85 लाख रु0 की प्राक्कलित लागत से किमोबिल से ज्यूरी तक एक आकाशीय रज्जुमार्ग के निर्माण की संस्वीकृति प्रदान की। भवन एवं सड़क मण्डल, रामपुर ने कार्य में प्रयोगार्थ जून 1988 में 1.51 लाख रु0 की लागत से 10,200 प्रवाही मीटर जस्तदार लोहे की तार रस्सी का क्रय किया। अक्तूबर 1992 तक स्टाक मेंसामग्री अप्रयुक्त पड़ी थी क्योंकि प्रस्तावित संरेखण

में वन भूमि पड़ने के कारण निर्माण कार्य को निष्पादन हेतु आरम्भ नहीं किया गया था। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मार्च 1992) कि निर्माण कार्य के लिए वैकल्पिक स्थल का चयन किया जा रहा था।

(iii) डलहौजी मण्डल में 1960 से पूर्व क्रय की गई 0.89 लाख रु0 लागत की जी आई पाइपें, जुड़नार, शहतीर आदि जैसी सामग्री सितम्बर 1992 तक स्टॉक में अप्रयुक्त पड़ी थी। अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया (सितम्बर 1992) कि फालतू सामग्रियों की सूचियाँ फरवरी 1990 में परिचालित की गई थी, परन्तु अन्य मण्डलों से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

उपर्युक्त मामलों में सामग्रियों की अप्रयुक्ति के परिणामस्वरूप 4.48 लाख रु0 का निरर्थक निवेश हुआ।

मामला सरकार को जून 1992 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

5.3 भण्डारों की कमी/अलेखांकन

तीन मण्डलों* में सितम्बर 1988 तथा फरवरी 1991 के मध्य अपने स्थानांतरण के समय तीन कनिष्ठ अभियन्ताओ द्वारा 1.39 लाख रु0 लागत की सामग्री को या तो सौंपा ही नहीं गया था या कम सौंपा गया था। इनमे से एक मण्डल**में अगस्त 1978 में अपने स्थानांतरण के समय फिर एक अन्य कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 0.26 लाख रु0 की लागत की सामग्रियों को सौंपा नहीं गया था।

इसके अतिरिक्त सितम्बर 1989 तथा नवम्बर 1990 के मध्य भण्डारों के प्रत्यक्ष सत्यापन के समय 2 मण्डलों*** में 2.15 लाख रु0 की सामग्री कम पाई गई।

---

* चिनाव घाटी मण्डल, उदयपुर; विद्युत मण्डल, गगरेट; राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डल, पण्डोह।

** चिनाव घाटी मण्डल, उदयपुर

*** जुब्बल मण्डल तथा किलार स्थित पांगी मण्डल।

मांग-पत्रों के प्रति भण्डारों से जारी की गई सामग्री को सम्बन्धित निर्माण कार्य के स्थल-सामग्री लेखाओं में लेखांकन करना अपेक्षित है। तीन मण्डलों* में जून 1984 तथा जून 1991 के मध्य विभिन्न निर्माण कार्यों को 1.67 लाख रु0 लागत की जारी की गई सामग्री का सम्बन्धित निर्माण कार्य के लेखाओं में या तो लेखांकन नहीं किया गया था या कम लेखांकन किया गया था।

इन मामलों में समाधान/ कमियों की वसूली या अलेखांकन की जांच हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

सरकार को मामला जून 1992 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

5.4 अप्रयुक्त भण्डार

वित्तीय विवेक अपेक्षा करता है कि भण्डारों का क्रय अति मितव्ययी ढंग से निश्चित आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए।

अगस्त 1991 तथा मार्च 1992 के मध्य तीन सिंचाई एव जनस्वास्थ्य मण्डलों** के अभिलेखों की नमूना जांच करने पर निम्नांकित उद्घाटित हुआ:-

(i) बिलासपुर मण्डल में अक्तूबर 1989 तथा फरवरी 1991 के मध्य 1.83 लाख रु0 की लागत से 65 मी0मी0 व्यास वाली मध्यम श्रेणी की जस्तीकृत लोहे की 1744 प्रवाही मीटर पाईपों का क्रय किया गया। मार्च 1991 में इन पाईपों की समग्र मात्रा को "लिफट सिंचाई स्कीम, घिल्ला को वर्षा क्षतियों का पुन: स्थापन" निर्माण कार्य को बुक किया गया। इस स्कीम का केवल 0.50 लाख रु0 का संस्वीकृत प्राक्कलन था और निर्माण कार्य के प्राक्कलनों में इस व्यास के पाईपों के उपयोग कोई प्रावधान नहीं था। तदनन्तर अक्तूबर 1991 में इन पाईपों को 3 जलापूर्ति स्कीमों के प्रति बुक किया गया। इन स्कीमों में भी ये पाईप प्रयुक्त नहीं किए गए थे और वे

---

* चिनाव घाटी मण्डल; कुल्लू मण्डल नं0 1 तथा किलार स्थित पांगी मण्डल

** बिलासपुर, नूरपुर तथा सोलन-I

सितम्बर 1992 तक "स्थल-सामग्री" लेखाओं में अप्रयुक्त पड़े थे। इन में से एक स्कीम जून 1992 में ही संस्वीकृत की गई थी।

(ii) नूरपुर मण्डल में 1976 के दौरान मण्डल द्वारा 2.73 लाख रु0 लागत की क्रय की गई ढलवां लोहे की पाईपें, कॉलर तथा 600 मी0 मी0 व्यास के बड़े सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, उप-मण्डल, ज्वाली के भण्डार में अप्रयुक्त पड़ी थी।

मण्डल ने मार्च 1974 तथा सितम्बर 1988 के मध्य 1.47 लाख रु0 की लागत के जस्तधारी लोहे के जुड़नार तथा नट्ट और बोल्ट भी खरीदे। इनमें से जून 1991 में मण्डल की आवश्यकताओं की तुलना में 1.27 लाख रु0 लागत की सामग्रियों को अधिशेष घोषित किया गया था। 0.20 लाख रु0 की शेष सामग्रियों में से 0.02 लाख रु0 की सामग्री को मण्डल द्वारा सितम्बर 1991 तथा सितम्बर 1992 के मध्य प्रयुक्त कर लिया गया और 0.18 लाख रु0 की लागत की शेष सामग्री अक्तूबर 1992 तक अप्रयुक्त पड़ी थी। अधिशेष घोषित की गई सामग्री में से 0.03 लाख रु0 की लागत की सामग्री को धर्मशाला मण्डल द्वारा सितम्बर 1991 में उठा लिया गया। इस प्रकार 1.47 लाख रु0 की लागत की कुल क्रय की गई सामग्री में से 1.42 लाख रु0 की सामग्री अप्रयुक्त रही।

मण्डलीय अधिकारी ने बताया (अक्तूबर 1992) कि मण्डल में प्रयोग के लिए सामग्री की आवश्यकता नहीं थी तथा अगस्त 1992 में अधिशेष सामग्रियों की सूचियों को आवश्यकता वाले मण्डलों में परिचालित किया गया था तथा सामग्री के हस्तान्तरण या निलामी द्वारा निपटाने के संदर्भ में आगामी कार्यवाही अन्य मण्डलों से मांग प्राप्त होने पर की जाएगी।

(iii) फरवरी 1991 में सोलन मण्डल नं0 I ने नलकूप मण्डल, नालागढ़ से 2 लाख रु0 लागत की मृदु इस्पात की पाईपें, जस्तधारी लोहे की पाईपें, जुड़नार आदि उपार्जित किए। इनमें से 1.25 लाख रु0 की लागत की सामग्री को

लिफट जलापूर्ति स्कीम, चरोली ब्रह्मा को बुक कर दिया गया, जहां इनके उपयोग की आवश्यकता नहीं थी तथा अप्रयुक्त पड़ी थी। फरवरी 1992 तक 0.75 लाख रु0 की लागत की शेष सामग्री भी भण्डारों में अप्रयुक्त पड़ी थी।

इन मामलों में सामग्री की खपत में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप 7.98 लाख रु0 का कुल निवेश निरर्थक हुआ।

सरकार को ये मामले जून 1992 में संदर्भित किए गए। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

5.5 अप्रयुक्त मशीनरी

फरवरी 1985 में चम्बा मण्डल द्वारा 2.38 लाख रु0 की कुल लागत पर प्रत्येक 60 एच.पी. क्षमता के तीन पम्प सैटों तथा सम्बद्ध अतिरिक्त पुर्जों का क्रय किया गया। इन्हें जुलाई 1985 में 0.07 लाख रु0 की लागत से गांव सरोल (जिला चम्बा) के लिए लिफट सिंचाई स्कीम में प्रतिष्ठापित किया गया। 60.73 हेक्टेयर के लिए एक क्यूसेक पानी उपलब्ध करवा कर 107 हेक्टेयर को सिंचाई के लिए अभिप्रेत थे। स्कीम को अप्रैल 1986 में सलूनी मण्डल को इसके स्थापित होने पर स्थानान्तरित कर दिया गया।

सलूनी मण्डल के अभिलेखों की अगस्त 1990 में संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 1985-86 के दौरान स्कीम को संयुक्त राज्य सहायता कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। तब एक क्यूसेक पानी प्रति 40.49 हेक्टेयर की सिंचाई की दर से 114.60 हेक्टेयर की सिंचाई हेतु स्कीम को भी विस्तृत किया गया। परिणामतः सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता काफी बढ़ गई, जिससे प्रत्येक 120 एच पी के तीन पम्प सैटों के प्रतिष्ठापन की आवश्यकता पड़ी।

अतः फरवरी 1985 में 60-एच पी के क्रय किए गए तीन पम्प सैट मण्डल की आवश्यकताओं के लिए फालतू हो गए। मार्च 1988 में इन्हें विखण्डित किया गया तथा उसी मास में इन्हें स्टॉक को स्थानान्तरित कर दिया गया। केवल फरवरी 1990 में अतिरिक्त पुर्जों सहित, इनमें से दो पम्प सैट लिफट सिंचाई स्कीम, शालीमार फालगट को जारी किए गए। परन्तु पम्प-घर के पूर्ण न होने के कारण इन्हें जनवरी 1992 तक उस स्कीम में भी

प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका। फिर इस स्कीम से सम्बन्धित प्राक्कलन में 80-एच.पी. क्षमता का केवल एक पम्प सैट प्रतिष्ठापित करने का प्रावधान था। तीसरे पम्प सैट को मण्डल की आवश्यकताओं के लिए अधिशेष घोषित किया गया तथा अधिशेष मशीनरी की एक सूची को अगस्त 1990 में विभाग के अन्य वृत्तों/ मण्डलों में परिचालित किया गया। किन्तु जनवरी 1992 तक किसी वृत्त/मण्डल से किसी मांग की प्राप्ति नहीं हुई थी।

बदली हुई परिस्थितियों में पम्प मशीनरी को फालतू घोषित करने तथा इसे निपटाने में समय पर कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2.38 लाख रु0 का निवेश अनुत्पादक रहा।

सरकार को मामला सितम्बर 1992 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

5.6 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

जून 1977 तथा सितम्बर 1985 में सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ऐसे भण्डार जिनके लिए विभिन्न फर्मों के साथ दर-संविदाएं तय की जाती हैं, केवल उन्हीं फर्मों से उपार्जित किये जाने चाहिए तथा विभाग द्वारा ठेकेदारों को आपूर्ति की जानी चाहिए।

इन अनुदेशों के विपरीत 1987-88 से 1990-91 की अवधि के दौरान 4 ठेकेदारों द्वारा स्वयं उपार्जित ए सी प्रैशर पाईपों, एम एस पाईपों, जी आई पाईपों तथा फलेंजों की विभिन्न निर्माण कार्यों में चार मण्डलों* द्वारा उपयोग की अनुमति प्रदान की गई। दर संविदा फर्मों से इन सामग्रियों को उपार्जित न करके विभागीय आपूर्ति को सुनिश्चित न करने के परिणामस्वरूप 3.25 लाख रु0 का अतिरिक्त व्यय हुआ।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अक्तूबर 1992) कि स्कीमें आवश्यक प्रकृति की थी तथा इसलिए सामग्री के उपार्जन हेतु ठेकेदारों को उत्तरदायी बनाया गया। किन्तु लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की संवीक्षा करने पर उद्घाटित हुआ कि विनिर्दिष्ट दर संविदा फर्मों से निम्न मूल्यों पर सामग्री के उपार्जन की सम्भाव्यता की छानबीन करने के पश्चात् लिया गया यह निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था।

---

* धर्मशाला, इन्दौरा, नूरपुर तथा पालमपुर

सरकार को मामला जून 1992 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

5.7 भण्डारों की कमी/अलेखांकन

जुलाई 1987 तथा नवम्बर 1991 के मध्य 4 सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डलों* में आठ कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा अपने स्थानांन्तरण के समय अपने उत्तराधिकारियों को 6.73 लाख रु0 लागत की सामग्रियों को या तो सौंपा नहीं गया था यह कम सौंपा गया था।

फरवरी 1983 तथा मई 1991 के मध्य 3 मण्डलों** में मांग पत्रों के प्रति भण्डार से जारी की गई या एक निर्माण कार्य से दूसरे निर्माण कार्य को हस्तान्तरित 4.19 लाख रु0 लागत की सामग्रियों का सम्बन्धित निर्माण कार्य के स्थल सामग्री लेखाओं में लेखांकन नहीं किया गया था।

दिसम्बर 1992 तक कमियों के समाधान/ वसूली हेतु या सामग्री के अलेखांकन की छानबीन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

सरकार को मामला मई 1992 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

वन कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग

5.8 सामग्री की कम प्राप्ति

वन मण्डल अधिकारी, स्पिती, काजा ने मार्च 1989 में 1.61 लाख रु0 की कुल लागत पर रामपुर बुशैहर की एक फर्म से 495 वृक्ष संरक्षकों का क्रय किया। इनमें से 0.62 लाख रु0 के केवल 192 वृक्ष संरक्षक को मई 1989 में काजा भेजा गया तथा 0.99 लाख रु0 के शेष 303 वृक्ष संरक्षकों को अक्तूबर 1991 तक मण्डल में प्राप्त नहीं हुए थे। आगे लेखा परीक्षा द्वारा पाया गया कि काजा को भेजे गए 192 वृक्ष संरक्षकों में से 29 वृक्ष संरक्षकों (लागत 0.09 लाख रु0) का मण्डल के अभिलेखों में लेखांकन नही किया गया था। तथापि सामग्री की कम प्राप्ति की छानबीन हेतु मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

---

* अर्की, बगी, डलहौजी तथा इन्दौरा

** घुमारवीं, सरकाघाट तथा ऊना-II

लेखा परीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर वन मण्डल अधिकारी ने बताया (जुलाई 1992) वृक्ष संरक्षकों की अप्राप्ति से सम्बन्धित मामले की छानबीन की जा रही थी।

सरकार को जून 1992 में मामला संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

5.9 कंटीली तार का अधिक उपभोग

विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 700 मीटर लम्बाई में बाड़-लगवाने हेतु औसतन एक क्विंटल कटीली तार की आवश्यकता पड़ती थी। 8 वन मण्डलों*, जिन्होंने अप्रैल 1990 से मार्च 1991 के दौरान 3,79,520 मीटर की लम्बाई हेतु 618.41 क्विंटल, कंटीली तार प्रयुक्त की, ने निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1.44 लाख रु0 के मूल्य की 76.24 क्विंटल तार का अधिक उपभोग हुआ। सम्बन्धित मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों का पालन न करने के कारणों को नहीं बताया गया।

सरकार को जुलाई 1992 में मामला संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

5.10 घटिया कंटीली तार का क्रय

प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने जुलाई 1990 में मैहतपुर (जिला ऊना) स्थित एक दर संविदा फर्म को 30 टन कंटीली तार का आपूर्ति आदेश दिया। एक सहायक अरण्यपाल द्वारा निरीक्षण के पश्चात्, फर्म ने अगस्त 1990 के दौरान नाहन मण्डल के अन्तर्गत तीन परिक्षेत्रों **को 29.875 टन कंटीली तार (लागत: 4.81 लाख रु0) की आपूर्ति की। कंटीली तार की 4.14 लाख रु0 की राशि का भुगतान वन* मण्डल अधिकारी द्वारा 0.67 लाख रु0 रोकने के पश्चात अगस्त 1990 में किया गया।

तदनन्तर सितम्बर 1990 में, परिक्षेत्रों द्वारा 1.93 लाख रु0 की लागत की 11.959 टन कंटीली तार का बाड़ हेतु प्रयोग किये जाने के पश्चात् परिक्षेत्र अधिकारी त्रिलोकपुर ने वन मण्डल अधिकारी को सूचित किया कि तार में जंग लगा हुआ था और अधिक पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि

---

* चौपाल, जुब्बल, कोटगढ़, कुल्लू, नाचन, पालमपुर, रोहड़ू तथा ठियोग

** कोलार, नाहन तथा त्रिलोकपुर

अन्य दो परिक्षेत्रों ने भी केवल जंग वाली तार ही प्राप्त की थी। अतः सभी तीनों परिक्षेत्रों को घटिया तार का उपयोग न करने का निर्देश दिया गया। विभाग के कहने पर, फर्म ने दिसम्बर 1990 तथा मार्च 1991 के मध्य 17.916 टन अप्रयुक्त तार को बदल दिया। परन्तु शेष 11.959 टन तार को जो पहले ही प्रयुक्त की जा चुकी थी, नहीं बदली गई। फर्म से अवरुद्ध 0.67 लाख रु0 की राशि भी अन्तिमरूपेण समायोजित नहीं की गयी थी।

निरीक्षण के पश्चात् जिन परिस्थितियों में आरम्भ में घटिया तार को स्वीकार किया गया था उसकी भी छानबीन नहीं की गई थी।

सरकार को अगस्त 1992 में मामला संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

उद्यान विभाग

5.11 अविक्रीत शहद के स्टॉक पर निष्फल व्यय

सरकार ने नवम्बर 1990 में राज्य के शहद उत्पादकों से 30 रु0 प्रति किलोग्राम की दर पर दो मधुमक्खी पालन विकास अधिकारियों* को आगे बिक्री हेतु शहद खरीदने के लिए 20.50 लाख रु0 की संस्वीकृति प्रदान की। मधुमक्खी पालन विकास अधिकारियों ने मार्च 1991 में 92 शहद उत्पादकों से 20.75 लाख रु0 की लागत पर 691.54 क्विंटल** शहद का क्रय किया। किन्तु केवल 27.08 क्विंटल*** शहद बेचा गया तथा 19.94 लाख रु0 लागत का शेष 664.46 क्विंटल**** जुलाई 1992 तक स्टाक में अविक्रीत था।

मधुमक्खी पालन विकास अधिकारी, कांगड़ा ने बताया (जनवरी 1992 तथा अगस्त 1992) कि पैकिंग बोतलों की अनुपलब्धता के कारण शहद

---

* कांगड़ा: 13.67 लाख रु0 तथा शिमला: 6.83 लाख रु0

** कांगड़ा: 57 उत्पादकों से 449.03 क्विंटल (लागत: 13.47 लाख रु0) तथा शिमला: 35 उत्पादकों से 242.51 क्विंटल (लागत : 7.28 लाख रु0)

*** कांगड़ा: 16.07 क्विंटल (अप्रैल 1991 तथा जुलाई 1992 के मध्य) तथा शिमला: 11.01 क्विंटल (अप्रैल 1991 तथा जून 1991 के मध्य)

**** कांगड़ा: 432.96 क्विंटल (लागत :12.99 लाख रु0) तथा शिमला: 231.50 क्विंटल (लागत 6.95 लाख रु0)

नहीं बेचा जा सका। परन्तु लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि प्रयोजन हेतु अपेक्षित प्रत्येक 500 ग्राम क्षमता के 90,000 जारों की आवश्यकता के प्रति जुलाई 1991 तथा नवम्बर 1991 में अम्बाला की एक फर्म को, जो दिसम्बर 1991 तक राज्य सरकार के साथ दर संविदा पर थी, केवल 14,750 जारों का आपूर्ति आदेश दिया गया। फर्म ने जारों की आपूर्ति नहीं की। अगस्त 1992 तक विभाग भी अन्य स्रोतों से जारों का क्रय नहीं कर सका।

तथापि मधुमक्खी पालन विकास अधिकारी, शिमला ने और बिक्री न किए जाने की असमर्थता का कारण शहद के बिक्री मूल्य में 30 रु0 प्रति कि0ग्रा0 से 35 रु0 प्रति कि0ग्रा0 की वृद्धि किए जाने में विलम्ब बताया (जुलाई 1992)। यह पाया गया कि मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव मधुमक्खी पालन विकास अधिकारी, शिमला द्वारा मार्च 1991 में रखा गया था तथा जून 1992 में इसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

पैंकिंग तथा बिक्री हेतु उचित प्रबन्ध किए बिना शहद का क्रय तथा इसके बिक्री मूल्य के निर्धारण में विलम्ब के परिणामस्वरूप 19.94 लाख रु0 का निवेश लगभग 1-1/2 वर्षों तक निष्फल रहा।

सरकार को जून 1992 में मामला संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

लोक सम्पर्क विभाग

5.12 मीडिया उपस्कर की अप्रयुक्ति

लोक सम्पर्क विभाग ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विकासात्मक गतिविधियों, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों आदि से अवगत करवाने तथा उनके मनोरंजन के लिए 1986 तथा 1989 के मध्य सभी 69 विकास खण्डों को रंगीन टेलिवीजन, वीडियो कैसेट प्लेयर, एम्पली स्पीकर, वोल्टेज स्टेबिलाईजर, वहनीय जनित्र सैट आदि से युक्त मिडिया उपकरण के 73 सैट उपलब्ध करवाए। लेखापरीक्षा में यह पाया गया (अप्रैल 1992) कि 13 खण्डों को जारी किए गए उपस्कर (लागत: 4.58 लाख रु0) मार्च 1989 तथा मार्च 1992 के मध्य 7 से 24 मासों की अवधि में अप्रयुक्त रहे जबकि 3 जिलों* के पांच खण्डों में 1.76 लाख रु0 मूल्य के जारी किए गए उपस्कर दिसम्बर 1989 में उनकी प्राप्ति से बेकार पड़े थे। वरिष्ठ तकनीकी

---

* चम्बा (सलूनी); कांगड़ा (इन्दौरा, मंगवाल तथा परागपुर) तथा मण्डी (सिराज)

अधिकारी, लोक सम्पर्क निदेशालय ने बताया (मई 1992) कि इन इकाइयों के प्रचालन के लिए सरकार द्वारा स्टाफ को संस्वीकृत/भर्ती न करने के कारण इन इकाइयों का प्रयोग नहीं हो सका। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग तथा राज्य सरकार के मध्य केवल दिसम्बर 1990 से स्टाफ के विनिर्दिष्ट प्रस्ताव पत्राचाराधीन रहे लेकिन सितम्बर 1992 तक कोई स्टॉफ संस्वीकृत नहीं किया गया।

उपस्कर का प्रयोग न होने के कारण न केवल अधिकांश समुदाय को अपेक्षित सेवाओं से वंचित किया गया बल्कि इसके परिणामस्वरूप सरकारी निधियाँ भी अवरुद्ध हुई।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 1992) कि राज्य में गत कुछ वर्षों से वित्तीय संकट होने के कारण इन उपस्करों के प्रचालन हेतु आवश्यक तकनीकी स्टाफ के पदों को भरा नहीं जा सका।

कृषि विभाग

5.13 कृषि उपकरणों का अविवेकपूर्ण क्रय

उप कृषि निदेशक, ऊना ने कृषकों की आवश्यकता को सुनिश्चित किए बिना बीजों की यान्त्रिक बुआई हेतु नवम्बर 1988 में 1.50 लाख रु0 की कुल लागत पर 80 बीज ड्रिलों का क्रय किया। इन ड्रिलों को उसी मास के दौरान कृषकों को बिक्री हेतु चार सहायक विकास अधिकारियों* को जारी कर दिया गया। कृषकों से ऐसी ड्रिलों की मांग न होने के कारण जुलाई 1992 तक सारी ड्रिलें बिक्री बिना पड़ी थी। मांग का निर्धारण किए बिना इन उपकरणों का क्रय बुद्धिमता का नहीं था।

सरकार को जून 1992 में मामला संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

5.14 भण्डारों के लेखांकन में विसंगतियाँ

अक्तूबर 1991 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिमला तथा उसकी क्षेत्रीय इकाइयों के भण्डार अभिलेखों की लेखा परीक्षा द्वारा की गई संवीक्षा के दौरान ध्यान में आई कुछ विसंगतियों का नीचे उल्लेख किया जाता है:-

---

* अम्ब, गगरेट, घलूवाल तथा ऊना

क्रम संख्या	कार्यालय/क्षेत्रीय इकाई का नाम	ग्रस्त अवधि	लगत (लाख रुपयों में)	विसंगति की प्रकृति
1.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिमला	मई 1989 से मार्च 1990 तक	0.82	आपूर्तिदाताओं से प्राप्त औषधियों तथा रसायनों का लेखांकन नहीं किया गया।
2.	क्षेत्रीय इकाईयां	अप्रैल 1990 से नवम्बर 1991 तक	0.31	लेखापरीक्षा संवीक्षा से (क) औषधियों तथा भण्डार वस्तुओं का अलेखांकन; (ख) जोड़ में त्रुटियां, जिसके परिणामस्वरूप कम मात्राओं को अधोनीत किया गया तथा (ग) केन्द्रीय भण्डारों से क्षेत्रीय इकाईयों को जारी दिखाई गई औषधियों को क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा न तो मांग पत्र भेजा गया और न ही लेखांकन किया गया था, उद्घाटित हुआ।
		जोड़	1.13	

क्रम संख्या 1 के मामले के सन्दर्भ में जांच किए जाने के पश्चात् जांच अधिकारी ने दिसम्बर 1990 में क्रय सहायक तथा भण्डारपाल को औषधियों तथा रसायनों के अलेखांकन हेतु उत्तरदायी ठहराया। परन्तु अगस्त 1992 तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। अन्य मामलों के सन्दर्भ में विसंगतियों का अगस्त 1992 तक समाधान नहीं किया गया था।

सरकार को जुलाई 1992 में मामला संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

छठा अध्याय
स्थानीय निकायों व अन्य को वित्तीय सहायता

6.1 सामान्य

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 (1) के प्रावधानों के अनुसार समेकित निधि से अनुदानों तथा ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकायों एवं प्राधिकरणों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी होती है। अधिनियम की धारा 15 में विहित है कि समेकित निधि से जहां भी अनुदान या ऋण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जाता है तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उस प्रक्रिया की संवीक्षा करेगा जिसके द्वारा संस्वीकृति प्राधिकारी ने इन शर्तों को पूरा करने के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया हो जिसके अधीन यह अनुदान तथा ऋण दिए गए थे।

वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार ने निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यार्थ पंचायतों, नगरपालिकाओं, सहकारी समितियों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि को 2160.10 लाख रु० अनुदानों के रूप में संवितरित किए:

		राशि (लाख रुपये)
	सामाजिक सेवाएं	
(क)	सामान्य शिक्षा	1042.89
(ख)	शहरी विकास	50.03
(ग)	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	23.01
(घ)	कला एवं संस्कृति	22.94
(ङ.)	तकनीकी शिक्षा	15.00
(च)	क्रीड़ा एवं युवा सेवाएँ	13.75
	आर्थिक सेवाएँ	
(क)	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	364.94
(ख)	क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	324.91
(ग)	सड़क परिवहन	100.00
(घ)	अन्य कृषि कार्यक्रम	66.50
(ङ.)	डेरी विकास	65.00
(च)	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	29.54
(छ)	सहकारिता	20.34

		राशि (लाख रुपये)
	आर्थिक सेवाएं	
(ज)	अपरम्परागत ऊर्जा	**15.00**
(झ)	मत्स्य पालन	**6.25**
	योग	**2160.10**

वित्तीय नियमों के अन्तर्गत उन सभी मामलों में जिनमें अनुदान सशर्त दिए गए हों, अनुदानों के वितरण के एक वर्ष के भीतर अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा कार्यालय को इस आशय के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होते हैं कि अनुदानों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए यह दिए गए थे। लोक लेखा समिति ने प्रयुक्ति प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण की धीमी प्रगति के बारे में बारम्बार असंतोष व्यक्त किया था और यह सिफारिश की थी कि क्षेत्र कार्यालयों की ओर से असाधारण विलम्ब के मामलों की विधिवत जांच की जाए।

वर्ष **1973-74** से **1990-91** तक प्रदत्त **5964.27** लाख **रु0** के कुल अनुदान से सम्बद्ध **2516** बकाया प्रयुक्ति प्रमाण-पत्रों के प्रति **30** सितम्बर **1992** तक **3506.67** लाख **रु0** के केवल **1389** प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए थे और **2457.60** लाख **रु0** की कुल राशि के **1127** प्रमाण-पत्र बकाया थे। बकाया पड़े प्रयुक्ति प्रमाण-पत्रों का विभागानुसार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्रमांक	विभाग	प्रमाण-पत्रों की संख्या	धनराशि (लाख रुपये)
1.	शिक्षा	**515**	**468.41**
2.	स्थानीय स्वशासन	**336**	**269.79**
3.	ग्रामीण विकास	**132**	**1436.33**
4.	समाज एवं महिला कल्याण	**66**	**37.13**
5.	उद्योग	**35**	**147.18**
6.	सहकारिता	**18**	**24.02**
7.	पशु-पालन	**9**	**39.13**

क्रमांक	विभाग	प्रमाण-पत्रों की संख्या	धनराशि
8.	क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं	5	3.11
9.	सामान्य प्रशासन (सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं)	4	0.82
10.	पर्यटन	4	28.50
11.	सचिवालय सामान्य सेवाएं	2	0.13
12.	वन कृषि एवं पर्यावरणीय संरक्षण	1	3.05
	योग	1,127	2457.60

प्रयुक्त प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की सीमा का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में किया गया है:-

विलम्ब की सीमा	प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (लाख रुपये)
तीन वर्षों तक	509	834.64
तीन वर्षों से अधिक परन्तु पांच वर्षों तक	254	201.88
पांच वर्षों से अधिक परन्तु दस वर्षों से कम	314	1164.45
दस वर्षों से अधिक	50	256.63
योग	1127	2457.60

इन प्रमाण-पत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित करना सम्भव न था कि प्राप्तकर्ताओं ने अनुदानों का प्रयोग अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया था।

6.2 धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा

6.2.1 सामान्य

कोई निकाय या प्राधिकरण समेकित निधि से अनुदानों या ऋणों

द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित तभी समझी जाती है यदि किसी वित्त वर्ष में पिछले वर्ष (वर्षों) के अनुदानों तथा ऋणों के अप्रयुक्त शेष सहित यदि कोई हों, इसके द्वारा प्राप्त अनुदानों एवं ऋणों का जोड़ 25 लाख रु0 (1983-84 से पूर्व 5 लाख रु0) से कम न हो और उस वर्ष में उस निकाय या प्राधिकरण के कुल व्यय के 75 प्रतिशत से कम भी न हो। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन किसी निकाय या प्राधिकरण की लेखापरीक्षा करनी अपेक्षित है या नहीं, के निर्धारण के लिए सरकार से एक वर्ष में 25 लाख रु0 से कम (1983-84 से पूर्व 5 लाख रु0) न प्राप्त करने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त सभी निकायों व प्राधिकरणों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर लेखापरीक्षा कार्यालय को अपने लेखे प्रस्तुत करने होते हैं। यदि किसी वर्ष विशेष में धारा 14(1) के अधीन किसी निकाय/प्राधिकरण की लेखापरीक्षा करनी देय हो जाती है तो अगले दो वर्षों में भी उस निकाय/प्राधिकरण की लेखापरीक्षा धारा 14(3) के अधीन की जानी है चाहे आगामी दो वर्षों में किसी में भी निर्धारित शर्तें पूरी न हों।

तथापि लेखाओं की प्राप्ति में 6 से 54 मासों की अवधि के मध्य तक का पर्याप्त विलम्ब था जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

लेखाओं का वर्ष	निकायों/ प्राधिकरणों की संख्या	प्राप्त लेखाओं की संख्या				योग	31 मार्च 1992 तक प्रतीक्षित लेखाओं की संख्या
		1987-88 तथा सितम्बर 1989 के मध्य	अक्तूबर 1989 और सितम्बर 1990 के मध्य	अक्तूबर 1990 और सितम्बर 1991 के मध्य	अक्तूबर 1991 और मार्च 1992 के मध्य		
1986-87	38	34	1	1	-	36	2*
1987-88	38	23	2	3	-	28	10*
1988-89	38	-	2	18	7	27	11*
1989-90	34	-	-	5	10	15	19*
1990-91	34	-	-	-	11	11	23*

34 निकायों/प्राधिकरणों में से 1990-91 के लिए 11 के लेखे प्राप्त हुए थे, इनमें से केवल 9 अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान आकर्षित करते थे और तदनुरूप 1991-92 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु चयनित

---

* 1986-87 से 1990-91 के लिए एक इकाई (मरुस्थल विकास परियोजना, काजा) के लेखे नवम्बर 1992 में प्राप्त हुए थे।

किए गए। शेष 23 निकायों/प्राधिकरणों जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, अधिनियम की धारा 14(3) की शर्तों के अनुसार 14 को भी लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया । शेष 9 निकायों/प्राधिकरणों का लेखापरीक्षा हेतु चयन नहीं किया गया क्योंकि लेखाओं की अप्राप्ति के कारण उनकी स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सका।

अधिनियम की धारा 14 के अधीन लेखापरीक्षा से उद्भूत कतिपय रोचक तथ्य अनुवर्ती परिच्छेदों में वर्णित हैं।

स्थानीय स्व-शासन विभाग

6.2.2 नगर निगम, शिमला

वर्ष 1990-91 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के परिच्छेद 6.2.1 (ग) में नगर निगम, शिमला द्वारा 1982-83 से 1986-87 की अवधि के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) व 14(3) के अधीन इनकी प्रयुक्ति निर्धारित करने तथा लेखापरीक्षा करने के लिए लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब का उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार के हस्तक्षेप पर मार्च 1992 में इन लेखाओं की आरम्भ की गई लेखापरीक्षा जुलाई 1992 में पूरी की गई थी।

1982-83 से 1986-87 तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों और निगम द्वारा किया गया व्यय निम्नलिखित था:-

वित्तीय वर्ष	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	अन्य प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	कुल व्यय
		(लाख रुपये)		
1982-83	171.12	182.24	353.36	212
1983-84	190.67	186.32	376.99	228
1984-85	217.79	180.59	398.38	261
1985-86	194.42	239.98	434.40	262
1986-87	171.42	348.35*	519.77	321
योग	945.42	1137.48	2082.90	1284

* इसमें कॉर्पोरेशन द्वारा जुटाया गया 20 लाख रु० का ऋण भी शामिल है।

निगम की आय मुख्यत: जल की बिक्री, स्वच्छता व भवनों पर कर, वार्षिक किराया तथा स्टालों की बोली राशि, भूमि की पट्टा राशि आदि से थी।

1982-83 से 1986-87 के दौरान व्यय मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन किया गया:-

क्रमांक	श्रेणी	राशि (लाख रुपये)
1.	निक्षेप निर्माण कार्य	469
2.	जन स्वास्थ्य	347
3.	जलापूर्ति	205
4.	सामान्य प्रशासन	159
5.	सड़कें व भवन	104
	योग	1284

लेखापरीक्षा में ध्यान में आए कतिपय रोचक तथ्य निम्नलिखित परिच्छेदों में उल्लिखित हैं।

(क) पेयजल के प्रावधान पर हानि

निगम के मुख्य कार्यकलापों में एक शिमला शहर को पेयजल का प्रावधान करना है। अक्तूबर 1983 तक शिमला शहर की जलापूर्ति स्कीमों से सम्बद्ध सभी कार्य निगम के पास थे जब जलाशय स्तर एक पम्प-कार्य सरकार द्वारा सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग को सौंपे गए थे। निगम के पास केवल जलाशय से लोगों को जलापूर्ति का दायित्व रहा। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग ने उपलब्ध किए गए जल के 2 रु0 प्रति हजार गैलन* (0.44 रु0 प्रति हजार लीटर) की दर पर जल प्रभार वसूल किए। निगम द्वारा लोगों से यह शिमला नगरपालिका सीमाओं के अधीन एक लाख लीटर तक 0.90 रु0 प्रति हजार लीटर तथा उसके पश्चात् 1.20 रु0 प्रति हजार लीटर और नगरपालिका सीमाओं से बाहर 3 रु0 प्रति हजार लीटर पर वसूल किया जा रहा था।

---

* गैलन=4.55 लीटर

निगम के अभियन्ताओं के अनुसार 20 प्रतिशत तक क्षति का स्तर सामान्य, 21 से 50 प्रतिशत तक अत्यधिक और 50 प्रतिशत से ऊपर संकटपूर्ण माना जाता था। मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने भी जुलाई 1986 में सरकार को सूचित किया कि शिमला जलापूर्ति स्कीम से जल-स्राव औसतन 40 प्रतिशत था।

निगम ने अगस्त 1984 और अप्रैल 1986 के मध्य जल की हानि हेतु कारणों का गहन वैज्ञानिक अध्ययन राष्ट्रीय पर्यावरण इन्जीनियरी अनुसन्धान संस्थान, नागपुर से करवाया। संस्था द्वारा अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिए गए रोकथामी उपायों में संस्थान ने गुरुत्व मैन में जल की हानि में कमी, त्रुटिपूर्ण मीटरों का बदलना, जो 70 प्रतिशत तक खराब पड़े थे और रोकथामी अनुरक्षण के लिए कर्मचारी वर्ग प्रतिमान तैयार करना सम्मिलित था। इन उपायों में प्रतिवर्ष 13 लाख रु0 का व्यय अन्तर्ग्रस्त होने का अनुमान था। संस्थान ने यह भी अनुमान लगाया कि यदि स्राव के कारण क्षति को 50 प्रतिशत तक भी रोका जाए तो यह प्रतिदिन 50 लाख लीटर जल की बचत और प्रतिवर्ष 18 लाख रु0 तक के अतिरिक्त जल प्रभारों में परिणत होगा।

तथापि अक्तूबर 1992 तक कथितरूपेण वित्तीय अभाव के कारण संस्थान की सिफारिशों को पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया गया था और तब तक कुछ दोषयुक्त मीटरों सहित दो में केवल एक गुरुत्वमैन को बदला गया था तथापि निगम यह इंगित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवा सका कि आवर्ती लाभ प्राप्त करने के लिए संस्तुतियों के कार्यान्वयन की सुगमता हेतु सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पग उठाए गए थे। यह इस तथ्य के संदर्भ में विशेषतया आवश्यक था कि सिफारिशों के अंशतः कार्यान्वयन के बाद भी 1987-88 से 1990-91 के दौरान जल वितरण में औसतन 40 प्रतिशत तक की क्षति थी।

1991-92 के दौरान आगे वितरण हेतु निगम को उपलब्ध करवाए गए 195.51 करोड़ गैलन जल के प्रति निगम ने उपभोक्ताओं को केवल 106.42 करोड़ गैलन जल आपूरित किया गया। पारेषण में हानि 46 प्रतिशत तक थी जिसकी लागत 20 प्रतिशत सामान्य क्षति अनुमत किए जाने के बाद 20.47 लाख रु0 (लगभग) बनती थी। प्रतिदिन की 56.99 लाख गैलन जल की अनुमानित मांग के प्रति निगम ने लोगों को केवल 29.08 लाख गैलन आपूरित किया जिसके फलस्वरूप निगम जल प्रभारों से अतिरिक्त आय से वंचित रहा।

अक्तूबर 1983 से मार्च 1991 तक निगम ने जल-वितरण में 252.79 लाख रु0 की हानि उठायी जैसा नीचे दिखाया गया है:-

वर्ष	सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग से जलोपार्जन की लागत	स्थापना व अनुरक्षण पर व्यय	जल की कुल लागत	लाभ	हानि
	(लाख रुपये)				
अक्तूबर 1983 से मार्च 1985 तक	56.53	76.00	132.61	97.88	34.73
1985-86	42.52	39.43	81.95	46.10	35.85
1986-87	43.58	54.64	98.22	49.34	48.88
1987-88	40.89	35.56	76.45	49.30	27.15
1988-89	39.58	46.64	86.22	54.48	31.74
1989-90	41.53	47.33	88.86	58.00	30.86
1990-91	42.90	54.72	97.62	54.04	43.58
जोड़	307.53	354.40	661.93	409.14	252.79

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:-

(i) 1985-86 की तुलना में 1990-91 के दौरान आय में वृद्धि 17 प्रतिशत थी जबकि स्थापना और अनुरक्षण व्यय में वृद्धि 39 प्रतिशत थी।

(ii) 1983-84 से 1990-91 तक जल की लागत के कारण सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को देय 307.53 लाख रु0 में से 1984-89 के दौरान केवल 70 लाख रु0 अदा किए गए जिससे जुलाई 1992 तक 237.53 लाख रु0 का चुकाया न गया दायित्व बाकी रहा।

(ख) जल वितरण मेन की वृद्धि

रिज से राष्ट्रपति निवास और वहां से बालूगंज और समरहिल तक जल वितरण मेन की वृद्धि को 1976 में 12.95 लाख रु0 की लागत पर अनुमोदित (1981 में 27.87 लाख रु0 में संशोधित) किया गया। व्यय को क्रमश: 30:30:30:10 के अनुपात में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, पशुपालन विभाग, नगर निगम और उद्योग विभाग

में विभाजित किया जाना था।कार्य निष्पादनार्थ 1977 में आरम्भ किया गया और 6 मास की अवधि में पूर्ण किया जाना था।

फरवरी 1984 तक स्कीम के लिए विशेषतया बिछाए गए 14/16 इंच व्यास के जल मेन के साथ राष्ट्रपति निवास और गार्टन कैसल में निर्मित भण्डारण टैंकों को जोड़ने के अतिरिक्त सारे कार्य और लाईन की जांच 27.78 लाख रु0 की लागत पर पूरी कर ली गई थी।

दो भण्डारण टैंकों को जल मेन से जोड़ने की कार्रवाई अक्तूबर 1992 तक शुरू नहीं की गई थी तथापि इतने में राष्ट्रपति निवास पर टैंक को विद्यमान मार्च 1988 में 7 इंच लाईन से जोड़ा गया और स्कीम को आंशिक रूप से चालू किया गया। फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा पशुपालन विभाग की 45 लाख लीटर तथा 37.50 लाख लीटर की प्रक्षिप्त मासिक आवश्यकता के प्रति 27.78 लाख रु0 के निवेश के बावजूद केवल क्रमशः 44.33 लाख लीटर तथा 5.50 लाख लीटर ही आपूरित किया जा सका। इसके अलावा दूसरे भण्डारण टैंक के निर्माण पर किया गया व्यय (0.75 लाख रु0) तथा 14/16 इंच व्यास के पाईपों का बिछाना (निगम द्वारा व्यय की राशि सूचित नहीं की गई) 8 वर्षों से अधिक तक निष्फल रहा।

निगम ने बताया (नवम्बर 1992) कि स्कीम को पूरा करने के लिए कुछ विशिष्ट (साधित्रों) की आवश्यकता थी जो लाभग्राहियों से पूरे अंशदान की अप्राप्ति के कारण उपार्जित नहीं किए जा सके। निगम का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि विश्वविद्यालय, पशुपालन व उद्योग विभागों द्वारा देय 19.51 लाख रु0 के अंशदान में से उन्होंने 17.72 लाख रु0 का भुगतान पहले ही कर दिया था ।

(ग) एक जीप योग्य सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय

क्षेत्र में रोगी वाहन तथा अग्निशमन सेवाओं का प्रावधान करने के लिए यह सुनिश्चित किए बिना कि इसके लिए भूमि उपलब्ध हो जायेगी, जून 1983 में कार्ट रोड़ से शांकली तक एक जीप योग्य सड़क का निर्माण (अनुमानित लागत: 5.29 लाख रु0) आरम्भ किया गया। इस कार्य के लिए सरकार ने अक्तूबर 1983 में 5.28 लाख रु0 का अनुदान संस्वीकृत किया।

अक्तूबर 1983 में जब कार्य 0.31 लाख रु0 की लागत पर कुछ खण्डों में अंशतः निष्पादित किया जा चुका था। तो एक निजी व्यक्ति ने उस भूमि के स्वामित्व का दावा किया जिसके आरम्भिक 250 मीटर में सड़क

का निर्माण प्रस्तावित था। उसने जनवरी **1984** में उप-न्यायाधीश, शिमला के न्यायालय में निर्माण के स्थायी निषेधक स्थगन के लिए मुकदमा दायर किया। न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने की बजाए निगम ने सड़क का निर्माण जारी रखा और विभिन्न खण्डों में कटाई, चौड़ाई तथा वक्षभीत व प्रतिधारक दीवार पर फरवरी **1985** तक **2.48** लाख रु० का और व्यय किया। इतने में निगम ने भी नवम्बर **1984** में सरकार से सड़क के संरेखण में परिवर्तन हेतु आज्ञा देने का इस आधार पर अनुरोध किया कि निजी भूमि का अर्जन किफायती नहीं होगा। तथापि सरकार इसके लिए सहमत नहीं हुई जिसने इंगित किया कि मामले को सहायता-अनुदान की संस्वीकृति हेतु प्रस्तुत करते समय संरेखण में पड़ने वाली निजी भूमि का विवरण नहीं दिया गया था।

दिसम्बर **1985** में वादी के पक्ष में मुकदमें का निर्णय हो जाने पर निगम ने दिसम्बर **1989** में विवादित भूमि के अर्जन के लिए एक प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया। भूमि को उसके पश्चात् भी अर्जित नहीं किया जा सका क्योंकि सरकार द्वारा मई **1990** में अर्जन की लागत, निधि-स्रोत आदि सम्बन्धी सूचना देने का अनुरोध किया जिसे निगम ने जुलाई **1992** तक प्रस्तुत नहीं किया था। ऐसा न करने के कारण भी निगम द्वारा लेखापरीक्षा को नहीं बताए गए थे।

परिणामस्वरूप **9** वर्षों के बीत जाने के बाद भी सड़क पूर्ण नहीं की गयी थी और फरवरी **1985** तक **2.79** लाख रु० का व्यय निष्फल हुआ।

(घ) ढालू प्रणाल और भस्मक के निर्माण पर व्यर्थ व्यय

शिमला शहर का कुड़ा-कचरा टुट्टू में गिराया जा रहा था जिससे इलाके के रहने वालों को काफी असुविधा हो रही थी। इस समस्या पर काबू पाने और शहर के कूड़े को प्रतिदिन गिराने और जलाने के लिए टुट्टू में आरक्षित वन क्षेत्र में नवम्बर **1983** के दौरान ढालू प्रणाल और भस्मक के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया। **3.27** लाख रु० की लागत पर यह दिसम्बर **1988** में पूर्ण किया गया तथापि शहर का कूड़ा घाटी में गिराया जाता रहा जिससे स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय खतरा पैदा हो गया। इसलिए निगम ने भस्मक की अप्रयुक्ति के कारणों की जांच हेतु सितम्बर **1990** में एक विभागीय समिति का गठन किया।

समिति ने अक्तूबर **1990** में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह निर्णय किया कि यह प्रमाणित करने के लिए कि कभी भस्मक का प्रयोग किया गया

था, कोई मबूत नहीं था और वहां केवल बिना जाली के चारदीवारी का एक सीमेंट रोड़ी का ढांचा था। समिति ने यह भी इंगित किया कि भस्मक के निचले भाग की दीवारों पर सीमेंट का प्लस्तर नहीं किया गया था, पत्थर की चिनाई टुकड़े-टुकड़े होनी आरम्भ हो गयी थी और कार्य निम्न स्तर का प्रतीत हो गया था। इसने निष्कर्ष निकाला कि जबकि कार्य पर किया गया समस्त व्यय व्यर्थ हो चुका था और यदि भस्मक को कार्यशील बनाना और प्रयोग में लाना हो तो इसके ढांचे को पुनः तैयार करना और सुधार करना आवश्यक होगा।

तथापि समिति की सिफारिशों पर नवम्बर 1992 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ङ.) यांत्रिकी सड़क झाड़ूकश के अविवेकपूर्ण क्रय के कारण हानि

शहर के कूड़े को हटाने के लिए यांत्रिकी सड़क झाड़ूकशों या टिपरों को लगाने की व्यवहार्यता तो की जांच के पश्चात् निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने मार्च 1984 में 5.80 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर दो हाईड्रोलिक टिपरों के क्रय का प्रस्ताव किया। यांत्रिकी सड़क झाड़ूकशों के प्रयोग की व्यावहारिकता के सम्बन्ध में उसने मत व्यक्त किया कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इसकी उपयुक्तता स्थापित करने के लिए उपस्कर की पूरी जांच के बाद ही निर्धारित की जा सकती थी।

इन सिफारिशों के बावजूद नगर आयुक्त ने शहर की पहाड़ी क्षेत्र के लिए इसकी उपयोगिता का परीक्षण किए बिना, जहां भारी वर्षा व हिमपात भी होता था, अप्रैल 1984 में 5.32 लाख रु0 की लागत पर एक यांत्रिकी सड़क झाड़ूकश खरीदा। बल्कि क्रय का निर्णय ऐसे झाड़ूकशों के बारे में प्रेस रिपोर्टों और चण्डीगढ़ तथा लुधियाना नगर निगमों द्वारा उपार्जित इन झाड़ूकशों के निष्पादन के बारे में एकत्रित सूचना पर आधारित था।

उपस्कर को जून 1984 से जनवरी 1985 तक प्रयुक्त किया गया और उसके बाद बेकार पड़ा रहा क्योंकि यह शिमला की स्थितियों के अनुकूल नहीं था, विशेषतया वर्षा एवं शीत मौसमों के दौरान अन्ततः झाड़ूकश को 3.65 लाख रु0 में मई 1988 में बेच दिया गया जिसमें 1.67 लाख रु0 की हानि अन्तर्ग्रस्त थी।

झाड़ूकश को शिमला की सड़कों पर प्रयोगार्थ इसकी निर्णायक रूप में उपयुक्तता स्थापित किए बिना खरीदना अविवेक पूर्ण था। 5.32 लाख रु0 के निवेश को 3 वर्षों से अधिक बेकार रहने के अलावा यह 1.67 लाख

रु० की परिहार्य हानि में परिणत हुआ।

निगम ने बताया (अक्तूबर 1992) कि यांत्रिक खड़क झाड़कश नगरपालिका की बहुत सी सड़कों पर नहीं चलाया जा सका जो इसके लिए बहुत तंग व खड़ी ढलान वाली थी।

(च) पट्टा राशि के बकाया

दिसम्बर 1984 तक नगरपालिका सम्पत्तियों को भूमि की प्रचलित बाजार कीमत के 10 प्रतिशत पर पट्टे पर दिया जाता था। सम्पत्तियां धारकों के साथ पट्टा विलेख निष्पादित किए जाने के बाद ही पट्टे पर दी जाती थी। पट्टा राशि की वसूली हेतु मांग नोटिस जारी किए जाने थे। चूक की दशा में देयों को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाता था और परिसरों से पट्टा धारकों को बेदखल करने के लिए कार्रवाई भी करनी होती थी। सरकार ने पट्टा प्रभार संशोधित करके जनवरी 1985 से भूमि की बाजार कीमत की 18 प्रतिशत कर दी।

लेखापरीक्षा समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि नमूना-परीक्षित 150 मामलों में निगम ने विहित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किए थे और दिसम्बर 1984 तक देय पट्टा राशि केवल मांग नोटिसों के आधार पर वसूल की जा रही थी। तथापि जनवरी 1985 से लागू बढ़ायी गई पर पट्टा राशि की वसूली हेतु ऐसे नोटिस केवल 1988-89 के दौरान जारी किए गए थे। पट्टा धारकों द्वारा बढ़ोतरी का विरोध करने पर मामला सरकार को मार्च 1991 में संदर्भित किया गया। उनका निर्णय प्रतीक्षित था (अक्तूबर 1992)।

इसी बीच 150 पट्टा धारकों से पट्टा राशि का बकाया जो दिसम्बर 1984 में कुल 1.87 लाख था 1 जनवरी 1985 से लागू बढ़ी हुई दरों को ध्यान में रखते हुए, मार्च 1992 में बढ़कर 36.48 लाख रु० हो गया। यद्यपि वर्ष 1988-89 के दौरान नोटिसों का मामला अनिर्णीत रहते हुए वर्ष 1987-88 तक वसूलियां संशोधन से पूर्व की दरों पर की गयी थी लेकिन तत्पश्चात् पुरानी दरों से भी पट्टा धन की वसूली नहीं की गयी थी। निगम ने बताया (अक्तूबर 1992) कि सरकार के अन्तिम निर्णय के अभाव में वसूली की कार्रवाई नहीं की जा सकी।

(छ) अन्य रुचिकर प्रसंग

(i) भारत सरकार के निर्देशानुसार कारखानों से पांच किलोमीटर के फासले से आगे गन्तव्य स्थलों तक सड़क द्वारा लेवी सीमेंट के

परिवहन पर परेषितियों द्वारा किए गए व्यय की सीमेंट विनिर्माणाओ द्वारा निर्धारित दरों पर प्रतिपूर्ति की जानी थी। परेषिति द्वारा कारखानों से सीमेंट के प्रेषण की तिथि से छः मास की अवधि के भीतर इस कारण दावे करने अपेक्षित थे।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 1981-82 से 1985-86 तक की अवधि के दौरान 12 अवसरों पर 1472 टन सीमेंट के उठाने के लिए 1.39 लाख रु० के भाड़े की प्रतिपूर्ति के लिए दावे निगम द्वारा विहित अवधि के भीतर राजबन स्थित सीमेंट कारखाने को प्रस्तुत नहीं किए गए। अप्रैल,1987 में विकास आयुक्त, सीमेंट उद्योग ,भारत सरकार द्वारा विलम्ब को माफ करने का निगम का अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप निगम को 1.39 लाख रु० की हानि हुई। यद्यपि निगम ने जून 1991 में निर्णय किया की हानि का दायित्व निर्धारित किया जावे तथापि आयुक्त आयुक्त द्वारा जून 1992 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ii) जमा निर्माण कार्यों, सामग्री के क्रय आदि के लिए 1946-47 तथा 1986-87 के मध्य निगम के छः विभागों (543.19 लाख रु) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (1.50 लाख रु०) को कुल 544.69 लाख रु० के अग्रिम दिए गए थे। तथापि यह अग्रिम मार्च 1992 तक समायोजित नहीं किए गए। अतः अभिप्रेत उद्देश्यार्थ उनकी प्रयुक्ति प्रमाणित नहीं हो सकी।

(iii) मार्च 1983 और नवम्बर 1984 के मध्य निगम द्वारा एक फाउण्ड्री से 1.72 लाख रु० के 40 मि० मी० व्यास के काले मृदु इस्पात पाइप उपार्जित किए गए। इन पाइपों की प्राप्ति को न तो स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया था और न ही यह दर्शाने के लिए कोई अभिलेख मौजूद था कि इन्हें सीधे निर्माणकार्य के लिए दिया गया था। परिणामतः उनकी प्रयुक्ति की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं की जा सकी।

(iv) फरवरी 1961 में एक सफाई सेवादार की सेवा में प्रवेश के समय स्वास्थ्य जांच के समय उसकी आयु चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा 39 वर्ष निर्धारित की गई थी। तथापि उसकी जन्म-तिथि सेवा-पुस्तिका में फरवरी 1922 की बजाय फरवरी 1932 दर्ज कर दी गई। फलस्वरूप कर्मचारी को फरवरी 1982 में सेवानिवृत करने की बजाये उसे दस वर्ष पश्चात फरवरी

1992 में सेवानिवृत किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को सेवानिवृति की तिथि के बाद वेतन तथा भत्तों के कारण 1.76 लाख रु0 का अनियमित भुगतान हुआ।

यह तथ्य सरकार को सितम्बर 1992 में संदर्भित किए गए थे। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 1992)।

ग्रामीण विकास विभाग

6.2.3 संदिग्ध दुर्विनियोजन

तीन रज्जू मार्ग पुलों* और नारेशास में एक माध्यमिक स्कूल भवन का निर्माण 3.59 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर जुलाई 1987 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कुल्लू की शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया। ये कार्य खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू द्वारा विभागीय रूप से निष्पादनार्थ अप्रैल 1988 और नवम्बर 1988 के मध्य आरम्भ किए गए थे और एक वर्ष के भीतर पूर्ण किए गए जाने थे। स्कूल भवन का निर्माण 1.05 लाख रु0 की लागत पर मार्च 1990 में पूरा कर लिया गया परन्तु भवन शिक्षा विभाग को जुलाई 1992 तक नहीं सौंपा गया था। इसके कारण न तो अभिलेखों में थे न ही सूचित किए गए।

जुलाई 1992 तक पुलों का निर्माण 70 से 75 प्रतिशत तक पूरा कर लिया गया था जिसमें 2.87 लाख रु0 का व्यय अन्तर्ग्रस्त था। यह अनुमान लगाया गया कि इनको पूर्ण करने के लिए 1.54 लाख की और निधियों की आवश्यकता होगी। अनुमानित लागत से अधिक व्यय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अप्रैल 1991 में अभिलेखों की लेखा परीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि नियमों में विहित सहायक अभियन्ता (विकास) द्वारा माप-जोख पुस्तकों में प्रविष्टियों की नमूना जांच करवाए बिना इन कार्यों का भुगतान किया गया। पुन: जबकि भुगतान सीधी दरों के आधार पर नियमित किए गए थे जिसमें सामग्री, श्रम, भाड़ा तथा अन्य आकस्मिकताएं सम्मिलित थी, अप्रैल 1988 और मार्च 1990 के मध्य सामग्री और भाड़ा प्रभारों की लागत के कारण इन कार्यों को 1.72 लाख रु0 की अतिरिक्त राशि भी डेबिट की गई थी। यह 1.72 लाख रु0 के अधिक व्यय में परिणत हुई।

---

* भिहाली, मकराहा और सियास

सामग्री की लागत और भाड़े के दो बार भुगतान को स्वीकारते हुए खण्ड विकास अधिकारी ने जून 1992 में इन कार्यों का सहायक अभियन्ता (विकास) द्वारा मुल्यांकन करवाया। सहायक अभियन्ता ने निर्धारित किया कि केवल 2.27 लाख रु0 की लागत के कार्यों का निष्पादन किया गया था। तथापि जुलाई 1992 तक इन निष्कर्षों पर कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई।

मामला सरकार को जून 1992 में संदर्भित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1992)।

6.2.4 एक फार्म पर अनुत्पादक व्यय

मरुभूमि विकास परियोजना, पूह के अधीन 1982-83 के दौरान थंगकरमा (जिला किन्नौर) में 60 हैक्टेयर सरकारी बंजर भूमि पर एक पशु आहार बीज उत्पादन व प्रदर्शन फार्म की स्थापना का अनुमोदन किया गया। फार्म की सिंचाई चालन डाक्पो थंगकरमा सिंचाई स्कीम से प्रस्तावित की गई थी जो उस समय सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी। पशु आहार का उत्पादन 1987-88 से आरम्भ किया जाना था। जबकि फार्म की स्थापना प्रगति में थी, सरकार के निर्णय के आधार पर इसकी स्थापना और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व ग्रामीण विकास विभाग के समग्र नियंत्रण के अधीन सितम्बर 1988 में पशु पालन विभाग को स्थानान्तरित किया गया।

जल भण्डारण टैंक, बाड़ लगाना, शिड़काव सैट आदि के प्रतिष्ठापन सहित विकास कार्य जो 1982-83 के दौरान शुरू किए गए थे, 21.92 लाख रु0 की लागत से 1988-89 के दौरान पूरे किए गए। वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान फार्म विकास (0.61 लाख रु0) तथा इसके अनुरक्षण (श्रमिकों को नियुक्त करने, बीजों आदि की खरीद पर 1.67 लाख रु0) पर 2.28 लाख रु0 का व्यय किया गया था।

सिंचाई स्कीम के पूरा किए जाने पर 1986-87 और 1987-88 के दौरान 405 हैक्टेयर कृषय कमाड क्षेत्र को सिंचाई के अधीन लाया गया। 1987-88 से फार्म में पशु आहार बीज बोया गया था और 1989-90 के दौरान फार्म यार्ड खाद भी डाली गई। तथापि सितम्बर 1988 में 1986-87 के दौरान निर्मित भण्डारण टैंक में रिसाव शुरू हो गया और इसके तल और दीवारों में दरारें भी पड़ गयी थी। परिणामस्वरूप फार्म की सिंचाई के लिए टैंक में जल एकत्रित नहीं किया जा सका। टैंक की मरम्मत या

नए टैंक के निर्माण के लिए पशु पालन विभाग द्वारा कोई पग नहीं उठाए गए। टैंक को क्षति के कारणों की जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त एवं परियोजना निदेशक को कहा गया। तथापि प्रस्तावित जांच अप्रैल 1990 में कर्मचारी की बदली और दूसरे जांच अधिकारी की नियुक्ति न किए जाने के कारण अक्तूबर 1992 तक नहीं की गई थी।

परिणामस्वरूप फार्म में कोई पशु आहार बीज उत्पन्न नहीं किया गया था और फार्म के विकास में 22.53 लाख रु0 का निवेश अधिकांशतः अनुत्पादक रहा। इसके अलावा सितम्बर 1988 में यह ज्ञात होने के बाद भी कि टैंक की मरम्मत न किए जाने या अन्य वैकिल्पक व्यवस्था उपलब्ध न किए जाने तक फार्म की सिंचाई नहीं हो सकती, 1989-92 के दौरान मजदूरों और खाद के उपार्जन पर 1.67 लाख रु0 का राजस्व व्यय परिहार्य था।

मामला सरकार को सितम्बर 1992 में संदर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

कृषि विभाग

6.2.5 सौर ताप पद्धति के प्रतिष्ठापन पर निष्फल व्यय

शरद् ऋतु के दौरान गर्म जल प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ने पूर्व स्नातक तथा कन्या छात्रावासों के लिए सौर जल ताप पद्धति की आपूर्ति और प्रतिष्ठापन का कार्य 2.15 लाख रु0 की लागत पर सितम्बर 1986 में एक फर्म को दिया। कार्य को दिसम्बर 1986 तक पूर्ण किया जाना था।

फर्म ने दोनों छात्रावासों में प्रतिष्ठापन का कार्य अगस्त 1988 के दौरान पूर्ण किया और उसे 1.91 लाख रु0 का भुगतान किया गया। तथापि उस समय तक कन्या छात्रावास में जस्तीकृत लौह पाईपों और जल टैंक के लगाने का काम पूरा नहीं किया गया था। यद्यपि फर्म द्वारा उसके बाद कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया, पूर्व-स्नातक छात्रावास में प्रतिष्ठापित पद्धति भी कुछ त्रुटियों के कारण इसके प्रतिष्ठापन से ही संतोषजनक कार्य नहीं कर रही थी।

निर्माण कार्य के निष्पादन में विलम्ब हेतु फर्म के प्रति अगस्त 1989 में 0.22 लाख रु0 की प्रतिपूर्ति उद्गृहीत की गई थी और यह

वसूल/समायोजित नहीं की गई थी। तत्पश्चात् ठेके को जनवरी 1992 में रद्द कर दिया गया और 0.20 लाख रु0 की प्रतिभूति जमा को जब्त कर दिया गया। पूर्व-स्नातक छात्रावास में प्रतिष्ठापित पद्धति की त्रुटियों को ठीक करने और कन्या छात्रावास में पद्धति को चालू करने के लिए सितम्बर 1992 तक कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी।

इसी प्रकार जून 1986 के दौरान पंजाब एग्रो-इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन द्वारा विश्वविद्यालय के स्नातकोतर छात्रावास और पशु विज्ञान विभाग में एक सौर जल तापन पद्धति प्रतिष्ठापित की गई। विश्वविद्यालय द्वारा इसके प्रतिष्ठापन पर 0.33 लाख रु0 का व्यय किया गया। जल संचार पद्धति, रिसाव आदि की विफलता के कारण पद्धति 1987 से खराब रही। यह सितम्बर 1992 तक ठीक नहीं की गई थी।

इन परिस्थितियों में इन पद्धति के प्रतिष्ठापन पर किया गया 2.04 लाख रु0 का व्यय निष्फल हो गया।

मामला सरकार को जून 1992 में संदर्भित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 1992)।

6.2.6 सलूणी में अनुसंधान स्टेशन की स्थापना

फरवरी 1985 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 34.73 लाख रु0 का सहायता अनुदान संस्वीकृत किया जो चम्बा जिले में एक कृषीय अनुसंधान स्टेशन के स्थापनार्थ 5 वर्षों की अवधि में प्रयुक्त किया जाना था। राज्य सरकार तथा हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस अवधि के दौरान 7.42 लाख रु0 के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाने थे। विश्वविद्यालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रतिनिधियों वाली तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर सलूणी में फरवरी 1987 में 2.26 लाख रु0 की लागत पर इस उद्देश्य के लिए भूमि का क्रय किया गया।

1986-87 और 1988-89 के मध्य आवश्यक संरचनात्मक सुविधाओं और स्थापना (सिविल कार्य: 3.31 लाख रु0, उपस्कर : 6.59 लाख रु0; स्थापना : 3.98 लाख रु0) के सृजन पर कुल 13.88 लाख रु0 का व्यय किया गया।

तथापि अप्रैल 1989 में विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक ने

टिप्पणी की कि पिछले दो वर्षों के दौरान स्टेशन ने वस्तुतः कोई प्रगति नहीं की और निम्नलिखित कारणों से इसका "अनुत्पादक रहना जारी रहेगा" :-

(क) वह स्थल, जिस पर स्टेशन स्थित था, कृषीय फसलों की बुआई हेतु उपयुक्त नहीं था क्योंकि 80 से 90 प्रतिशत तक भूमि ढलानों पर थी जिसकी क्यारियां बनाने से इसके ढीलेपन के कारण भूमि कटाव की समस्या और बढ़ जाएगी।

(ख) भूमि घने चीड़ के वृक्षों से घिरी हुई थी जिनसे काफी समय तक फसलों पर छाया पड़ती थी और उनका प्राकृतिक रूप से बढ़ना रुक जाता था।

(ग) राज्य में कृषि क्षेत्र का स्टेशन मुख्यतया प्रतिनिधित्व नहीं करता था।

अतः उसने नवम्बर 1989 में उप-निदेशक, कृषि जिला चम्बा से स्टेशन के लिए एक वैकल्पिक स्थल का सुझाव देने का अनुरोध किया।

वर्ष 1989-90 के लिए विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि भूमि पर वृक्षों की छांव पड़ने के कारण फसलों की वृद्धि हेतु स्थल उपयुक्त नहीं था और स्टेशन में किए जाने वाले ऐसे प्रयोगों के परिणाम फलतः निर्णायक नहीं थे।

इन प्रतिकूल निष्कर्षों के बावजूद अनुसंधान स्टेशन पर उसके बाद भी व्यय किया जाता रहा जो 1991-92 के अन्त तक कुल 42.86 लाख रु0 (1986-87 से 1988-89 तक : 13.88 लाख रु0, 1989-90:5.01 लाख रु0, 1990-91 : 6.35 लाख रु0, 1991-92 : 17.62 लाख रु0) हो गया था। कुल व्यय में से 38.14 लाख रु0 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा दिए गए थे।

अनुसंधान निदेशक के इस निर्णय के कि स्थल उपयुक्त नहीं था और स्टेशन अनुत्पादक रहेगा, (जिस तथ्य की तदनन्तर वार्षिक रिपोर्ट में भी पुष्टि की गई) के बाद बिना स्पष्ट औचित्य के 1989-92 के दौरान किया गया 28.98 लाख रु0 के व्यय का परिहार या न्यूनतम किया जा सकता था यदि चयनित स्थल पर अनुसंधान क्रिया-कलापों को जारी रखने के औचित्य की समीक्षा की जाती। बाद के निष्कर्षों के संदर्भ में यह भी प्रतीत होगा कि

आरम्भिक चयन स्थल ही दोषपूर्ण था।

मामला सरकार को जून 1992 तथा नवम्बर 1992 में संदर्भित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 1992)।

उद्यान विभाग

6.2.7 पूर्व निर्मित कोष्ठों के प्रतिष्ठापन पर निष्फल व्यय

फलों पर भण्डारण अध्ययन और अनुसंधान को सुविधाजनक करने के लिए उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन ने 5.41 लाख रु0 की लागत पर मार्च 1985 में सीमेंट प्लेटफार्म पर 7 पूर्व-निर्मित परिरुद्ध कोष्ठ प्रतिष्ठापित किए। इन कोष्ठों का परीक्षण दिसम्बर 1985 में पूरा कर लिया गया। मार्च 1985 और अप्रैल 1988 के मध्य 2.23 लाख रु0 का कुल और व्यय डीजल जनित्र की खरीद (1.18 लाख रु0), 3-फेस विद्युत कनैक्शन के लिए तारों के क्रय और प्रतिष्ठापन (0.54 लाख रु0) और जनित्र को रखने के लिए भवन के निर्माण (0.51 लाख रु0) पर किया गया।

इन कोष्ठों के चारों और भवन निर्माण का कार्य अप्रैल 1986 में आरम्भ किया गया और यह 0.89 लाख रु0 की लागत पर मई 1988 में पूर्ण कर लिया गया। ये कोष्ठ 1986-88 की फल की फसल के मौसमों के दौरान प्रयुक्त नहीं किए गए ताकि भवन निर्माण के दौरान किसी दुर्घटना को टाला जाए।

तथापि कोष्ठ भवन के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए। यद्यपि मई 1988 में कुछ लघु मरम्मत की गई, 7 में से छः कोष्ठ अकार्यशील रहे। अगस्त 1990 में प्रस्तुत 1.10 लाख रु0 की लागत पर इन कोष्ठों की मरम्मत का अनुमान जुलाई 1992 तक विचाराधीन बताया गया। फलस्वरूप इनके प्रतिष्ठापन से ही 7 वर्षों से अधिक समय से यह कोष्ठ प्रयोग में नहीं लाए गए। सातवें कोष्ठ का निष्पादन भी संतोषजनक व निधारित मानकों के अनुसार नहीं पाया गया। इन स्थितियों में भण्डारण अध्ययन और अनुसंधान, जिसके लिए यह कोष्ठ प्रतिष्ठापित किए गए थे, को हानि पहुंची और कुल 8.53 लाख रु0 के निवेश से अभिप्रेत उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

फरवरी 1989 में इस मामले पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय की सिनेट ने निर्णय दिया कि जबकि कोष्ठ वास्तव में

भवन के पूर्ण हो जाने पर ही प्रतिष्ठापित किए जाने चाहिए थे तथापि यह सुनिश्चित करना कि इन्हें कोई क्षति न हो, विभागाध्यक्ष और सम्पदा अधिकारी का सीधा उत्तरदायित्व था। अतएव सिनेट ने इच्छा व्यक्त की कि क्षति और अप्रयुक्त कोष्ठों पर निष्फल व्यय हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावे। इस उद्देश्य के लिए अगस्त 1991 में गठित जांच समिति के निष्कर्ष जुलाई 1992 तक प्रतीक्षित थे।

मामला सरकार को जुलाई 1992 में संदर्भित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

आतिथ्य सत्कार विभाग

6.2.8 आहार प्रदान करने में हानियों की अनियमित प्रतिपूर्ति

फरवरी 1983 में आतिथ्य विभाग ने नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन का प्रबन्ध और कार्यचालन का उत्तरदायित्व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित को सौंपा। इस सम्बन्ध में जारी आदेशों में प्रावधान था कि वासियों से भोजन व आवास के प्रभार कम्पनी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर वसूल करेगी। तथापि कम्पनी अनावासियों को वाणिज्यिक रूप से भोजन देने और सभागृह और कला दीर्घा के प्रयोग के लिए शुल्क को निर्धारित कर सकेगी। जबकि हिमाचल भवन के प्रबन्ध पर किया गया व्यय और उससे प्राप्त आय का अंतर सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिपूर्ति योग्य था किन्तु साहाय्य मूल्यों पर भोजन परोसने से सम्बद्ध हानियों की प्रतिपूर्ति अनुमत्य नहीं थी।

अगस्त 1992 तक 1982-83 से (फरवरी 1983 से) 1991-92 की अवधि के दौरान हिमाचल भवन की कुल आय और कुल व्यय के मध्य अन्तर को दर्शाने वाले 288.75 लाख रु० की कम्पनी को सरकार ने प्रतिपूर्ति की। भवन के लेखाओं की अप्रैल 1992 के दौरान नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि निम्नलिखित कारणों से 1983-84 और 1991-92 के मध्य इसकी आहार प्रदान करने वाली इकाई ने कुल 14.36 लाख रु० की हानियां उठाई:-

(क) आहार प्रदान करने से अन्य कार्यों पर तैनात कम्पनी के 41 कर्मचारियों को मुफ्त भोजन देना जो इस रियायत के हकदार नहीं थे।

(ख) आहार प्रदान करने वाली इकाई के पात्र कर्मचारियों को दिए गए भोजन की लागत के 25 प्रतिशत की वसूली न करना जैसा निर्धारित किया गया था।

(ग) नाजायज निम्न भोजन शुल्क को अपनाना जिसका वास्तविक भोजन लागत से कोई सम्बन्ध न था।

कम्पनी ने यथा निर्धारित भोजन प्रदान करने वाले स्टाफ को दिए गए रियायती भोजन के अलग लेखे भी अभिरक्षित नहीं किए।

सरकार द्वारा आखिर में भोजन शुल्क दर को नवम्बर 1988 में संशोधित किया गया। सामग्री की कीमतों में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यद्यपि कम्पनी ने शुल्क का उच्चोमुखी संशोधन अप्रैल 1989 में प्रस्तावित किया था तथापि उस पर सरकार का निर्णय अप्रैल 1992 तक प्रतीक्षित था। शुल्क संशोधन प्रस्तावों को आरम्भ करने के बाद 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान आहार प्रदान करने वाली इकाई द्वारा उठाई गई हानि 9.68 लाख रु0 थी जो 1983-92 के दौरान हानियों का 67 प्रतिशत थी।

कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को निशुल्क भोजन के प्रावधान के कारण उठाई गई 14.36 लाख रु0 की हानि, पात्र कर्मचारियों को दिए गए भोजन की लागत के अंश की अवसूली और नाजायज निम्न आहार प्रदान करने के शुल्क दर को अपनाने जो खाने पर उपदानों की प्रकृति के रूप में थी, से इस राशि की प्रतिपूर्ति सरकारी आदेशों के विपरीत तथा अनियमित थी।

मामला सरकार को सितम्बर और नवम्बर 1992 में सदर्भित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

6.3 धारा 15 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा

1987-88 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान पर्यटन तथा उद्यान विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदानों और ऋणों की अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा के दौरान ध्यान में आई बातें निम्नलिखित परिच्छेदों में वर्णित की गई हैं:-

क पर्यटन विभाग

(1) अनुदान

राज्य में पर्यटन के विकास की दृष्टि से पर्यटन विभाग ने 1987-88 और 1991-92 के मध्य कुल 81.93 लाख रु0 (आवर्ती: 66.93 लाख रु0, अनावर्ती: 15 लाख रु0) के अनुदान संस्वीकृत किए जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्रमांक	प्राप्तकर्ताओं के विवरण	संस्वीकृति का वर्ष	राशि (लाख रुपये)	उद्देश्य
1.	हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवेल्पमैंट कार्पोरेशन लिमिटिड	1987-88	16.15	कार्पोरेशन आदि के पर्यटक सूचना केन्द्रों, यात्रा और वाणिज्यिक कार्यकलापों को चलाना।
		1988-89	20.15	
		1989-90	4.20	
		1990-91	22.25	
		1991-92	0.18	
		योग	62.93	
2	फूड क्राफ्ट संस्थान, कुफरी	1990-91	10.00	संस्वीकृतियों में नहीं दर्शाया गया जो जनवरी 1991 और मार्च 1992 के मध्य प्रदान की गई थी।
		1991-92	8.00	
		योग	18.00	
3.	यात्रा एजेन्टों तथा यात्रा चालकों का सम्मलेन, शिमला	1988-89	1.00	अक्तूबर 1988 में हिमाचल यात्रा एजेन्ट और यात्रा चालकों का प्रथम सम्मेलन

मई-जून 1992 में संस्वीकृति प्राधिकारी के अभिलेखों के नमूना जांच से निम्नलिखत बातें उद्घाटित हुई:-

(क) हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवेलपमैंट कार्पोरेशन से अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान के भुगतान को नियमित करने हेतु मई 1992 तक कोई नियम नहीं बनाए गए थे। फलस्वरूप इन संस्थाओं को अक्तूबर 1988 और मार्च 1992 के मध्य तदर्थ आधार पर कुल 19 लाख रु0 के अनुदान विमुक्त किए गए।

(ख) नियमों में प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवेलपमैंट कार्पोरेशन संस्वीकृत अनुदानों के पृथक लेखे अभिरक्षित करेगी और पिछले वर्ष के दौरान दिए गए अनुदानों के व्यय की लेखा परीक्षा विवरणी संस्वीकृति प्राधिकारी को भेजेगी। तथापि आगामी वर्षों हेतु अनुदानों को विमुक्त करने से पूर्व विभाग द्वारा पृथक लेखापरीक्षित लेखे मांगे और जांचे नहीं गए थे।

(ग) हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवेलपमैंट कार्पोरेशन को प्रदत्त सहायता अनुदान के लेखे वर्ष में कम से कम एक बार राज्य सरकार के वित्त विभाग के नामित और पर्यटन आयुक्त या उसके नामिति द्वारा जांचे जाने/ लेखा किए जाने अपेक्षित हैं। इन लेखाओं की 1987-88 से 1991-92 तक के दौरान उनके द्वारा जांच/ लेखा परीक्षा कभी नहीं की गई थी।

(घ) सरकारी वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि मार्च के महीने में व्यय की तीव्रता नहीं होनी चाहिए। तथापि यह देखा गया कि 1987-92 के दौरान केवल मार्च मास में कुल 41.90 लाख रु० (कुल अनुदानों का 51 प्रतिशत) के अनुदान संस्वीकृत किए गए।

(ड.) वित्तिय नियमों में अपेक्षित है कि अनुदान विशिष्ट मदों/ उद्देश्यों पर व्यय करने के लिए संस्वीकृत किए जाने चाहिए। फूड क्राफटस संस्थान, कुफरी को जनवरी 1991 और मार्च 1992 के मध्य पांच अवसरों पर उद्देश्य को निर्दिष्ट किए बिना 18 लाख रु० के अनुदान संस्वीकृत किए गए।

(च) नियमानुसार हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवेलपमैंट कार्पोरेशन से अपेक्षित है कि वह अनुदानों को सवितरित करने से पहले पर्यटक सूचना कार्यालयों में पर्यटक सूचना के प्रचार के लिए विशेषतया तैनात स्टाफ के विवरण प्रस्तुत करें। तथापि सितम्बर 1987 और मार्च 1990 के मध्य हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवेलपमैंट कार्पोरेशन को अपेक्षित सूचना प्राप्त किए बिना कुल 32.15 लाख रु० के अनुदान विमुक्त किए गए।

(छ) अनुदानों के रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में नहीं अभिरक्षित किए गए थे और इनमें अनुदान की संस्वीकृति सम्बन्धी पूर्ण सूचना नहीं थी।

(ii) उपदान

पर्यटन की प्रोन्नति हेतु प्रोत्साहन स्कीमों के अन्तर्गत 1988-89 और 1991-92 के मध्य निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कुल 17.93 लाख

रु0 के उपदान दिए गए थे:-

(क) 50,000 रु0 तक के ऋणों पर ब्याज की बैंक दर और 4 प्रतिशत की साहाय्य दर के अन्तर को ढाबा मालिकों को

(ख) सरकार द्वारा अनुमोदित परामर्श दाताओं द्वारा रेस्तरां और अल्पाहार गृहों की व्यवहार्य रिपोर्टों को तैयार करने की लागत को पूरा करने के लिए उद्यमियों को;

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ढाबा मालिकों को संस्वीकृत ऋणों पर ब्याज -उपदान को पूरा करने के लिए दिसम्बर 1988 और मार्च 1992 के मध्य चार बैंकों में 8.19 लाख रु0 जमा किए गए। इसमें से जून 1992 तक केवल 5.63 लाख रु0 समायोजित किए जा सके और शेष 2.56 लाख रु0 विभिन्न बैंकों में असमायोजित पड़े थे। तथापि विभाग के पास उन लाभग्राहियों सम्बन्धी समेकित सूचना उपलब्ध नहीं थी। जिन्हें बैंकों द्वारा ब्याज उपदान प्रदत्त/समायोजित किए गए थे। तीन ऐसी जमा राशियों पर उद्भूत 0.55 लाख रु0 का ब्याज भी जून 1992 तक सरकारी लेखे में जमा नहीं किया गया था।

ख. उद्यान विभाग

(i) अनुदान

उद्यान विभाग ने विश्वबैंक सहायता के अन्तर्गत प्रशिक्षण और समदर्शन परियोजना के कार्यान्वयन, गृह बिक्री परिरक्षण और अन्य औद्यानिक कार्यकलापों में प्रशिक्षण के लिए डा0 वाई.एस. परमार उद्यान तथा वानिकी विश्वविद्यालय को 1987-88 और 1991-92 के मध्य कुल 1883.03 लाख रु0 (आवर्ति अनुदान: 1801.72 लाख रु0, अनावर्ती अनुदान: 81.31 लाख रु0) के अनुदान संस्वीकृत किए। संस्वीकृत प्राधिकारी के अभिलेखों की मई-जून 1992 में की गई संवीक्षा से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ।

(क) विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान के भुगतान को नियमित करने वाले नियम जून 1992 तक नहीं बनाए गए और अनुदान तदर्थ रूप से विमुक्त किए गए थे।

(ख) विशेष उद्देश्य जिनके लिए 1989-90 तथा 1990-91 के

दौरान विश्वविद्यालय को कुल **77.10** लाख रु० के अनुदान वितरित किए गए थे संस्वीकृतियों में इस सम्बन्ध में किसी के संकेत अभाव में सुनिश्चित नहीं किए जा सके।

(ग) वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि मार्च मास में व्यय की तीव्रता नहीं होनी चाहिए। तथापि यह देखा गया कि **1987-88** से **1991-92** तक के दौरान केवल मार्च मास में कुल **975.93** लाख रु० (कुल अनुदानों के **52** प्रतिशत) के अनुदान विमुक्त किए गए।

(घ) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली में यथा निर्धारित विश्वविद्यालय के पास अव्ययित शेष आगामी वर्षों के लिए देय अनुदानों के प्रति समायोजित नहीं किए जा रहे थे। मार्च **1991** को समाप्त तीन वर्षों के अव्ययित शेषों की स्थिति, जो आगामी वर्षों के लिए देय अनुदानों में समायोजित नहीं किए गए थे, नीचे दर्शायी गई है:-

क्रमांक	वर्ष	आदि शेष	अनुदान की राशि (लाख रुपये)	व्यय	अव्ययित शेष
1.	1988-89	10.17	20.63	9.80	21.00
2.	1989-90	21.00	15.24	31.87	4.37
3.	1990-91	4.37	31.08	29.25	6.20

(ङ.) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा अनुदानों का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए यह संस्वीकृत किए गए थे विभाग ने कोई पद्धति विकसित नहीं की।

(च) विश्वविद्यालय को प्रदत्त अनुदानों में से ग्राही संस्थाओं द्वारा पूर्णतया या अंशतः सृजित परिसम्पतियों की संस्वीकृति प्राधिकारी के पास कोई सूचना नहीं थी।

(छ) अनुदानों का रजिस्टर निर्धारित फार्म में अभिरक्षित नहीं किया गया था और इनमें अनुदानों की संस्वीकृति सम्बन्धी पूर्ण सूचना नहीं थी।

(ii) उपदान

विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश हॉर्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड

प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन, लिमिटेड (एच.पी.एम.सी.) को डिब्बों के उपार्जन, निकृष्ट फलों पर सहायय मूल्य का भुगतान, रज्जूमार्ग की स्थापना आदि के लिए 1987-88 और 1991-92 के दौरान कुल 5046.19 लाख रु0 के उपदान संस्वीकृत किए गए थे। उपदान से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि (i) जून 1992 तक उपदानों की संस्वीकृति को नियमित करने वाले नियम नहीं बनाए गए थे जिनके अभाव में निर्णय प्रत्येक मामले के आधार पर लिए गए और (ii) एच.पी.एम.सी. से 5046.19 लाख रु0 की समस्त राशि के प्रयुक्ति प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित थे।

(iii) ऋण

1987-88 और 1991-92 के मध्य उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय (339.09 लाख रु0) और एच.पी.एम.सी. लिमिटेड (440 लाख रु0) को कुल 779.09 लाख रु0 के ऋण संस्वीकृत किए गए थे। विश्वविद्यालय को संस्वीकृत ऋण न्यायालयों द्वारा अभिनिर्णयों पर आधारित अर्जित भूमि हेतु बढ़ायी गई प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए थे। एच.पी.एम.सी. को संस्वीकृत ऋण सहायता मूल्य स्कीम के अधीन सेबों के उपार्जनार्थ (200 लाख रु0), नालीदार डिब्बों (200 लाख रु0) और गुम्मा में पैकिंग और ग्रेडिंग भवन के पुनर्निर्माण (40 लाख रु0) के लिए थे। संस्वीकृति प्राधिकारी के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ:-

(क) विभाग द्वारा अभिरक्षित ऋण रजिस्टर अपूर्ण था। अतएव विभाग वसूलियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए बकाया ऋणों, अतिदेय मूलधन और ब्याज/शास्ति ब्याज, आदि की स्थिति से अनभिज्ञ था।

(ख) मार्च 1990 (4.33 लाख रु0) और अक्तूबर 1991 (183.12 लाख रु0) में विश्वविद्यालय को दिए गए 187.45 लाख रु0 से सम्बन्धित ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि संस्वीकृति प्राधिकारी ने उल्लिखित नहीं की थी।

(ग) 440.00 लाख रु0 के प्रयुक्ति प्रमाण-पत्र एच.पी.एम.सी. से जून 1992 तक प्रतीक्षित थे।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋणों का उपयोग ऋणी संस्थाओं द्वारा उन उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए यह संस्वीकृत किए गए थे, विभाग ने आवधिक जांच या रिपोर्ट करने की कोई पद्धति

विकसित नहीं की थी।

(ङ.) जून 1992 को उस पर देय ब्याज 5.88 लाख रु0 के अतिरिक्त कुल 579.09 लाख रु0 (विश्वविद्यालय :339.09 लाख रु0 और एच.पी.एम.सी.:240.00 लाख रु0) के ऋणों का पुनर्भुगतान बकाया थां। ऋणी संस्थाओं ने ऋण से अनुदान/उपदान में परिवर्तित करने के लिए जून/नवम्बर 1991 में राज्य सरकार को अनुरोध किया क्योंकि उनके लिए ऋणों का भुगतान करना सम्भव नहीं था। उस पर सरकार का निर्णय जून 1992 तक प्रतीक्षित था ।

यह तथ्य सरकार के ध्यान में सितम्बर 1992 में लाए गए थे उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1992)।

(अनुपम कुलश्रेष्ठ)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक: 18 अगस्त 1993

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

(सि. जि. सोमैया)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली.
दिनांक: 20 AUG 1993

परिशिष्ट-I

(सन्दर्भ: परिच्छेद 2.2.1 पृष्ठ 28)

अनावश्यक पूरक अनुदानों/विनियोगों के मामले

क्रमांक	अनुदान/विनियोग	अनुदान / विनियोग की राशि			
		मूल	पूरक	वास्तविक व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
		(लाख रुपये)			
	राजस्व दत्तमत				
1.	7-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	5507.59	32.92	5203.84	336.67
2.	24-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	446.05	1.14	430.59	16.60
3.	29-वित्त	5958.92	285.13	5917.82	326.23
4.	31-जनजातीय विकास	5837.79	151.84	5677.41	312.22
	पूंजीगत दत्तमत				
5.	9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	964.06	198.58	894.04	268.60
6.	14-पशुपालन तथा डैरी विकास	188.19	13.50	173.32	28.37
7.	17- सड़कें एवं पुल	5105.40	555.75	4618.89	1042.26
8.	19- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषाहार सहित)	104.20	8.00	88.94	23.26
	राजस्व प्रभारित				
9.	2- राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद	52.35	1.74	47.09	7.00

परिशिष्ट-II
(सन्दर्भः परिच्छेद 2.2.3 पृष्ठ 32)

निधियों का अभ्यर्पण

जहां बचत 20 प्रतिशत से अधिक राशि की थी और एक करोड़ रु0 से अधिक थी परन्तु अभ्यर्पित नहीं की गई, उन मुख्य भिन्नताओं के विवरण नीचे दिए जाते हैं:-

क्रमांक	अनुदान	कुल बचत	अभ्यर्पित राशि	अनभ्यर्पित राशि	प्रतिशतता
		(करोड़ रुपये)			
	राजस्व-दत्तमत				
1.	11-कृषि	3.18	0.35	2.83	89
2.	29-वित्त	3.26	--	3.20	100
3.	31-जनजातीय विकास	3.12	0.97	2.15	69
	पूंजीगत दत्तमत				
4.	11-कृषि	2.65	1.58	1.07	40
5.	17-सड़कें एवं पुल	10.42	--	10.42	100
6.	28-जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	6.95	2.47	4.48	64
7.	31-जनजातीय विकास	1.47	0.11	1.36	93
	राजस्व-प्रभारित				
8.	29-वित्त	10.49	4.86	5.63	54

परिशिष्ट-III

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.6; पृष्ठ...36..)

वसूलियों में मुख्य अन्तर

वर्ष में वसूली में वास्तविक समायोजित तथा बजट वसूलियों के मध्य प्रमुख अन्तर का विवरण

क्रम संख्या	अनुदान	बजट आकलन	वास्तविक वसूलियां	अन्तर राशि	अन्तर प्रतिशतता
		(करोड़ रुपये)			
	बजट आकलनों के प्रति अधिक वसूलियां				
	राजस्व				
1.	10-लोक निर्माण	40.81	55.43	14.62	36
2.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	12.62	17.82	5.20	41
	बजट आकलनों के प्रति कम वसूलियाँ				
	पूंजीगत				
3.	11-कृषि	10.50	7.91	2.59	25
4.	17-सड़कें तथा पुल	8.70	5.13	3.57	41

परिशिष्ट–IV

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.7; पृष्ठ .37.)

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले

I. अपर्याप्तता के कारण अविवेकपूर्ण सिद्ध हुये प्रमुख पुनर्विनियोजन के मामले

क्रम संख्या	अनुदान	प्रमुख/लघु/उप-शीर्ष लेखे आदि	उप-शीर्ष की पुनर्विनियोजन राशि	पुनर्विनियोजन के पश्चात उपशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत की राशि
1	2	3	4	5
			(लाख रुपये)	
1.	4-सामान्य प्रशासन	3451-090-01	2.66	6.21
		3451-101-03	7.61	9.64
2.	8-शिक्षा, क्रीडाएं, कला एवं संस्कृति	2202-04-103-04	7.16	7.20
3.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-105-01	5.00	5.52
		4210-02-110-01	1.73	1.85
4.	11-कृषि	2401-001-01	2.05	14.22
		2401-105-02	42.00	42.00
		2401-108-03	6.28	8.34
		2401-108-05	13.10	14.87
5.	17-सड़कें तथा पुल	5054-800-11	10.00	21.41
6.	18-आपूर्तियां, उद्योग तथा खनिज	4885-01-190-03	6.63	57.63
7.	21-सहकारिता	2425-101-01	5.92	15.40
8.	29-ऋण	2049-01-101-16	102.78	102.78
9.	31-जनजातीय विकास	2202-02-796-02	2.15	10.35
		2202-02-796-03	1.36	20.68
		2210-03-796-03	5.93	11.46
		3054-02-796-02	15.95	23.55
		4220-796-01	1.00	3.00
		5054-04-796-01	65.62	82.89

II अन्य शीर्षों के प्रमुख पुनर्विनियोजन के मामले जो उपशीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य में परिणत हुए, नीचे दिए जाते हैं:-

क्रम संख्या	अनुदान	प्रमुख/लघु/उप-शीर्ष लेखे आदि	पुनर्विनियोजन राशि	पुनर्विनियोजन के पश्चात् आधिक्य राशि
1	2	3	4	5
		(लाख रुपये)		
1.	5-भू-राजस्व	2029-103-02	17.05	24.01
		2029-103-04	31.61	54.87
2.	8-शिक्षा, क्रीडाएं, कला एवं संस्कृति	2202-03-107-01	11.68	11.68
		2202-80-001-01	6.52	11.37
		4202-01-201-01	1.00	21.62
3.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-101-01	31.29	63.03
		2211-101-02	14.20	24.44
		2211-103-01	2.20	12.35
4.	10-लोक निर्माण कार्य	4059-01-051-01	5.10	10.91
5.	11-कृषि	2401-108-04	2.16	11.08
		2506-102-02	2.48	68.32
6.	13-भू एवं जल संरक्षण	2402-102-09	5.35	12.55
7.	17-सड़कें तथा पुल	5054-80-001-04	1.26	3.11
8.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषण सहित)	2235-107-02	4.02	4.93
9.	21-सहकारिता	2425-001-02	20.49	22.03
10.	27-श्रम एवं रोजगार	4250-201-01	2.29	4.37
11.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	2215-01-102-02	8.75	68.34
		2215-01-102-04	6.43	7.92
12.	31-जनजातीय विकास	2029-796-01	7.16	8.11
		2401-796-02	6.90	84.60

परिशिष्ट-V

(संदर्भ : परिच्छेद 2. 4; पृष्ठ..38...)

आवश्यकता से पहले निधियों का आहरण

क्रम संख्या	विभाग/कार्यालय	आहरित राशि (लाख रुपये)	आहरण/प्राप्ति का माह	उद्देश्य	अप्रयुक्त राशि (लाख रुपये)	प्राक्कलनों के सम्बन्ध में स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
	राजस्व					
1.	उपायुक्त, हमीरपुर	25.00	मार्च 1989	हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत उन भूतपूर्व सैनिकों, स्वतन्त्रता सेनानियों तथा विकलांग व्यक्तियों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान हेतु जिनकी भूमि अस्वामित्व किरायेदारों में निहित थी।	5.92	लागू नहीं
2.	उपायुक्त, ऊना	3.67	1987-88 तथा 1990-91 के मध्य	खण्ड विकास अधिकारी, अम्ब द्वारा स्थानीय जिला आयोजना के अन्तर्गत विकास कार्यों के निष्पादनार्थ।	3.67	सूचना प्रतीक्षित है
3.	उपायुक्त, कांगड़ा	1.50	मार्च 1990	वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धर्मशाला में कक्षा कमरा तथा कार्यशाला के निर्माण हेतु।	1.50	सूचना प्रतीक्षित है
		3.00	मार्च 1990	आयुर्वेदिक औषधालय के निर्माण हेतु।	3.00	प्राक्कलन अनुमोदित नहीं
		5.00	मार्च 1990 तथा अप्रैल 1991	जिला प्रशासन के सुधार के लिए अहमदनगर परीक्षण का कार्यान्वयन।	5.00	लागू नहीं
		119.45	मार्च 1991	स्थानीय जिला आयोजना के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादनार्थ।	39.05	प्राक्कलन अनुमोदित नहीं
		2.09	मई 1988 तथा फरवरी 1990	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण संवितरण हेतु।	1.03	लागू नहीं
		35.91	अप्रैल 1990 तथा जून 1991 के मध्य	रोजगार सृजन कार्यों के लिए।	15.15	प्राक्कलन अनुमोदित नहीं
4.	उपायुक्त, मण्डी	80.51	जनवरी-मार्च 1991 के दौरान	विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादनार्थ ।	7.28	सूचना प्रतीक्षित है
5.	उपायुक्त, सिरमौर	8.26	1989-90 से जनवरी 1992 तक	स्थानीय जिला आयोजना (5.97 लाख रु०) तथा सूखा राहत (2.29 लाख रु०) के अन्तर्गत कार्यों हेतु।	8.26	सूचना प्रतीक्षित है
6.	उपायुक्त, बिलासपुर	1.50	मार्च 1991	हैंड पम्पों के प्रतिष्ठापन हेतु।	1.50	सूचना प्रतीक्षित है

क्र. संख्या	विभाग/कार्यालय	आहरित राशि (लाख रुपये)	आहरण/पारित का माह	उद्देश्य	अनुपयुक्त राशि (लाख रुपये)	प्रावलनों की स्थिति
सामाजिक तथा महिला कल्याण						
7.	निदेशक, सामाजिक तथा महिला कल्याण, हिमाचल प्रदेश, शिमला	4.42	मार्च 1991	ठियोग में लड़कियों के छात्रावास के निर्माणार्थ।	4.42	सूचना प्रतीक्षित है
8.	जिला कल्याण अधिकारी, कांगड़ा	5.95	मई 1987 तथा जनवरी 1992 के मध्य	विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के कार्यान्वयनार्थ।	5.95	लागू नहीं
9.	जिला कल्याण अधिकारी, मण्डी	5.00	मार्च 1989 तथा अप्रैल 1991के मध्य	विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के कार्यान्वयनार्थ।	5.00	लागू नहीं
10.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोहर	1.65	जुलाई 1990 तथा अप्रैल 1991के मध्य	विभिन्न क्रयों तथा परिवहन प्रभारों के भुगतान के लिए।	0.29	लागू नहीं
11.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, मोरंग	1.07	अप्रैल 1991	ईंधन तथा भोजन पदार्थों के परिवहन पर खर्च को पूरा करने हेतु।	1.07	लागू नहीं
राज्य परिवहन						
12.	निदेशक, राज्य परिवहन, हिमाचल प्रदेश, शिमला	19.99	1985-86 तथा 1988-89 के मध्य	कुल्लू, सोलन तथा डलहौजी में बस स्टैंडों के निर्माणार्थ।	11.32	तकनीकी संस्वीकृति प्रतीक्षित है
शिक्षा						
13.	जिला शिक्षा अधिकारी, मण्डी	3.89	जून 1991	स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु।	1.99	सूचना प्रतीक्षित है
ग्रामीण विकास						
14.	खण्ड विकास अधिकारी, तिसा	7.48	1988-91	स्थानीय जिला आयोजना तथा नवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादनार्थ।	7.48	तकनीकी संस्वीकृति प्रतीक्षित है
15.	खण्ड विकास अधिकारी, देहरा	2.50	अक्तूबर 1991 तथा दिसम्बर 1991	स्थानीय जिला आयोजना के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादनार्थ।	2.50	प्रावलन अनुमोदित नहीं
16.	खण्ड विकास अधिकारी, परागपुर	3.43	1990-92	पंचायत घरों, सराओं, स्कूलों तथा आयुर्वेदिक औषधालय के लिए ग्यारह भवनों के निर्माणार्थ।	3.43	प्रावलन अनुमोदित नहीं
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण						
17.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन	7.65	मार्च 1991	सिरमौर जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत तथा रखरखाव हेतु।	6.36	प्रावलन अनुमोदित नहीं
	योग	348.92			141.17	

परिशष्ट–UI
(संदर्भ परिच्छेद 3.19 पृष्ठ. .78)
निष्कार्य उपस्करों के विवरण को दर्शाने वाली विवरण

क्रमांक	विभाग/कार्यालय का नाम	उपस्कर का विवरण	क्रय/प्राप्ति की तिथि	मूल्य (लाख रुपये)	कब से निष्कार्य	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
	राजस्व					
1.	उपायुक्त, कुल्लू	रीडर व प्रिंटर	मार्च 1989	2.99	जुलाई 1990	जुलाई 1990 के बाद उपस्कर प्रयुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि अपेक्षित लेखन-सामग्री का विभाग द्वारा प्रबन्ध नहीं किया जा सका मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से लेखन सामग्री के उपार्जन की बजाए विभाग इसके उपार्जन के प्रश्न मशीन के आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से कर रहा था जो सफल नहीं हुए।
2.	उपायुक्त, चम्बा	तीन फोटो कोपियर मशीनें	जुलाई 1990	2.12	जुलाई 1990	मशीनें निष्कार्य पड़ी थीं क्योंकि मशीनों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वोल्टेज स्टेबिलाईजरों की आपूर्ति नहीं की गई थी।
3.	उपायुक्त, बिलासपुर	फोटो कोपियर मशीन	मई 1984	1.01	1990	मार्च 1992 तक मशीनें निष्कार्य थी क्योंकि मरम्मत हेतु अनुमानों की मण्डलायुक्त, मण्डी की संस्वीकृति प्रतीक्षित थी।
आयुर्वेद						
4.	प्रबन्धक, राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी, जोगेन्द्रनगर	माइक्रो पुलवेराईजर	जून 1989	0.20	जून 1989	मशीनें आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सितम्बर 1992 तक प्रतिष्ठापित नहीं की गई थीं और यह मामला उनके साथ पत्राचाराधीन था। इसके अतिरिक्त उनके कार्य चालन की रीतियां भी सुनिश्चित की जानी थीं।
		गेलसन्स पैकिंग मशीन	मार्च 1981	0.53	मार्च 1981	

क्रमांक	विभाग/कार्यालय का नाम	उपस्कर का विवरण	क्रय/प्राप्ति की तिथि	मूल्य (लाख रुपये)	रद्द से निष्कर्ष	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
शहरी व ग्रामीण योजना						
5.	निदेशक, नगर एवं ग्रामीण योजना	फोटो कोपियर मशीन	मार्च 1985	1.17	दिसम्बर 1988	आपूर्तिकर्ता के साथ सितम्बर 1992 तक कुछ बदलाये जाने वाले पूर्जों के उपार्जन का प्रश्न न्यायाराधीन जारी था जिसने यह सूचित किया कि मॉडल अप्रचलित हो चुका था।
	सामान्य प्रशासन					
6.	आवासीय आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली	फोटो कोपियर मशीन	मार्च 1984	0.52	नवम्बर 1988	सरकार ने नवम्बर 1992 में बताया कि मशीन की मरम्मत निष्प्रयोज्य बोर्ड द्वारा अभिनिर्धारित पाई गई और इसके लिए निपटान हेतु कार्यवाही की जा रही थी।
	सामाजिक एवं महिला कल्याण					
7.	जिला कल्याण अधिकारी कांगड़ा	पत्ते छापने के ब्लाक्स मशीन	अगस्त 1989	0.50	अगस्त 1989	उपस्कर को कार्यालय में कर्मियों द्वारा इस आधार प्रयुक्त नहीं किया जा रहा था चूंकि इसे शारीरिक रूप से चलाना था अतएव इसने अधिक समय लगाना था।
			योग	9.04		

परिशिष्ट -VII

(सन्दर्भ: परिच्छेद 4.12, पृष्ठ. 123.)

वन भूमि पड़ने के कारण अपूर्ण पड़े सड़क निर्माण कार्यों को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

क्रमांक	मण्डल का नाम	निर्माणकार्य का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति के ब्यौरे तिथि	राशि (लाख रुपये)	पूर्णता की नियत अवधि	आरम्भ होने की तिथि	निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति	अवरुद्ध व्यय (लाख रुपये)	लेखा परीक्षा तिथि तक विलम्ब (मास)	अभ्युक्तियाँ
1.	कुल्लू	(i) माला परियोजना ऑपरेशन सड़क से कन्धार ग्राम को सड़क निर्माण	जनवरी 1984	10.32	2 वर्ष	मार्च 1985	400 मी० लम्बी सड़क पूर्ण	3.92	57	वन विभाग ने सितम्बर 1991 में निर्माण कार्य रोक दिया क्योंकि सड़क का संरेखण सुरक्षित वन भूमि से गुजर रहा था।
		(ii) कन्धार नायपा सड़क का निर्माण	मई 1989	10.45	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	कन्धार से नायपा तक 0/994 कि०मी० सड़क पूर्ण	3.25	--	
2.	कुमारसैन	(i) चैल नारकण्डा सड़क का निर्माण (नारकण्डा की तरफ से) (25/0 कि०मी० से 32/0 कि०मी०)	मई 1976	0.95	एक वर्ष	जून 1976	नारकण्डा की तरफ से 0/660 कि० मी० लम्बाई में केवल चौड़ा करने का कार्य पूर्ण	1.08	173	सड़क संरेखण में विवाद तथा वन भूमि पड़ने के कारण निर्माणकार्य मार्च 1982 के पश्चात त्याग दिया गया।
		(ii) एकान्त बाड़ी से डाक्ला सड़क तक 5/7 मी० चौड़ी सड़क का निर्माण (0/0 कि०मी० से 5/0 कि०मी०)	मार्च 1987	12.96	3 वर्ष	जनवरी 1987	200 मी० सड़क और 1.900मी० में 1 मी० अनुरेखण कटानपूर्ण	1.39	22	वन विभाग ने दिसम्बर 1990 में निर्माणकार्य रोक दिया क्योंकि सड़क संरेखण वन भूमि से गुजर रहा था।
3.	राजगढ़	रतेली से सरजगैस सड़क का निर्माण (0/0 कि०मी० से 6/0 कि०मी०)	मार्च 1986	15.10	3 वर्ष	जून 1988	6 कि०मी० में 1 मी० अनुरेखण कटान किया गया	0.29	8	सुरक्षित वन पड़ने के कारण निर्माणकार्य अप्रैल 1990 में ठप्प पड़ा था।
4.	[illegible]	(i) चौकी मीनार कोकड़ा सड़क का निर्माण (0/0 कि०मी० से 5/0 कि०मी०)	फरवरी 1978	4.99	2 वर्ष	1978-79	3 भू-खण्डों (4.475 कि०मी०) में 5/7 मी० चौड़ी सड़क निर्मित तथा 4/0 कि०मी० से 5/800 कि०मी० तक 3.66 मी० चौड़ी सड़क निर्मित	2.05	131	संरेखण में वन भूमि पड़ने के कारण निर्माणकार्य अप्रैल 1988 से ठप्प पड़ा था।
		(ii) कोकड़ा सड़क का निर्माण (5/0 कि०मी० से 10/0 कि०मी०)	मार्च 1983	7.34	2 वर्ष	1983-84		1.00	71	वन भूमि पड़ने के कारण निर्माणकार्य जून 1989 से ठप्प पड़ा था।
		(iii) आरलू चारना सड़क का निर्माण (0/0 कि०मी० से 6/0 कि०मी०)	फरवरी 1980	4.95	2 वर्ष	1980-81	भू-खण्डों (3.275 कि०मी० में 5/7 मी० चौड़ी) में सड़क निर्मित	2.72	107	वन भूमि पड़ने के कारण निर्माणकार्य जून 1988 से ठप्प पड़ा था।
			योग	67.06			योग	15.70		

परिशिष्ट -VIII

(सन्दर्भ: परिच्छेद 4.12, पृष्ठ..123.)

अपूर्ण पड़े सड़क व भवन निर्माण कार्यों को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

क्रमांक	मण्डल का नाम	निर्माणकार्य का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति के ब्यौरे तिथि	राशि (लाख रुपये)	पूर्णता की नियत अवधि	आरम्भ होने की तिथि	निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति	अद्यतन व्यय (लाख रुपये)	लेखा परीक्षा तिथि तक विलम्ब (मास)	अभ्युक्तियाँ
सड़क निर्माण कार्य										
1.	राजगढ़	(i)सरहान मानगढ़ सड़क का खेरी ग्राम (0/0 किमी० से 5/0 किमी०) तक निर्माण (विस्तार)	जुलाई 1983	10.00	3 वर्ष	1983-84	5 किमी० में 1 मी० अनुरेखण कटान पूर्ण	0.82	59 (जनवरी 1992)	संरेखण में प्रस्तावित परिवर्तन में लोक आपति के कारण अप्रैल 1985 से कार्य ठप्प पड़ा था।
		(ii)काला कलाष से बुमागाघाट सड़क (0/0 किमी० से 5/0 किमी०) तक का निर्माण	मार्च 1986	14.14	3 वर्ष	1986-87	5 किमी० में 1 मी० अनुरेखण कटान पूर्ण	0.30	23 (जनवरी 1992)	निर्माणकार्य अप्रैल 1988 से ठप्प पड़ा था जिसके कारण अभिलेखों से सुनिश्चत करने योग्य नहीं थे।
		(iii) सम्पर्क सड़क मोहा (0/0 से 2/200 किमी० तक)	अगस्त 1988	0.64	1 वर्ष	जनवरी 1989	1.600 किमी० में 1 मी० अनुरेखण कटान पूर्ण	0.45	25 (जनवरी 1992)	निर्माणकार्य अप्रैल 1990 से ठप्प पड़ा था। अभिलेखों से कारण सुनिश्चित करने योग्य नहीं थे।
2.	शिमला मण्डल संख्या II	जाठिया देवी रामपुर सड़क 0/0 किमी० से 4/500 किमी० का निर्माण	अगस्त 1980	7.04	3 वर्ष	उपलब्ध नहीं	4/500 किमी० की लम्बाई में 5/7 मी० चौड़ी सड़क निर्मित	4.17	--	आवश्यक जलोत्सारण कार्यों व प्रतिधारण दीवारों की अपूर्णता के कारण यह सड़क यातायात के लिए नहीं खोली गयी थी।
		योग		31.90				5.74		
भवन निर्माणकार्य										
1.	बिलासपुर-II	(i)मिडिल स्कूल भवन, सुई सरहर का निर्माण	फरवरी 1981	0.90	1 वर्ष	नवम्बर 1988	स्लैब स्तर तक पूर्ण	1.11	23 (सितम्बर 1991)	जून 1990 के पश्चात् निधियों की अनुपलब्धता के कारण कार्य रोक दिया गया।
		(ii)नम्होल में उपयोगी क्रीड़ांगण का निर्माण	मार्च 1988	11.85	कोई विशिष्ट समयावधि निर्धारित नहीं	जुलाई 1989	प्रतिधारण दीवारों का केवल 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण	3.55	--	जून 1990 के पश्चात् निधियों की अनुपलब्धता के कारण कार्य रोक दिया गया।
2	भरवाई	राजकीय उच्च विद्यालय, लहेरा में अतिरिक्त आवास (दो कमरों) का निर्माण	दिसम्बर 1988	2.01	6 मास	जनवरी 1990	नींव स्तर तक कार्य पूर्ण	0.42	19 (जनवरी 1992)	मार्च 1990 के पश्चात् निधियों की अनुपलब्धता के कारण कार्य रोक दिया गया था।
3.	डलहौजी	मिडिल स्कूल भवन (अब उच्च विद्यालय), परचौरा के लिए अतिरिक्त आवास का निर्माण	अक्तूबर 1988	2.04	इंगित नहीं।	मार्च 1989	नींव स्तर तक राजगीरी कार्यपूर्ण	0.85	--	निधियों की अनुपलब्धता के कारण अक्तूबर 1990 के पश्चात् कोई भी कार्य नहीं किया गया था।
4.	घुमारवीं	(i)निहारी में ग्रामीण विस्तार अधिकारी भवनों का निर्माण	सितम्बर 1988	1.26	6 मास	1988 के दौरान	नींव खोदने और कुछ राजगीरी कार्य पूर्ण	1.21	--	भवन के कार्य स्थल पर विवाद के कारण फरवरी 1991 के पश्चात् कार्य रोक दिया गया।

क्रमांक	मण्डल का नाम	निर्माणकार्य का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति के ब्यौरे तिथि	राशि (लाख रुपये)	पूर्णता की नियत अवधि	आरम्भ होने की तिथि	निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति	अद्यतन व्यय (लाख रुपये)	लेखा परीक्षा तिथि तक विलम्ब (मास)	अभ्युक्तियाँ
		(ii)ऋषिकेश में उच्च विद्यालय भवन का निर्माण	जनवरी 1988	3.17	3 वर्ष	नवम्बर 1988	भूतल पूर्ण तथा प्रयोग में एक प्रथम तल का जीना पूर्ण तथा दो कमरे स्लैब स्तर तथा लिण्टेल स्तर तक पूर्ण	1.04	--	निधियों की अनुपलब्धता के कारण अगस्त 1990 के बाद कार्य रोक दिया गया।
		(iii)नवलेड़ा में पशु चिकित्सा औषधालय का निर्माण	सितम्बर 1987	1.06	उपलब्ध नहीं	फरवरी 1989	नींव स्तर तक कार्य पूर्ण	0.27	--	मई 1989 के पश्चात् कार्य रोक दिया गया। अभिलेखों से कारण सुनिश्चित करने योग्य नहीं ।
5.	कसौली	(i)परेर में उपकेन्द्र भवन का निर्माण	सितम्बर 1983	1.04	4 मास	मार्च 1985	कार्य स्थल विकास पूर्ण	0.33	78 (दिसम्बर 1991)	निधियों की कमी के कारण 1987-88 के बाद कोई कार्य नहीं किया गया।
		(ii)हरिपुर में उपकेन्द्र, भवन का निर्माण	जुलाई 1984	1.16	6 मास	अगस्त 1985	कार्य स्थल विकास पूर्ण	0.29	71 (दिसम्बर 1991)	निधियों के अभाव के कारण 1987-88 के बाद कोई कार्य नहीं हुआ।
		(iii)बरियां में उपकेन्द्र भवन का निर्माण	मार्च 1985	1.16	6 मास	मार्च 1985	कार्य स्थल विकास पूर्ण	0.16	76 (दिसम्बर 1991)	कम भूमि पड़ने तथा उस पर विवाद के कारण 1986-87 से कोई कार्य नहीं किया गया।
		(iv)साई में उपकेन्द्र भवन का निर्माण	मार्च 1985	1.16	6 मास	जून 1985	नींव स्तर तक कार्य पूर्ण	0.86	73 (दिसम्बर 1991)	निधियों के अभाव के कारण 1989-90 से कोई कार्य नहीं किया गया।
		(v)बद्दी में राजकीय उच्च विद्यालय भवन का निर्माण	जुलाई 1987	9.90	1 वर्ष	मार्च 1988	कार्यस्थल विकास पूर्ण	0.38	34 (दिसम्बर 1991)	निधियों के अभाव के कारण 1989-90 से कोई कार्य नहीं किया गया।
6.	कुल्लू-I	(i)गड़ा गोसैनी में उच्च विद्यालय भवन का निर्माण	जनवरी 1980	2.09	उपलब्ध नहीं	मार्च 1979	नींव स्तर तक कार्य पूर्ण	0.70	--	मार्च 1985 से कार्य ठप्प पड़ा था जिसके कारण अभिलेखों से सुनिश्चित करने योग्य नहीं थे।
		(ii)प्लाशी में मिडिल स्कूल भवन का निर्माण	मार्च 1981	1.68	उपलब्ध नहीं	जून 1981	नींव स्तर तक कार्य पूर्ण	0.25	--	जून 1983 के बाद कार्य रोक दिया गया जिसके कारण अभिलेखों से सुनिश्चित करने योग्य नहीं।
7.	रोहड़ू	(i)छिज्ञांव में लघु औद्योगिक परिसर का निर्माण	मार्च 1988	30.51	उपलब्ध नहीं	1989 के दौरान	सम्पर्क सड़क तथा कार्यस्थल विकास मार्च 1991 के दौरान पूर्ण	7.50	--	मार्च 1991 के बाद आगे कार्य निष्पादित न करने के कारण अभिलेखों में नहीं थे।
		(ii)मेंहदिल में लघु औद्योगिक परिसर का निर्माण	अगस्त 1988	18.12	उपलब्ध नहीं	1989 के दौरान	सम्पर्क सड़क तथा कार्यस्थल विकास अंशतः पूर्ण	3.75	--	निजी भूमि पड़ने के कारण जून 1991 के दौरान कार्य का निष्पादन रोक दिया गया।
8.	ऊना	ऊना में जिला पुस्तकालय भवन का निर्माण	सितम्बर 1987	7.45	2 वर्ष	फरवरी 1988	भूमि तथा प्रथम तल पर स्लैब बिछाया गया।	4.01	24 (जनवरी 1992)	निधियों की अनुपलब्धता के कारण मार्च 1990 से आगामी कार्य ठप्प पड़ा था।
		योग		96.64				26.68		
		सकल योग		128.54				32.42		

हि·प्र· रा·मु· शिमला-171005, 1366 ए·जी·/93--28·5·93 750 प्रतियां